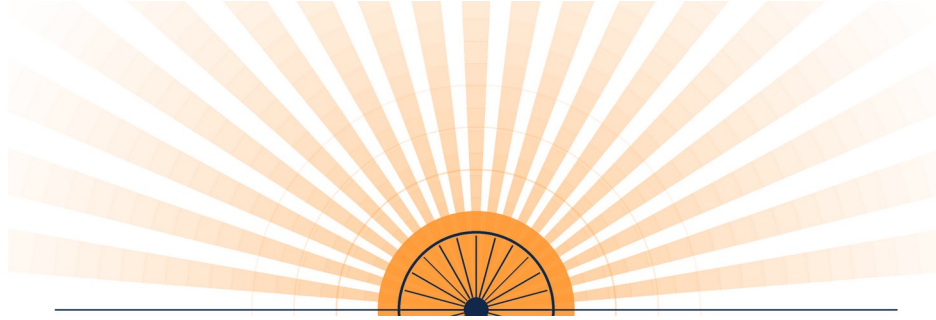




UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartrihari's Shataktraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family

Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

आज का उद्धरण

“राजनीति में हम ‘एक व्यक्ति, एक वोट और हर वोट का एक मूल्य’ का सिद्धांत मान लेंगे। पर अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में, अपनी सामाजिक-आर्थिक बनावट के कारण, हम ‘हर व्यक्ति का एक मूल्य’ के सिद्धांत को नकारते रहेंगे।”

— डॉ. भीमराव आंबेडकर, संविधान सभा में भाषण (25 नवंबर 1949)

द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 26 सितंबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पूछती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हजार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)

UPSC Darpan · 26 सितंबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

Our inspiration, and the reason this initiative exists



Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

- 1. सेवा परमो धर्म: — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
- 2. The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
- 3. Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
- 4. Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
- 5. Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
- 6. Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
- 7. Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्म: — and we shall become.

आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

“राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के, शिक्षा तथा अर्थ-संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा।”

— भारत का संविधान • अनुच्छेद 46, भाग IV (राज्य के नीति निर्देशक तत्व)

उपयोग करें (Use in): जाति की गिनती (आज की यह रिपोर्ट कि जनगणना 2027 स्वतंत्रता के बाद पहली बार जाति को एक 'खुले कॉलम' में दर्ज करेगी, जबकि केंद्र ने अभी यह तय नहीं किया है कि उत्तरों को किस प्रकार वर्गीकृत और सारणीबद्ध किया जाएगा; 2011 की SECC के खुले कॉलम में 46 लाख से अधिक जाति-नाम दर्ज हुए थे और उसकी जाति-सारणियाँ कभी प्रकाशित नहीं हुईं)। इसका उपयोग आरक्षण और कल्याण पर GS2 के उत्तरों में, और आँकड़ों तथा राज्य पर निबंधों में करें: कमज़ोर वर्गों के लिए 'विशेष सुरक्षा' के लिए यह जानना आवश्यक है कि वे कौन हैं और कहाँ पिछड़े हैं, और मंडल का प्राक्कलन आज भी 1931 की जनगणना पर टिका है। तर्क दें कि क्षेत्र-कार्य से पहले ही सारणीकरण-योजना तय हो, प्रक्रिया में स्वतंत्र विशेषज्ञ हों, और जाति को शिक्षा, व्यवसाय तथा संपत्ति के साथ क्रॉस-टेबुलेट किया जाए ताकि जातियों के भीतर की वंचना दिखाई दे।

“सार्वजनिक सेवाओं, अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा नीतियों के प्रावधान, तथा राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त रूप से घर और परिवार के भीतर साझा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देकर, अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम को पहचानें और उसका मूल्य स्वीकार करें।”

— संयुक्त राष्ट्र महासभा • Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1, 2015), सतत विकास लक्ष्य 5, लक्ष्य 5.4

उपयोग करें (Use in): घर का काम कौन करता है (आज की यह खबर कि आंध्र प्रदेश की कक्षा 1 और 2 की नई पाठ्यपुस्तकों में दिखाए गए आधे घरेलू कामों को पुरुष करते दिखाया गया है, उन पुरानी पुस्तकों के स्थान पर जिनमें यह काम पूरी तरह महिलाओं के हिस्से दिखाया जाता था)। इसका उपयोग महिलाओं के काम और महिला श्रम-बल भागीदारी पर GS1 के उत्तरों में, और लिंग तथा अदृश्य श्रम पर निबंधों में करें: यह लक्ष्य तीन मार्गों को साथ रखता है — बोझ घटाने के लिए सार्वजनिक सेवाएँ और अवसंरचना, और उसे बाँटने के लिए 'परिवार के भीतर साझा उत्तरदायित्व', जिसकी शुरुआत एक पाठ्यपुस्तक से हो सकती है। इसे NSO के टाइम यूज़ सर्वे 2019 के साथ जोड़ें, जिसमें पाया गया कि अवैतनिक घरेलू काम करने वाली महिलाएँ इस पर प्रतिदिन लगभग 299 मिनट व्यतीत करती हैं, जबकि ऐसा ही काम करने वाले पुरुष लगभग 97 मिनट, और इसे अनुच्छेद 51A(e) के साथ भी जोड़ें।

“दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और उसे कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए।”

— रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गोर्बाचेव • जिनेवा शिखर वार्ता पर संयुक्त सोवियत-अमेरिकी वक्तव्य, 21 नवंबर 1985 (पाँच परमाणु-शस्त्र संपन्न राज्यों के 3 जनवरी 2022 के संयुक्त वक्तव्य में पुनः पुष्टि की गई)

उपयोग करें (Use in): नो फ़र्स्ट यूज़ (आज का वह लेख जिसमें तर्क दिया गया है कि भारत को अपने परमाणु सिद्धांत में स्पष्टता के लिए पुनर्विलोकन करना चाहिए, उसे बदले बिना: विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध और नो फ़र्स्ट यूज़ को, जैसा 4 जनवरी 2003 को सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति ने निर्धारित किया था, बनाए रखा जाए, और 'भारी प्रतिकार' (massive retaliation) के अर्थ को स्पष्ट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के सामरिक (tactical) हथियार और नई प्रौद्योगिकियाँ निर्णय-समय को छोटा कर रही हैं)। इसका उपयोग सुरक्षा पर GS3 के उत्तरों में और संयम तथा शक्ति पर निबंधों में करें: NFU इस विचार का सैद्धांतिक रूप है कि परमाणु हथियार लड़ने के लिए नहीं, रोकने के लिए होते हैं। तर्क दें कि पूर्वानुमेयता स्वयं एक सुरक्षा-संपत्ति है, और पुनर्विलोकन का मामला उत्तरजीवी द्वितीय-प्रहार क्षमता और कमान-नियंत्रण से जुड़ा है, वचन को शिथिल करने से नहीं।

अनुक्रमिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड।

प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

- 1.1 जनगणना 2027 में जाति का प्रश्न खुले कॉलम में दर्ज होगा; केंद्र ने अभी तालिकाकरण की विधि तय नहीं की
- 1.2 विद्वानों का कहना है कि अनूप बरनवाल निर्णय 2023 के EC कानून पर पहले से बाध्यकारी है, जैसे-जैसे आयोग की असहमति सार्वजनिक होती जाती है
- 1.3 पश्चिम बंगाल का 'गुंडा-विरोधी' विधेयक: ET का दावा — राष्ट्रपति ने लौटाया; मुख्यमंत्री का कहना — अब भी गृह मंत्रालय के पास
- 1.4 कर्नाटक का आरोप — पोर्टल में अंतर के कारण केंद्र ने 15वें वित्त आयोग के पंचायत अनुदान से ₹2,186.20 करोड़ रोके
- 1.5 उमर अब्दुल्ला ने 2000 के स्वायत्तता प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली का प्रस्ताव पेश किया; भाजपा ने प्रतियोगी फाड़ी

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

- 2.1 वित्त मंत्रालय ने नई मॉडल निवेश संधि मंत्रिमंडल को भेजी, कराधान को निवेशक-राज्य मध्यस्थता से बाहर रखा
- 2.2 केंद्र ने वित्त वर्ष 27 की उधारी घटाकर ₹15.99 लाख करोड़ की, RBI ने युद्ध-प्रेरित मुद्रास्फीति जोखिम की चेतावनी दी
- 2.3 व्यापार रहस्यों पर समर्पित कानून पर DPIIT का पुनर्विचार, मुखबिर संरक्षण और अनुपालन बोर्ड के बीच संतुलन की तलाश
- 2.4 चार बंदरगाहों को भारत के पहले 'मेगा पोर्ट' का दर्जा; NHAI ने 50,000 किमी एक्सप्रेसवे नेटवर्क के लिए डिज़ाइन संहिताबद्ध किया

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

- 3.1 बफ़र से कहीं ऊपर अन्न भंडार, चावल की फसल 6.5% गिरी: दो लेख निर्यात खुला रखने पर बैठे

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

- 4.1 भारत और लाइबेरिया ने जहाजों व नाविकों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र में 'मित्र समूह' शुरू किया
- 4.2 WTO पैनेल रूस की EU कार्बन सीमा कर के विरुद्ध चुनौती पर सुनवाई करेगा; भारत तीसरे पक्ष के रूप में शामिल
- 4.3 81 वर्ष की आयु में संयुक्त राष्ट्र "भारी-भरकम पर कमज़ोर"; भारत का लक्ष्य 2028-29 का निर्वाचित परिषद-स्थान

5. पर्यावरण एवं परिस्थितिकी (Environment & Ecology)

- 5.1 केरलम ने केंद्र से पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी-संवेदी क्षेत्र को घटाकर केवल 8,590.69 वर्ग किमी वनक्षेत्र तक सीमित करने का आग्रह किया
- 5.2 विशेषज्ञ समिति ने 1,35,733 पेड़ों की कटाई के बावजूद 1,605 मेगावाट सुबनसिरी अपर बाँध को मंजूरी की सिफ़ारिश की

6. स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान (Health & Life Sciences)

- 6.1 भारत मानसिक-स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्रों के BRICS नेटवर्क का पायलट करेगा, NIMHANS समन्वय केंद्र होगा

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

- 7.1 फ्रांस की EDF ने यूरोपीय प्रेशराइज़्ड रिएक्टर पेश किए, जबकि भारत SHANTI अधिनियम के अंतर्गत मसौदा नियम अंतिम रूप दे रहा है
- 7.2 IIT दिल्ली ने FPGA पर एक स्वदेशी प्रोग्रामेबल माइक्रो-GPU दिखाया, जबकि AI माँग से फ़ोन क्रोमिड बढ़ रही हैं

8. समाज (Society)

- 8.1 आंध्र प्रदेश की नई कक्षा 1-2 पाठ्यपुस्तकें दिखाती हैं कि पुरुष आधे घरेलू काम करते हैं

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

- 9.1 कामजोंग हत्याओं में मृतकों की संख्या आठ पहुँचने के बीच मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल में AFSPA छह महीने के लिए बढ़ाया गया
- 9.2 केंद्र ने नागा शांति-मेज़ पर एक केंद्रीय मंत्री को बैठाया, NSCN-IM की एक माँग पूरी की
- 9.3 भारत के परमाणु सिद्धांत की समीक्षा करें, संशोधन नहीं: न्यूनतम प्रयोग-पूर्व त्याग बना रहे, प्रतिकार स्पष्ट हो

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

- 9.1 केस 1 — चौबीस लड़कियाँ, और वह विभाग जो माता-पिता की जगह खड़ा था
- 9.2 केस 2 — मुख्यमंत्री के हैंडल पर पंद्रह मिनट
- 9.3 केस 3 — "लोगों की संतुष्टि के लिए, हमें कानून से आगे जाना पड़ा"

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

10 25 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

11. आज के निबंध (Essays of the Day)

11.1 राज्य जिसे गिनता है, उसे शासित भी करने लगता है।

11.2 जो काम दुनिया को जोड़कर रखता है, वह वह काम है जिसे कोई नहीं देखता।

इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — हर कहानी एक अध्ययन कार्ड (study card) है: क्या हुआ (समाचार / The News), यह पाठ्यक्रम के किस विषय पर बैठता है (स्थैतिक संबंध / Static Linkage), परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं (ट्रेंड / Trend), वे तथ्य जो प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं (प्रारंभिक मुख्य तथ्य / Prelims Nuggets), एक बिंदुवार विश्लेषण (Analysis), परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न एक आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) के साथ, और वे प्रश्न जिनका सामना एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को वास्तव में करना पड़ेगा। हर लंबे क्षेत्र को क्रमांकित बिंदुओं में विभाजित किया गया है, जिनका अपना शीर्षक है, ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके। जहां कोई कहानी प्रभावों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ती है, वहां पूरी श्रृंखला एक पंक्ति में दी जाती है इससे पहले कि बिंदु हर कड़ी को समझाएं।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

आज की हर खबर इसी सवाल पर टिकी है कि निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, और किन शर्तों पर। केंद्र को यह तय करना है कि स्वतंत्रता के बाद की पहली जातिगत गणना को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा, पर उसने अभी तरीका नहीं बताया है; निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और उसके भीतर के विचार-विमर्श की परीक्षा न्यायालय में, संसद में और जनता के बीच हो रही है; राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल और केंद्रीय मादक पदार्थ कानून के बीच खड़े हैं; केंद्र पोर्टल पर डेटा न होने के नाम पर पंचायतों का धन रोक रहा है; और जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित विधानसभा उस राज्य का दर्जा माँगने भर तक सीमित है जो उसके पास पहले से था। हर मामले में संवैधानिक पाठ पर्याप्त रूप से स्पष्ट है — जो कमी है वह एक पारदर्शी, समय-सीमा में बंधी प्रक्रिया की, जिसे हारने वाला पक्ष भी स्वीकार कर सके।

1.1 जनगणना 2027 में जाति का प्रश्न खुले कॉलम में दर्ज होगा; केंद्र ने अभी तालिकाकरण की विधि तय नहीं की

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा जनगणना 2027 के दूसरे चरण की प्रश्नावली अधिसूचित करने और जाति दर्ज करने के लिए खुले कॉलम की विधि तय करने के एक महीने से अधिक बाद, अधिकारियों ने द हिंदू को बताया कि सरकार एकत्र किए गए आँकड़ों को किस प्रकार वर्गीकृत, तालिकाबद्ध और युक्तिसंगत बनाएगी, इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। खुले कॉलम की विधि के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) से बाहर का व्यक्ति अपनी जाति का नाम खाली स्थान में स्वयं लिखता है; व्यक्ति चाहे तो “जाति नहीं” का विकल्प चुन सकता है या जाति बताने से इनकार कर सकता है। बिहार और तेलंगाना ने अपने जातिगत सर्वेक्षणों में इसके विपरीत एक सूची का उपयोग किया, जिससे उत्तरदाता विकल्प चुनते हैं। विशेषज्ञों, विपक्षी दलों और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने इस चयन की आलोचना की है, उनका तर्क है कि इससे 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) की पुनरावृत्ति होना तय है, जिसके खुले क्षेत्र से 46 लाख से अधिक भिन्न जाति नामों की सूची निकली थी और जिसकी रिपोर्ट सफल सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल रखी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र-कार्य आगे बढ़ने के साथ ये चर्चाएँ शुरू होंगी। दूसरे चरण, यानी जनसंख्या गणना (Population Enumeration — PE) चरण, में 40 प्रश्न हैं, जिनमें 13 प्रश्न या डेटा-क्षेत्र 2011 की जनगणना में नहीं थे — इनमें जाति, परिवार का विवरण, पहचान प्रमाण और कोविड टीकाकरण शामिल हैं; 2011 की प्रश्नावली में 29 प्रश्न थे। जाति संबंधी प्रश्न भारत के जनगणना प्रपत्रों में स्वतंत्रता के बाद पहली बार पृच्छा जा रहा है। अधिकारियों ने निर्णय की प्रक्रिया बताई: जनगणना कार्यालय का प्रत्येक प्रभाग अपने-अपने प्रश्नों के लिए तालिकाकरण तय करता है; भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय एक समग्र प्रस्ताव तैयार करता है; फ़ाइल केंद्रीय गृह सचिव के पास जाती है; और अंतिम निर्णय मंत्रालय या केंद्रीय मंत्रिमंडल लेता है। प्रोफ़ेसर जी.एन. देवी ने कहा कि प्रश्न अंतिम रूप देते समय विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए था, जिससे आँकड़ा जुटने के बाद के विश्लेषण को लेकर संदेह पहले ही सुलझ जाते। PE चरण लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के हिमाच्छादित क्षेत्रों में शुरू हो गया है। लद्दाख में, जो यह कार्य शुरू करने वाला पहला राज्य या केंद्र-शासित प्रदेश है, महापंजीयक मृत्युंजय कुमार नारायण ने चार दिनों तक कार्य की समीक्षा की; एक गणनाकार मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रत्येक घर के लिए 30 से 60 मिनट लगाता है, और यह अभ्यास 30 सितंबर तक समाप्त हो जाएगा। पाठ्यक्रम से संबंध — सामान्य अध्ययन-2: कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण और कल्याण का संवैधानिक आधार, तथा सामान्य अध्ययन-1: जाति और सामाजिक सशक्तीकरण।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1931 की जनगणना अंतिम बार हर जाति की गणना करती है, और 1951 से केवल SC और ST की गणना होती है → 2011 की SECC खुले क्षेत्र में जाति दर्ज करती है और 46 लाख से अधिक जाति-नाम लौटाती है, और रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली जाती है → बिहार (2023) और तेलंगाना सूची-आधारित जातिगत सर्वेक्षण करते हैं, जिससे राष्ट्रीय गणना की माँग तेज़ होती है → केंद्र जनगणना 2027 में जाति संबंधी प्रश्न जोड़ता है और खुले कॉलम की विधि चुनता है → लद्दाख और हिमाच्छादित क्षेत्रों में क्षेत्र-कार्य शुरू हो जाता है, जबकि प्रतिक्रियाओं को वर्गीकृत और तालिकाबद्ध करने का नियम अब भी अनिश्चित है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

- जनगणना संघ सूची का विषय है और इसे गोपनीयता की गारंटी देने वाले 1948 के कानून के अंतर्गत चलाया जाता है — “जनगणना” सातवीं अनुसूची की संघ सूची (Union List) की प्रविष्टि 69 है, इसलिए इस पर विधि बनाने का अधिकार केवल संसद को है। जनगणना अधिनियम, 1948 (Census Act, 1948) केंद्र सरकार को यह अधिसूचित करने का अधिकार देता है कि जनगणना कराई जाएगी, जनगणना अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार देता है, और प्रत्येक व्यक्ति को उससे पृच्छा गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य करता है; जनगणना नियम, 1990 (Census Rules, 1990) प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। यह अभ्यास भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा संचालित होता है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अधिनियम की धारा 15 व्यक्तिगत जनगणना अभिलेखों को गोपनीय बनाती है; वे निरीक्षण के लिए खुले नहीं होते और किसी भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होते। इसीलिए जनगणना केवल समुच्चित (aggregated) तालिकाएँ प्रकाशित करती है, और इसीलिए तालिकाकरण की विधि यह तय करती है कि देश वास्तव में क्या जान पाता है।
- SECC 2011 ने जनगणना से बाहर जाति गणना की थी, और उसकी जाति-तालिकाएँ कभी प्रकाशित नहीं हुईं — 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (Socio-Economic Caste Census — SECC) एक अलग अभ्यास था, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी क्षेत्रों में उस समय के आवासन एवं शहरी निर्धनता उपशमन मंत्रालय ने चलाया था, जिसमें महापंजीयक ने साजो-सामान संबंधी सहायता दी थी; यह जनगणना

अधिनियम के अंतर्गत नहीं किया गया था। इसका वंचना संबंधी सामाजिक-आर्थिक डेटा जारी किया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तथा आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान के लिए उपयोग किया गया। कच्चा जातिगत डेटा, जिससे 46 लाख से अधिक जाति-नाम, वर्तनी-भेद, कुल-नाम और उपाधियाँ सामने आईं, कभी जारी नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने बाद में सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि जातिगत डेटा वृत्तियों से भरा है और नीति के लिए उपयोग योग्य नहीं है। 2027 के लिए सीख यह है कि पहले से सहमत वर्गीकरण योजना के बिना खुला क्षेत्र ऐसी सूची देता है जिसका तालिकाकरण संभव नहीं होता।

3. **पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तीन अनुच्छेदों और एक सीमा पर टिका है** — प्रथम संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, SC और ST के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16(4) राज्य को यह अनुमति देता है कि वह किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए, जो राज्य की राय में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखता, लोक नियोजन में आरक्षण दे। अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थिति की जाँच के लिए आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है; काका कालेलकर आयोग (1953) और बी.पी. मंडल आयोग (1979) इसी के अंतर्गत बनाए गए थे। इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (Indra Sawhney v. Union of India, 1992) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्रीय नौकरियों में OBC को 27% आरक्षण को बरकरार रखा, 'क्रीमी लेयर' को बाहर रखा, और कहा कि सामान्यतः कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के। क्योंकि जनसंख्या में OBC के हिस्से का मंडल आँकड़ा 1931 के डेटा पर आधारित एक अनुमान था, आरक्षण पर हुई हर बाद की बहस ताज़ा जातिगत आँकड़ों के अभाव पर ही आकर टिकी है।
4. **राज्यों ने अपने जातिगत सर्वेक्षण किए हैं, और न्यायालयों ने परखा है कि उनका उपयोग कहाँ तक किया जा सकता है** — बिहार ने राज्य की कार्यपालक शक्ति के अंतर्गत जातिगत सर्वेक्षण कराया और अक्टूबर 2023 में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग मिलकर जनसंख्या का लगभग 63% पाए गए। राज्य ने फिर आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया, जिसे पटना उच्च न्यायालय ने 2024 में 50% की सीमा का उत्तुलघन मानते हुए रद्द कर दिया। तेलंगाना ने जातियों की सूची का उपयोग करते हुए इसी तरह का सर्वेक्षण किया। 105वें संवैधानिक संशोधन (2021) के बाद अनुच्छेद 342A(3) पुष्टि करता है कि हर राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार और बनाए रख सकता है, जो केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। इसलिए राष्ट्रीय जातिगत गणना को एक केंद्रीय सूची और कई राज्य-सूचियों के साथ मिलाना होगा।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **सामान्य अध्ययन-1 और सामान्य अध्ययन-2 दोनों इस खबर से जुड़ते हैं** — सामान्य अध्ययन-1 का पाठ्यक्रम सामाजिक सशक्तीकरण और भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पूछता है, और सामान्य अध्ययन-2 का पाठ्यक्रम कमज़ोर वर्गों की रक्षा के लिए तंत्रों, कानूनों और संस्थाओं के बारे में पूछता है। आरक्षण पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न बार-बार पर्याप्त प्रतिनिधित्व के संवैधानिक वायदे और उसे मापने के लिए आँकड़ों की अनुपस्थिति के बीच के अंतर पर आकर टिके हैं। जनगणना में जातिगत गणना पहली बार यह अंतर पाट सकती है, इसलिए गणना की विधि स्वयं परीक्षा-योग्य विषय बन गई है।
2. **प्रारंभिक परीक्षा जनगणना की संस्थागत बनावट परखती है** — UPSC यह पूछता रहा है कि कौन-सा मंत्रालय जनगणना चलाता है, सातवीं अनुसूची में यह विषय कहाँ है, इसे कौन-सी संस्था संचालित करती है, और जनगणना SECC या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (National Sample Survey) जैसे सर्वेक्षणों से किस प्रकार भिन्न है। अनुच्छेद 340 और उसके अंतर्गत बने आयोग प्रारंभिक परीक्षा की स्थायी सामग्री हैं। यह खबर इन सभी को एक ताज़ा संदर्भ देती है।
3. **निबंध और नीतिशास्त्र के प्रश्नपत्र जातिगत डेटा को पहचान और विभाजन के बीच की दुविधा के रूप में उपयोग करते हैं** — पहचान और डेटा-आधारित शासन पर निबंध के विषय यह तर्क आमंत्रित करते हैं कि जाति की गणना उसे और मज़बूत भी कर सकती है और उसकी असमानताओं को उजागर भी कर सकती है। खुला कॉलम चुनना — स्व-पहचान बनाम राज्य द्वारा तय की गई सूची — सामान्य अध्ययन-4 के लिए भी इस दुविधा का एक ठोस उदाहरण है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- “जनगणना” को संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में प्रविष्टि 69 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- भारत की जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा संचालित की जाती है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत व्यक्तिगत जनगणना अभिलेख गोपनीय होते हैं और सिविल या आपराधिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होते।
- 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) जनगणना अधिनियम,

1948 के अंतर्गत संचालित नहीं की गई थी।

- अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जाँच के लिए आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है; मंडल आयोग इसी के अंतर्गत नियुक्त किया गया था।
- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने OBC आरक्षण को बरकरार रखा, क्रीमी लेयर की छूट लागू की और कहा कि आरक्षण सामान्यतः 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 105वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2021 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 342A(3) प्रत्येक राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार और बनाए रखने की अनुमति देता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- खुला कॉलम ईमानदार विधि है; राजनीति वर्गीकरण में छिपी है** — लोगों को अपनी जाति स्वयं लिखने देना स्व-पहचान का सम्मान करता है और इस आरोप से बचाता है कि राज्य ने पहले से तय कर लिया कि कौन-सी जातियाँ मौजूद हैं, जो बिहार और तेलंगाना में उपयोग की गई सूची-विधि की मुख्य कमजोरी है। पर खुला क्षेत्र हर कठिन निर्णय को प्रश्नावली से तालिकाकरण के कक्ष में भेज देता है: क्या किसी उप-जाति को उसकी मूल जाति के साथ गिना जाए, क्या कोई उपनाम जाति है, क्या दो वर्तनियाँ एक ही समूह हैं। यही वे निर्णय हैं जिन पर, केंद्र के अनुसार, चर्चा अभी शुरू भी नहीं हुई है। आलोचक इस बात में सही हैं कि किसी विधि का मूल्यांकन उसके परिणाम से होता है, पर यह मान लेना गलत है कि SECC जैसा नतीजा तय ही है; 46 लाख नाम प्रविष्टियों की कच्ची गिनती है, जातियों की नहीं, और यह पहले एक कोडिंग समस्या है, बाद में राजनीतिक। दूसरा पक्ष यह है कि बंद कमरों में सुलझाई गई कोडिंग समस्या भी अंततः राजनीतिक समस्या बन जाती है।
- डेटा एकत्र करने के बाद विधि तय करना यह शंका पैदा करता है कि परिणाम पहले से चुना जा रहा है** — अच्छा सांख्यिकीय अभ्यास वर्गीकरण योजना, पर्याय-शब्दकोश (synonym dictionary) और तालिकाकरण योजना को क्षेत्र-कार्य से पहले ही तय कर लेता है, ताकि बाद में किसी पर यह आरोप न लगाया जा सके कि उसने पसंदीदा नतीजे के अनुसार आँकड़े सजा दिए। प्रोफेसर देवी की यह बात कि प्रश्नावली के चरण में विशेषज्ञों से सलाह ली जानी चाहिए थी, असल में क्रम (sequencing) की बात है। अधिकारियों द्वारा बताया गया फ़ाइनल-मार्ग — प्रभाग, महापंजीयक, गृह सचिव, मंत्रालय या मंत्रिमंडल — एक प्रशासनिक शृंखला है जिसमें स्वतंत्र सांख्यिकीविदों या समाजशास्त्रियों की कोई वैधानिक भूमिका नहीं है। प्रकाशित तालिकाकरण योजना और सरकार से बाहर के सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति की लागत बहुत कम होगी, और इससे जनगणना — भारत के सबसे भरोसेमंद डेटासेटों में से एक — एक और विवादित संस्था बनने से बच जाएगी।
- गणना प्रकाशित होने के दिन से ही 50% की सीमा के आलोक में परखी जाएगी** — इंद्रा साहनी ने आरक्षण को पिछड़ेपन और पर्याप्त प्रतिनिधित्व से जोड़ा, और बाद के निर्णयों ने आरक्षण बढ़ाने से पहले मापने-योग्य आँकड़े ज़रूरी कर दिए। इसलिए जातिगत आँकड़ों का उपयोग एक साथ दो दिशाओं में होगा: एक ओर वे समूह जो तक देंगे कि 50% की सीमा जनसंख्या हिस्से के आगे झुकनी चाहिए, जैसा बिहार ने 2023 में करने की कोशिश की, और दूसरी ओर वे जो OBC के भीतर उप-वर्गीकरण की माँग करेंगे ताकि कुछ प्रभुत्वशाली जातियाँ अधिकांश लाभ न ले जाएँ। दोनों उपयोगों के लिए ऐसी तालिकाएँ चाहिए जो जनगणना के नामों को केंद्रीय और राज्य OBC सूचियों पर मैप करें। जो राष्ट्रीय गणना इन सूचियों पर मैप नहीं हो सकेगी, वह किसी भी पक्ष को संतुष्ट नहीं करेगी और न्यायालयों को वहीं छोड़ देगी जहाँ वे पहले थे।
- जातिगत प्रश्न ऐसी जनगणना में है जो अन्यथा पहले से कहीं अधिक डिजिटल और विस्तृत है** — PE चरण में 2011 के 29 के मुकाबले 40 प्रश्न हैं, और गणनाकार मोबाइल एप्लिकेशन पर डेटा दर्ज करते हैं, लद्दाख में प्रति घर 30 से 60 मिनट लगाते हैं। डिजिटल संग्रहण से तालिकाकरण तेज़ होना चाहिए, और उत्तरदाता के जाति टाइप करते समय एप्लिकेशन मानकीकृत वर्तनी सुझा सकता है, जिससे SECC जैसी अव्यवस्था कम हो सकती है। जोखिम इसके विपरीत है: यदि एप्लिकेशन लोगों को पहले से तय नामों की ओर धकेलता है, तो खुला कॉलम पीछे के दरवाज़े से सूची-विधि बन जाता है, बिना प्रकाशित सूची की पारदर्शिता के। इसलिए उस इंटरफ़ेस का डिज़ाइन एक नीतिगत निर्णय है और इसे प्रकट किया जाना चाहिए, न कि केवल एक तकनीकी विवरण मानकर छिपाया जाना चाहिए।
- सावधानीपूर्वक की गई गणना जातिगत चेतना को बढ़ा नहीं, कम कर सकती है** — पर केवल तभी जब उसका उपयोग लक्ष्य-निर्धारण के लिए हो — जातिगत जनगणना पर सबसे मज़बूत आपत्ति यह है कि इससे पहचानें कटोर होंगी और मान्यता की प्रतिस्पर्धी माँगें बढ़ेंगी। इसका उत्तर यह है कि जाति पहले से ही भूमि, ऋण, विवाह और नौकरियों तक पहुँच तय करती है, और सरकारें बिना ताज़ा आँकड़ों के जातिगत आधार पर आरक्षण और कल्याण बाँटती हैं, जिससे सबसे मुखर समूहों को लाभ मिलता है, सबसे वंचितों को नहीं। प्रमाण दावों को अनुशासित भी

	कर सकता है, न कि केवल उन्हें बढ़ावा दे सकता है। जनगणना 2027 की परीक्षा यह होगी कि उसकी जातिगत तालिकाओं का शिक्षा, व्यवसाय और संपत्ति के साथ पार-सारणीकरण (cross-tabulation) किया जाता है या नहीं, ताकि नीति जातियों के भीतर की वंचना देख सके, न कि केवल जनसंख्या की एक और सूची तैयार हो।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“जाति की गणना करना आसान है; उसे वर्गीकृत करना असली नीतिगत चुनौती है।” जनगणना 2027 के लिए अपनाई गई खुले कॉलम की विधि के आलोक में, जातिगत आँकड़ा एकत्र करने और उसके उपयोग में निहित प्रशासनिक और संवैधानिक चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। इस अभ्यास को विश्वसनीय बनाने वाले सुरक्षा-उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	भूमिका — बताएँ कि जनगणना 2027 स्वतंत्रता के बाद पहली बार जातिगत प्रश्न पृष्ठ रही है, जिसमें खुले कॉलम में गैर-SC/ST उत्तरदाता अपनी जाति स्वयं लिखते हैं, और केंद्र ने अभी यह तय नहीं किया है कि प्रतिक्रियाओं को कैसे वर्गीकृत और तालिकाबद्ध किया जाएगा। मुख्य भाग — प्रशासनिक चुनौतियाँ — SECC 2011 के 46 लाख से अधिक जाति-नामों के उदाहरण से कोडिंग समस्या समझाएँ: पर्याय, उप-जातियाँ, उपनाम और वर्तनी-भेद। खुले कॉलम की विधि की तुलना बिहार और तेलंगाना के सर्वेक्षणों की सूची-विधि से करें, और बताएँ कि तालिकाकरण का निर्णय महापंजीयक, गृह सचिव तथा मंत्रालय या मंत्रिमंडल पर निर्भर है। मुख्य भाग — संवैधानिक चुनौतियाँ — अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340, इंद्रा साहनी की 50% सीमा और मापने-योग्य आँकड़े की आवश्यकता, अनुच्छेद 342A(3) तथा केंद्रीय और राज्य OBC सूचियों के अलग-अलग होने की स्थिति, और बिहार के 65% कोटे का पटना उच्च न्यायालय में क्या हुआ, यह समझाएँ। मुख्य भाग — सुरक्षा-उपाय — परिणाम आने से पहले प्रकाशित तालिकाकरण योजना, समाजशास्त्रियों और सांख्यिकीविदों वाली स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति, केंद्रीय और राज्य सूचियों से जुड़ा पर्याय-शब्दकोश, मोबाइल एप्लिकेशन की प्रवेश-डिज़ाइन का प्रकटीकरण, जनगणना अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत गोपनीयता, और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के साथ पार-सारणीकरण सुझाइए। निष्कर्ष — निष्कर्ष दें कि जातिगत गणना वैध और लंबे समय से लंबित है, पर उसकी विश्वसनीयता इस पर निर्भर करती है कि आँकड़े ज्ञात होने से पहले ही नियम तय कर लिए जाएँ, ताकि जनगणना नीति को दिशा दे, न कि विवाद का एक नया केंद्र बन जाए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप महापंजीयक हैं। खुले कॉलम के जातिगत आँकड़े का तालिकाकरण आप किस प्रकार डिज़ाइन करेंगे ताकि वह विश्वसनीय हो? दृष्टिकोण (Approach): मैं सांख्यिकीविदों, समाजशास्त्रियों तथा पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोगों के प्रतिनिधियों की एक विशेषज्ञ समिति बनाऊँगा जो वर्तनी-भेद, पर्याय और उप-जातियों को समूहों में मैप करने वाला जाति-शब्दकोश तैयार करे। मैं किसी भी परिणाम से पहले तालिकाकरण योजना और शब्दकोश को सार्वजनिक टिप्पणी के लिए प्रकाशित करूँगा। जिन प्रविष्टियों का मिलान नहीं हो पाएगा, उन्हें चुपचाप मिलाने के बजाय एक शेष श्रेणी (residual category) के रूप में पारदर्शी ढंग से दिखाया जाएगा। अंत में, मैं जातिगत तालिकाओं को शिक्षा और व्यवसाय के साथ पार-वर्गीकृत करके जारी करूँगा ताकि डेटा केवल गिनती नहीं, लक्ष्य-निर्धारण की सेवा भी करे। प्रश्न 2. ज़िला जनगणना अधिकारी के रूप में, आप पाते हैं कि आपके ज़िले में कई उत्तरदाता जाति बताने से इनकार करते हैं या उसके बजाय कुल-नाम बताते हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): उत्तरदाताओं को “जाति नहीं” चुनने या न बताने का अधिकार है, इसलिए गणनाकारों को वह चुनाव ईमानदारी से दर्ज करना चाहिए और दबाव या अनुमान नहीं लगाना चाहिए। मैं गणनाकारों को केवल किसी अस्पष्ट प्रविष्टि को स्पष्ट करने के लिए विनम्रता से पूछने और जो कहा गया है उसे ठीक वैसे ही दर्ज करने के लिए पुनःप्रशिक्षित करूँगा। मैं कुल-नामों के समूहों को जनगणना संचालन निदेशालय को चिह्नित करूँगा ताकि वर्गीकरण दल उनसे निपट सके। गणना की सत्यता इस पर निर्भर है कि गणनाकार नागरिकों की बात दर्ज करें, उसे ठीक न करें। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृष्ठता है: क्या जातिगत जनगणना जातिविहीन समाज के लक्ष्य को मज़बूत करती है या कमज़ोर करती है? दृष्टिकोण (Approach): अल्पावधि में इससे जाति अधिक दिखाई देने लगती है, जिससे आँकड़ों के इर्द-गिर्द लामबंदी का जोखिम रहता है। पर जाति पहले से ही अवसर की संरचना तय करती है, और आँकड़ों के बिना बनाई गई नीति संगठित समूहों को पुरस्कृत करती है, सबसे वंचितों को नहीं। यदि डेटा का उपयोग जातियों के भीतर और उनके आर-पार लाभों को लक्षित करने के लिए

किया जाए, तो यह असमर्थित दावों का राजनीतिक मूल्य घटा सकता है। जातिविहीन समाज समान अवसर से आएगा, और असमानता को मापना उसकी शर्त है, बाधा नहीं।

1.2 विद्वानों का कहना है कि अनूप बरनवाल निर्णय 2023 के EC क़ानून पर पहले से बाध्यकारी है, जैसे-जैसे आयोग की असहमति सार्वजनिक होती जाती है

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। 24 और 25 सितंबर के कार्डों में सर्वोच्च न्यायालय के विभाजित निर्णय और विपक्ष की हटाने की योजना पर चर्चा के बाद, आज नया यह है: संदर्भ के विरुद्ध एक सैद्धांतिक तर्क, निर्वाचन आयोग (Election Commission — EC) के निर्णय लेने के तरीके का एक अभिलेख, और एक सुधार-एजेन्डा। बुधवार को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 (Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023) को चुनौती देने वाली याचिका पर असहमत हुए और उसे संविधान पीठ के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया। द इंडियन एक्सप्रेस में फ़ैज़ान मुस्तफ़ा (CNLU, पटना) और माधव आनंद (NUJS) न्यायमूर्ति दत्ता का समर्थन करते हैं। इस अधिनियम ने उस चयन पैनल में, जो अनूप बरनवाल (2023) ने तैयार किया था — प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश — मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री को रख दिया। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि संदर्भ की याचना महान्यायवादी की दलीलों के “क्रमिक दौर” में ही सामने आई, और किसी स्थापित सिद्धांत को लागू करना विवेचन (interpretation) नहीं है (ठाकुर गंगा सिंह, 1960)। उन्होंने कहा कि बाध्यकारी सिद्धांत यह है कि नियुक्तियों कार्यपालिका के अनन्य नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि “यह पर्याप्त नहीं है कि ECI स्वतंत्र हो, उसे स्वतंत्र दिखाना भी चाहिए”; मुख्य न्यायाधीश को शामिल करना “संकेत-सलाह था, आदेश नहीं”। यह पृष्ठे जाने पर कि क्या प्रधानमंत्री का नामित सदस्य कभी प्रधानमंत्री का विरोध करेगा, महान्यायवादी ने कहा “संभवतः नहीं”। लेखकों का कहना है कि न्यायाधीशों को अधिनियम को इस तरह पढ़ना चाहिए था कि चयन के निर्णय सर्वसम्मति से हों। द इंडियन एक्सप्रेस का एक स्पष्टीकरण बताता है कि 2023 के अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत कामकाज “जितना संभव हो” सर्वसम्मति से होता है, अन्यथा बहुमत से, और हर सदस्य का एक मत होता है। असहमति नई बात नहीं है: टी.एन. शेषन का एम.एस. गिल और जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति से टकराव हुआ था; एन. गोपालस्वामी ने जनवरी 2009 में नवीन चावला को हटाने की माँग करते हुए लिखा था; अशोक लवासा ने 2019 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मॉडल कोड में मिली क्लीन-चिट पर असहमति जताई थी। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि विपक्ष “आने वाले दो सप्ताह के भीतर” CEC ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध हटाने का नोटिस पेश करेगा; EC कहता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े सहित सभी अंतिम निर्णय सर्वसम्मति थे। अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका का आरोप है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की शक्तियाँ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 13B, 22 और 23 के अंतर्गत छीन ली गई हैं। गिल्स वर्नियर्स, ET में, सार्वजनिक निर्णय-मार्ग, लेखा-परीक्षा योग्य मतदाता सूची डेटा और दर्ज असहमति का प्रस्ताव रखते हैं। पाठ्यक्रम से संबंध — सामान्य अध्ययन-2: संवैधानिक निकाय और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अनुच्छेद 324(2) सात दशकों तक नियुक्तियों को ऐसी विधि पर छोड़ता है जो संसद बनाती ही नहीं → अनूप बरनवाल (2023) प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की अंतरिम समिति तय करता है → 2023 का अधिनियम मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए कैबिनेट मंत्री को रखता है → दो निर्वाचन आयुक्त SIR से जुड़े निर्णयों पर आपत्ति दर्ज कराते हैं और आयोग जोर देता है कि हर निर्णय सर्वसम्मति था → दो-न्यायाधीशों की पीठ अधिनियम पर विभाजित होकर मामला आगे भेजती है, जबकि विपक्ष हटाने का नोटिस तैयार करता है और विद्वान तर्क देते हैं कि सिद्धांत पहले से ही तय है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. अनुच्छेद 324(2) ने नियुक्तियाँ संसद पर छोड़ दी थीं, और संसद ने 2023 तक प्रतीक्षा की — अनुच्छेद 324(1) संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूचियाँ तैयार करने और निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक निर्वाचन आयोग में निहित करता है। अनुच्छेद 324(2) कहता है कि आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति समय-समय पर तय करें, और नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा “संसद द्वारा इस संबंध में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए” की जाएँगी। CEC आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। संविधान सभा में शिबन लाल सक्सेना ने चेतावनी दी थी कि आयुक्त “कार्यपालिका के अंगूठे के नीचे” आ सकते हैं, और डॉ. बी.आर. आंबेडकर का उत्तर संसदीय विधि के लिए स्थान छोड़ना था। नियुक्ति की विधि पर ऐसी कोई विधि 2023 के अधिनियम तक नहीं बनी, इसलिए सात दशकों से अधिक समय तक नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती रहीं।
2. अनूप बरनवाल ने एक सिद्धांत और एक अंतरिम व्यवस्था दी; 2023 के अधिनियम ने व्यवस्था बदल दी — अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (Anoop Baranwal v. Union of India, 2023) में पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि जब तक संसद विधि न बनाए, CEC और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर होगी। न्यायालय ने इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों से जोड़ा, जो मूल संरचना का हिस्सा हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति बनाई जिसमें विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, और विधि मंत्री की

अध्यक्षता वाली एक खोज समिति नामों का पैनाल तैयार करती है। चयन समिति उस पैनाल से बाहर के व्यक्तियों पर भी विचार कर सकती है, और समिति में कोई रिक्ति उसके निर्णयों को अमान्य नहीं करती। लंबित चुनौती का मूल प्रश्न यह है कि क्या दो-एक के सरकारी बहुमत वाली समिति बरनवाल की उस कसौटी पर उतरती है जो कार्यपालिका के अनन्य नियंत्रण से मुक्ति माँगती है।

3. **आयोग समानों का एक निकाय है जो असहमति होने पर बहुमत से निर्णय लेता है** — आयोग अपने अधिकांश इतिहास में एक-सदस्यीय निकाय रहा; अक्टूबर 1989 में दो अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए और जनवरी 1990 में उनके पद समाप्त कर दिए गए, और अक्टूबर 1993 से यह फिर से तीन-सदस्यीय निकाय बना। निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की सेवा-शर्तें और कारबार का संचालन) अधिनियम, 1991 (Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991) की धारा 10 के अनुसार कामकाज जितना संभव हो सर्वसम्मति से और अन्यथा बहुमत से चलाया जाना था। टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (T.N. Seshan v. Union of India, 1995) में संविधान पीठ ने बहु-सदस्यीय आयोग और बहुमत के नियम को बरकरार रखा, और कहा कि निर्णय लेने में CEC अन्य आयुक्तों से श्रेष्ठ नहीं है। 2023 के अधिनियम ने 1991 का अधिनियम निरसित कर धारा 18 में यही नियम दोहराया, और यह जोड़ा कि आयोग अपनी प्रक्रिया और कारबार के आबंटन को केवल सर्वसम्मति निर्णय से ही विनियमित कर सकता है। धारा 17 कहती है कि सारा कामकाज अधिनियम के अनुसार ही चलाया जाएगा।
4. **हटाने की सुरक्षा CEC और अन्य आयुक्तों के लिए भिन्न है** — अनुच्छेद 324(5) के परंतुक के अंतर्गत CEC को केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिनसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, और नियुक्ति के बाद उनकी सेवा-शर्तें उनके लिए अहितकर रूप से नहीं बदली जा सकतीं। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल CEC की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। 2023 का अधिनियम पदावधि छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तय करता है, और धारा 16 वर्तमान या पूर्व CEC व आयुक्तों के विरुद्ध आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए सिविल या आपराधिक कार्यवाही रोकती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूचियाँ तैयार और संशोधित करते हैं, अपनी शक्तियाँ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से लेते हैं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **सामान्य अध्ययन-2 का पाठ्यक्रम संवैधानिक निकायों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम दोनों को नाम देता है** — “विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व” तथा “लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ” स्पष्ट पाठ्यक्रम-पंक्तियाँ हैं। निर्वाचन आयोग पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न उसकी स्वतंत्रता और स्वतंत्र-निष्पक्ष निर्वाचनों में उसकी भूमिका के बारे में पूछते रहे हैं, और नियुक्ति संबंधी विधि अब इस विषय का सबसे सटीक उदाहरण है।
2. **प्रारंभिक परीक्षा संरचना और प्रक्रिया को प्राथमिकता देती है** — निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, चयन समिति में कौन बैठता है, CEC को कैसे हटाया जाता है, और क्या CEC अन्य सदस्यों को दरकिनार कर सकता है — ये सबसे संभावित परखे जाने वाले तथ्य हैं। शेषन निर्णय में समान मत का सिद्धांत और 2023 के अधिनियम की समिति-संरचना दो प्रमुख आधार हैं।
3. **नीतिशास्त्र और शासन के प्रश्नपत्र संस्थागत विश्वास के बारे में पूछते हैं** — किसी संस्था के स्वतंत्र होने और स्वतंत्र दिखने के बीच का अंतर, तथा वर्नियर्स का विश्वास (trust) और विश्वसनीयता (trustworthiness) के बीच किया गया भेद, सामान्य अध्ययन-4 की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संस्थाओं में सार्वजनिक विश्वास जैसी विषय-वस्तु से सीधे जुड़ते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन रहते हुए, की जाती है।
- अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक अंतरिम चयन समिति निर्धारित की।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं।
- 2023 के अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का कामकाज जितना संभव हो सर्वसम्मति से, और अन्यथा बहुमत के मत के अनुसार चलाया जाता है।
- टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) में सर्वोच्च न्यायालय ने बहु-सदस्यीय निर्वाचन

आयोग को बरकरार रखा और कहा कि CEC और निर्वाचन आयुक्तों का निर्णयों में समान मत होता है।

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिनसे सर्वाच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है; अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल CEC की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।
- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत मतदाता सूचियाँ तैयार और संशोधित करते हैं।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- न्यायमूर्ति दत्ता का सिद्धांत और विहित व्यवस्था के बीच का भेद बरनवाल की अधिक मज़बूत व्याख्या है** — किसी न्यायालय की घोषणा उसके तर्क के माध्यम से बाध्यकारी होती है, न कि उस हर व्यवस्था के माध्यम से जिसे उसने अंतर को भरने के लिए तात्कालिक रूप से बनाया। बरनवाल की व्यवस्था — प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश — स्पष्ट रूप से अस्थायी थी, इसलिए संसद उसे बदलने के लिए स्वतंत्र थी; उसका सिद्धांत — कार्यपालिका के अनन्य नियंत्रण का अभाव — स्वतंत्र नहीं था। 2023 के अधिनियम को उस सिद्धांत पर परखना सामान्य अनुप्रयोग है, जो दो न्यायाधीशों की पीठ भी कर सकती है। महान्यायवादी का यह स्वीकार करना कि प्रधानमंत्री का नामित सदस्य प्रधानमंत्री के विरुद्ध शायद ही मतदान करे, चुनौती के तथ्यात्मक आधार को ही स्वीकार करता है। दूसरा पक्ष, जिसे न्यायमूर्ति शर्मा ने स्वीकार किया, यह है कि क्या संसद को कोई तटस्थ चयनकर्ता शामिल करना ही होगा, यह एक नया प्रश्न है जिसे बड़ी पीठ के सामने रखा जाना चाहिए; यह मत सम्मानजनक है, पर इसमें यह जोखिम है कि केवल विधायी अधिनियमन से ही तय हुए कानून को फिर से खोलने की छूट मिल जाए।
- NJAC की तुलना इसके विपरीत दिशा में जाती है** — सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि यदि विधि मंत्री की मौजूदगी ने NJAC मामले (2015) में न्यायिक स्वतंत्रता को खतरे में डाला था, तो कार्यपालिका को निर्वाचन आयुक्तों के चयन में इसी तरह का स्थान मिलना चाहिए। पर NJAC निर्णय ने एक स्वतंत्र संस्था को कार्यपालिका से बचाया था; इसका उपयोग एक अन्य स्वतंत्र संस्था पर कार्यपालिका के नियंत्रण को बचाने के लिए करना इसे उलट देता है। कार्यपालिका निर्वाचनों में एक तटस्थ नियुक्तकर्ता नहीं है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल स्वयं एक प्रतिस्पर्धी है। संपादकीय में दिया गया रेफरी का उपमान उचित है: एक ही टीम द्वारा चुना गया रेफरी ईमानदार होने पर भी शंका के घेरे में रहता है। इसीलिए दिखने की कसौटी निर्वाचन आयोग के लिए अन्य अधिकांश निकायों से अधिक महत्व रखती है।
- चयन में सर्वसम्मति एक अच्छा उपाय है, पर उसमें गतिरोध का जोखिम है** — मुस्तफा और आनंद का प्रस्ताव है कि अधिनियम को इस तरह पढ़ा जाए कि चयन समिति को सर्वसम्मति से निर्णय लेना ही होगा, जिससे विपक्ष को वीटो मिल जाए। इससे सहमति के उम्मीदवार सामने आएंगे और नियुक्त व्यक्ति हारने वालों को भी स्वीकार्य होंगे, जो एक निर्वाचन निकाय की असली परीक्षा है। कठिनाई यह है कि वीटो का उपयोग हर नाम को रोकने के लिए किया जा सकता है, जिससे निर्वाचन से पहले आयोग सदस्यों की कमी से जूझ सकता है। एक व्यावहारिक डिज़ाइन सर्वसम्मति की अपेक्षा को समय-सीमा वाली वैकल्पिक व्यवस्था के साथ जोड़ सकता है — जैसे किसी तटस्थ खोज निकाय द्वारा तैयार पैनल, या समिति सहमत न हो पाने पर मुख्य न्यायाधीश को फिर से शामिल करना। न्यायालय आमतौर पर ऐसा विस्तार लिखने से बचते हैं, इसीलिए बेहतर रास्ता विधायी संशोधन है।
- बहुमत का नियम असहमति को सामान्य बनाता है; उसे छिपाना ही आयोग को नुकसान पहुंचाता है** — 1991 और 2023 दोनों विधियाँ असहमति को पहले से मानकर चलती हैं, इसीलिए वे बहुमत के निर्णय का प्रावधान करती हैं। शेषन का मामला, गोपालस्वामी-चावला प्रसंग और लवासा की 2019 की असहमतियाँ दिखाती हैं कि मतभेद हमेशा रहा है। आयोग का मौजूदा रुख — कि आपत्तियाँ केवल “टिप्पणियाँ” थीं और हर अंतिम निर्णय सर्वसम्मत था — तकनीकी रूप से सच हो सकता है, पर यह असहमति को विचार-विमर्श के प्रमाण के रूप में नहीं, बल्कि शर्म की बात के रूप में देखता है। लवासा की यह शिकायत कि उनकी असहमतियों को अंतिम आदेशों में दर्ज नहीं किया गया, वही पूर्ववृत्त है जिसे लेकर आयोग को सबसे अधिक चिंतित होना चाहिए। न्यायालय असहमति प्रकाशित करते हैं और फिर भी अपना प्राधिकार नहीं खोते, जैसा वर्नियर्स बताते हैं, और जो निर्वाचन निकाय असहमति दर्ज करेगा वह विश्वसनीयता खोएगा नहीं, बढ़ाएगा।
- ERO याचिका दिखाती है कि आंतरिक प्रक्रिया केवल प्रबंधकीय नहीं, विधिक प्रश्न भी है** — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को नाम जोड़ने और हटाने पर वैधानिक शक्तियाँ देता है, इसीलिए याचिका दिल्ली में महानिदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के अंतर्गत केंद्रीकरण को धारा 13B, 22 और 23 का उल्लंघन बताती है। यदि मतदाता सूची प्रबंधन एक केंद्रीय सॉफ्टवेयर प्रणाली की ओर बढ़ गया है, तो विधिक प्रश्न यह है कि क्या वैधानिक अधिकारी अब भी निर्णय लेता है या केवल किसी और के निर्णय पर हस्ताक्षर करता है। याचिका यह भी तर्क देती है कि धारा 16 की सुरक्षा केवल उन कार्यों को मिलती है

	जिनका आधिकारिक कर्तव्य से संबंध है। इन आरोपों की सत्यता चाहे जो हो, जिसे न्यायालय ने अभी परखा नहीं है, वे दिखाते हैं कि धारा 18 के अंतर्गत आयोग का आंतरिक कारबार-आबंटन हर मतदाता के लिए विधिक परिणाम रखता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“यह पर्याप्त नहीं है कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र हो; उसे स्वतंत्र दिखाना भी चाहिए।” अनूप बरनवाल (2023) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 के आलोक में, चर्चा कीजिए कि क्या नियुक्ति और आंतरिक निर्णय-प्रक्रिया की मौजूदा विधि आयोग की विश्वसनीयता सुरक्षित करती है। सुधार सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	भूमिका — अनुच्छेद 324(2) उद्धृत करें और बताएं कि संसद ने 2023 तक नियुक्तियों पर कोई विधि नहीं बनाई; इस सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय के 2023 के अधिनियम को संविधान पीठ के पास भेजने के विभाजित निर्णय का उल्लेख करें। मुख्य भाग — नियुक्ति — बरनवाल की अंतरिम समिति (प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश) की तुलना 2023 के अधिनियम की समिति (प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री) से करें। न्यायमूर्ति दत्ता का सिद्धांत-बनाम-विहित व्यवस्था तर्क, महान्यायवादी का “संभवतः नहीं”, और NJAC की तुलना व उसकी सीमाएँ प्रस्तुत करें। मुख्य भाग — आंतरिक निर्णय-प्रक्रिया — 2023 के अधिनियम की धारा 18 और टी.एन. शेषन (1995) के समान मत तथा बहुमत के नियम को समझाएँ। असहमति के इतिहास — शेषन, गोपालस्वामी-चावला, लवासा — तथा आपत्तियों को “टिप्पणी” बताने पर मौजूदा विवाद का उपयोग करके दिखाएँ कि अपारदर्शिता विश्वास को कैसे क्षति पहुँचाती है। मुख्य भाग — सुधार — समय-सीमा वाली वैकल्पिक व्यवस्था के साथ सर्वसम्मति या अति-बहुमत चयन, समिति में एक तटस्थ सदस्य, अंतिम आदेशों में असहमति का दर्ज होना, SIR जैसे बड़े अभ्यासों के लिए सार्वजनिक निर्णय-मार्ग, मशीन-पठनीय मतदाता सूची डेटा, और ERO की वैधानिक भूमिका की सुरक्षा सुझाएँ। निष्कर्ष — निष्कर्ष दें कि आयोग का प्राधिकार इस पर निर्भर करता है कि हारने वाले पक्ष उसकी हार स्वीकार करें, इसलिए उसकी नियुक्ति और उसका विचार-विमर्श दोनों नागरिकों को उसकी निष्पक्षता परखने के लिए पर्याप्त दिखने चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप एक निर्वाचन आयुक्त हैं जो बहुमत के किसी प्रस्तावित निर्णय से असहमत हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं फ़ाइल पर एक तर्कयुक्त असहमति दर्ज करूँगा, क्योंकि विधि बहुमत के निर्णयों का प्रावधान करती है और मेरा कर्तव्य अपना मत बताना है, आयोग को बाधित करना नहीं। मैं माँग करूँगा कि असहमति अंतिम आदेश में भी दर्ज की जाए, क्योंकि बहु-सदस्यीय निकाय में अल्पमत का मत भी अभिलेख का हिस्सा होना चाहिए। मैं यह मतभेद मीडिया तक नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि इससे तर्क से अधिक संस्था को नुकसान पहुँचता है। यदि मुझे लगे कि निर्णय केवल अविवेकपूर्ण नहीं बल्कि अवैध है, तो मैं इसे टिप्पणी में स्पष्ट रूप से कहूँगा। प्रश्न 2. ज़िला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, जब आयोग स्वयं आलोचना के घेरे में है, तो आप मतदाता सूचियों पर जनता का विश्वास कैसे बनाए रखेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं जोड़ी गई, हटाई गई प्रविष्टियों, दावों और आपत्तियों का निर्वाचन-क्षेत्र-वार डेटा नियमित रूप से प्रकाशित करूँगा, और हर पुनरीक्षण से पहले और बाद में सभी मान्यता-प्राप्त दलों के साथ बैठकें करूँगा। मैं सुनिश्चित करूँगा कि हर विलोपन के पीछे, जैसा विधि माँगती है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नोटिस और आदेश हो। बृथ-स्तर के एजेंटों को मतदाता सूचियों की प्रतियाँ समय पर मिलेंगी। जिला स्तर पर पारदर्शिता विश्वास का वह भाग है जिसे मैं नियंत्रित कर सकता हूँ। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को कार्यपालिका के अधिकारियों की नियुक्ति करने वाली समितियों में बैठना चाहिए? दृष्टिकोण (Approach): एक वास्तविक चिंता यह है कि जो न्यायाधीश बाद में इन नियुक्तियों को चुनौती देने वाले मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, उन्हें उन नियुक्तियों का पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही, एक तटस्थ तीसरा सदस्य सरकार के अंतर्निहित बहुमत को तोड़ता है, जो मौजूदा समिति की समस्या है। मुख्य न्यायाधीश एक विकल्प हैं, पर सरकार और विपक्ष द्वारा संयुक्त रूप से चुना गया कोई पैनल-सदस्य, या सर्वसम्मति का नियम, न्यायपालिका को कार्यपालिका के निर्णयों में खींचे बिना भी तटस्थता प्राप्त कर सकता है। मायने यह रखता है कि निर्वाचन का कोई भी पक्ष अपने निर्णायक के चयन को नियंत्रित न करे।

1.3 पश्चिम बंगाल का 'गुंडा-विरोधी' विधेयक: ET का दावा — राष्ट्रपति ने लौटाया; मुख्यमंत्री का कहना — अब भी गृह मंत्रालय के पास

समाचार (THE NEWS) कोलकाता। पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026 (West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill, 2026), जिसे गुंडा-विरोधी विधेयक (anti-goonda Bill) कहा जा रहा है, की नियति को लेकर दो समाचार-पत्रों के विवरण परस्पर विरोधी हैं, और कोई भी इस विरोध को सुलझाता नहीं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के हवाले से द इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक ऐसे प्रावधान पर आपत्ति जताते हुए विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार को लौटा दिया है जो केंद्रीय नशा-विरोधी कानून से टकरा सकता है; यह बात शुक्रवार को बोलते हुए एक अधिकारी ने बताई। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मुख्यमंत्री सुवेदु अधिकारी ने शुक्रवार को ऐसी खबरों से — जिनमें द इंडियन एक्सप्रेस की अपनी खबर भी शामिल है — इनकार किया, उन्हें “निराधार” कहा, और बताया कि विधेयक संयुक्त सचिव स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के “विचाराधीन” है, जिसने अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं माँगा है। दोनों पत्र विधेयक की विषय-वस्तु पर सहमत हैं: जून में विधानसभा से पारित यह विधेयक संगठित अपराध, जबरन वसूली, अवैध खनन, साइबर अपराध और सार्वजनिक अव्यवस्था से निपटने की राज्य की शक्तियों का व्यापक विस्तार करता है। ‘गुंडा अधिनियम’ ऐसे राज्य कानून का सामान्य नाम है जो पुलिस और ज़िला मैजिस्ट्रेटों को आदतन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुमति देता है, आमतौर पर निवारक निरोध (preventive detention) — यानी भविष्य के अपराध को रोकने के लिए, न कि बीते अपराध को दंडित करने के लिए, किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना — या ज़िले से निर्वासन (exemption) के माध्यम से। श्री अधिकारी ने बताया कि आखिर विधेयक को राष्ट्रपति तक जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। उन्होंने कहा, “हमने यह विधेयक गृह मंत्रालय को भेजा क्योंकि एक धारा में एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) के अंतर्गत तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान है, पर वह ज़मानती (bailable) है, और हम उसे गैर-ज़मानती (non-bailable) बनाना चाहते हैं”, यह कहते हुए उन्होंने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) का संदर्भ दिया। जब समवर्ती सूची (Concurrent List) के किसी विषय पर बना राज्य कानून केंद्रीय कानून से टकराता है, तो राज्य कानून उस राज्य में तभी प्रभावी रह सकता है जब वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा गया हो और उन्हें उस पर अनुमति मिली हो। उन्होंने कहा कि राज्य ने यह कानून “संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुच्छेद 254(2) के प्रावधानों के भीतर” बनाया है — जैसा समाचार-पत्र ने छपा है; अनुच्छेद 254(2) असंगति खंड (repugnancy clause) है और सातवीं अनुसूची में विधायी सूचियाँ हैं — और कि जब आंध्र प्रदेश और केरल ऐसे कानून लाए, तो “उन्हें भी भारत के राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ी, और उन्होंने ली”। उन्होंने अनुमति मिलने का भरोसा जताया। पाठ्यक्रम से संबंध — सामान्य अध्ययन-2: विधायी शक्तियों का वितरण, राज्य विधान में राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका, तथा सामान्य अध्ययन-3: संगठित अपराध।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

पश्चिम बंगाल में संगठित अपराध, जबरन वसूली और अवैध खनन राजनीतिक मुद्दा बनते हैं → जून में विधानसभा गुंडा-विरोधी विधेयक पास करती है, जिसमें एनडीपीएस के तीन वर्ष वाले अपराध को गैर-ज़मानती बनाने वाला खंड भी शामिल है → राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखते हैं क्योंकि यह समवर्ती सूची के विषय पर बने केंद्रीय कानून से टकराता है → गृह मंत्रालय संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ इसकी जाँच करता है → ET की रिपोर्ट है कि राष्ट्रपति ने इसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है, जबकि मुख्यमंत्री का कहना है कि यह अब भी गृह मंत्रालय में लंबित है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. अनुच्छेद 200 राज्यपाल को चार विकल्प देता है, और आरक्षण उनमें से एक है — जब राज्य विधानमंडल से पारित कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है, तो अनुच्छेद 200 राज्यपाल को अनुमति देने, अनुमति रोक लेने, विधेयक को (धन विधेयक के अतिरिक्त) पुनर्विचार के संदेश के साथ सदन को लौटाने, या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की अनुमति देता है। यदि सदन लौटाए गए विधेयक को संशोधन सहित या बिना संशोधन के फिर से पारित कर देता है, तो राज्यपाल अनुमति नहीं रोक सकते। जहाँ कोई विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को न्यूनतम करता हो, वहाँ आरक्षण अनिवार्य है। व्यवहार में, समवर्ती सूची के विषयों पर बने केंद्रीय कानूनों से टकराने वाले विधेयक इसलिए आरक्षित किए जाते हैं ताकि वे अनुच्छेद 254(2) का संरक्षण पा सकें।
2. अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयक लौटाने देता है, पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का ही रहता है — जब कोई विधेयक आरक्षित किया जाता है, तो अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति को अनुमति देने या रोकने की छुट्ट देता है। जो विधेयक धन विधेयक नहीं है, उसके लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि वे उसे संदेश के साथ सदन को लौटा दें, और सदन को उसे प्राप्त होने के छह महीनों के भीतर पुनर्विचार करना होगा। यदि सदन उसे फिर से पारित कर देता है, तो वह राष्ट्रपति के विचार के लिए एक बार फिर प्रस्तुत किया जाता है — और अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के विपरीत, राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं होते। तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu, 2025) में दो न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यपालों के लिए समय-सीमाएँ और आरक्षित विधेयकों पर निर्णय के लिए राष्ट्रपति को तीन महीने की अवधि तय की थी; बाद में अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्देश (Presidential Reference) पर संविधान पीठ के एक मत ने कहा कि न्यायालय निश्चित समय-सीमाएँ नहीं थोप सकते, हालाँकि दीर्घ, अस्पष्टीकृत निष्क्रियता की सीमित न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश छोड़ी गई।
3. अनुच्छेद 254(2) उस राज्य कानून के लिए द्वार है जो केंद्रीय कानून से टकराता है — अनुच्छेद 254(1) कहता है कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर बना राज्य कानून संसद के बनाए कानून से असंगत है, तो केंद्रीय कानून प्रभावी होगा और राज्य कानून उस असंगति की सीमा तक शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 254(2) एक अपवाद बनाता है: यदि राज्य कानून राष्ट्रपति के

लिए आरक्षित रखा गया हो और उसे अनुमति मिल गई हो, तो वह उस राज्य में प्रभावी रहेगा। परंतु संसद को बाद में ऐसे राज्य कानून में संशोधन, परिवर्तन या निरसन करने की छुट देता है। कैसर-ई-हिंद प्राइवेट लिमिटेड बनाम नेशनल टेक्स्टाइल कॉर्पोरेशन (Kaiser-I-Hind Pvt. Ltd. v. National Textile Corporation, 2002) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह संरक्षण केवल उन केंद्रीय कानूनों से असंगति तक फैलता है जिन्हें अनुमति मांगते समय विशेष रूप से राष्ट्रपति के समक्ष रखा गया था। इसीलिए राज्य को उस टकराने वाले प्रावधान की पहचान करनी होती है — यहाँ, मुख्यमंत्री के अनुसार, एनडीपीएस अधिनियम।

4. गुंडा कानून राज्य सूची, समवर्ती सूची और अनुच्छेद 22 के मिलन-बिंदु पर खड़े हैं — लोक व्यवस्था (प्रविष्टि 1) और पुलिस (प्रविष्टि 2) राज्य सूची में हैं, पर आपराधिक कानून (प्रविष्टि 1), आपराधिक प्रक्रिया (प्रविष्टि 2) और किसी राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था के रखरखाव या आवश्यक आपूर्ति से जुड़े कारणों से निवारक निरोध (प्रविष्टि 3) समवर्ती सूची में हैं। अनुच्छेद 22(4) से (7) निवारक निरोध की अनुमति देते हैं, पर यह अनिवार्य बनाते हैं कि तीन महीने से अधिक की निरोध-अवधि को एक सलाहकार बोर्ड से अनुमोदित कराया जाए, कि आधार सूचित किए जाएँ और बंदी को प्रतिवेदन देने का अवसर दिया जाए। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों पर केंद्रीय कानून है, और स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 — PIT-NDPS) तस्करो के निवारक निरोध का प्रावधान करता है। कई राज्यों के अपने गुंडा या असामाजिक गतिविधि कानून हैं, जैसे तमिलनाडु का 1982 का अधिनियम और केरल असामाजिक गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 2007 (Kerala Anti-Social Activities (Prevention) Act, 2007)।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. केंद्र-राज्य विधायी संबंध सामान्य अध्ययन-2 का स्थायी विषय है — पाठ्यक्रम “संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व” और शक्तियों के वितरण के बारे में पृष्ठता है। विधेयकों को आरक्षित करने में राज्यपाल के विवेकाधिकार और अनुमति में देरी पर मुख्य परीक्षा में प्रश्न आते रहे हैं, और तमिलनाडु के राज्यपाल संबंधी निर्णय ने अनुमति की समय-सीमा को चर्चा का विषय बना दिया। किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा लौटाया जाना अपेक्षाकृत दुर्लभ घटना है और यह उसी प्रक्रिया की दूसरी अवस्था दिखाती है।
2. प्रारंभिक परीक्षा अनुच्छेदों और उनके सटीक शब्दों की परीक्षा लेती है — अनुच्छेद 200 और 201 के बीच का अंतर, छह महीने की पुनर्विचार-अवधि, यह कि पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति बाध्य हैं या नहीं, और परंतु के साथ अनुच्छेद 254(2) का प्रभाव — यह सब पारंपरिक प्रारंभिक परीक्षा सामग्री है। निवारक निरोध वाली समवर्ती सूची की प्रविष्टि की भी अनुच्छेद 22 के साथ अक्सर परीक्षा ली जाती है।
3. सामान्य अध्ययन-3 इसे संगठित अपराध और नशीली दवाओं से जोड़ता है — सामान्य अध्ययन-3 का पाठ्यक्रम संगठित अपराध और आतंकवाद के परस्पर संबंध तथा आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को समेटता है। नशा-तस्करी कानून, PIT-NDPS के अंतर्गत निवारक निरोध और राज्यों के गुंडा अधिनियम इस क्षेत्र के विधिक उपकरण हैं, और इनका आपस में टकराव ठीक वही है जो यह विधेयक उजागर करता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य विधेयक को अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं, धन विधेयक न होने पर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं।
- अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि वे आरक्षित धन-विधेयक-भिन्न विधेयक राज्य विधानमंडल को लौटा दें, जिसे छह महीनों के भीतर पुनर्विचार करना होगा; विधेयक दोबारा पारित होने पर भी राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- अनुच्छेद 254(2) के अंतर्गत समवर्ती सूची के किसी विषय पर बना राज्य कानून, जो केंद्रीय कानून से असंगत है, उस राज्य में तभी प्रभावी रहता है जब उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा गया हो और उन्हें अनुमति मिल गई हो।
- संसद बाद में बनाए गए कानून के माध्यम से अनुच्छेद 254(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर चुके किसी राज्य कानून में संशोधन, परिवर्तन या निरसन कर सकती है।
- किसी राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था के रखरखाव या आवश्यक आपूर्ति के रखरखाव से जुड़े कारणों से निवारक निरोध समवर्ती सूची की प्रविष्टि 3 है।
- अनुच्छेद 22(4) के अंतर्गत निवारक निरोध का प्रावधान करने वाला कोई कानून तीन महीने से अधिक की निरोध-अवधि की अनुमति नहीं दे सकता, जब तक कि कोई सलाहकार बोर्ड पर्याप्त आधार की रिपोर्ट न दे।

- स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 नशा-तस्करी में शामिल व्यक्तियों के निवारक निरोध का प्रावधान करता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. पुनर्विचार के लिए लौटाया जाना सुधार है, अस्वीकृति नहीं** — यदि ET की रिपोर्ट सही है, तो राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 201 के अंतर्गत दो विकल्पों में से नरम विकल्प चुना है: पूरी तरह अनुमति रोकने के बजाय, उन्होंने विधानसभा से केवल एक प्रावधान पर पुनर्विचार करने को कहा है। इससे राज्य उस एनडीपीएस-संबंधित खंड को हटा या फिर से लिख सकता है और बाकी विधेयक को वापस भेज सकता है। यह विधानसभा की भूमिका का भी सम्मान करता है, क्योंकि पूर्ण अस्वीकृति से एक धारा के कारण पूरा विधेयक ही समाप्त हो जाता। राज्य का इनकार यह दर्शाता है कि वह प्रक्रिया को अभी भी खुला दिखाना चाहता है, जो राजनीतिक रूप से समझ में आता है, पर इससे आगे चलने वाला संवैधानिक मार्ग नहीं बदलता।
- 2. किसी केंद्रीय अपराध को राज्य कानून से गैर-ज़मानती बनाना ठीक वही है जिसकी जाँच के लिए अनुच्छेद 254(2) बनाया गया** — मुख्यमंत्री की अपनी व्याख्या दिखाती है कि विधेयक संसद द्वारा बनाए गए अपराध की ज़मानत-स्थिति बदलता है। ज़मानत स्वतंत्रता से जुड़ा एक बुनियादी प्रश्न है, और संसद ने एनडीपीएस अधिनियम में भिन्न मात्राओं और अपराधों के लिए यह संतुलन स्वयं तय किया है। जो राज्य अपनी सीमाओं में सख्त बर्ताव चाहता है, वह राष्ट्रपति की अनुमति माँग सकता है, पर केंद्र यह पूछने का अधिकार रखता है कि क्या ऐसा विचलन राज्यों में असमान आपराधिक कानून बनाता है और क्या इसका प्रभाव मुख्यतः छोटे उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा, तस्करों पर नहीं। विपरीत मत यह है कि नशा-व्यापार का पुलिसिंग-भार राज्यों पर पड़ता है और उन्हें मज़बूत उपकरण मिलने चाहिए, और श्री अधिकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश और केरल को भी वैसी ही सहमति दी गई थी।
- 3. गुंडा अधिनियमों के दुरुपयोग का लंबा इतिहास केंद्रीय सतर्कता को उचित ठहराता है** — निवारक निरोध कानून राज्य को एक आशंका के आधार पर, बिना मुकदमे के, किसी व्यक्ति को बंद रखने की अनुमति देते हैं, और न्यायालयों ने बार-बार राज्यों के गुंडा अधिनियमों के अंतर्गत निरोध को इसलिए रद्द किया है कि इनका उपयोग सामान्य कानून-व्यवस्था के मामलों या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया। नए विधेयक में 'साइबर अपराध' और 'सार्वजनिक अव्यवस्था' जैसी व्यापक श्रेणियाँ उन लोगों का दायरा बढ़ाती हैं जिन्हें गुंडा करार दिया जा सकता है। किसी ऐसे कानून के लागू होने से पहले राष्ट्रपति की सतर्कता उन थोड़े-से बाहरी अंकुशों में से एक है। पर यह अंकुश तभी मूल्यवान है जब वह पूरे विधेयक की जाँच करे, केवल उस प्रावधान को नहीं जो आरक्षण को ट्रिगर करता है।
- 4. यह भ्रम स्वयं अनुमति-प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी दर्शाता है** — कोई नागरिक सार्वजनिक रिकॉर्ड से यह नहीं जान सकता कि कोई राज्य विधेयक लौटाया गया है, लंबित है, या किसी केंद्रीय मंत्रालय की टिप्पणियों की प्रतीक्षा में है; यहाँ दोनों समाचार-पत्र एक बुनियादी तथ्य पर असहमत हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल संबंधी मुकदमा आंशिक रूप से इसीलिए उठा क्योंकि देरी अदृश्य थी। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों की स्थिति — प्राप्ति की तारीखों, सलाह लिए गए मंत्रालयों और परिणाम के साथ — प्रकाशित करने में बहुत कम खर्च आएगा। इससे केंद्र पर विपक्ष-शासित राज्यों के विधेयकों को दबाए रखने का आरोप भी नहीं लगेगा, और राज्यों को अपनी ही स्थिति गलत बताने से रोका जा सकेगा।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

“अनुच्छेद 254(2) राज्यों को समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्रीय कानूनों से हटकर चलने की छूट देता है, पर केवल राष्ट्रपति की निगरानी में।” किसी राज्य के गुंडा-विरोधी विधान पर हाल के विकासों के संदर्भ में राज्य विधेयकों की अनुमति-प्रक्रिया में राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका की परीक्षा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

- 1. भूमिका** — पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026 का परिचय दें, इसके उद्देश्यों तथा दो परस्पर विरोधी विवरणों का उल्लेख करें: राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जाना (ET के अनुसार) और गृह मंत्रालय में लंबित रहना (मुख्यमंत्री के अनुसार, जैसा IE ने रिपोर्ट किया)।
- 2. मुख्य भाग — संवैधानिक मार्ग** — अनुच्छेद 200 और 201, छह महीने की पुनर्विचार-अवधि और पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति की स्वतंत्रता समझाएँ। अनुच्छेद 254(1) और (2), परंतुक तथा कैसर-ई-हिंद (2002) में टकराने वाले केंद्रीय कानून को इंगित करने की आवश्यकता समझाएँ।
- 3. मुख्य भाग — विषय-वस्तु** — आपराधिक कानून और निवारक निरोध पर समवर्ती सूची की प्रविष्टियाँ, अनुच्छेद 22 के संरक्षण, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 और PIT-NDPS अधिनियम, 1988 समझाएँ, तथा एक ज़मानती एनडीपीएस अपराध को गैर-ज़मानती बनाने की चिंता पर चर्चा करें।
- 4. मुख्य भाग — संघीय संतुलन** — तमिलनाडु राज्यपाल निर्णय और समय-सीमा पर राष्ट्रपति के निर्देश वाले मत की चर्चा करें, देरी के राजनीतिक उपयोग के जोखिम पर बात करें, और आरक्षित

विधेयकों की स्थिति प्रकाशित करने के पक्ष में तर्क दें।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दें कि अनुच्छेद 254(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति की सतर्कता स्वतंत्रता-सीमित करने वाले कानूनों के लिए एक वैध अंकुश है, पर उसे अंकुश बने रहने के लिए, वीटो न बनने के लिए, समय-सीमित और पारदर्शी होना ही होगा।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. आप गृह मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव हैं और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किसी राज्य विधेयक की जांच कर रहे हैं। आप कैसे आगे बढ़ेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं हर उस प्रावधान की पहचान करूंगा जो किसी केंद्रीय कानून से टकराता है और तय समय-सीमा के भीतर उन कानूनों को प्रशासित करने वाले मंत्रालयों से — यहाँ एनडीपीएस अधिनियम के लिए वित्त मंत्रालय से — टिप्पणियाँ माँगूंगा। मैं विधेयक की अनुच्छेद 22 और निवारक निरोध पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन की भी जाँच करूंगा। राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले नोट में विकल्प रखे जाएँगे: अनुमति, अनुमति रोकना, या विशिष्ट सुझावों के साथ वापसी। मैं प्रत्येक चरण की तारीख दर्ज रखूंगा ताकि किसी भी देरी की व्याख्या दी जा सके।

प्रश्न 2. नए गुंडा अधिनियम के अंतर्गत सशक्त एक ज़िला मैजिस्ट्रेट के रूप में, आप इसके दुरुपयोग को कैसे रोकेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि प्रत्येक निरोध आदेश विशिष्ट, हाल के और सुसंगत साक्ष्य पर आधारित हो जो लोक व्यवस्था को खतरा दिखाए, केवल कानून-व्यवस्था की सामान्य समस्या नहीं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आधार बंदी की समझ में आने वाली भाषा में दिए जाएँ और मामला समय पर सलाहकार बोर्ड तक पहुँचे। मैं आदेशों की स्वयं समीक्षा करूंगा और धानों से आने वाले नियमित प्रस्तावों को अस्वीकार करूंगा। उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया निरोध ज़िला मैजिस्ट्रेट की विफलता है, केवल पुलिस की नहीं।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: क्या राज्यों को नशीली दवाओं के अपराधों को केंद्रीय कानून से अधिक सख्त बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): राज्य ज़मीनी स्तर पर नशा-समस्या का सामना करते हैं और तस्करी नेटवर्कों के विरुद्ध मज़बूत उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है। पर पूरे देश में एकसमान आपराधिक कानून मूल्यवान है, और अधिक सख्त ज़मानत-नियम अक्सर बड़े तस्करों के बजाय छोटे उपयोगकर्ताओं पर भारी पड़ते हैं। संविधान इस प्रश्न का उत्तर अनुच्छेद 254(2) के माध्यम से पहले ही दे चुका है: कोई राज्य भिन्न रास्ता अपना सकता है, पर केवल राष्ट्रपति की अनुमति से और संसद के बाद के अधिभावी अधिकार के अधीन। मैं तस्करी को लक्षित करने वाले, उपभोग को नहीं, स्पष्ट सुरक्षा-उपायों सहित सीमित विचलन का समर्थन करूंगा।

1.4 कर्नाटक का आरोप — पोर्टल में अंतर के कारण केंद्र ने 15वें वित्त आयोग के पंचायत अनुदान से ₹2,186.20 करोड़ रोके

समाचार (THE NEWS) बेंगलुरु। कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री ईश्वर बी. खांडे ने शुक्रवार को केंद्र के उस निर्णय पर सवाल उठाया जिसमें 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) की सिफ़ारिशों के अंतर्गत राज्य को मिलने वाले ₹2,186.20 करोड़ रोक दिए गए हैं, और द हिंदू के अनुसार आरोप लगाया कि कर्नाटक पर वे शर्तें लागू की जा रही हैं जो असम, बिहार, गुजरात और उत्तराखंड पर लागू नहीं की गईं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के अंतर्गत हर पाँच वर्ष में नियुक्त करते हैं, और जो सिफ़ारिश करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच कर-राजस्व कैसे बाँटा जाए और केंद्र को कौन-से अनुदान देने चाहिए; 73वें संशोधन के बाद यह पंचायतों — निर्वाचित ग्राम परिषदों — के लिए भी अनुदान की सिफ़ारिश करता है। श्री खांडे ने जो नियम बताया वह यह है: ग्राम पंचायतों के लिए वित्त आयोग अनुदान केंद्र राज्य को जारी करता है, जिसे राज्य को 10 दिनों के भीतर पंचायतों तक पहुँचाना होता है; प्राप्ति का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (e-Gram Swaraj portal) पर अपलोड करना होता है, जो पंचायती राज मंत्रालय का पंचायतों के लिए ऑनलाइन लेखा मंच है; यदि राज्य समय पर हस्तांतरण नहीं करता, तो वह राशि ब्याज के साथ देनी होती है। उनके अनुसार कर्नाटक को 2024-25 में ग्राम पंचायतों के लिए ₹2,133.25 करोड़ मिले, जबकि पोर्टल पर ₹1,907 करोड़ की प्राप्ति दर्ज हुई। लगभग ₹225 करोड़ का यह अंतर तकनीकी समस्याओं से उत्पन्न हुआ, और यह राशि ग्राम पंचायतों तक पहुँच गई थी और कार्यों में खर्च भी हो गई थी। उन्होंने कहा, “₹2,186 करोड़ रोकने का कारण इतनी छोटी बात बताना कर्नाटक के साथ अन्याय है।” असमान बर्ताव दिखाने के लिए उन्होंने अन्य राज्यों का हवाला दिया, जैसा रिपोर्ट में दर्ज है: उत्तराखंड को 2025-26 के लिए ₹470 करोड़ मिले, भले ही पोर्टल पर कोई प्राप्ति दर्ज नहीं थी; गुजरात को ₹2,619 करोड़ मिले जबकि पोर्टल पर ₹2,104 करोड़ की प्राप्ति थी, यानी ₹515 करोड़ का अंतर; असम को ₹1,315 करोड़ मिले जबकि पोर्टल पर ₹447 करोड़ दर्ज थे; और बिहार को ₹4,109 करोड़ के मुकाबले ₹1,775 करोड़। पत्र गुजरात, असम और बिहार के आँकड़ों के वर्ष नहीं बताता। उन्होंने पूछा, “जो शर्त असम, बिहार, गुजरात और उत्तराखंड पर लागू नहीं की जा रही, वह केवल कर्नाटक पर क्यों लागू की जा रही है?”, और इसे “भेदभावपूर्ण नीति” कहा। उन्होंने यह टिप्पणी ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति संबंधी प्रश्नों का उत्तर देते हुए की, और उनकी धनराशि की कमी का कारण केंद्र के दृष्टिकोण को बताया। द हिंदू में केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। पाठ्यक्रम से संबंध — सामान्य अध्ययन-2: राजकोषीय संघवाद, वित्त आयोग, और स्थानीय निकायों को धनराशि का हस्तांतरण।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

73वाँ संशोधन (1992) पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है, पर उनकी धनराशि राज्य और केंद्रीय हस्तांतरणों पर निर्भर रह जाती है → अनुच्छेद 280(3)(bb) पंचायत अनुदान को वित्त आयोग के दायरे में लाता है → 15वाँ वित्त आयोग समय पर हस्तांतरण, लेखा-परीक्षित खातों और ऑनलाइन रिपोर्टिंग पर शर्तें जोड़ता है → केंद्र जारी करने का निर्णय ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के आँकड़ों के आधार पर करता है → कर्नाटक की पोर्टल पर प्राप्तियाँ लगभग ₹225 करोड़ कम दिखती हैं और ₹2,186.20 करोड़ रोक दिए जाते हैं, जिसे राज्य चयनात्मक बताव कहता है

**स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)**

**यूपीएससी को यह विषय क्यों
पसंद है (WHY UPSC LOVES
THIS — TREND)**

- 1. अनुच्छेद 280 वित्त आयोग बनाता है, और खंड (3)(bb) इसे पंचायतों तक विस्तारित करता है** — अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति को हर पाँच वर्ष में, या जरूरत पड़ने पर पहले भी, एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों वाला वित्त आयोग गठित करने की अपेक्षा करता है, जिनकी योग्यताएँ वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951) तय करता है। अनुच्छेद 280(3) के अंतर्गत यह संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों के वितरण, अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राज्यों को सहायता अनुदान के सिद्धांतों, और राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए अन्य मामलों पर सिफारिश करता है। 73वें संशोधन ने खंड (3)(bb) जोड़ा, जिसमें आयोग से कहा गया कि वह राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए किसी राज्य के संचित निधि को बढ़ाने के उपाय सुझाए; 74वें संशोधन ने नगरपालिकाओं के लिए खंड (3)(c) जोड़ा। आयोग की सिफारिश सलाहकारी है, पर परंपरा से केंद्र उनके मूल भाग को स्वीकार करता है।
- 2. अनुच्छेद 243-I हर राज्य के लिए अपना वित्त आयोग अनिवार्य बनाता है** — अनुच्छेद 243-I के अंतर्गत राज्यपाल को हर पाँच वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग गठित करना होता है जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और सिफारिश करे कि राज्य के कर, शुल्क, पथकर (tolls) और फ्रीस पंचायतों के साथ कैसे बाँटे जाएँ, पंचायतें कौन-से कर लगा सकती हैं, और उन्हें कौन-सी सहायता अनुदान मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 243H राज्य विधानमंडल को यह अधिकार देता है कि वह पंचायतों को कर लगाने और वसूलने के लिए प्राधिकृत करे और उन्हें सहायता अनुदान दे। अनुच्छेद 243Y यही व्यवस्था नगरपालिकाओं पर लागू करता है। क्योंकि संघीय वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोग की रिपोर्टों के आधार पर काम करना होता है, राज्य वित्त आयोगों के गठन में देरी हस्तांतरण की पूरी श्रृंखला को कमजोर करती है।
- 3. 15वें वित्त आयोग ने अधिकांश ग्रामीण अनुदान को जल-स्वच्छता से जोड़ा और प्रवेश-शर्तें भी लगाई** — एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 तथा 2021-22 से 2025-26 तक के पाँच वर्षों को समेटा। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए इसने 2021-26 के लिए लगभग ₹2.37 लाख करोड़ के अनुदान की सिफारिश की, जिसे अनटाइड अनुदान (untied grants, 40%) — जिन्हें पंचायतें वेतन के अतिरिक्त स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों पर खर्च कर सकती हैं — और टाइड अनुदान (tied grants, 60%) में बाँटा गया, जो पेयजल आपूर्ति एवं वर्षा-जल संचयन, तथा स्वच्छता एवं खुले में शौच-मुक्त स्थिति के रखरखाव के लिए निर्दिष्ट थे। इसने अनुदान जारी करने को इस शर्त से जोड़ा कि पंचायतें अपने लेखा-परीक्षित खाते ऑनलाइन डालें, और बाद के किसी वर्ष से यह भी शर्त रखी कि राज्य अपने राज्य वित्त आयोग गठित करें और उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई करें। केंद्र यह भी अपेक्षा रखता है कि राज्य दस दिनों के भीतर अनुदान स्थानीय निकायों को आगे बढ़ाएँ, देरी पर ब्याज के साथ। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय का पंचायत नियोजन, लेखा और रिपोर्टिंग का मंच है, इसीलिए प्राप्तियाँ वहाँ दिखनी चाहिए।
- 4. 16वाँ वित्त आयोग अब स्थानीय-निकाय हस्तांतरणों को आकार दे रहा है** — अरविंद पानगढ़िया की अध्यक्षता वाला 16वाँ वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले पाँच वर्षों के लिए सिफारिशें देने हेतु गठित किया गया, जिसका अर्थ है कि 15वें आयोग की पुरस्कार-अवधि समाप्त हो चुकी है और वर्तमान विवाद उसके अंतिम वर्षों के अनुदान से संबंधित है। हर आयोग को यह तय करना होता है कि स्थानीय-निकाय अनुदान का कितना भाग विशिष्ट उद्देश्यों से जोड़ा जाए और कौन-सी शर्तें लगाई जाएँ। इसलिए 15वें आयोग के अंतर्गत रोके गए अनुदान और आँकड़ों की बेमेल का अनुभव इस बात के लिए सीधे प्रासंगिक है कि उसके उत्तराधिकारी के अंतर्गत शर्तें कैसे तय की जाएँ।

- 1. सामान्य अध्ययन-2 स्थानीय स्तर तक वित्त के हस्तांतरण के बारे में पृच्छता है** — पाठ्यक्रम “स्थानीय स्तरों तक शक्तियों और वित्त के हस्तांतरण एवं उसमें आने वाली चुनौतियों” और “राजकोषीय संघवाद” का नाम लेता है। मुख्य परीक्षा में यह पृच्छा गया है कि 73वें संशोधन के बावजूद पंचायतें वित्तीय रूप से कमजोर क्यों बनी रहती हैं और राज्य वित्त आयोगों का प्रदर्शन कैसा रहा है। यह खबर सशर्त-अनुदान मॉडल और उससे उत्पन्न घर्षण का एक सजीव उदाहरण है।
- 2. प्रारंभिक परीक्षा वित्त आयोग से जुड़े अनुच्छेदों की परीक्षा लेती है** — अनुच्छेद 280, 243-I और 243Y, वित्त आयोग की संरचना, तथा टाइड और अनटाइड अनुदान का अंतर बार-बार आने वाले प्रारंभिक परीक्षा विषय हैं। हाल के वित्त आयोगों के अध्यक्षा की भी अक्सर परीक्षा

ली जाती है।

3. हस्तांतरण पर केंद्र-राज्य घर्षण एक आवर्ती विषय है — कर्नाटक ने हाल के वर्षों में केंद्रीय करों और अनुदानों में अपने हिस्से को लेकर शिकायतें उठाई हैं। सहकारी बनाम प्रतिस्पर्धी संघवाद पर प्रश्न इस विवाद का उपयोग यह दिखाने के लिए कर सकते हैं कि तकनीकी शर्तें किस तरह राजनीतिक शिकायत बन जाती हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- संविधान का अनुच्छेद 280 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति हर पाँच वर्ष में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों वाला वित्त आयोग गठित करें।
- 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 280(3)(bb) वित्त आयोग से यह अपेक्षा करता है कि वह पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए किसी राज्य के संचित निधि को बढ़ाने के उपाय सुझाए।
- अनुच्छेद 243-I के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल हर पाँच वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग गठित करते हैं जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है।
- अनुच्छेद 243H राज्य विधानमंडल को यह अधिकार देता है कि वह पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फ्रीस लगाने, वसूलने और उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करे।
- 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता एन.के. सिंह ने की थी, और 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता अरविंद पानगढ़िया कर रहे हैं।
- स्थानीय निकायों को मिलने वाले टाइड अनुदान केवल निर्दिष्ट उद्देश्यों पर खर्च किए जा सकते हैं, जबकि अनटाइड अनुदान वेतन और स्थापना खर्चों को छोड़कर स्थानीय रूप से महसूस की गई ज़रूरतों पर उपयोग किए जा सकते हैं।
- ई-ग्राम स्वराज पंचायती राज मंत्रालय का पंचायत नियोजन, लेखा और प्रगति-रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. शर्त लगाना सिद्धांत में उचित है; विवाद इसके समान लागू होने पर है** — अनुदान को हस्तांतरण की समय-सीमा और ऑनलाइन रिपोर्टिंग से जोड़ा जाना इसलिए है क्योंकि पंचायतों के लिए तय धनराशि इतिहास में राज्य के कोष में ही पड़ी रह जाती थी। यह नियम कि राज्य को दस दिनों के भीतर पैसा आगे बढ़ाना होगा, या ब्याज देना होगा, पंचायतों को उनकी अपनी राज्य सरकार से बचाता है। कर्नाटक नियम पर आपत्ति नहीं करता; वह इसके चयनात्मक उपयोग पर आपत्ति करता है। यदि श्री खांडे के आँकड़े सही हैं, तो कहीं अधिक बड़े पोर्टल-अंतर वाले अन्य राज्यों को धनराशि मिल गई, जिससे इस रोक का बचाव कठिन हो जाता है। रिपोर्ट में केंद्र ने उत्तर नहीं दिया है, और उसका उत्तर — कि शायद अन्य राज्यों ने भिन्न शर्तें पूरी की, या आँकड़े भिन्न वर्षों से संबंधित हैं — निर्णय से पहले आवश्यक है।
- 2. आँकड़ों की बेमेल को खर्च की विफलता माना जा रहा है** — राज्य का कहना है कि तकनीकी समस्याओं के कारण लगभग ₹225 करोड़ की प्राप्तियाँ प्रतिबिंबित नहीं हुईं, जबकि धनराशि पंचायतों तक पहुँच चुकी थी और खर्च हो चुकी थी। इस राशि के लगभग दसवें हिस्से जितने रिपोर्टिंग-अंतर के लिए ₹2,186.20 करोड़ रोकना उन पंचायतों को दंडित करता है जिनकी कोई गलती नहीं है, न कि आँकड़ा दर्ज करने वाले राज्य अधिकारियों को। एक अनुपातिक प्रतिक्रिया यह होगी कि केवल असत्यापित राशि रोकी जाए, या मिलान के लिए एक छोटी अवधि दी जाए। पोर्टल-आधारित शासन तभी काम करता है जब केंद्र यह स्वीकार करे कि आँकड़ा-प्रणालियों में गड़बड़ियाँ होती हैं और सुधार की व्यवस्था बनाए।
- 3. हर केंद्र-राज्य विवाद की कीमत पंचायतें चुकाती हैं** — श्री खांडे ग्राम पंचायतों की खराब वित्तीय स्थिति पर सवाल का उत्तर दे रहे थे, जिससे यह दिखता है कि इसकी कीमत कौन चुकाता है। पंचायतों का अपना राजस्व बहुत सीमित है; अधिकांश पेयजल, स्वच्छता और बुनियादी कार्यों के लिए वित्त आयोग और राज्य अनुदान पर निर्भर हैं। जब अनुदान रोके जाते हैं, तो ठेकेदारों को भुगतान नहीं होता और काम रुक जाते हैं, और गाँववालों को केवल एक अधूरी टकी या नाली दिखती है। 73वें संशोधन के संवैधानिक डिज़ाइन ने यह मान लिया था कि पंचायतें सुनिश्चित धनराशि वाली एक तीसरी स्तर बनेंगी, पर व्यवहार में वे विवेकाधीन जारी-आदेशों की एक श्रृंखला की अंतिम कड़ी बनी रहती हैं।
- 4. गहरा समाधान एक सशक्त राज्य वित्त आयोग है, अधिक सख्त पोर्टल नहीं** — संघीय वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोग की रिपोर्टों के आधार पर काम करना चाहिए, फिर भी कई राज्य इन्हें देर से गठित करते हैं और आंशिक रूप से लागू करते हैं। यदि राज्य-स्तरीय हस्तांतरण अनुमानित और सूत्र-आधारित होता, तो पंचायतें उन केंद्रीय जारी-आदेशों पर कम निर्भर होतीं जो रिपोर्टिंग की समस्याओं पर रोके जा सकते हैं। विपरीत मत यह है कि केंद्रीय शर्तों ने ही राज्यों को राज्य वित्त आयोग गठित करने और पंचायत खाते प्रकाशित करने के लिए बाध्य किया है। दोनों बातें सही हैं, इसीलिए शर्तों को सुधार का पुरस्कार देना चाहिए, साथ ही

	स्थानीय निकायों को राज्य-स्तरीय चूक के लिए दंडित करने से बचना चाहिए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“स्थानीय निकायों को सशर्त अनुदान जवाबदेही मज़बूत करते हैं, पर राजकोषीय संघवाद को कमज़ोर कर सकते हैं।” पंचायतों के लिए वित्त आयोग अनुदान के संदर्भ में इस कथन की परीक्षा कीजिए। ऐसे अनुदानों के स्वरूप को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. भूमिका — कर्नाटक के इस आरोप का उल्लेख करें कि 15वें वित्त आयोग के ₹2,186.20 करोड़ के अनुदान, जारी की गई राशि और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दिखी प्राप्तियों के बीच लगभग ₹225 करोड़ के अंतर के कारण रोके गए। 2. मुख्य भाग — संवैधानिक ढाँचा — अनुच्छेद 280(3)(bb), अनुच्छेद 243-I और 243H, तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के टाइड और अनटाइड अनुदान, जिनके साथ लेखा-परीक्षित खातों, राज्य वित्त आयोगों और दस दिनों के भीतर हस्तांतरण की शर्तें जुड़ी हैं, समझाएँ। 3. मुख्य भाग — जवाबदेही के लाभ — तर्क दें कि इन शर्तों ने राज्यों को पंचायत की धनराशि रोक कर रखने से रोका है, ऑनलाइन खाते बनाए हैं, और राज्यों को राज्य वित्त आयोग गठित करने के लिए प्रेरित किया है। 4. मुख्य भाग — संघीय क्रीम — चयनात्मक या अनुपातहीन रोक-थाम की चर्चा करें, जैसा कर्नाटक ने असम, बिहार, गुजरात और उत्तराखंड के बताव की तुलना में आरोप लगाया है, राज्य-स्तरीय चूक के लिए पंचायतों को दंडित करना, और तकनीकी गड़बड़ियों को चूक मान लेना। 5. निष्कर्ष — अनुपातिक रोक-थाम, मिलान के लिए अवधि, प्रकाशित मानदंड और सशक्त राज्य वित्त आयोगों का सुझाव दें, ताकि 16वें वित्त आयोग के अनुदान जवाबदेही और अनुमानशीलता दोनों को जोड़ सकें।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप कर्नाटक के पंचायती राज सचिव हैं। केंद्र ने पोर्टल-बेमेल के कारण अनुदान रोक दिए हैं। आप क्या क़दम उठाएंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं पहले हर पंचायत की प्राप्तियों का कोष जारी-आँकड़ों से मिलान करूँगा और छूटी प्रविष्टियाँ अपलोड करूँगा, पोर्टल टीम के साथ तकनीकी समस्याओं को दर्ज करते हुए। फिर मैं केंद्रीय मंत्रालय को एक मिलान-विवरण भेजूँगा जो बैंक रिकॉर्ड के प्रमाण सहित दिखाए कि धनराशि पंचायतों तक पहुँच गई थी। साथ ही, मैं अन्य राज्यों के बताव का हवाला देते हुए समानता का प्रश्न लिखित रूप में उठाऊँगा। प्राथमिकता पंचायतों के लिए धनराशि जल्दी जारी करना है, बहस जीतना नहीं। प्रश्न 2. ज़िला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि अनुदान समय पर हस्तांतरित और रिपोर्ट किए जाएँ? दृष्टिकोण (Approach): मैं राज्य से हर ग्राम पंचायत तक धन-प्रवाह की साप्ताहिक समीक्षा स्थापित करूँगा, और दस दिन की सीमा पार होने पर सूचनाएँ जारी करूँगा। मैं पंचायत सचिवों को ई-ग्राम स्वराज प्रविष्टियों का प्रशिक्षण दूँगा और खंड-स्तर के कर्मचारियों से अपलोड सत्यापित करवाऊँगा। किसी भी देरी को ब्याज-दायित्व से बचने के लिए तुरंत आगे बढ़ाया जाएगा। साफ़ आँकड़ा अब धनराशि की एक शर्त है, इसलिए आँकड़ा दर्ज करना एक मूल कर्तव्य माना जाना चाहिए। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या केंद्र को राज्य की चूक के कारण पंचायतों के लिए तय धनराशि रोकने की अनुमति होनी चाहिए? दृष्टिकोण (Approach): रोकना एक सशक्त लीवर है, और इसने राज्यों को धनराशि आगे बढ़ाने और खाते प्रकाशित करने के लिए बाध्य किया है। पर इसका भार उन पंचायतों पर पड़ता है जिनकी कोई गलती नहीं है। एक बेहतर डिज़ाइन यह होगा कि राज्य के चूक करने पर धनराशि सीधे पंचायतों को जारी की जाए, या अनुदान रोकने के बजाय राज्य पर ब्याज लगाया जाए। जवाबदेही सरकार के उस स्तर पर पड़नी चाहिए जो चूक करता है।

1.5 उमर अब्दुल्ला ने 2000 के स्वायत्तता प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली का प्रस्ताव पेश किया; भाजपा ने प्रतियाँ फाड़ीं

समाचार (THE NEWS) श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को, शरद सत्र के चौथे दिन, अनुपूरक कार्य-सूची में पूर्ण राज्य के दर्जे की माँग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। इसका पाठ है: “26 जून 2000 और 6 नवंबर 2024 को इस सदन द्वारा पारित प्रस्तावों के अतिरिक्त, यह सदन भारत सरकार से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे की तत्काल और अविलंब बहाली की माँग

करता है और संकल्प लेता है कि यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए।" द हिंदू इसे "2000 के स्वायत्तता प्रस्ताव की अगली कड़ी" बताता है। द इंडियन एक्सप्रेस दो पूर्व प्रस्तावों को इस प्रकार समझाता है: जून 2000 का "स्वायत्तता प्रस्ताव" (Autonomy Resolution), जो फ़ारूक अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री रहते पारित हुआ था, केंद्र से 1953 से पहले की संवैधानिक स्थिति में लौटने की मांग करता था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म (प्रधानमंत्री) और सद्र-ए-रियासत (राज्य प्रमुख) जैसी पदवियाँ भी शामिल थीं; नवंबर 2024 का प्रस्ताव, जो भाजपा को छोड़कर सभी दलों की सहमति से मौखिक मतदान द्वारा पारित हुआ था, "विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटियों की बहाली" के लिए संवाद की मांग करता था। द इकॉनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्ताव में केंद्र से 9 अगस्त 1953 से पहले जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति बहाल करने का आग्रह भी किया गया; द हिंदू द्वारा उद्धृत पाठ में यह पंक्ति नहीं है। श्री अब्दुल्ला ने कहा कि यह प्रस्ताव पूर्व के प्रस्तावों की "जगह नहीं लेगा और न उन्हें समाहित करेगा", यह "असंवैधानिक प्रस्ताव नहीं है", और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को जनता की आवाज़ नहीं माना गया। उन्होंने कहा, "हमसे पूर्ण राज्य का वादा किया गया था, और हम वही वापस चाहते हैं," और "आधा राज्य" या "क्रानून-व्यवस्था के बिना राज्य के दर्जे" को अस्वीकार कर दिया; ईटी ने उन्हें प्रधानमंत्री के शब्द याद करते हुए उद्धृत किया है, "यह मोदी का वादा है", और यह भी कि यह प्रस्ताव केंद्र को संसद और सर्वोच्च न्यायालय से किए गए वादों की याद दिलाता है। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने प्रस्ताव की प्रतियाँ फाड़ दीं, सदन के बीचोंबीच (Well) में आ गए और मेज़ों पर चढ़ गए। श्री शर्मा ने कहा कि भाजपा ने स्वायत्तता प्रस्ताव को "खारिज कर फाड़ दिया था" और "370 के इस कथित स्वायत्तता, कथित प्रस्ताव" को स्वीकार नहीं किया जाएगा। श्री अब्दुल्ला ने सभी 29 भाजपा विधायकों को राज्य के दर्जे में बाधा बताया। कांग्रेस, सीपीआई(एम), पीडीपी, अवामी इत्तेहाद पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने इसका समर्थन किया। अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित किया, फिर पूरे दिन के लिए; ईटी के अनुसार सदन की अगली बैठक 28 सितंबर को होगी। किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन केंद्र द्वारा उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) के माध्यम से चलाया जाता है, चाहे उसकी निर्वाचित विधानसभा हो भी। पाठ्यक्रम से संबंध — सामान्य अध्ययन-2: संघवाद, अनुच्छेद 3 और विशेष प्रावधान।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अनुच्छेद 370 और 1952 का दिल्ली समझौता जम्मू-कश्मीर को व्यापक स्वायत्तता देते हैं, जो 9 अगस्त 1953 को शेख अब्दुल्ला की बर्खास्तगी के बाद क्षीण होने लगती है → जम्मू-कश्मीर विधानसभा 26 जून 2000 को स्वायत्तता प्रस्ताव पारित करती है, जिसे केंद्र खारिज कर देता है → अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया जाता है और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बाँट दिया जाता है → दिसंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय केंद्र के इस आश्वासन पर इसे बरकरार रखता है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा → नवंबर 2024 में निर्वाचित केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा विशेष-दर्जे का प्रस्ताव पारित करती है और अब भाजपा के विरोध के बीच पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों का पुनर्गठन करने देता है, राज्य विधानमंडल की भूमिका केवल परामर्श तक सीमित है — अनुच्छेद 3 संसद को सामान्य विधि द्वारा नया राज्य बनाने, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने या घटाने, और उसकी सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। इस उद्देश्य के लिए विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है, और यदि वह किसी राज्य को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति को उसे उस राज्य के विधानमंडल के पास एक नियत अवधि के भीतर उसके विचार जानने के लिए भेजना होगा; वे विचार बाध्यकारी नहीं होते। अनुच्छेद 4 प्रावधान करता है कि ऐसी विधियाँ अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन नहीं मानी जाएंगी। इसलिए जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने के लिए संविधान संशोधन की नहीं, बल्कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019) में संशोधन करने वाले संसदीय अधिनियम की आवश्यकता होगी। विधानसभा के प्रस्ताव में कोई विधिक बल नहीं है; यह केंद्र से की गई एक राजनीतिक मांग है।
2. 2019 के पुनर्गठन अधिनियम ने पुदुचेरी के मॉडल पर विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया — जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने राज्य को विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और विधानसभा-रहित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बाँट दिया। यह अधिनियम पुदुचेरी को शासित करने वाले अनुच्छेद 239A को जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश पर लागू करता है, जिससे वहाँ निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद तो है, पर प्रशासक — उपराज्यपाल — राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। विधानसभा राज्य सूची के विषयों पर, लोक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर, विधि बना सकती है, जो उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र के पास ही रहते हैं। यही वह "आधा राज्य" है जिसे श्री अब्दुल्ला ठुकराते हैं: बिना क्रानून-व्यवस्था के नियंत्रण वाली निर्वाचित सरकार।
3. अनुच्छेद 370 मामले ने निरसन को बरकरार रखा, पर राज्य के दर्जे पर केंद्र का वादा भी दर्ज कर लिया — इन रे: संविधान का अनुच्छेद 370 (In Re: Article 370 of the Constitution, दिसंबर 2023) मामले में पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अगस्त 2019 के उन राष्ट्रपति आदेशों को बरकरार रखा जिन्होंने पूरे संविधान को जम्मू-कश्मीर पर लागू किया और अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाया, तथा यह ठहराया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। न्यायालय ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के गठन को भी बरकरार रखा। जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के प्रश्न पर न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, और न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य का दर्जा "यथाशीघ्र और जितनी जल्दी संभव हो" बहाल किया जाए। इसने निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का भी निर्देश दिया। प्रस्ताव में सर्वोच्च न्यायालय

से किए गए वादों का उल्लेख इसी निर्णय की ओर संकेत करता है।

4. 2000 का स्वायत्तता प्रस्ताव 1953 से पहले की संवैधानिक स्थिति की ओर लौटने की माँग करता था — 1990 के दशक के अंत में फ़ारूक अब्दुल्ला सरकार द्वारा गठित राज्य स्वायत्तता समिति (State Autonomy Committee) ने 1953 से पहले वाले संवैधानिक संबंध को बहाल करने की सिफ़ारिश की थी, जब विलय पत्र (Instrument of Accession) के अंतर्गत केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार ही संघ के पास थे। जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच 1952 के दिल्ली समझौते ने इसी सीमित संबंध की पुष्टि की थी। शेख अब्दुल्ला को 9 अगस्त 1953 को राज्य के प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद केंद्रीय विधियाँ और संवैधानिक प्रावधान क्रमशः जम्मू-कश्मीर पर लागू किए जाते गए, जिसकी शुरुआत संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू होना) आदेश, 1954 (Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954) से हुई। विधानसभा ने 26 जून 2000 को स्वायत्तता रिपोर्ट को अपनाया, और केंद्र सरकार ने अगले महीने उसे खारिज कर दिया।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- सामान्य अध्ययन-2 संघवाद, विशेष प्रावधान और अनुच्छेद 3 पर प्रश्न पूछता है** — पाठ्यक्रम में “संघ और राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से जुड़े मुद्दे और चुनौतियाँ” तथा “भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों की योजनाओं से तुलना” शामिल हैं। मुख्य परीक्षा में विषम संघवाद (asymmetric federalism) और कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों पर प्रश्न आते रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की यह बहस अब इस बात का प्रमुख उदाहरण है कि अनुच्छेद 3 का उपयोग किसी राज्य का दर्जा घटाने में कैसे किया जा सकता है।
- प्रारंभिक परीक्षा अनुच्छेद 3, 4 और 239A तथा केंद्र शासित प्रदेश के ढाँचे को परखती है** — यह प्रश्न पूछता जा सकता है कि क्या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत परिवर्तन संवैधानिक संशोधन हैं, किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल है, और अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया — यह सब संभावित प्रश्न हैं। यह जानना उपयोगी है कि पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर अलग-अलग प्रावधानों के अंतर्गत विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं।
- इस खबर का अंतरराष्ट्रीय महत्व भी है** — जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर विदेशों में, विशेषकर पाकिस्तान और बहुपक्षीय मंचों पर, निगरानी रहती है। संवैधानिक तरीकों से राज्य के दर्जे की माँग करने वाली एक कार्यरत निर्वाचित विधानसभा स्वयं लोकतांत्रिक सामान्यीकरण का प्रमाण है, जिसे भारत रेखांकित कर सकता है, जबकि सदन में हुआ व्यवधान इसके विपरीत संकेत देता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नया राज्य बनाने या किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने वाला विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की सिफ़ारिश पर ही पेश किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी विधेयक पर राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं होते।
- अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनी विधियाँ अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान के संशोधन नहीं मानी जाती हैं।
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और विधानमंडल-रहित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाया।
- अनुच्छेद 239A, जो संसद को पुदुचेरी के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद बनाने की अनुमति देता है, को 2019 के पुनर्गठन अधिनियम द्वारा जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश पर भी लागू किया गया।
- इन रे अनुच्छेद 370 (2023) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाए जाने को बरकरार रखा और निर्देश दिया कि जम्मू-कश्मीर का राज्य दर्जा यथाशीघ्र बहाल किया जाए।
- 1952 का दिल्ली समझौता जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच संघ के साथ जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक संबंध को लेकर संपन्न हुआ था।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- राज्य के दर्जे को स्वायत्तता से जोड़ना एक सहमति वाली माँग को विवादित बना देता है** — राज्य के दर्जे की बहाली एक ऐसी बात है जिसका समर्थन प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने किया है, और भाजपा कहती है कि वह “राज्य के दर्जे पर चर्चा के लिए तैयार” है। इस प्रस्ताव को 2000 के स्वायत्तता प्रस्ताव और 2024 के विशेष-दर्जा प्रस्ताव से जोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा को इसका विरोध करने और इसे अनुच्छेद 370 की वापसी बताने का अवसर दे दिया है। श्री अब्दुल्ला का तर्क है कि किसी विधानमंडल को अपने ही पूर्व प्रस्तावों से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए, जो निरंतरता का एक तर्कसंगत बिंदु है। इसकी क्रीमत यह है कि प्रस्ताव 1953 से पहले वाली स्थिति की बात बन जाता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के 2023 के निर्णय ने विधिक

रूप से अप्राप्य बना दिया है, न कि उस राज्य के दर्जे की, जो विधिक और राजनीतिक रूप से प्राप्य है।

2. **विधानसभा अपनी एक ही पूर्ण शक्ति — अपनी आवाज़ — का उपयोग कर रही है** — 2019 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल के रूप में यह विधानसभा जम्मू-कश्मीर का दर्जा नहीं बदल सकती, पुलिस या लोक व्यवस्था पर विधि नहीं बना सकती, और केंद्र को बाध्य नहीं कर सकती। भारत सरकार को भेजा गया प्रस्ताव निर्वाचित सदन की इच्छा का एक रिकॉर्ड है, और यही कारण है कि श्री अब्दुल्ला इसे मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से अलग बताते हैं। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं है: जब संसद अंततः पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करेगी, तब निर्वाचित विधानसभा का दर्जा विचार उस बदलाव की राजनीतिक वैधता का हिस्सा होगा। भाजपा की यह माँग कि सदस्य व्यवधान के बजाय मतदान करें, वास्तव में दूसरे पक्ष से आया वही बिंदु है।
3. **“पूर्ण राज्य का दर्जा” ही सारभूत प्रश्न है, और “आधा राज्य” एक वास्तविक जोखिम है** — श्री अब्दुल्ला का “कानून-व्यवस्था के बिना राज्य के दर्जे” को टुकड़ाना एक संभावित परिणाम की ओर संकेत करता है, जिसमें राज्य का दर्जा तो बहाल हो पर पुलिस और लोक व्यवस्था कुछ समय के लिए केंद्र के पास रहें, कुछ संवेदनशील क्षेत्रों के लिए चर्चित व्यवस्थाओं की तरह। पुलिसिंग पर नियंत्रण के बिना कोई राज्य संविधान में किसी भी राज्य के लिए मिलने वाली एक नई श्रेणी होगी। सीमावर्ती क्षेत्र में केंद्र की सुरक्षा चिंताएँ वास्तविक हैं, पर उन्हें अनुच्छेद 355 और 356 के अंतर्गत संघ की शक्तियों, केंद्रीय सशस्त्र बलों और जहाँ लागू हो वहाँ सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (AFSPA) जैसी विधियों से पहले ही संबोधित किया जा रहा है। पूर्ण राज्य के दर्जे का तर्क यह है कि आंशिक व्यवस्था निर्वाचित सरकार को उन परिणामों के लिए उत्तरदायी बनाए रखेगी जिन पर उसका नियंत्रण ही नहीं है।
4. **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय टालने से केंद्र पर राजनीतिक बाध्यता रह गई है, विधिक नहीं** — अनुच्छेद 370 मामले में न्यायालय ने यह तय करने से परहेज़ किया कि क्या संसद किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल सकती है, और इसके लिए सॉलिसिटर जनरल के कथन पर निर्भर रहा। इससे एक संवैधानिक धूसर क्षेत्र बन जाता है: यदि राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता, तो न्यायालय द्वारा खुला छोड़ा गया प्रश्न फिर लौटेगा, और यह मत कि किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना केंद्र शासित प्रदेश में घटाया जा सकता है, हर राज्य के लिए अनिर्णीत बना रहेगा। समय पर बहाली इस प्रश्न को किसी न्यायिक परीक्षण के बिना ही समाप्त कर देगी। इसके विपरीत, विलंब इस संघीय आश्वासन को कमज़ोर करता है कि अनुच्छेद 3 का उपयोग किसी राज्य का दर्जा घटाने के लिए नहीं किया जाएगा।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के लिए अनुच्छेद 3 का उपयोग भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप पर प्रश्न उठाता है।” जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में चर्चा कीजिए, और उसके राज्य के दर्जे की बहाली के संवैधानिक मार्ग तथा चुनौतियों की परीक्षा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **भूमिका** — बताएँ कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा 2000 और 2024 के प्रस्तावों के अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पूर्ण राज्य के दर्जे की तत्काल बहाली की माँग वाला एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर भाजपा ने विरोध जताया।
2. **मुख्य भाग — संवैधानिक ढाँचा** — अनुच्छेद 3 और 4, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019, अनुच्छेद 239A के लागू होने, तथा पुलिस और लोक व्यवस्था जैसे आरक्षित विषयों की व्याख्या करें।
3. **मुख्य भाग — न्यायिक स्थिति** — इन रे अनुच्छेद 370 (2023) का सार दें: निरसन बरकरार, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बरकरार, राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने का प्रश्न सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन के कारण अनिर्णीत, और राज्य के दर्जे को यथाशीघ्र बहाल करने का निर्देश।
4. **मुख्य भाग — चुनौतियाँ** — सुरक्षा संबंधी तर्क, “आधा राज्य” बनने के जोखिम, राज्य के दर्जे को स्वायत्तता एवं विशेष दर्जे से जोड़ने पर राजनीतिक टकराव, और अन्य राज्यों के लिए इसके संघीय दृष्टांत की चर्चा करें।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दें कि एक समय-सीमा के साथ संसदीय अधिनियम द्वारा पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली न्यायालय के निर्देश का सम्मान करेगी और संघीय आश्वासन को मज़बूत करेगी, जबकि स्वायत्तता की माँगों को राज्य के दर्जे के प्रश्न से अलग रखा जाना चाहिए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. आप जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। राज्य के दर्जे की संभावित बहाली के लिए आप प्रशासन को कैसे तैयार करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं पुलिस, लोक व्यवस्था और संबंधित संवर्गों के हस्तांतरण, परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के विभाजन, तथा पुनर्गठन अधिनियम में आवश्यक विधिक

परिवर्तनों को समेटते हुए एक संक्रमण योजना तैयार करूँगा। मैं उपराज्यपाल द्वारा वर्तमान में निभाए जा रहे प्रत्येक कार्य का नक्शा बनाऊँगा जो निर्वाचित सरकार को हस्तांतरित होगा। मैं गृह मंत्रालय के साथ आतंकवाद-निरोध के समन्वय की व्यवस्था पर भी काम करूँगा, ताकि संक्रमण के दौरान सुरक्षा प्रभावित न हो। एक सुनियोजित हस्तांतरण इस दलील को कमज़ोर करता है कि बहाली को टाला ही जाना चाहिए।

प्रश्न 2. विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आप उस प्रस्ताव को कैसे संभालेंगे जिसे एक पक्ष संवैधानिक माँग और दूसरा पक्ष उत्तेजक मानता है?

दृष्टिकोण (Approach): यदि प्रस्ताव नियमों के दायरे में है तो मैं उसे स्वीकार करूँगा, क्योंकि सदन को किसी भी लोक-महत्व के विषय पर अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है। मैं चर्चा के लिए समय देऊँगा और यह सुनिश्चित करूँगा कि विरोध करने वाले सदस्यों समेत हर सदस्य की बात सुनी जाए। कागज़ फाड़ने या मेज़ों पर चढ़ने जैसे व्यवधानों से नियमों के अंतर्गत निपटा जाएगा, और यह सभी दलों पर समान रूप से लागू होगा। मेरी भूमिका सदन की निर्णय लेने की क्षमता की रक्षा करना है, उसके लिए निर्णय लेना नहीं।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या किसी विधानमंडल को ऐसे प्रस्ताव पारित करना चाहिए जिन्हें वह जानता है कि केंद्र स्वीकार नहीं करेगा?

दृष्टिकोण (Approach): प्रस्ताव निर्वाचित प्रतिनिधियों की इच्छा को दर्ज करता है और उसे सार्वजनिक रिकॉर्ड पर रखता है, जो किसी विधानमंडल का एक वैध कार्य है। यह केंद्र को उन लोगों की अपेक्षाओं के बारे में भी सूचित करता है जिन पर वह सीधे शासन करता है। पर जो प्रस्ताव प्राप्य माँगों को अप्राप्य माँगों के साथ जोड़ देते हैं, वे प्राप्य हिस्से के पूरा होने की संभावना घटा सकते हैं। एक सूझबूझ वाला विधानमंडल प्रस्तावों का उपयोग सहमति बनाने के लिए करता है, केवल स्थिति बताने के लिए नहीं।

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

आज की अर्थव्यवस्था की खबरें बताती हैं कि राज्य पूँजी, विचार और अवसंरचना के लिए अपने ही नियम लिख रहा है। नई मॉडल निवेश संधि यह तय करती है कि कोई विदेशी निवेशक किसी मध्यस्थ के सामने भारत को कहाँ तक घसीट सकता है, और कराधान को इस दायरे से बाहर रखती है। उधारी कैलेंडर और RBI बुलेटिन दिखाते हैं कि सरकार अपना राजकोषीय वादा निभा रही है, जबकि एक तेल झटका प्रतिफल और मूल्यों को ऊपर धकेल रहा है। एक व्यापार-रहस्य कानून उस जानकारी की रक्षा करेगा जिस पर स्टार्ट-अप टिके हैं, और मेगा-पत्तनों की सूची तथा NHAI की राजमार्ग संहिता यह तय करती है कि माल कितनी सस्ती लागत पर चल सकता है। हर मामले में कठिन काम यह है कि नियम इस तरह बनाया जाए कि वह लोकहित की रक्षा भी करे और निवेशक को डरा भी न दे।

2.1 वित्त मंत्रालय ने नई मॉडल निवेश संधि मंत्रिमंडल को भेजी, कराधान को निवेशक-राज्य मध्यस्थता से बाहर रखा

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 25 सितंबर। वित्त मंत्रालय ने भारत की मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty — BIT) की समीक्षा पूरी कर उसे मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज दिया है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया; द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार मंत्रिमंडल इस पर शीघ्र विचार कर सकता है। BIT दो देशों के बीच वह संधि है जो एक देश की कंपनियों द्वारा दूसरे देश में किए जाने वाले निवेश के नियम तय करती है; ऐसी संधियों के अंतर्गत कोई विदेशी निवेशक संप्रभु सरकार को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में ले जा सकता है, जिसे निवेशक-राज्य विवाद निपटान (Investor-State Dispute Settlement — ISDS) कहा जाता है। 'मॉडल' BIT वह प्रारूप है जिसे भारत वार्ताओं में साथ लेकर जाता है। अधिकारी ने कहा कि कनाडा समेत चार-पाँच देशों के साथ संधियाँ इस नए ढाँचे के अंतर्गत शीघ्र अंतिम रूप ले लेंगी। पिछले महीने के अंत में कनाडा-भारत वित्त मंत्रियों की उद्घाटन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता के बाद भारत ने कहा था कि वह "यथाशीघ्र" BIT वार्ता शुरू करने के लिए तैयार है। भारत अभी दिसंबर 2015 में स्वीकृत और जनवरी 2016 में अपनाए गए मॉडल का अनुसरण करता है; इस पर लगभग 20 से 25 BIT हस्ताक्षरित हुए, पर संयुक्त अरब अमीरात जैसी हाल की संधियों में "हम उससे बहुत दूर जा चुके हैं", और नया मॉडल इन विचलनों को "समाहित" करेगा। 2025-26 के बजट ने इसे अधिक निवेशक-अनुकूल बनाने की समीक्षा का आदेश दिया था। विवाद का बिंदु यह नियम है कि विदेशी निवेशक को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता माँगने से पहले पाँच वर्ष तक घरेलू कानूनी उपचार तलाशना पड़ता है। आलोचक इसे एक वर्ष तक घटाने या हटाने की माँग करते हैं; सरकार का कहना है कि भारतीय न्यायपालिका ने "समय की कसौटी पर स्वयं को सिद्ध किया है" और "कुछ लक्ष्मण रेखाएँ पार नहीं की जाएँगी", हालाँकि 2024 की UAE संधि ने इस अवधि को तीन वर्ष कर दिया था। दूसरी लक्ष्मण रेखा कर है। अधिकारी ने कहा, "कर मॉडल BIT में नहीं जाएगा। कर लगाना हमारा संप्रभु अधिकार है, और उसे मध्यस्थता के लिए खुला नहीं छोड़ा जा सकता।" द इंडियन एक्सप्रेस बताता है कि 2026 की पहली छमाही में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 12 अरब डॉलर रहा, जबकि 2025 में 3.1 अरब डॉलर और 2024 में 2.9 अरब डॉलर था, और यह 2020 के 53 अरब डॉलर से बहुत नीचे है। अलग से, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ICAI के पहले ओसियानिया अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक BIT पर और अपने 2022 के व्यापार समझौते को व्यापक आर्थिक सहयोग करार में विस्तारित करने पर काम कर रहे हैं, और भारतीय IT कंपनियों की सीमा-पार कराधान समस्या "सुलझा ली गई है"। 23 सितंबर के मध्यस्थता कार्ड के बाद नया यह है: मंत्रिमंडल नोट। पाठ्यक्रम: GS3 में निवेश मॉडल और GS2 में द्विपक्षीय समझौते।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1994 से उदारीकरण के साथ BIT की लहर शुरू होती है → भारत White Industries (2011) हारता है और पूर्वप्रभावी कर पर Vodafone व Cairn के दावों का सामना करता है → मॉडल BIT 2015 संरक्षण संकुचित करता है, पाँच वर्ष के घरेलू उपचार अनिवार्य करता है और पुरानी संधियाँ समाप्त की जाती हैं → FDI घटता है और साझेदार मॉडल का प्रतिरोध करते हैं; UAE संधि (2024) घरेलू उपचार की अवधि तीन वर्ष कर देती है → 2025-26 का बजट समीक्षा का आदेश देता है → संशोधित मॉडल कराधान को बाहर रखते हुए मंत्रिमंडल के पास जाता है, और कनाडा समेत चार-पाँच संधियाँ इसके पीछे क्रतार में हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. BIT एक ऐसा संधि-वादा है जिसे विदेशी निवेशक स्वयं राज्य के विरुद्ध लागू कर सकता है — द्विपक्षीय निवेश संधि हर राज्य को यह बाध्य करती है कि वह दूसरे राज्य के निवेशकों को न्यायसंगत एवं समान व्यवहार, बिना प्रतिकर के अधिग्रहण से संरक्षण, राष्ट्रीय व्यवहार और धन के स्वतंत्र स्थानांतरण जैसे मानक दे। इसकी विशिष्ट विशेषता निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) है: निजी निवेशक, न कि उसकी गृह-सरकार, मेज़बान राज्य पर किसी अंतरराष्ट्रीय अधिकरण के सामने, सामान्यतः UNCITRAL मध्यस्थता नियमों के अंतर्गत, मुकदमा कर सकता है। यह राज्य-राज्य विवाद निपटान से भिन्न है, जैसा WTO में होता है, जहाँ केवल सरकारें दावा कर सकती हैं। भारत विश्व बैंक के ICSID अभिसमय का सदस्य नहीं है, इसलिए भारत के विरुद्ध दावे UNCITRAL नियमों के अंतर्गत चलते हैं, जिनका प्रशासन अक्सर हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) करता है।
2. 2015 का मॉडल BIT महँगी मध्यस्थताओं के बाद भारत के जोखिम को घटाने के लिए लिखा गया — दिसंबर 2015 में मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत यह मॉडल निवेश की एक 'उद्यम-आधारित' परिभाषा अपनाता है, जिससे केवल वही उद्यम संरक्षित होता है जो मेज़बान राज्य में विधिवत गठित हो और वहाँ वास्तविक कारोबार करता हो, न कि निवेशक द्वारा रखी गई कोई भी संपत्ति। यह 'सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र' (Most-Favoured-Nation) खंड हटा देता है, जिसका उपयोग अधिकरण अन्य संधियों से बेहतर शर्तें आयातित करने के लिए करते रहे थे। यह निवेशक को मध्यस्थता शुरू करने से पहले कम-से-कम पाँच वर्ष तक घरेलू उपचार तलाशने के लिए बाध्य करता है। यह कराधान से जुड़े उपायों को संधि के दायरे से बाहर रखता है, और खुले सिरे वाले

‘न्यायसंगत एवं समान व्यवहार’ मानक की जगह न्याय से इनकार और स्पष्ट मनमानी जैसे निषिद्ध कृत्यों की एक संकीर्ण सूची रखता है।

3. White Industries, Vodafone और Cairn ऐसे मामले हैं जिन्होंने भारत की संधि-नीति बदल दी — White Industries v. India (2011) में एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी जीती, क्योंकि Coal India के विरुद्ध उसके पक्ष में दिया गया ICC मध्यस्थता निर्णय लगभग नौ वर्ष तक भारतीय अदालतों में लंबित रहा; अधिकरण ने MFN खंड का उपयोग करते हुए भारत-कुवैत BIT से एक ‘प्रभावी उपाय’ बाध्यता आयातित की। Vodafone और Cairn के विवाद आकर अधिनियम के उस 2012 के संशोधन से उठे जिसने भारतीय संपत्तियों के अप्रत्यक्ष स्थानांतरणों पर पूर्वप्रभावी रूप से कर लगाया; भारत-नीदरलैंड और भारत-ब्रिटेन BIT के अंतर्गत अधिकरणों ने 2020 में भारत के विरुद्ध निर्णय दिया। संसद ने तब कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 [Taxation Laws (Amendment) Act, 2021] पास किया, जिसने 28 मई 2012 से पहले के स्थानांतरणों पर पूर्वप्रभावी प्रावधान के अंतर्गत उठाई गई मांगें वापस ले लीं, बशर्ते कंपनियाँ मुकदमा छोड़ दें। यही प्रकरण हैं जिनकी वजह से कर आज घोषित लक्ष्मण-रेखा है।

4. भारत ने अपनी पुरानी संधियाँ समाप्त कर दीं और अब एक-एक साझेदार के साथ नेटवर्क फिर से बना रहा है — 2015 का मॉडल अपनाने के बाद भारत ने अपने अधिकतर पुराने BIT को समाप्ति नोटिस भेजे और बाकी को संयुक्त निर्वचन वक्तव्यों (joint interpretative statements) का प्रस्ताव दिया, ताकि नई संधियाँ नए प्रारूप पर हों। समाप्त संधियों में ‘सनसेट क्लॉज़’ रहती हैं, जो समाप्ति से पहले किए गए निवेशों को एक निश्चित अवधि, अक्सर 10 से 15 वर्ष, तक संरक्षण देती रहती हैं। इसके बाद भारत ने बहुत कम BIT हस्ताक्षरित किए हैं, जिनमें किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान और UAE (2024) शामिल हैं; UAE संधि ने घरेलू उपचार की अवधि घटाकर तीन वर्ष कर दी। भारत-EFTA व्यापार समझौते ने निवेश बाध्यताओं को एक व्यापार करार के भीतर रखा, जबकि संरक्षण मानक अब भी BIT का ही क्षेत्र बने हुए हैं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS3 निवेश मॉडलों और उदारीकरण के प्रभावों पर प्रश्न पूछता है — पाठ्यक्रम में ‘निवेश मॉडल’ और उदारीकरण के प्रभाव नामतः शामिल हैं, और मुख्य परीक्षा FDI के रुझानों और निवेश कम रहने के कारणों पर प्रश्न पूछ चुकी है। BIT की बहस सीधे परखती है कि क्या अभ्यर्थी समझता है कि पूँजी विधिक निश्चितता के प्रति प्रतिक्रिया करती है, न कि केवल कर दरों के प्रति। एक अच्छा उत्तर मॉडल BIT की FDI नीति, विवाद निपटान और संविदा प्रवर्तन के साथ रखता है।

2. प्रारंभिक परीक्षा निवेश-विधि की शब्दावली और उसके पीछे की संस्थाओं को परखती है — UPSC FDI बनाम FPI, स्वचालित और सरकारी मार्ग, तथा विश्व बैंक समूह जैसी संस्थाओं पर प्रश्न पूछ चुका है। ISDS, MFN, राष्ट्रीय व्यवहार, घरेलू उपचारों की समाप्ति, ICSID और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय स्वाभाविक अगला समूह है। पूर्वप्रभावी-कर प्रकरण कर-निश्चितता और सामान्य कर-वंचन निवारक नियम (General Anti-Avoidance Rule) से जुड़े प्रश्नों में भी दिखता है।

3. GS2 संधि-रचना को संप्रभुता और भारत के द्विपक्षीय संबंधों से जोड़ता है — कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों पर प्रश्न निवेश संधियों को गहराते संबंधों के प्रमाण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कनाडा वाला रुख विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि हाल के वर्षों में राजनीतिक संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, और BIT सामान्यीकरण का संकेत है। कर पर संप्रभुता की दलील भी GS2 का एक विषय है — अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं की सीमाएँ।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) के अंतर्गत, कोई निजी विदेशी निवेशक सीधे मेज़बान राज्य के विरुद्ध किसी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ अधिकरण के सामने दावा ला सकता है, जबकि WTO विवाद निपटान में केवल सदस्य सरकारें ही मामले ला सकती हैं।
- भारत की मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि का पाठ दिसंबर 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत हुआ और यह विदेशी निवेशक को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने से पहले कम-से-कम पाँच वर्ष तक घरेलू उपचार तलाशने के लिए बाध्य करता है।
- 2015 का मॉडल BIT निवेश की उद्यम-आधारित परिभाषा उपयोग करता है और इसमें सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN) खंड नहीं है।
- भारत ICSID अभिसमय का सदस्य नहीं है, जो वह विश्व बैंक संधि है जिसने अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र (International Centre for Settlement of Investment Disputes) की स्थापना की।
- कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 ने 28 मई 2012 से पहले किए गए भारतीय संपत्तियों के अप्रत्यक्ष स्थानांतरणों पर 2012 के पूर्वप्रभावी संशोधन के अंतर्गत उठाई गई कर मांगों को वापस लिया।
- 2024 में हस्ताक्षरित भारत-UAE द्विपक्षीय निवेश संधि ने मध्यस्थता से पहले घरेलू

उपचार तलाशने की अवधि पाँच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दी।

- द्विपक्षीय निवेश संधि में सनसेट क्लॉज़ संधि की समाप्ति से पहले किए गए निवेशों को समाप्ति के बाद एक निश्चित संख्या में वर्षों तक संरक्षण देता रहता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. कर को बाहर रखना उतना बड़ा परिवर्तन नहीं है जितना शीर्षक बताता है, क्योंकि पुराना मॉडल यह पहले से करता था** — 2015 का मॉडल कराधान से जुड़े उपायों को पहले से ही अपने दायरे से बाहर रखता था, इसलिए अधिकारी की यह लक्ष्मण-रेखा नई स्थिति नहीं, बल्कि जारी स्थिति है। असली सवाल यह है कि इस अपवाद के शब्द कैसे लिखे जाते हैं। यदि यह तय करने का अधिकार केवल भारत के पास हो कि कोई उपाय 'कर' उपाय है या नहीं, तो साझेदार को यह डर रहेगा कि अधिग्रहण को कर का रूप देकर छिपाया जा सकता है, जैसा निवेशकों ने Vodafone और Cairn विवादों में तर्क दिया था। अधिक विश्वसनीय रचना यह है कि वास्तविक कराधान के लिए अपवाद हो, जिस पर दोनों देशों के कर प्राधिकरण संयुक्त रूप से निर्णय करें — इससे भारत की कर-शक्ति भी सुरक्षित रहती है और निवेशकों को भी भरोसा मिलता है कि इस लेबल का दुरुपयोग नहीं होगा। इसके विपरीत तर्क यह है कि कर पर कोई बाहरी समीक्षा अगले पूर्वप्रभावी-कर विवाद को आमंत्रित करती है, और सरकार ने स्पष्ट रूप से इस पक्ष को चुना है।
- 2. पाँच वर्ष का घरेलू-उपचार खंड भारत की अदालतों पर एक निर्णय है, और निवेशक इसे उसी तरह पढ़ते हैं** — अधिकारी इस खंड का बचाव करते हुए कहते हैं कि भारतीय न्यायपालिका समय की कसौटी पर सिद्ध हो चुकी है। पर White Industries, जो इस कहानी की शुरुआत है, यही हारा था क्योंकि एक निर्णय वर्षों तक भारतीय अदालतों में पड़ा रहा। कोई विदेशी निवेशक व्यावसायिक अदालतों के लंबित मामलों को गिनता है, संवैधानिक प्रतिष्ठा को नहीं। मध्यस्थता से पहले पाँच वर्ष की मुकदमेबाज़ी निवेशक की संपत्ति को बर्बाद भी कर सकती है, इसीलिए UAE को तीन वर्ष दिए गए। एक संतुलित बीच का रास्ता यह है कि अवधि छोटी हो, साथ ही यह गारंटी हो कि घरेलू प्रक्रिया उस अवधि में ही निर्णीत होगी — जिससे अदालतों का सम्मान भी बना रहे और एक समय-सीमा भी जुड़ी रहे।
- 3. शुद्ध FDI में गिरावट समीक्षा को अत्यावश्यक बनाती है, पर संधि अकेले इसे नहीं पलट देगी** — 2026 की पहली छमाही का 12 अरब डॉलर का शुद्ध FDI पिछले दो वर्षों के लगभग 3 अरब डॉलर से बेहतर है, पर 2020 के 53 अरब डॉलर से बहुत नीचे है। शुद्ध FDI कुल अंतर्वाह से विदेशी निवेशकों के प्रत्यावर्तन और भारतीय कंपनियों के बाह्य निवेश को घटाकर मिलता है, इसलिए गिरावट का एक हिस्सा लाभदायक विकास और भारतीय कंपनियों के विदेश में निवेश को भी दर्शाता है, न कि केवल रुचि की कमी को। संधि-संरक्षण उन लंबी-अवधि के निवेशकों के लिए सबसे अधिक मायने रखता है जो अवसंरचना और विनिर्माण में पूंजी लगाने के बाद नियामक बदलाव से डरते हैं। पर घरेलू कर-नीति, टैरिफ की स्थिरता और संविदा-प्रवर्तन भी उतना ही मायने रखते हैं। संधि एक आवश्यक संकेत है, पर्याप्त कारण नहीं।
- 4. UAE-जैसे विचलनों को मॉडल में समाहित करना यह स्वीकार करना है कि 2015 का पाठ नहीं चला** — अधिकारी कहते हैं कि नया मॉडल उन समझौतों को समाहित करेगा जहाँ भारत 'पुराने प्रारूप से बहुत दूर चला गया'। इसका अर्थ है कि भारत का व्यवहार पहले से ही उसकी घोषित नीति से भिन्न था, और साझेदारों को पता था कि मॉडल केवल एक शुरुआती प्रस्ताव है, कोई न्यूनतम आधार नहीं। जिस मॉडल को कोई साझेदार स्वीकार न करे, वह उस बातचीत की स्थिति को कमज़ोर करता है जिसे मज़बूत बनाना उसका उद्देश्य था। मॉडल को उससे जोड़कर, जो भारत वास्तव में हस्ताक्षरित करता है, सरकार विश्वसनीयता और गति दोनों पाती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि चार-पाँच संधियाँ इसके पीछे क्रतार में हैं।
- 5. निवेश संधियाँ और कर संधियाँ अलग समस्याएँ सुलझाती हैं, और इन्हें मिलाया नहीं जाना चाहिए** — श्री गोयल की यह टिप्पणी कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय IT कंपनियों की सीमा-पार कराधान समस्या सुलझ गई है, दोहरे कराधान से जुड़ी है, जिसे कर संधि और कर प्राधिकरणों की परस्पर सहमति प्रक्रिया (mutual agreement procedure) के माध्यम से संभाला जाता है। इसके विपरीत BIT निवेशक को मेज़बान राज्य के अनुचित व्यवहार से संरक्षण देती है। कर को BIT से बाहर रखना केवल तभी सुसंगत है जब कर विवादों के लिए कोई और काम करने वाला मार्ग मौजूद हो, जैसे अग्रिम मूल्य निर्धारण करार (advance pricing agreements) और परस्पर सहमति प्रक्रिया। यह दो साधन मिलकर, केवल BIT नहीं, तय करते हैं कि विदेशी निवेशक कितना सुरक्षित महसूस करता है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“भारत की निवेश-संधि नीति निवेशक-संरक्षण से नियामक संप्रभुता की ओर झुकी और अब संतुलन खोज रही है।” मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि के प्रस्तावित संशोधन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। क्या कराधान और घरेलू उपचारों की समाप्ति को लक्ष्मण-रेखा बना रहना चाहिए? (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE)

- 1. भूमिका** — एक पंक्ति में BIT और ISDS को परिभाषित करें। बताएँ कि वित्त मंत्रालय ने संशोधित मॉडल मंत्रिमंडल को भेजा है, कनाडा समेत चार-पाँच संधियाँ क्रतार में हैं, और कर-अपवाद तथा घरेलू उपचार घोषित लक्ष्मण-रेखाएँ हैं।

MAINS QUESTION)

2. मुख्य भाग — झुकाव का क्रम — क्रम बताएँ: 1994 के बाद हस्ताक्षरित BIT; White Industries (2011), Vodafone और Cairn (2020) के निर्णय; मॉडल BIT 2015 — उद्यम-आधारित परिभाषा, MFN नहीं, पाँच वर्ष का घरेलू उपचार और कर-अपवाद; पुरानी संधियों की समाप्ति; कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021।
3. मुख्य भाग — संतुलन का पक्ष — शुद्ध FDI के आँकड़े (2026 की पहली छमाही में 12 अरब डॉलर, 2020 में 53 अरब डॉलर) और UAE संधि की तीन वर्ष की अवधि का उपयोग कर बताएँ कि साझेदारों ने प्रतिरोध क्यों किया। बताएँ कि नया मॉडल इन विचलनों को समाहित करता है और 2025-26 के बजट ने निवेशक-अनुकूल समीक्षा माँगी थी।
4. मुख्य भाग — लक्ष्मण-रेखाएँ — तर्क दें कि कर-अपवाद रक्षणीय है यदि इसके साथ संयुक्त निर्धारण और काम करने वाले कर-विवाद मार्ग हों। तर्क दें कि घरेलू उपचार तब ही रक्षणीय है जब वह छोटा और समय-सीमा-बद्ध हो, व्यावसायिक अदालतों की देरी का उल्लेख करते हुए।
5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दें कि विश्वसनीय मॉडल वही है जिसे साझेदार बिना व्यापक पुनर्वाता के स्वीकार कर सकें, और निवेशकों के लिए सबसे बड़ी गारंटी एक तेज़ घरेलू न्याय-व्यवस्था है, जो भारत के मध्यस्थता-जोखिम को भी घटाती है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. संयुक्त सचिव के रूप में BIT वार्ता करते हुए, साझेदार घरेलू-उपचार खंड को पूरी तरह हटाने पर अड़ा है। आप क्या प्रस्ताव देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं यह सिद्धांत बनाए रखूंगा कि मेज़बान राज्य की अदालतों को पहला अवसर मिलना चाहिए, पर अवधि को UAE संधि की तरह लगभग तीन वर्ष तक घटाने का प्रस्ताव दूँगा। मैं एक खंड जोड़ूंगा कि यदि घरेलू कार्यवाही उस अवधि में पूरी नहीं होती, तो निवेशक मध्यस्थता में जा सकता है। मैं शीघ्र सलाह-मशविरे और मध्यस्थता की खिड़कियाँ भी प्रस्तावित करूँगा। इससे सिद्धांत भी सुरक्षित रहता है और साझेदार के असली डर — अनिश्चितकालीन देरी — का उत्तर भी मिलता है।

प्रश्न 2. एक राज्य सरकार पर्यावरणीय उल्लंघनों के आधार पर किसी विदेशी-स्वामित्व वाली खनन पट्टे को रद्द करती है, और कंपनी संधि-मध्यस्थता की धमकी देती है। मुख्य सचिव को क्या करना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): पहले यह सुनिश्चित करूँगा कि रद्दीकरण कानून के अनुसार, सूचना, सुनवाई और तर्कयुक्त आदेश के साथ हुआ हो, क्योंकि प्रक्रियागत न्यायसंगतता ही अधिकतर संधि-दावों का मूल है। दूसरा, आर्थिक कार्य विभाग को सूचित करूँगा, जो भारत की संधि-रक्षा का समन्वय करता है, और हर अभिलेख सुरक्षित रखूँगा। तीसरा, कंपनी को वैधानिक अपील मार्ग उपलब्ध कराऊँगा ताकि घरेलू उपचार उपलब्ध हों और उपयोग किए जाएँ। एक रक्षणीय, भली प्रकार दर्ज निर्णय ही किसी अधिकरण के सामने राज्य की सबसे बड़ी सुरक्षा है।

प्रश्न 3. एक साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या यह उचित है कि भारत कर पर मध्यस्थता से इनकार करे जब वह निवेशकों से अपनी अदालतों पर भरोसा करने को कहता है?

दृष्टिकोण (Approach): कराधान संप्रभुता का केंद्र है, और कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था विदेशी अधिकरणों को अपनी कर-नीति तय करने नहीं देती। निष्पक्षता की समस्या केवल तब उठती है जब कर पूर्वप्रभावी या मनमाने ढंग से लगाया जाए, जैसा 2012 में हुआ। भारत का उत्तर यह होना चाहिए कि कर-निश्चितता कानून, अग्रिम निर्णयों और परस्पर सहमति प्रक्रिया से सुनिश्चित की जाए, न कि निवेश-मध्यस्थता से। मध्यस्थता से इनकार तभी उचित है जब घरेलू व्यवस्था स्वयं निष्पक्ष और तेज़ हो।

2.2 केंद्र ने वित्त वर्ष 27 की उधारी घटाकर ₹15.99 लाख करोड़ की, RBI ने युद्ध-प्रेरित मुद्रास्फीति जोखिम की चेतावनी दी

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली और मुंबई, 25 सितंबर। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी छमाही के उधारी कैलेंडर से पता चलता है कि केंद्र ने 2026-27 के लिए अपनी सकल बाज़ार उधारी घटाकर ₹15.99 लाख करोड़ कर दी है, जो ₹17.2 लाख करोड़ के बजट अनुमान से ₹1.2 लाख करोड़ कम है। सकल उधारी सरकारी बॉन्डों के माध्यम से जुटाई गई कुल राशि है; शुद्ध उधारी वह शेष राशि है जो देय बॉन्डों के पुनर्भुगतान के बाद बचती है, और राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण शुद्ध उधारी से ही होता है। रिज़र्व बैंक की स्वचालित नीलामियों के बाद, जिनमें सरकार शीघ्र देय बॉन्डों को अधिक अवधि वाले बॉन्डों से बदलती है, सकल उधारी पहले ही घटकर लगभग ₹16.09 लाख करोड़ रह गई थी, जिसमें पहली छमाही के लिए ₹8.2 लाख करोड़ यानी 51% की योजना थी। एक अधिकारी ने PTI को बताया कि यह कटौती मुख्यतः 2026-27 की परिपक्वताओं में से ₹1.14 लाख करोड़ के स्वचाल से आती है। अक्टूबर-मार्च में केंद्र दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से ₹7.86 लाख करोड़ जुटाएगा, जिसमें ₹15,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड शामिल हैं, 23 साप्ताहिक नीलामियों में, 3 से 50 वर्ष की अवधियों में; एक ग्रीनशू विकल्प हर प्रतिभूति में अतिरिक्त ₹2,000 करोड़ तक रखने की अनुमति देता है। ट्रेज़री बिल तीसरी तिमाही में 13 सप्ताह तक प्रति सप्ताह ₹23,000 करोड़ जुटाएँगे, और वेज़ एंड मीन्स एडवांस की सीमा इस छमाही के लिए ₹50,000 करोड़ है। आर्थिक कार्य विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा, “शुद्ध बाज़ार उधारी (राजकोषीय

घाटे के वित्तपोषण के लिए बाज़ार उधारी) बजट स्तर पर ही रखी गई है,” यह “उभरते राजकोषीय दबावों” के बावजूद है; वित्त वर्ष 27 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य GDP का 4.3% है। उनके अनुसार अधिक अवधि वाली प्रतिभूतियाँ भारत औसत परिपक्वता बढ़ाएंगी और पुनर्वित्तपोषण जोखिम घटाएंगी। 10-वर्षीय प्रतिफल शुक्रवार को 7.1194% पर बंद हुआ, लगातार छठे सप्ताह बढ़ते हुए, 7.14% छूने के बाद, जो 20 मई से इसका सर्वोच्च स्तर है। द हिंदू द्वारा रिपोर्ट किए गए RBI के मासिक बुलेटिन में कहा गया कि अर्थव्यवस्था लचीली बनी रही, पर सितंबर में पश्चिम एशिया में संघर्ष के बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ी, जिससे मुद्रास्फीति की चिंताएँ फिर जीवित हो गईं; अगस्त में हेडलाइन CPI मुद्रास्फीति बढ़ी और बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर कोर मुद्रास्फीति अत्यंत निम्न स्तरों से ऊपर आई। इसने रिज़र्व को 18 सितंबर को रिकॉर्ड 766 अरब डॉलर पर रखा, जो 11.2 महीनों के माल आयात को कवर करता है; ET और IE इसी आँकड़े को 785 अरब डॉलर के शिखर से उस सप्ताह में लगभग 15 अरब डॉलर की गिरावट के रूप में भी रिपोर्ट करते हैं। RBI ने निर्यात-प्राप्तियों की वसूली के लिए प्रस्तावित 15 महीने की खिड़की भी वापस ले ली, 1 अक्टूबर से नौ महीने की अवधि बरकरार रखते हुए। द इंडियन एक्सप्रेस के एक संपादकीय के अनुसार यह मिश्रण “तराजू को सख्त नीति की ओर झुका देना चाहिए”। पाठ्यक्रम: GS3 में संसाधन जुटाना और मौद्रिक नीति।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

सितंबर में पश्चिम एशिया संघर्ष बढ़ता है और कच्चे तेल की कीमतें उछलती हैं → मुद्रास्फीति का जोखिम लौटता है और वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल बढ़ते हैं, जिससे भारत का 10-वर्षीय प्रतिफल 7.1% से ऊपर चला जाता है → केंद्र स्विच नीलामियों से सकल उधारी ₹1.2 लाख करोड़ घटाता है जबकि शुद्ध उधारी और 4.3% का घाटा-लक्ष्य अपरिवर्तित रखता है → RBI रुपये की रक्षा करता है, रिज़र्व घटाता है और निर्यात-प्राप्ति खिड़की छोटी करता है → एजेंसियाँ और संपादकीय MPC से दर-वृद्धि की ओर झुकाव की अपेक्षा करते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. सकल उधारी ऋण-प्रबंधन का चुनाव है, जबकि शुद्ध उधारी राजकोषीय चुनाव है — राजकोषीय घाटा कुल व्यय का राजस्व प्राप्तियों और ऋण-रहित पूंजीगत प्राप्तियों पर अतिरिक्त है, और इसका वित्तपोषण मुख्यतः दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से शुद्ध बाज़ार उधारी से होता है। सकल उधारी में परिपक्व होने वाले बॉन्डों का पुनर्भुगतान शुद्ध उधारी में जोड़ दिया जाता है। स्विच परिचालन, जो निकट-अवधि के बॉन्डों को अधिक अवधि वाले बॉन्डों से बदलते हैं, और बायबैक किसी वर्ष में देय पुनर्भुगतान को घटाते हैं, इसलिए घाटे में किसी बदलाव के बिना भी सकल उधारी घट सकती है। यही वजह है कि सरकार ₹1.2 लाख करोड़ सकल उधारी घटा सकती है जबकि कहती है कि शुद्ध उधारी अपरिवर्तित है।
2. दिनांकित प्रतिभूतियाँ और ट्रेज़री बिल केंद्र सरकार के ऋण के दो साधन हैं — दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ लंबी अवधि के बॉन्ड हैं, सामान्यतः 2 से 50 वर्ष की परिपक्वता वाले, जिनमें स्थिर या अस्थिर कूपन होता है। ट्रेज़री बिल अल्पकालिक, शून्य-कूपन साधन हैं जो 91-दिन, 182-दिन और 364-दिन की अवधियों में डिस्काउंट पर जारी किए जाते हैं। वेज़ एंड मीन्स एडवांस RBI द्वारा दिए गए अस्थायी ओवरड्राफ्ट हैं जो प्राप्तियों और भुगतानों के बीच असंतुलन को पूरा करते हैं, RBI अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अंतर्गत उपलब्ध हैं, और इनकी सीमा RBI सरकार से सलाह-मशविरा कर तय करता है। साँवरेन ग्रीन बॉन्ड, जो पहली बार 2022 में अधिसूचित एक ढाँचे के अंतर्गत 2023 में जारी हुए थे, उस धन को जुटाते हैं जो पात्र हरित परियोजनाओं के लिए आरक्षित होता है।
3. RBI क़ानून के अनुसार सरकार का ऋण-प्रबंधक है, और FRBM अधिनियम राजकोषीय नियम तय करता है — RBI अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के अंतर्गत, RBI केंद्र सरकार का बैंकिंग कारोबार संचालित करता है और उसका सार्वजनिक ऋण प्रबंधित करता है; धारा 21A उसे राज्य सरकारों के लिए भी करार से यही करने देती है। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 [Government Securities Act, 2006] G-sec के जारी करने और हस्तांतरण को शासित करता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 ने केंद्र को अपना राजकोषीय घाटा GDP के 3% तक घटाने की अपेक्षा की थी, और इसके 2018 के संशोधन ने ऋण को मुख्य लंगर बनाया, केंद्र के लिए GDP के 40% का लक्ष्य रखते हुए। इस दुहरी भूमिका के आलोचकों का तर्क है कि ऋण-प्रबंधक के रूप में RBI की रुचि — कम प्रतिफल चाहना — उसकी मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरणकर्ता की भूमिका से टकरा सकती है, इसीलिए एक स्वतंत्र सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी कई बार प्रस्तावित की गई है।
4. MPC एक वैधानिक मुद्रास्फीति लक्ष्य पूरा करने के लिए नीतिगत दर तय करता है — RBI अधिनियम में 2016 में संशोधन कर लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण बनाया गया। धारा 45ZA के अंतर्गत केंद्र सरकार, RBI से सलाह-मशविरा कर, हर पाँच वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करती है; यह 4% CPI मुद्रास्फीति पर 2% से 6% के सहन-बैंड के साथ तय किया गया है। धारा 45ZB के अंतर्गत छह-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee — MPC), जिसमें RBI से तीन सदस्य, जिनमें गवर्नर शामिल हैं और जिनके पास निर्णायक मत है, और केंद्र द्वारा नियुक्त तीन बाहरी सदस्य होते हैं, रेपो दर तय करती है। यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक बैंड से बाहर रहे, तो RBI को सरकार को कारण और सुधारात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होती है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS3 सरकारी बजट-निर्माण और संसाधन जुटाने पर प्रश्न पूछता है — मुख्य परीक्षा राजकोषीय समेकन, FRBM ढाँचे और सार्वजनिक ऋण तथा विकास के संबंध पर प्रश्न पूछ चुकी है। यह कहानी अभ्यर्थी को सकल और शुद्ध उधारी में अंतर करने, स्विच समझाने, और

घाटे के वित्तपोषण को बॉन्ड प्रतिफल तथा 'क्राउडिंग आउट' से जोड़ने का अवसर देती है — यह वह प्रक्रिया है जिसमें सरकारी उधारी ब्याज दरें बढ़ाती है और निजी निवेश को दबाती है।

2. प्रारंभिक परीक्षा बार-बार मौद्रिक और राजकोषीय परिभाषाओं को परखती है — UPSC ट्रेज़री बिल, वेज़ एंड मीन्स एडवांस, MPC की संरचना, मुद्रास्फीति लक्ष्य और राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे के अंतर पर प्रश्न पूछ चुका है। सॉवरन ग्रीन बॉन्ड और ग्रीनशू विकल्प नए शब्द हैं जिनके आने की संभावना है। विदेशी मुद्रा भंडार और उसके घटकों पर प्रश्न भी बार-बार आते हैं।

3. बाह्य क्षेत्र एक तेल झटके को घरेलू नीति से जोड़ता है — वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के चालू खाते, रुपये और मुद्रास्फीति पर प्रभाव संबंधी प्रश्न एक स्थायी विशेषता हैं। RBI द्वारा निर्यात-प्राप्ति खिड़की को कड़ा करना, उसका विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप और 11.2 महीनों के आयात-कवर वाला रिज़र्व बाह्य-क्षेत्र प्रबंधन के ताज़ा उदाहरण देते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- केंद्र सरकार की शुद्ध बाज़ार उधारी, न कि सकल उधारी, राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करती है; सकल उधारी में परिपक्व होती प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान भी शामिल होता है।
- भारत में ट्रेज़री बिल शून्य-कूपन साधन हैं जो 91-दिन, 182-दिन और 364-दिन की अवधियों में डिस्काउंट पर जारी किए जाते हैं।
- RBI से केंद्र सरकार को वेज़ एंड मीन्स एडवांस प्राप्तियों और भुगतानों में असंतुलन पूरा करने के लिए अस्थायी अग्रिम हैं, जो RBI अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अंतर्गत उपलब्ध हैं।
- RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA के अंतर्गत, केंद्र सरकार, RBI से सलाह-मशविरा कर, हर पाँच वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है।
- RBI अधिनियम की धारा 45ZB के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति में छह सदस्य होते हैं, और बराबरी की स्थिति में RBI गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है।
- स्वच परिचालन निकट भविष्य में परिपक्व होने वाली सरकारी प्रतिभूतियों को अधिक अवधि वाली प्रतिभूतियों से बदलता है, जिससे राजकोषीय घाटे में बदलाव के बिना पुनर्वित्तपोषण जोखिम घटता है।
- विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 [Foreign Exchange Management Act, 1999] के अंतर्गत, RBI वह अवधि निर्धारित करता है जिसके भीतर निर्यातकों को निर्यात के पूरे मूल्य की वसूली और प्रत्यावर्तन करना होता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. उधारी में कटौती ऋण-प्रबंधन है, राजकोषीय कड़ाई नहीं** — ₹1.2 लाख करोड़ की कटौती मुख्यतः इस वर्ष की ₹1.14 लाख करोड़ की परिपक्वताओं को आगे के वर्षों में स्वच करने से आती है। सरकार को अब भी 4.3% के घाटे के वित्तपोषण के लिए वही शुद्ध राशि चाहिए; उसने केवल पुनर्भुगतान को भविष्य में धकेल दिया है। जब कैलेंडर एक ही समय में केंद्रित हो, तब यह विवेकपूर्ण है, और यह कमज़ोर बॉन्ड बाज़ार में आपूर्ति भी घटाता है। पर यह इसका संकेत नहीं है कि घाटा घट रहा है, और जो पाठक इसे राजकोषीय समेकन मानेगा, वह आँकड़ों को ग़लत पढ़ रहा है। ईमानदार दावा वही है जो सुश्री ठाकुर करती हैं — कि दबाव के बावजूद शुद्ध उधारी नहीं बढ़ी है।
- 2. लंबी अवधियाँ ऊँची लागत तय कर देती हैं, और यह एक सोचा-समझा व्यापार-बंधन है** — 30, 40 और 50 वर्ष पर उधार लेना भारत औसत परिपक्वता बढ़ाता है और पुनर्वित्तपोषण जोखिम — यानी किसी बुरे क्षण में बड़ी राशि को फिर से वित्तपोषित करने का ख़तरा — घटाता है। इसकी कीमत यह है कि सरकार 7.1% से ऊपर, चार महीने के उच्चतम स्तर पर, लंबी अवधि के लिए उधार लेकर दशकों तक महँगा धन तय कर देती है। यदि मुद्रास्फीति और प्रतिफल आगे घटें, तो अल्पकालिक उधारी सस्ती पड़ती। ऋण-प्रबंधक इस लागत को बीमा मानकर स्वीकार करते हैं, और यह बीमा तब खरीदने योग्य है जब युद्ध, तेल और वैश्विक प्रतिफल — सभी अनिश्चित हों। इसके विपरीत यह भी कहा जा सकता है कि लंबी अवधि के बॉन्ड बीमा कंपनियों और पेंशन कोषों के अनुकूल होते हैं, इसलिए लंबे सिर पर आपूर्ति स्वाभाविक माँग को भी पूरा कर रही है।
- 3. रिज़र्व का आँकड़ा दो तरह से बताया जा रहा है, और दोनों सत्य हैं** — द हिंदू RBI बुलेटिन के हवाले से 766 अरब डॉलर को रिकॉर्ड बताता है, जबकि ET और IE 785 अरब डॉलर के शिखर से एक सप्ताह में लगभग 15 अरब डॉलर की गिरावट रिपोर्ट करते हैं। अंतर समय का है: स्तर ऊँचा है क्योंकि विशेष योजना के अंतर्गत FCNR(B) जमा इसे बढ़ा गए, और साप्ताहिक गिरावट यह दिखाती है कि RBI रुपये को लगभग 96 के आस-पास बनाए रखने के लिए डॉलर बेच रहा है। जमाओं से बना रिज़र्व, जिसे लौटाना भी है, अर्जित अधिशेष नहीं बल्कि उधार लिए बफ़र हैं। 11.2 महीने का आयात-कवर सुविधाजनक है, पर बाज़ारों के लिए स्तर से अधिक साप्ताहिक आँकड़ों की दिशा मायने रखती है।

	4. निर्यात-प्राप्ति खिड़की को छोटा करना दूसरे नाम से पूँजी-प्रवाह प्रबंधन है — 15 महीने से 9 महीने पर लौटकर, इससे पहले कि यह छूट लागू होती, RBI निर्यातकों को डॉलर जल्दी घर लाने के लिए बाध्य करता है, जिससे मुद्रा बाज़ार में आपूर्ति बढ़ती है। यह एक शांत औज़ार है जो ब्याज दरें बढ़ाने या रिज़र्व खर्च करने से बचता है। इसकी लागत निर्यातकों पर पड़ती है, विशेषकर उन छोटे निर्यातकों पर जो विदेशी खरीदारों को लंबी उधारी पर बेचते हैं, जिनकी कार्यशील पूँजी उसी समय कसती है जब संपादकीय एक कमज़ोर रुपये को 17.8% की निर्यात-वृद्धि का श्रेय देते हैं। किसी नियामक द्वारा अधिसूचित नियम को शुरू होने से पहले पलट देना पूर्वानुमेयता को भी चोट पहुँचाता है, जो अच्छे नियमन की मुद्रा है। 5. दर-वृद्धि का पक्ष मज़बूत है पर तय नहीं — S&P Global मुद्रास्फीति के औसतन 5.1% रहने और 25 आधार-अंकों की वृद्धि की अपेक्षा करता है, OECD अस्थायी दर-वृद्धियों का पूर्वानुमान देता है, और बुलेटिन हेडलाइन तथा कोर मुद्रास्फीति के बढ़ने की पुष्टि करता है। दर-वृद्धि रुपये को सहारा देगी और अपेक्षाओं को स्थिर करेगी। इसके विरुद्ध, यह मुद्रास्फीति मुख्यतः तेल से आयातित पूर्ति-झटका है, जिसे मौद्रिक नीति उलट नहीं सकती, और कर-कटौती की हवा धमने से दूसरी छमाही में विकास धीमा होने की संभावना है। MPC का जनादेश लचीला मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण है, इसलिए चुनाव इस पर निर्भर करता है कि क्या समिति को लगता है कि द्वितीयक प्रभाव मज़दूरी और कोर कीमतों तक फैल रहे हैं; बुलेटिन की कोर मुद्रास्फीति संबंधी टिप्पणी बताती है कि वे शुरू हो चुके हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“बजटीय स्तर पर शुद्ध उधारी बनाए रखते हुए एक बाह्य झटका प्रतिफल और मुद्रास्फीति बढ़ाए, तो यह राजकोषीय और मौद्रिक नीति के समन्वय की परीक्षा लेता है।” भारत के 2026-27 के संशोधित उधारी कार्यक्रम और RBI के हाल के आर्थिक आकलन के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. भूमिका — बताएँ कि केंद्र ने सकल उधारी ₹17.2 लाख करोड़ से घटाकर ₹15.99 लाख करोड़ कर दी है, जबकि शुद्ध उधारी और 4.3% का घाटा-लक्ष्य बनाए रखा है, और RBI बुलेटिन चेतावनी देता है कि पश्चिम एशिया संघर्ष ने मुद्रास्फीति के जोखिम को फिर जीवित कर दिया है। 2. मुख्य भाग — राजकोषीय पक्ष — सकल बनाम शुद्ध उधारी, स्विच (₹1.14 लाख करोड़) की भूमिका, भारित औसत परिपक्वता बढ़ाने वाली लंबी अवधियाँ, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड और ग्रीनशू विकल्प समझाएँ। FRBM अधिनियम और 7.1% पार करते प्रतिफलों के साथ ‘क्राउडिंग आउट’ से जोड़ें। 3. मुख्य भाग — मौद्रिक एवं बाह्य पक्ष — हेडलाइन और कोर CPI में बढ़ोतरी, धारा 45ZA और 45ZB के अंतर्गत MPC का जनादेश, 766 अरब डॉलर का रिज़र्व और उसकी साप्ताहिक गिरावट, लगभग 96 पर रुपये की रक्षा और छोटी हुई निर्यात-प्राप्ति खिड़की पर चर्चा करें। 4. मुख्य भाग — समन्वय — तर्क दें कि RBI की दोहरी भूमिका — ऋण-प्रबंधक और मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरणकर्ता — विपरीत दिशाओं में खींच सकती है; एक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी के प्रस्ताव और दर-वृद्धि से उधारी लागत बढ़ने के जोखिम का उल्लेख करें। 5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दें कि घाटे पर विश्वसनीयता MPC को मुद्रास्फीति पर काम करने की जगह देती है, और नीति-मिश्रण को मुद्रास्फीति लक्ष्य की रक्षा करते हुए ऋण-प्रबंधन के औज़ारों से राजकोषीय लागत को सहज बनाना चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. संयुक्त सचिव (बजट) के रूप में, क्या आप उधारी और घटाने के लिए पूँजीगत व्यय में कटौती की सलाह देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं पूँजीगत व्यय में कटौती की सलाह नहीं दूँगा, जो अप्रैल-जुलाई में लगभग 30% बढ़ा है और निजी निवेश के सतर्क रहने पर विकास को सहारा देता है। बेहतर विकल्प राजस्व व्यय को युक्तिसंगत बनाना, विनिवेश और गैर-कर प्राप्तियाँ बढ़ाना, और परिपक्वता-प्रोफाइल के प्रबंधन के लिए स्विच व बायबैक का उपयोग करना है। बॉन्ड बाज़ारों को खुश करने के लिए पूँजीगत व्यय घटाना प्रतिफल में एक छोटी बचत के बदले विकास में बड़ा नुकसान होगा। राजकोषीय विश्वसनीयता घाटा-लक्ष्य पूरा करने से आती है, निवेश घटाने से नहीं। प्रश्न 2. एक MSME निर्यातक संघ शिकायत करता है कि नौ महीने का प्रत्यावर्तन नियम उसकी कार्यशील पूँजी को कसेगा। एक नियामक के रूप में आप क्या उत्तर देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं समझाऊँगा कि यह नियम रुपये पर दबाव के समय डॉलर की आपूर्ति मज़बूत करता है और छूट अधिसूचित होने से पहले नौ महीने ही मानक अवधि थी। मैं लंबी उधारी पर बिक्री के वास्तविक मामलों को जाँच करूँगा और प्रलेखित आधारों पर अधिकृत डीलर बैंकों के माध्यम से विस्तार की अनुमति दूँगा। मैं बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में निर्यात-ऋण बढ़ाने

पर भी काम करूँगा। उद्देश्य यह है कि मुद्रा की रक्षा हो, पर उन निर्यातकों को दंडित न किया जाए जो चुनकर डॉलर विदेश में नहीं रोक रहे।

प्रश्न 3. एक साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या RBI को दर बढ़ानी चाहिए जब मुद्रास्फीति आयातित तेल से प्रेरित हो?

दृष्टिकोण (Approach): मौद्रिक नीति विश्व तेल कीमत को नीचे नहीं ला सकती, पर यह किसी तेल-झटके को कीमतों और मजदूरी में सामान्य वृद्धि बनने से रोक सकती है। यदि कोर मुद्रास्फीति बढ़ रही है और मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ ऊँची होती जा रही हैं, तो एक संतुलित दर-वृद्धि उचित है। यदि झटका ईंधन और खाद्य तक सीमित रहता है, तो MPC कुछ समय तक इसे नज़रअंदाज़ कर सकती है। यह निर्णय द्वितीयक प्रभावों पर निर्भर करता है, इसीलिए बुलेटिन की कोर मुद्रास्फीति संबंधी टिप्पणी मायने रखती है।

2.3 व्यापार रहस्यों पर समर्पित कानून पर DPIIT का पुनर्विचार, मुखबिर संरक्षण और अनुपालन बोर्ड के बीच संतुलन की तलाश

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 25 सितंबर। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत व्यापार रहस्यों (Trade Secrets) पर एक विधेयक का मसौदा फिर से तैयार करते हुए मुखबिरों (Whistleblowers) के संरक्षण और संविदाओं के प्रवर्तन से जुड़े प्रावधानों पर उद्योग जगत, जिसमें स्टार्टअप भी शामिल हैं, के साथ जल्द ही सलाह-मशवरा शुरू करेगा। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने उन अपटेंट (unpatented) आविष्कारों की रक्षा के लिए एक समर्पित कानून पर विचार-विमर्श शुरू किया है, जो अभी संविदा विधि (Contract Law) के दायरे में आते हैं। व्यापार रहस्य वह व्यावसायिक रूप से मूल्यवान सूचना है — जैसे कोई फॉर्मूला, प्रक्रिया, ग्राहक-सूची या स्रोत कोड (Source Code) — जिसे कोई व्यवसाय पेटेंट के रूप में प्रकाशित करने के बजाय गोपनीय रखता है। वर्तमान में व्यापार रहस्यों की रक्षा न्यायिक पूर्वनिर्णयों (Precedents) और विधानों के मिश्रण से होती है, जिनमें प्रमुख है भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872), जो गोपनीयता-अनुबंध (Non-Disclosure Agreement) के उल्लंघन, संवेदनशील सूचना के उजागर होने या निजी सूचना के अनुचित प्रकटीकरण की स्थिति में उपचार देता है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ स्टार्टअप और उद्योग-भागीदारों ने अधिक अनुपालन बोर्ड, संविदा प्रवर्तन और व्यापार रहस्य संरक्षण तथा मुखबिर अधिकारों के बीच संतुलन पर चिंता जताई है। डर यह है कि एक कठोर गोपनीयता कानून किसी ऐसे भीतरी व्यक्ति को चुप करा सकता है जो किसी गड़बड़ी को उजागर करता है। एक अधिकारी ने कहा, “सरकार के कुछ हिस्सों में यह सोच है कि संविदा पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलग कानून की ज़रूरत नहीं है और मौजूदा भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में संशोधन कर यह उद्देश्य पूरा किया जा सकता है, किंतु उद्योग को चिंताएँ हैं।” अधिकारी ने आगे कहा, “जहाँ कुछ स्टार्टअप को नए कानून के तहत अधिक अनुपालन बोर्ड की चिंता है, वहीं कुछ स्थापित फ़र्मों को इस बात की चिंता है कि संविदाओं की पूर्ति कैसे होगी।” अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन और यूरोपीय संघ के पास पहले से समर्पित कानून हैं। एक बौद्धिक संपदा विशेषज्ञ ने अखबार को बताया कि ऐसे कानून में एक डिजिटल टाइमस्टैम्प (Digital Timestamp) शामिल हो सकता है, जो यह प्रमाणित करे कि स्वामी और नियामक के पास किसी निश्चित तारीख और समय पर कोई विशेष गोपनीय सूचना थी, बिना उसकी विषय-वस्तु उजागर किए, और सरकार ऐसे दस्तावेज़ों का एक भंडार रख सकती है। विशेषज्ञ के अनुसार कानून सरल हो सकता है, बिना विस्तृत अनुपालन आवश्यकताओं या रिटर्न फ़ाइलिंग (Return Filing) के। व्यापार रहस्य कोई विधिक एकाधिकार (Monopoly) नहीं देता; यह केवल गोपनीय सूचना के अनधिकृत प्रकटीकरण, अनुचित उपयोग या अर्जन से रक्षा करता है। पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के विपरीत, जो एक निश्चित अवधि तक सीमित होते हैं, व्यापार रहस्यों की रक्षा तब तक अनंत काल तक की जा सकती है जब तक गोपनीयता बनी रहे। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 में बौद्धिक संपदा अधिकार और स्टार्टअप पारितंत्र (Startup Ecosystem)।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

भारत का बौद्धिक संपदा (IPR) कानून पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को कवर करता है, पर गोपनीय जानकारी को संविदाओं और साम्या (Equity) के भरोसे छोड़ देता है → स्टार्टअप और तकनीकी फ़र्मों, जिनका मूल्य अपटेंट जानकारी में है, कर्मचारियों या साझेदारों द्वारा उसे लीक करने पर कमज़ोर उपचार पाती हैं → TRIPS अनुच्छेद 39 के दायित्व और विदेशी साझेदार स्पष्ट संरक्षण की माँग करते हैं → विधि आयोग एक समर्पित विधान की सिफ़ारिश करता है → DPIIT मसौदे पर पुनर्विचार करता है, जिसमें मुखबिर संरक्षण और अनुपालन बोर्ड अभी खुले प्रश्न हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. TRIPS अनुच्छेद 39 भारत को अप्रकटित सूचना की रक्षा के लिए बाध्य करता है, पर अलग विधान लिखने के लिए नहीं — विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पक्षों संबंधी समझौते (TRIPS) का अनुच्छेद 39 “अप्रकटित सूचना” (Undisclosed Information) से संबंधित है। यह सदस्य देशों को बाध्य करता है कि वे व्यक्तियों को इस बात की अनुमति दें कि वे अपने वैध नियंत्रण में मौजूद सूचना को बिना सहमति के, ईमानदार व्यावसायिक व्यवहार के विरुद्ध तरीके से, दूसरों द्वारा प्रकट, अर्जित या उपयोग किए जाने से रोक सकें। सूचना तब योग्य मानी जाती है जब वह गोपनीय हो, गोपनीय होने के कारण व्यावसायिक मूल्य रखती हो, और उसे गोपनीय बनाए रखने के लिए युक्तियुक्त कदम उठाए गए हों। अनुच्छेद 39 औषधीय और कृषि-रासायनिक उत्पादों की स्वीकृति के लिए नियामकों को सौंपे गए परीक्षण आँकड़ों (Test Data) को भी अनुचित व्यावसायिक उपयोग से बचाता है। TRIPS प्रत्येक सदस्य को विधिक तरीका चुनने की छूट देता है, इसलिए भारत का संविदा और साम्या पर निर्भर रहना स्वयं में उल्लंघन नहीं है।

	2. भारत में व्यापार रहस्यों की रक्षा संविदा, साम्या और कुछ बिखरे हुए विधानों से होती है — भारतीय अदालतें गोपनीय सूचना की रक्षा भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत संविदा-भंग के दावों से, तथा गोपनीयता-भंग (Breach of Confidence) की साम्यिक कार्यवाही से करती हैं, जो तब भी लागू होती है जब कोई संविदा न हो, बशर्ते सूचना विश्वास में सौंपी गई हो। संविदा अधिनियम की धारा 27 व्यापार में रोक लगाने वाले करारों को शून्य ठहराती है, इसलिए नौकरी के बाद के गैर-प्रतिस्पर्धा (Non-compete) खंड सामान्यतः प्रवर्तनीय नहीं होते, जबकि गोपनीयता के दायित्व प्रवर्तनीय होते हैं। अदालतें विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963) के अंतर्गत दुरुपयोग रोकने के लिए व्यादेश (Injunction) देती हैं। व्यापार रहस्य चोरी जैसा कोई अलग आपराधिक अपराध नहीं है, और व्यापार रहस्य की कोई विधिक परिभाषा भी नहीं है। 3. विधि आयोग ने स्वतंत्र व्यापार रहस्य कानून की सिफारिश की है — 22वें विधि आयोग ने 2024 में प्रस्तुत अपनी 289वीं रिपोर्ट में, जो व्यापार रहस्य और आर्थिक जासूसी (Economic Espionage) पर थी, इस विषय पर एक अलग कानून की सिफारिश की और उसके साथ एक मसौदा विधेयक भी संलग्न किया। इसने व्यापार रहस्यों की विधिक परिभाषा, व्यादेश और नुकसान-भरपाई जैसे सिविल उपचार, तथा लोकहित में प्रकटीकरण जैसे अपवादों का सुझाव दिया। रिपोर्ट ने एक समर्पित विधान को व्यवसायों को निश्चितता देने और भारत को प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की प्रथा के अनुरूप लाने का साधन माना। इसकी सिफारिशें सलाहकारी हैं और लागू होने के लिए विधायन आवश्यक है। 4. भारत का मुखबिर कानून सरकारी कर्मचारियों को कवर करता है, निजी कर्मचारियों को नहीं — मुखबिर संरक्षण अधिनियम, 2014 (Whistle Blowers Protection Act, 2014) सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या शक्ति के जानबूझकर दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त करने और ऐसी शिकायत करने वालों को संरक्षण देने की व्यवस्था करता है, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) कई मामलों के लिए सक्षम प्राधिकारी है। यह निजी कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा कॉर्पोरेट गड़बड़ी की शिकायतों को कवर नहीं करता। राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य संवेदनशील मामलों से जुड़े प्रकटीकरण को सीमित करने वाला 2015 का संशोधन विधेयक कानून नहीं बन सका। DPIIT के अधीन राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, 2016 (National Intellectual Property Rights Policy, 2016) ने एक सशक्त और प्रभावी IPR ढाँचे का लक्ष्य रखा और सभी बौद्धिक संपदा कानूनों को एक ही विभाग के अधीन लाया।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS3 बौद्धिक संपदा अधिकार, नवाचार और स्टार्टअप अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्न पूछता है — पाठ्यक्रम में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। मुख्य परीक्षा में भारत की IPR व्यवस्था, पेटेंट और दवाओं तक पहुँच के बीच संतुलन, तथा नवाचार की परिस्थितियों पर प्रश्न आ चुके हैं। व्यापार रहस्य कानून एक नया कोण है: यह उन नवाचारकों की रक्षा करता है जो पेटेंट नहीं कराना चुनते, जो सॉफ्टवेयर और प्रक्रिया-आधारित उद्योगों में सामान्य है। 2. प्रारंभिक परीक्षा बौद्धिक संपदा संरक्षण की संरचना परखती है — UPSC पेटेंट और कॉपीराइट की अवधि, भौगोलिक संकेतक (Geographical Indications), TRIPS प्रावधानों और राष्ट्रीय IPR नीति पर प्रश्न पूछ चुका है। व्यापार रहस्य, जो गोपनीयता बने रहने तक चलता है और कोई एकाधिकार नहीं देता, और पेटेंट, जो प्रकाशित होता है तथा 20 वर्ष तक चलता है, के बीच का अंतर एक क्लासिक कथन-आधारित प्रश्न है। 3. नैतिकता प्रश्नपत्र मुखबिरी और निष्ठा को परखता है — GS4 में मुखबिरी, संगठनात्मक निष्ठा और लोकहित के बीच टकराव, तथा कॉर्पोरेट अभिशासन (Corporate Governance) पर प्रश्न आ चुके हैं। लोकहित अपवाद वाला व्यापार रहस्य कानून यह दिखाने का ठोस उदाहरण है कि कानून गोपनीयता को उत्तरदायित्व के साथ कैसे मिलाने का प्रयास करता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● WTO के TRIPS समझौते का अनुच्छेद 39 अप्रकटित सूचना की रक्षा से संबंधित है, जिसमें व्यापार रहस्य और नियामकों को सौंपे गए परीक्षण आँकड़े शामिल हैं। ● TRIPS अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कोई सूचना तब संरक्षित होती है जब वह गोपनीय हो, गोपनीय होने के कारण व्यावसायिक मूल्य रखती हो, और उसे गोपनीय बनाए रखने के लिए युक्तियुक्त कदम उठाए गए हों। ● भारत में व्यापार रहस्यों पर कोई समर्पित विधान नहीं है; संरक्षण भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, गोपनीयता-भंग के साम्यिक सिद्धांत और न्यायिक पूर्वनिर्णयों पर टिका है। ● भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 विधिपूर्ण व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय में रोक लगाने वाले करारों को शून्य घोषित करती है, सिवाय सद्भावना (Goodwill) की बिक्री के सीमित अपवाद के। ● व्यापार रहस्य स्वतंत्र खोज या रिवर्स इंजीनियरिंग के विरुद्ध कोई अनन्य अधिकार नहीं

	देता और तब तक अनंत काल चल सकता है जब तक गोपनीयता बनी रहे। ● मुखबिर संरक्षण अधिनियम, 2014 सरकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार या शक्ति के दुरुपयोग से संबंधित प्रकटीकरण पर लागू होता है। ● उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, 2016 के लिए नोडल विभाग है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. कानून का सच्चा औचित्य निश्चितता है, नए अधिकार नहीं — भारतीय अदालतें संविदा और साम्या के माध्यम से गोपनीय सूचना की रक्षा पहले से करती हैं, इसलिए कोई विधान शून्य से कोई संरक्षण नहीं बनाएगा। जो यह जोड़ेगा वह है एक परिभाषा, पूर्वानुमेय उपचार और अपवादों की स्पष्ट सूची। कोई स्टार्टअप जो किसी बड़े निवेशक या विदेशी साझेदार से बातचीत कर रहा है, तब उच्च न्यायालयों में भिन्न-भिन्न निर्णयों की शृंखला के बजाय एक विधान की ओर इशारा कर सकता है। जो अधिकारी कहते हैं कि संविदा अधिनियम में केवल संशोधन कर दिया जाए, वे यह चूक जाते हैं कि गोपनीयता-भंग उन तीसरे पक्षों तक पहुँचता है जिन्होंने कभी कोई संविदा नहीं की, जिसे केवल संविदा विधि अच्छी तरह नहीं साध सकती। 2. मुखबिर संरक्षण ही यह परखेगा कि कानून नवाचार की रक्षा करता है या गोपनीयता की — स्पष्ट लोकहित अपवाद के बिना व्यापार रहस्य कानून किसी कंपनी को उस कर्मचारी पर मुकदमा करने का अवसर दे सकता है जो असुरक्षित दवाओं, फर्जी उत्सर्जन आँकड़ों या वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करता है। भारत का मुखबिर विधान केवल सरकारी कर्मचारियों की रिपोर्ट करने वालों की रक्षा करता है, इसलिए निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कोई सामान्य कवच नहीं मिलता। कानून को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि किसी नियामक या पुलिस को गड़बड़ी की सूचना देना दुरुपयोग (Misappropriation) नहीं है। फ़र्मों का प्रतिवाद यह है कि एक व्यापक अपवाद कर्मचारियों को सूचना लीक करने और बाद में स्वयं को मुखबिर बताने के लिए प्रोत्साहित करता है: उत्तर यही है कि प्राधिकारियों को दिया गया प्रकटीकरण सुरक्षित हो, प्रेस या प्रतिस्पर्धियों को दिया गया नहीं। 3. स्टार्टअप का अनुपालन-डर उचित है और यह हल्के डिज़ाइन की ओर इशारा करता है — विशेषज्ञ का सुझाव कि कानून बिना रिटर्न फ़ाइलिंग के सरल हो, यह मानता है कि छोटी फ़र्में अनुपालन विभाग नहीं वहन कर सकतीं। पंजीकरण-शैली की व्यवस्था गोपनीयता के मूल उद्देश्य को भी विफल कर देगी, क्योंकि व्यापार रहस्य इसलिए मूल्यवान होते हैं कि उन्हें कोई पंजीकृत नहीं करता। टाइमस्टैप भंडार किसी तारीख पर स्वामित्व के वैकल्पिक प्रमाण के रूप में उपयोगी है, संरक्षण की शर्त के रूप में नहीं। यदि कानून संरक्षण को कागज़ी काम पर निर्भर बना देता है, तो बड़ी फ़र्मों को लाभ होगा और स्टार्टअप पीछे छूट जाएंगे। 4. कर्मचारी गतिशीलता वह छिपा हुआ दाँव है — संविदा अधिनियम की धारा 27 नौकरी के बाद के गैर-प्रतिस्पर्धा खंडों को अधिकांशतः शून्य बनाती है, जिसने भारत के कुशल श्रमिकों के श्रम-बाज़ार को गतिशील रखा है और इसके तकनीकी क्षेत्र की मदद की है। व्यापार रहस्य कानून को सामान्य कौशल और अनुभव को रहस्य मानकर गैर-प्रतिस्पर्धा का पिछला दरवाज़ा नहीं बनना चाहिए। परिपक्व व्यवस्थाओं में खींची गई रेखा यह है कि कर्मचारी सामान्य ज्ञान का उपयोग कर सकता है, पर विशिष्ट गोपनीय सूचना का नहीं। इस रेखा को सही खींचना फ़र्मों और श्रमिकों के कैरियर, दोनों की रक्षा करता है। 5. आर्थिक जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा दाँव को व्यापार से आगे बढ़ाते हैं — सेमीकंडक्टर, रक्षा कलपुर्जों और औषधियों में गोपनीय जानकारी एक सामरिक संपत्ति है, और विदेशी तत्वों द्वारा उसकी चोरी एक सुरक्षा चिंता है। केवल सिविल व्यवस्था संगठित जासूसी के विरुद्ध कमज़ोर निरोध देती है। गंभीर, जानबूझकर की गई चोरी के लिए आपराधिक अपराध बनाने का तर्क है, पर आपराधिक प्रावधान सामान्य व्यावसायिक विवादों में दुरुपयोग को न्योता देते हैं। एक संतुलित कानून विदेशी संस्थाओं के लाभ के लिए जानबूझकर की गई चोरी के लिए आपराधिक दंड सुरक्षित रखेगा, और सामान्य विवादों को सिविल उपचार पर छोड़ देगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“भारत पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की रक्षा विधान से करता है, पर व्यापार रहस्यों को संविदाओं और अदालतों के भरोसे छोड़ देता है।” भारत में एक समर्पित व्यापार रहस्य कानून के पक्ष की परीक्षा कीजिए। ऐसे कानून को नवाचारकों, कर्मचारियों और मुखबिरों के हितों में संतुलन कैसे बनाना चाहिए? (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. भूमिका — व्यापार रहस्य को परिभाषित कीजिए और बताइए कि DPIIT मसौदा कानून पर पुनर्विचार कर रहा है, जिसमें मुखबिर संरक्षण, संविदा प्रवर्तन और अनुपालन बोझ पर सलाह-मशवरा हो रहा है। 2. मुख्य भाग — वर्तमान स्थिति — भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, गोपनीयता-भंग और व्यादेश के माध्यम से मिलने वाले संरक्षण, धारा 27 का गैर-प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव, और TRIPS अनुच्छेद 39 को समझाइए। उल्लेख कीजिए कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन और यूरोपीय

संघ के पास समर्पित कानून हैं।

3. **मुख्य भाग — कानून के पक्ष में तर्क** — एक विधिक परिभाषा, तीसरे पक्षों के विरुद्ध उपचार, स्टार्टअप की अपटेंट जानकारी की रक्षा और आर्थिक जासूसी के विरुद्ध निरोध के ज़रिए मिलने वाली निश्चितता का तर्क दीजिए। विधि आयोग की स्वतंत्र कानून की सिफ़ारिश का उल्लेख कीजिए।
4. **मुख्य भाग — संतुलन** — प्राधिकारियों को दिए गए प्रकटीकरण के लिए स्पष्ट लोकहित अपवाद, कर्मचारियों के सामान्य कौशल के संरक्षण, वैकल्पिक टाइमस्टैप भंडार वाले हल्के अनुपालन डिज़ाइन, और संतुलित आपराधिक दंडों पर चर्चा कीजिए।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि सशक्त अपवादों वाला संक्षिप्त, सिद्धांत-आधारित कानून कर्मचारी गतिशीलता या उत्तरदायित्व को बाधित किए बिना नवाचार की रक्षा करेगा।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. DPIIT अधिकारी के रूप में कानून का मसौदा तैयार करते हुए, एक बड़ा उद्योग संगठन किसी भी अनधिकृत प्रकटीकरण के लिए आपराधिक दंड चाहता है। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं आपराधिक दंड को केवल जानबूझकर की गई चोरी या किसी विदेशी संस्था के लाभ के लिए की गई चोरी तक सीमित रखूंगा, जहाँ सिविल उपचार पर्याप्त नहीं हैं। नियोक्ताओं और पूर्व कर्मचारियों के सामान्य विवाद सिविल ही बने रहने चाहिए, क्योंकि आपराधिक प्रावधानों का उपयोग डराने-धमकाने में आसानी से हो जाता है। मैं नियामकों और अन्वेषण एजेंसियों को दिए गए प्रकटीकरण के लिए स्पष्ट अपवाद जोड़ूंगा। कानून का उद्देश्य नवाचार की रक्षा करना है, नौकरी बदलने को अपराध बनाना नहीं।

प्रश्न 2. आपके ज़िले में एक औषधि कंपनी का कर्मचारी, ज़िलाधिकारी के रूप में आपसे कहता है कि फ़र्म गुणवत्ता आँकड़ों में हेरफेर कर रही है, पर उसे गोपनीयता-भंग के लिए मुकदमे का डर है। आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं शिकायत को औपचारिक रूप से प्राप्त करूंगा और उसे निरीक्षण के लिए दवा नियामक और राज्य दवा नियंत्रक को भेजूंगा, साथ ही कर्मचारी की पहचान गोपनीय रखूंगा। मैं कर्मचारी को सलाह दूंगा कि किसी वैधानिक प्राधिकारी को गड़बड़ी का प्रकटीकरण लोकहित में है और बचाव योग्य है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की माँग है कि ऐसी सूचना नियामकों तक तेज़ी से पहुँचे। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि निरीक्षण स्वतंत्र हो, ताकि शिकायत तथ्यों पर परखी जाए।

प्रश्न 3. एक साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: किसी स्टार्टअप को पेटेंट दाखिल करने के बजाय रहस्य क्यों रखना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): पेटेंट 20 वर्ष का एकाधिकार देता है, पर उसके लिए पूर्ण सार्वजनिक प्रकटीकरण चाहिए और यह प्राप्त करना व बचाव करना महंगा है। व्यापार रहस्य में लागत कम आती है और यह अनंत काल चल सकता है, पर यदि कोई प्रतिस्पर्धी उसी बात को स्वतंत्र रूप से खोज ले या रिवर्स इंजीनियर कर ले, तो इसमें कोई संरक्षण नहीं मिलता। जो प्रक्रियाएँ और एल्गोरिथ्म अंतिम उत्पाद में नहीं देखे जा सकते, वे गोपनीयता के लिए उपयुक्त हैं; जो उत्पाद खोले जा सकते हैं, वे पेटेंट के लिए उपयुक्त हैं। कई फ़र्म एक ही तकनीक के अलग-अलग हिस्सों के लिए दोनों का उपयोग करती हैं।

2.4 चार बंदरगाहों को भारत के पहले 'मेगा पोर्ट' का दर्जा; NHAI ने 50,000 किमी एक्सप्रेसवे नेटवर्क के लिए डिज़ाइन संहिताबद्ध किया

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 25 सितंबर। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने चार "मेगा पोर्ट" अधिसूचित किए हैं, जो इस क्षेत्र के लिए अपनी तरह का पहला वर्गीकरण है। शुक्रवार को जारी एक राजपत्र अधिसूचना में पत्तन, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) ने पश्चिम में दीनदयाल (कांडला) और जवाहरलाल नेहरू (न्हावा शेवा) बंदरगाहों, ओडिशा के पारादीप बंदरगाह, और गुजरात में अडानी समूह के मुंद्रा बंदरगाह को सूचीबद्ध किया — यह सूची में चौथा और एकमात्र निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाला बंदरगाह है। प्रमुख बंदरगाहों (Major Ports) का प्रशासन केंद्र सरकार करती है; गैर-प्रमुख बंदरगाह राज्यों के अधीन आते हैं। मेगा पोर्ट का दर्जा पाँच वर्षों के लिए वैध रहेगा, और यह 30 जुलाई की उस राजपत्र अधिसूचना पर आधारित है जिसने इस श्रेणी के मानदंड परिभाषित किए थे; रिपोर्ट में मानदंडों का उल्लेख नहीं है। उसी दिन द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India — NHAI) ने उच्च-गति गलियारों — जिन्हें प्रवेश-नियंत्रित राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है — के डिज़ाइन, मानकों और विशिष्टियों पर विस्तृत मार्गदर्शिका जारी की है। ये राष्ट्रीय राजमार्गों के विशेष खंड हैं जो निर्बाध, आरंभ-से-अंत यात्रा प्रदान करते हैं। अब तक सलाहकार भिन्न-भिन्न मानकों पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करते रहे हैं। भारत विज़न 2047 के अंतर्गत 2036-37 तक 50,000 किमी उच्च-गति गलियारों का लक्ष्य रखता है; दिसंबर 2025 में यह लंबाई 3,052 किमी थी। यातायात आकलन में मौजूदा, उत्पन्न, प्रेरित और विचलित यातायात शामिल होना चाहिए, जिसे टोल लेन-देन के आँकड़ों से सत्यापित किया जाए, जबकि माल-भाड़ा और वाहन क्षति गुणांक (Vehicle Damage Factor) — यह मापता है कि कोई वाहन सड़क को कितना घिसता है — को GST पोर्टल और खनन विभाग के आँकड़ों से जाँचा

जाए। लेन की चौड़ाई यात्री-कार समकक्ष इकाई (Passenger Car Unit — PCU) में मापे गए यातायात पर निर्भर करती है, जो ट्रकों, बसों और दुपहिया वाहनों को कार-समकक्ष में बदलती है: 15,000 PCU तक चार-लेन राजमार्ग और चार-लेन संरचनाएँ; 15,000 से 25,000 PCU तक चार-लेन राजमार्ग पर पुल जैसी छह-लेन संरचनाएँ; 25,000 से 40,000 PCU तक छह-लेन राजमार्ग और छह-लेन संरचनाएँ। कोई समतल चौराहा (At-grade Intersection) नहीं होगा, और प्रवेश केवल डिज़ाइन किए गए रैपों से मिलेगा। जहाँ हावैस्टर और लदे हुए ट्रैक्टर चलते हैं, वहाँ अंडरपास 4.50 मीटर ऊँचे हो सकते हैं; निर्मित खंडों में दोनों ओर नाली-सह-पैदल पथ वाली सेवा सड़कें होंगी। लेआउट में बहु-लेन मुक्त प्रवाह (Multi-Lane Free Flow — MLFF), यानी बिना बैरियर वाला टोलिंग, अनिवार्य है, और अधिकार-पथ (Right of Way) — यानी राजमार्ग के लिए विधिक रूप से रखी गई भूमि — के बाहरी किनारे पर अनाधिकृत कब्जे रोकने के लिए एक मीटर ऊँची प्रबलित सीमेंट कंक्रीट दीवार बनाई जाएगी। मीडियन में टपक सिंचाई और पेड़ लगाना DPR में ही शामिल है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 अवसंरचना — बंदरगाह, सड़कें और लॉजिस्टिक्स।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

उच्च लॉजिस्टिक्स लागत भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर करती है → सागरमाला, भारतमाला और PM गति शक्ति एकीकृत बंदरगाह और सड़क निवेश को आगे बढ़ाती हैं → बंदरगाह अभिशासन में प्रमुख पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 और नए पत्तन विधान से सुधार होता है, जबकि एक्सप्रेसवे असमान, सलाहकार-चालित मानकों पर बनते रहते हैं → केंद्र 30 जुलाई को “मेगा पोर्ट” के मानदंड परिभाषित करता है और चार बंदरगाहों को नामित करता है, जिनमें निजी मुद्रा भी शामिल है → NHAI नियोजित 50,000 किमी उच्च-गति नेटवर्क के लिए एक ही डिज़ाइन संहिता जारी करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. संविधान बंदरगाह अभिशासन को संघ और राज्यों के बीच बाँटता है — संघ सूची की प्रविष्टि 27 संसद द्वारा बनाई विधि से या उसके अंतर्गत प्रमुख बंदरगाह घोषित बंदरगाहों को कवर करती है, जिसमें उनका परिसीमन तथा पत्तन प्राधिकरणों की संरचना एवं शक्तियाँ शामिल हैं। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 31 प्रमुख बंदरगाहों से भिन्न बंदरगाहों को कवर करती है, जिन्हें राज्य के सामुद्रिक बोर्ड (State Maritime Board) प्रशासित करते हैं। इसीलिए गुजरात का एक गैर-प्रमुख बंदरगाह मुंद्रा जैसा निजी बंदरगाह, कांडला या JNPA से भिन्न विधिक व्यवस्था में आता है। दोनों श्रेणियों को छूने वाला मेगा पोर्ट लेबल इसलिए विधिक दर्जे में बदलाव नहीं, बल्कि एक निष्पादन-आधारित वर्गीकरण है।
2. प्रमुख बंदरगाह अब 2021 के अधिनियम के अंतर्गत पत्तन प्राधिकरणों द्वारा चलाए जाते हैं — प्रमुख पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (Major Port Authorities Act, 2021) ने प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 का स्थान लिया और पत्तन न्यासों को प्रमुख पत्तन प्राधिकरण बोर्ड में बदल दिया, जिन्हें टैरिफ तय करने, धन जुटाने और भूमि का उपयोग करने की अधिक स्वायत्तता मिली। प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण को समाप्त कर दिया गया, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं का टैरिफ अब बाज़ार तय करता है, जिसके लिए विवादों हेतु एक न्याय-निर्णायक बोर्ड है। भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 का स्थान 2025 के नए विधान ने लिया, जो प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों की समन्वित योजना का प्रावधान करता है, जिसमें केंद्र और तटीय राज्यों की एक परिषद शामिल है। पत्तन, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय इस क्षेत्र की देखरेख करता है।
3. सागरमाला, गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति एक ही लॉजिस्टिक्स रणनीति बनाते हैं — 2015 में स्वीकृत सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य पत्तन-आधारित विकास है — पत्तन आधुनिकीकरण, पत्तन संपर्कता, पत्तन-संबद्ध औद्योगीकरण और तटीय समुदाय विकास के माध्यम से। अक्टूबर 2021 में शुरू PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक GIS-आधारित डिजिटल मंच है, जो अवसंरचना की संयुक्त योजना के लिए मंत्रालयों को साथ लाता है। सितंबर 2022 की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक मानकों तक घटाना और विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (Logistics Performance Index) में भारत की रैंकिंग सुधारना है। ये तीनों मिलकर बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे और गोदामों को एक ही नेटवर्क मानते हैं।
4. NHAI 1988 के विधान और भारतमाला कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग बनाता है — भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत हुई और यह 1995 में कार्यरत हुआ; यह अपने अधीन सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 केंद्र को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और धारा 3A के अंतर्गत उनके लिए भूमि अर्जित करने की शक्ति देता है। 2017 में स्वीकृत भारतमाला परियोजना आर्थिक गलियारों, एक्सप्रेसवे तथा सीमा एवं तटीय सड़कों का छत्र कार्यक्रम है। राजमार्गों के लिए भूमि का अर्जन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) के अंतर्गत मिलने वाले प्रतिकर के अनुसार होता है, जो 1956 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अर्जन पर लागू होता है।

1. GS3 अवसंरचना — बंदरगाह, सड़कें और हवाई अड्डे — को नाम से सूचीबद्ध करता है — मुख्य परीक्षा में पत्तन-आधारित विकास, सागरमाला की भूमिका, लॉजिस्टिक्स लागत और अवसंरचना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर प्रश्न आए हैं। भारत की अवसंरचना पहल प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार रही है या नहीं, इस पर बना प्रश्न दोनों स्तरों का उपयोग कर सकता

है: बंदरगाह वर्गीकरण और राजमार्ग मानकीकरण एक ही लागत समस्या के दो पहलू हैं।

2. **प्रारंभिक परीक्षा योजनाओं, विधानों और संवैधानिक प्रविष्टियों को परखती है** — UPSC सागरमाला, भारतमाला, PM गति शक्ति और बंदरगाहों की अवस्थिति पर प्रश्न पूछ चुका है। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों का विभाजन, और पत्तन न्यासों का पत्तन प्राधिकरणों से प्रतिस्थापन, संभावित कथन-आधारित प्रश्न हैं। पारादीप, कांडला और न्हावा शेवा जैसे स्थान-आधारित प्रश्न भी सामान्य हैं।
3. **अभिशासन और भूमि अर्जन अवसंरचना को GS2 से जोड़ते हैं** — राजमार्ग परियोजनाएँ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और किसानों के अधिकारों के प्रश्न उठाती हैं, जो GS2 और GS3 दोनों में आते हैं। हार्वेस्टर और ट्रैक्टरों के लिए 4.5 मीटर के अंडरपास की आवश्यकता दिखाती है कि डिज़ाइन के निर्णय प्रवेश-नियंत्रित सड़कों से कटे हुए ग्रामीण समुदायों को कैसे प्रभावित करते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- संघ सूची की प्रविष्टि 27 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई विधि से या उसके अंतर्गत प्रमुख बंदरगाह घोषित बंदरगाह संघ का विषय है, जबकि प्रमुख बंदरगाहों से भिन्न बंदरगाह समवर्ती सूची की प्रविष्टि 31 के अंतर्गत आते हैं।
- प्रमुख पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 ने प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 का स्थान लिया और पत्तन न्यासों को प्रमुख पत्तन प्राधिकरण बोर्ड में बदला।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत हुई थी।
- राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3A के अंतर्गत अर्जित की जाती है।
- PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान मंत्रालयों में अवसंरचना की एकीकृत योजना के लिए एक GIS-आधारित डिजिटल मंच है, जो 2021 में शुरू किया गया।
- सागरमाला पत्तन-आधारित विकास के लिए केंद्रीय कार्यक्रम है, जो पत्तन आधुनिकीकरण, पत्तन संपर्कता, पत्तन-संबद्ध औद्योगीकरण और तटीय समुदाय विकास को कवर करता है।
- यात्री-कार समकक्ष इकाई (PCU) एक मापदंड है जो सड़क क्षमता के आकलन के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों को यात्री कारों की समतुल्य संख्या में बदलता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. **किसी निजी बंदरगाह को मेगा सूची में रखना एक शांत पर महत्वपूर्ण नीतिगत संकेत है** — मुंद्रा गुजरात के अधिकार-क्षेत्र में एक गैर-प्रमुख बंदरगाह है, फिर भी केंद्र ने इसे तीन केंद्र-शासित प्रमुख बंदरगाहों के साथ वर्गीकृत किया है। यह संकेत देता है कि राज्य स्वामित्व की परवाह किए बिना बंदरगाह क्षमता को राष्ट्रीय अवसंरचना मानता है। यह आकार को भी पुरस्कृत करता है, क्योंकि केवल उच्च क्षमता वाले बंदरगाह ही मानदंडों को पूरा करने की संभावना रखते हैं। विपरीत चिंता संकेद्वारा की है: जब एक निजी समूह देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बंदरगाहों की श्रेणी में रखा गया बंदरगाह चलाता है, तो नियामकों को क्रीम-शक्ति और संपर्कता में तरजीही पहुँच पर नज़र रखनी होगी।
2. **लेबल तभी मायने रखता है जब उसके साथ कुछ जुड़ा हो** — ET यह नहीं बताता कि मेगा दर्जे से क्या मिलता है, और 30 जुलाई के मानदंड भी वर्णित नहीं हैं। यदि यह लेबल गति शक्ति के अंतर्गत प्राथमिकता वाली संपर्कता, तेज़ स्वीकृतियाँ या अधिक गहराई वाली ड्रेजिंग खोलता है, तो यह निवेश को आकार देगा। यदि यह केवल एक नाम है, तो यह बिना परिणाम वाली रैंकिंग बनकर रह जाने का जोखिम उठाता है। पाँच वर्षों की वैधता संकेत देती है कि केंद्र निष्पादन की समीक्षा करना चाहता है, जो उचित है, क्योंकि वधावन जैसी नई क्षमता आने से बंदरगाह रैंकिंग तेज़ी से बदलती है।
3. **एक ही राजमार्ग संहिता की देरी हुई ज़रूरत थी, क्योंकि अलग-अलग DPR धन बरबाद करते हैं** — जब हर सलाहकार अपने ही मानकों पर डिज़ाइन करता है, तो गलियारे असंगत लेन-चौड़ाई, बेमेल संकेतों और ऐसी संरचनाओं के साथ बनते हैं जिन्हें यातायात बढ़ने पर फिर से बनाना पड़ता है। लेन को PCU सीमाओं से जोड़ना, और जहाँ यातायात बढ़ने की संभावना हो वहाँ चार-लेन सड़कों पर छह-लेन के पुल बनाना, महँगे पुनर्निर्माण को टालता है, क्योंकि पुल को चौड़ा करना सड़क को चौड़ा करने से कहीं अधिक कठिन है। टोल और GST आँकड़ों से यातायात सत्यापित करना परियोजनाओं को उचित ठहराने के लिए यातायात पूर्वानुमान बढ़ा-चढ़ाकर बताने की पुरानी आदत को कम करता है। यह वैसा ही बिना चमक-दमक वाला सुधार है जो जीवनकाल की लागत घटाता है।
4. **प्रवेश-नियंत्रण जीवन बचाता है, पर यह ग्रामीण इलाके को बाँट सकता है** — कोई समतल चौराहा न होना और केवल रैंप से प्रवेश उच्च-गति गलियारों को अधिक सुरक्षित और तेज़ बनाता है। पर ये गाँवों को उनके खेतों से भी काट देते हैं, इसलिए हार्वेस्टर और लदे हुए ट्रैक्टरों

	के लिए 4.5 मीटर के अंडरपास का नियम महत्वपूर्ण है। अधिकार-पथ के किनारे बनी सीमा-दीवार अनाधिकृत कब्जा रोकती है, पर यह किसी राजमार्ग को लोगों और पशुओं के लिए एक बाधा भी बना सकती है। डिज़ाइन में पर्याप्त संख्या में क्रॉसिंग होनी चाहिए, अन्यथा स्थानीय असंतोष और अवैध सेंध लगना जारी रहेगा। 5. 50,000 किमी का लक्ष्य लगभग 3,000 किमी के आधार के सामने बहुत महत्वाकांक्षी है — दिसंबर 2025 के 3,052 किमी से 2036-37 तक 50,000 किमी पहुँचने का अर्थ है हर वर्ष लगभग 4,000 किमी उच्च-गति गलियारे बनाना, जो अब तक की गति से कई गुना अधिक है। भूमि अर्जन, वित्तपोषण और टेकेदार क्षमता ही बाधाएँ हैं, डिज़ाइन नियम नहीं। एकसमान संहिता स्वीकृतियों को गति देने में मदद करती है, पर लक्ष्य की विश्वसनीयता भूमि और धन पर निर्भर करती है। यथार्थवादी निष्कर्ष यह है कि संहिता यह सुनिश्चित करती है कि जो भी बने वह अच्छी तरह बने, चाहे पूरी लंबाई समय पर मिले या न मिले।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“भारत की लॉजिस्टिक्स लागत नियमों और मानकों से उतनी ही तय होती है जितनी निवेश से।” भारत के पहले मेगा पोर्ट की अधिसूचना और उच्च-गति गलियारों के लिए NHAI की एकसमान डिज़ाइन मार्गदर्शिका के आलोक में इस कथन की चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. भूमिका — बताइए कि पत्तन मंत्रालय ने दीनदयाल, JNPA, पारादीप और निजी मुंद्रा को पाँच वर्षों के लिए मेगा पोर्ट अधिसूचित किया है, और NHAI ने नियोजित 50,000 किमी उच्च-गति नेटवर्क के लिए एकसमान डिज़ाइन मानक जारी किए हैं। 2. मुख्य भाग — बंदरगाह — सातवीं अनुसूची के अंतर्गत प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों का विभाजन, प्रमुख पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021, 2025 का पत्तन विधान और सागरमाला समझाएँ। चर्चा कीजिए कि एक निष्पादन-लेबल क्या कर सकता है, तथा मानदंड, लाभ और निजी संकेद्वय के प्रश्न उठाएँ। 3. मुख्य भाग — राजमार्ग — PCU-आधारित लेन नियम, प्रवेश-नियंत्रण, अंडरपास ऊँचाई, MLFF टोलिंग, सीमा-दीवारें और आँकड़ों से सत्यापित यातायात पूर्वानुमान समझाइए, तथा बताइए कि मानकीकरण कैसे पुनर्निर्माण और जीवनकाल की लागत घटाता है। 4. मुख्य भाग — व्यवस्था — दोनों को PM गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति से जोड़िए; राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और RFCTLARR अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भूमि अर्जन को बाध्यकारी संकट के रूप में उल्लेख कीजिए। 5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि मानक और वर्गीकरण सस्ते सुधार हैं जिनका लागत पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, पर भूमि, वित्त और अंतर-एजेंसी समन्वय ही तय करते हैं कि लक्ष्य पूरे होंगे या नहीं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. ज़िलाधिकारी के रूप में, किसान विरोध कर रहे हैं कि नया प्रवेश-नियंत्रित गलियारा उनके गाँव को उनके खेतों से काट देगा। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं NHAI परियोजना निदेशक और स्वयं किसानों के साथ गाँव की खेत-पहुँच और मालदुलाई मार्गों का नक्शा बनाऊँगा। जहाँ क्रॉसिंग बहुत दूर-दूर हैं, वहाँ मैं नई मार्गदर्शिका के अंतर्गत पर्याप्त ऊँचाई के अतिरिक्त अंडरपास के लिए ज़ोर दूँगा, जो हावैस्टर और ट्रैक्टर चलने वाले क्षेत्रों में 4.5 मीटर के अंडरपास का प्रावधान करती है। मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि काम शुरू होने से पहले भूमि प्रतिकर और पुनर्वासन पूरा हो जाए। समय पर सहभागिता ही उपेक्षित शिकायतों से पैदा होने वाली अवैध सेंध और देरी को रोकती है। प्रश्न 2. पत्तन सचिव के रूप में, मेगा सूची में शामिल न किया गया एक सार्वजनिक बंदरगाह शिकायत करता है कि यह वर्गीकरण यातायात को निजी प्रतिस्पर्धी की ओर मोड़ देगा। आप कैसे जवाब देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं समझाऊँगा कि यह वर्गीकरण प्रकाशित मानदंडों पर टिका है और हर पाँच वर्ष में इसकी समीक्षा होती है, इसलिए यह उस मानदंड को पूरा करने वाले किसी भी बंदरगाह के लिए खुला है। मैं बंदरगाह के निष्पादन और मानदंडों के बीच के अंतर को साझा करूँगा और उसे यह अंतर पाटने की योजना बनाने में मदद करूँगा। साथ ही मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि मेगा दर्जा किसी भी बंदरगाह को उसके यातायात से अधिक रेल या सड़क संपर्कता में तरजीही व्यवहार न दे। बंदरगाहों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा स्वयं में एक लॉजिस्टिक्स सुधार है। प्रश्न 3. एक साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: राजमार्ग आज के यातायात के लिए बनाए जाएँ या भविष्य के लिए? दृष्टिकोण (Approach): सड़कें आज के यातायात के लिए बनाई जानी चाहिए, पर पुल और अंडरपास जैसी संरचनाएँ भविष्य के लिए, क्योंकि सड़क चौड़ी करना सस्ता है जबकि पुल फिर से बनाना महंगा है। NHAI का चार-लेन सड़कों पर छह-लेन संरचनाओं का नियम ठीक इसी तर्क

पर आधारित है। पूरी सड़क को अधिक क्षमता का बना देना पूँजी और भूमि बरबाद करता है। सही उत्तर है चरणबद्ध क्षमता, जो ईमानदार यातायात पूर्वानुमानों पर आधारित हो।

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

भारत एक असफल मानसून वाले वर्ष में प्रवेश कर रहा है, फिर भी उसके गोदामों में अपने इतिहास के लगभग किसी भी समय से अधिक अन्न भरा है, और दो अर्थशास्त्री-समूह इस तथ्य को उलटी दिशाओं में पढ़ते हैं। एक कहता है कि यह भंडार निर्यात-प्रतिबंधों को अनावश्यक बना देता है; दूसरा कहता है कि पिछले साल की फ़सल से बना भंडार अगले साल के बारे में कुछ नहीं बताता। दोनों असली समस्या पर सहमत हैं: भारत की खाद्य व्यापार नीति सजगता (reflex) से चलती रही है, ताज़ा अनुमानों के आधार पर सीमाओं को खोलती और बंद करती हुई। सजगता के बजाय नियमों की माँग ही आज का सबक है।

3.1 बर्फ़र से कहीं ऊपर अन्न भंडार, चावल की फ़सल 6.5% गिरी: दो लेख निर्यात खुला रखने पर बँटे

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। सूखे के साल में अन्न निर्यात पर दो विचार-लेख उलटे रुख अपनाते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में आर्कस पॉलिसी रिसर्च की श्वेता सैनी और वंश ओबेरॉय लिखते हैं कि 24 अगस्त को गेहूँ निर्यात “प्रतिबंधित” से “मुक्त” कर दिया गया, इससे पहले फ़रवरी और अप्रैल में 2.5-2.5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) की नपी-तुली अनुमतियाँ दी गई थीं। उत्पादन आधिकारिक रूप से 120.7 MMT है, पर व्यापार जगत के अनुमान लगभग 110 MMT के करीब हैं; खरीद पिछले साल के लगभग 30 MMT के मुकाबले इस बार 35.76 MMT रही; और केंद्रीय पूल में गेहूँ का भंडार 1 सितंबर को लगभग 48 MMT था, जो 1 अक्टूबर के 20.5 MMT के बर्फ़र मानक से दोगुने से भी अधिक है। बर्फ़र मानक वह न्यूनतम भंडार है जो सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आपात स्थितियों के लिए रखना चाहती है। “पर बर्फ़र से अधिशेष होना निर्यात-अधिशेष होना नहीं है,” वे लिखते हैं: भंडार भरने वाली फ़सल आने वाले दो महीनों में बोई जाएगी, मानसून सामान्य से लगभग 15% कम है, NOAA का 14 सितंबर का अपडेट जनवरी-मार्च 2027 तक अल नीनो को बरकरार रखता है, और दाना भरने के समय मार्च की गर्मी उपज घटाती है। वे 2022 की याद दिलाते हैं: फ़रवरी में 111.3 MMT का कीर्तिमान अनुमान, 12 मई तक निर्यात को प्रोत्साहन, अगले ही दिन प्रतिबंध, और 19 मई को अनुमान घटकर 106.4 MMT। उनका नुस्खा है: सूचना बेहतर होने पर फिर से जाँची जाने वाली एक नपी-तुली निर्यात-खिड़की। द इकॉनॉमिक टाइम्स में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय के आर्थिक सलाहकार पूर्णदेव जेना लिखते हैं कि उद्योग के अनुमानों के अनुसार 2026-27 में चावल उत्पादन लगभग 144 मिलियन टन (MT) रहेगा, जो पिछले साल के 154 MT के कीर्तिमान से 10 MT या 6.5% कम है — 2009-10 के अल नीनो सूखे के बाद की सबसे तेज़ गिरावट। धान की बुआई 11 सितंबर को 42.68 मिलियन हेक्टेयर थी, जबकि पिछले साल 44.38 मिलियन हेक्टेयर थी; कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने खोए गए 17 लाख हेक्टेयर में से 12.3 लाख हेक्टेयर का हिस्सा लिया। फिर भी बिना कुटा धान मिलाकर चावल का भंडार 1 सितंबर को कीर्तिमान 59.6 MT था, जो 1 अक्टूबर के 10.3 MT के बर्फ़र से 5.8 गुना अधिक है। वे निर्यात प्रतिबंध के विरोधी हैं — पिछले साल के 24.5 MT निर्यात ने भारत को विश्व के चावल व्यापार का लगभग 40% बना दिया था — और ज़रूरत पड़ने पर प्रकाशित न्यूनतम निर्यात मूल्य को प्राथमिकता देते हैं, तथा यह आपत्ति उठाते हैं कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने जून 2025 से जून 2026 के बीच एथेनॉल आसवनियों को 6.35 MT चावल लगभग ₹36 प्रति किलो की लागत के सामने लगभग ₹23 प्रति किलो पर बेचा, यानी “अन्न जलाने” के लिए लगभग ₹9,700 करोड़ की छिपी सब्सिडी। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 में खाद्य सुरक्षा, बर्फ़र भंडार और कृषि व्यापार।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

पिछले साल की 154 MT चावल फ़सल और 35.76 MMT गेहूँ खरीद केंद्रीय पूल को बर्फ़र मानकों से बहुत ऊपर फ़ला देती है → 24 अगस्त को गेहूँ निर्यात मुक्त हुआ जबकि पिछले साल चावल निर्यात 24.5 MT तक पहुँचा → मज़बूत होते अल नीनो के तहत मानसून लगभग 15% कम रहता है, और चावल फ़सल लगभग 10 MT घटने वाली है → एक पक्ष कहता है भारी भंडार निर्यात-रोक को अनावश्यक बना देते हैं, दूसरा कहता है आने वाली गेहूँ फ़सल पर आज कोई वादा करना जल्दबाज़ी है → सरकार को नियम-आधारित निर्यात नीति और 2022-23 वाले सजगता-भरे प्रतिबंधों के बीच चुनना है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. बर्फ़र मानक हर तिमाही के लिए केंद्र तय करता है, और भंडार FCI के पास रहता है — भारतीय खाद्य निगम, जिसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (Food Corporations Act, 1964) के अंतर्गत हुई थी, राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर केंद्रीय पूल के लिए अन्न की खरीद, भंडारण और आवागमन करता है। केंद्र हर तिमाही के पहले दिन — 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी — के लिए अलग-अलग बर्फ़र भंडारण मानक तय करता है, क्योंकि फ़सल के बाद भंडार सबसे अधिक और फ़सल से पहले सबसे कम होता है। ये मानक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए परिचालन भंडार और कमी की स्थिति के लिए रणनीतिक भंडार, दोनों को समेटते हैं। मानक से बहुत ऊपर भंडार महँगा पड़ता है, क्योंकि अन्न रखने की आर्थिक लागत में व्याज, भंडारण और क्षति शामिल हैं, इसीलिए अधिशेष को खुला बाज़ार बिक्री योजना से बेचा जाता है।
2. खुला बाज़ार बिक्री योजना केंद्रीय भंडार से कीमतें ठंडी करने का उपकरण है — खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) [Open Market Sale Scheme (Domestic)] के अंतर्गत FCI केंद्रीय पूल से अधिशेष गेहूँ और चावल को खुले बाज़ार में, मुख्यतः ई-नीलामी के ज़रिए, सरकार द्वारा तय आरक्षित मूल्य पर बेचा जाता है। इसके उद्देश्य हैं कमज़ोर मौसम में खुले बाज़ार की कीमतें ठंडी करना और अधिशेष भंडार की रखरखाव-लागत घटाना। जेना का यह प्रस्ताव कि घाटे वाले राज्यों में चावल लागत वसूल करने वाले आरक्षित मूल्य पर बेचा जाए, इसी योजना का एक रूप है। केंद्र इन्हीं भंडारों का उपयोग जैव-ईंधन कार्यक्रम के अंतर्गत एथेनॉल आसवनियों को चावल देने के लिए भी करता रहा है।
3. न्यूनतम समर्थन मूल्य और NFSA खरीद-शृंखला के दो सिरे हैं — न्यूनतम समर्थन मूल्य

	(Minimum Support Price) की घोषणा केंद्र सरकार कृषि मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices, CACP) की सिफारिश पर करती है, और इसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति स्वीकृति देती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया अन्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act, 2013) को पोषित करता है, जो ग्रामीण जनसंख्या के 75% तक और शहरी जनसंख्या के 50% तक को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अन्न, तथा अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो अन्न की गारंटी देता है। जनवरी 2023 से यह अन्न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त है। अधिशेष राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिना सीमा की खरीद ही मुख्य कारण है जिससे भंडार बफ़र से ऊपर निकल जाता है। 4. निर्यात-प्रतिबंध विदेश व्यापार अधिनियम पर आधारित हैं और WTO इन्हें देखता है — विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 [Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992] केंद्र सरकार को निर्यात और आयात को प्रतिबंधित, सीमित या विनियमित करने की शक्ति देता है, और विदेश व्यापार महानिदेशालय (Directorate General of Foreign Trade) किसी वस्तु को 'प्रतिबंधित' से 'मुक्त' करने या न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करने जैसे परिवर्तनों को अधिसूचित करता है। न्यूनतम निर्यात मूल्य वह न्यूनतम सीमा है जिससे नीचे किसी वस्तु का निर्यात नहीं हो सकता, यह प्रतिबंध की तुलना में एक नरम उपकरण है। WTO में, कृषि पर समझौते (Agreement on Agriculture) का अनुच्छेद 12 खाद्य निर्यात प्रतिबंध लगाने वाले किसी सदस्य को आयातक सदस्यों की खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखने और उन्हें सूचित करने के लिए बाध्य करता है। इससे अलग, 2013 के बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने एक अंतरिम 'शांति खंड' (peace clause) अपनाया था जो विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक भंडारण कार्यक्रमों को सब्सिडी-सीमाओं के उल्लंघन के बावजूद क्रान्ती चुनौती से बचाता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS3 सीधे-सीधे बफ़र भंडार और खाद्य सुरक्षा का नाम लेता है — पाठ्यक्रम में 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली — उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएँ, पुनरोद्धार; बफ़र भंडार और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे' सूचीबद्ध है। मुख्य परीक्षा पृच्छती रही है कि क्या भारत का अन्न भंडार अत्यधिक है, और खरीद की लागत तथा सीधी आय सहायता के पक्ष के बारे में। ये दोनों विचार-लेख साथ मिलकर इस प्रश्न के दोनों पक्ष आँकड़ों के साथ देते हैं। 2. प्रारंभिक परीक्षा टन-भार नहीं, संस्थाओं को परखती है — UPSC CACP के बारे में, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाली फ़सलों के बारे में, NFSA के दायरे के बारे में और WTO के कृषि समझौते के बारे में पृच्छती रही है। खुला बाज़ार बिक्री योजना, बफ़र मानकों की तिमाही प्रकृति और शांति खंड स्वाभाविक कथन-आधारित प्रश्न हैं। 3. व्यापार-विश्वसनीयता कृषि प्रश्नों का नया कोण है — मई 2022 का गेहूँ प्रतिबंध और उसके बाद के चावल प्रतिबंधों ने आयातक देशों की आलोचना खींची थी। भारत की वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भूमिका, जिसमें G20 और WTO की बहस शामिल हैं, पर प्रश्न इस विचार का उपयोग कर सकते हैं कि अचानक लगे प्रतिबंध भारत की एक भरोसेमंद सप्लायर की छवि को घटाते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● केंद्रीय पूल के लिए बफ़र भंडारण मानक केंद्र सरकार हर वर्ष 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी के लिए अलग-अलग तय करती है। ● खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम केंद्रीय पूल से अधिशेष गेहूँ और चावल को खुले बाज़ार में, मुख्यतः ई-नीलामी के ज़रिए, सरकार द्वारा तय आरक्षित मूल्यों पर बेचता है। ● न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर की जाती है और इसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति स्वीकृति देती है। ● राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या के 75% तक और शहरी जनसंख्या के 50% तक को कवरेज देने का प्रावधान करता है। ● विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 केंद्र सरकार को वस्तुओं के निर्यात और आयात को प्रतिबंधित, सीमित या विनियमित करने की शक्ति देता है। ● न्यूनतम निर्यात मूल्य वह न्यूनतम सीमा-मूल्य है जिससे नीचे किसी वस्तु का निर्यात नहीं किया जा सकता। ● खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से सार्वजनिक भंडारण पर 'शांति खंड' 2013 में बाली में आयोजित WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया था।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दोनों विचार-लेखों में असहमति उनकी सुर्खियों से कम है — सैनी और ओबेरॉय प्रतिबंध नहीं माँग रहे; वे एक नपी-तुली खिड़की माँग रहे हैं जिसे बाद में बढ़ाया जा सके। जेना असीमित

निर्यात नहीं माँग रहे; वे घरेलू क्रीमतें गर्म होने पर एक प्रकाशित न्यूनतम निर्यात मूल्य स्वीकार करते हैं। दोनों 2022 और 2023 के उस ढर्रे को खारिज करते हैं, जिसमें एक दिन निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया और दूसरे दिन प्रतिबंध लगा। असली अंतर फ़सल का है: जेना चावल की बात करते हैं, जहाँ 59.6 MT का भंडार 10 MT की फ़सल-हानि के सामने बहुत बड़ा है, जबकि सैनी और ओबेराय गेहूँ की बात करते हैं, जहाँ आने वाली फ़सल अभी बोई नहीं गई है और भंडार बफ़र से लगभग दोगुना ही है। दोनों को साथ पढ़ें तो संकेत मिलता है कि इस साल चावल निर्यात अधिक खुला और गेहूँ निर्यात अधिक सतर्क रखा जाए।

2. भारी भंडार और बढ़ती क्रीमतें साथ-साथ चलने का मतलब है समस्या वितरण की है, आपूर्ति की नहीं — चावल की क्रीमतें एक साल पहले की तुलना में पहले से 7-8% ऊँची हैं, जबकि भंडार अपने कीर्तिमान पर है। यह विरोधाभास बताता है कि FCI के गोदामों में पड़ा अन्न जब तक छोड़ा नहीं जाता, उपभोक्ता तक नहीं पहुँचता। जेना का यह प्रस्ताव कि खुदरा चावल महँगाई 8% जैसी सीमा पार करने पर खुला बाज़ार बिक्री स्वतः शुरू हो जाए, एक मनमाने फ़सल को एक ऐसे नियम में बदल देता है जिसका व्यापारी पहले से अंदाज़ा लगा सके। इसके विरुद्ध दलील यह है कि पहले से तय नियमों का खेल खेला जा सकता है और लागत से कम पर बिक्री FCI के वित्त को कमज़ोर करती है, इसीलिए वे लागत वसूल करने वाले आरक्षित मूल्य पर ज़ोर देते हैं।
3. आसवनियों को लागत से 40% कम पर चावल बेचना एक छिपी सब्सिडी है जिसकी जगह बजट-मद में होनी चाहिए — यदि FCI के चावल की लागत लगभग ₹36 प्रति किलो है और उसने आसवनियों को 6.35 MT लगभग ₹23 पर बेचा, तो लगभग ₹9,700 करोड़ का यह नुक़सान खाद्य सब्सिडी में छिपता है, न कि ऊर्जा नीति में, जहाँ इसकी जगह होनी चाहिए। एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम को समर्थन देना उचित हो सकता है, पर उसकी लागत सामने दिखनी चाहिए। सूखे के साल में अन्न को ईंधन के लिए इस्तेमाल करना 'भोजन बनाम ईंधन' की आपत्ति को भी न्योता देता है। जेना का यह प्रस्ताव कि इस साल पहले से आवंटित 7.2 MT पर ही आसवनियों को दिया जाने वाला अन्न स्थिर रखा जाए, एक मामूली सुधार है; असली सबक यह है कि अधिशेष भंडार-प्रबंधन को पारदर्शी मूल्य-निर्धारण चाहिए, खरीदार कोई भी हो।
4. भंडार का यह अतिरेक खरीद-नीति की उपज है, और सूखा उसे सुधारने का अवसर है — चावल के बफ़र से 5.8 गुना अधिक भंडार सावधानी की निशानी नहीं है; यह कुछ राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिना सीमा की खरीद को दर्शाता है, जो पूँजी को बांध देती है और किसानों को जल-गहन धान की ओर धकेलती है। जेना का दीर्घकालिक एजेंडा — सीधी आय सहायता, ठीक-ठाक आकार के बफ़र, प्रत्यक्ष-बीजित चावल और सूखा-सहिष्णु किस्में, तथा दालों, तिलहनों और मक्के की ओर बदलाव — इस कारण को संबोधित करता है। राजनीतिक कठिनाई यह है कि पंजाब और हरियाणा में खरीद किसानों के लिए एक तयशुदा आय है, और कोई भी सुधार इस सुरक्षा को बिना बदले वापस लेने की जगह उसकी जगह कुछ और देना चाहिए।
5. व्यापार-नीति में विश्वसनीयता एक आर्थिक पूँजी है जिसे भारत लगातार ख़र्च करता रहता है — सैनी और ओबेराय चेतावनी देते हैं कि निर्यात को पूरी तरह खोलकर फिर अचानक बंद करना भारत की एक भरोसेमंद सप्लायर की छवि को घटाता है। लंबी अवधि के अनुबंध करने वाले आयातकों को अनुमानित नीति चाहिए, और हर अचानक प्रतिबंध उन्हें धाईलैंड, वियतनाम या काला सागर के देशों की ओर धकेलता है। एक नियम-आधारित तरीका — पहले से घोषित न्यूनतम निर्यात मूल्य या स्पष्ट ट्रिगर के साथ पहले से तय कोटा — प्रतिबंध की छवि-हानि के बिना घरेलू उपभोक्ताओं की रक्षा करता है। इसके विरुद्ध मत यह है कि सूखे के साल में कोई सरकार घर में खाद्य क्रीमतों को बढ़ने नहीं दे सकती, इसलिए नियम इतने भरोसेमंद होने चाहिए कि पहली ही क्रीमत-उछाल पर छोड़े न जाएँ।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“भारत का अन्न भंडार बफ़र मानकों से बहुत ऊपर है, फिर भी उसकी कृषि निर्यात नीति प्रतिक्रियावादी बनी हुई है।” कमज़ोर मानसून के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और अन्न भंडार तथा निर्यात के प्रबंधन के लिए एक नियम-आधारित ढाँचा सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — आँकड़ों दे: 1 सितंबर को गेहूँ भंडार लगभग 48 MMT, जबकि 1 अक्टूबर का बफ़र 20.5 MMT है; चावल भंडार 59.6 MT है जबकि बफ़र 10.3 MT है; और लगभग 15% कम मानसून वाले साल में चावल फ़सल के 6.5% गिरकर लगभग 144 MT रहने का अनुमान है।
2. मुख्य भाग — भंडार बफ़र से क्यों ऊपर चला जाता है — CACP की सिफ़ारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिना सीमा की खरीद, NFSA और PMGKAY के अंतर्गत निकासी, तिमाही बफ़र मानक और अधिशेष रखने की लागत को समझाएँ। आसवनियों को लागत से कम पर 6.35 MT चावल बेचे जाने का उल्लेख करें।
3. मुख्य भाग — प्रतिक्रियावादी ढर्रा — 2022 के गेहूँ प्रसंग — 12 मई तक निर्यात को प्रोत्साहन, 13 मई को प्रतिबंध — 2022 और 2023 के चावल प्रतिबंधों, और इस साल के चीनी पर पलटते फ़सल का उपयोग सजगता-आधारित नीति दिखाने के लिए करें। छवि-हानि और WTO के कृषि

समझौते के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत भारत के दायित्वों को समझाएँ।

4. **मुख्य भाग — नियम-आधारित ढाँचा** — प्रतिबंध की जगह न्यूनतम निर्यात मूल्य, फ़सल आँकड़ों के आधार पर पुनर्समीक्षित नपी-तुली निर्यात-खिड़कियाँ, खुदरा महँगाई से जुड़े पहले से घोषित OMSS ट्रिगर, उपग्रह-आधारित फ़सल अनुमान, और मूल्य-समर्थन से सीधी आय सहायता तथा ठीक आकार के बफ़र की ओर धीरे-धीरे बदलाव का प्रस्ताव रखें।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दें कि भरे गोदाम एक सहारा हैं, नीति नहीं, और भारत की खाद्य सुरक्षा तथा एक भरोसेमंद सप्लायर के रूप में उसकी छवि, दोनों इस पर निर्भर हैं कि विवेकाधिकार की जगह घोषित नियम लें।

प्रश्न 1. आप खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में संयुक्त सचिव हैं। कीर्तिमान भंडार के बावजूद खुदरा चावल कीमतें बढ़ रही हैं। आप क्या सुझाव देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं घाटे वाले राज्यों को लक्षित तुरंत खुला बाज़ार बिक्री योजना की निकासी की सिफ़ारिश करूँगा, ऐसे आरक्षित मूल्य पर जो लागत वसूल करे, और साप्ताहिक ई-नीलामियों के साथ, ताकि व्यापारियों को भरोसा रहे कि आपूर्ति जारी रहेगी। मैं इस साल आसवनियों को चावल के आवंटन की गति की समीक्षा करूँगा। मैं भंडार और बिक्री के आँकड़े हर हफ़्ते प्रकाशित करूँगा ताकि सट्टेबाज़ी से होने वाली जमाखोरी टंडी हो। निर्यात प्रतिबंध मेरा अंतिम विकल्प होगा, क्योंकि भंडार बफ़र से कई गुना अधिक है।

प्रश्न 2. तेलंगाना के एक वर्षा-आधारित चावल ज़िले में ज़िलाधिकारी के रूप में, फ़सल-हानि पर आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं तुरंत फ़सल-कटाई प्रयोग और उपग्रह-आधारित क्षति आकलन का आदेश दूँगा, ताकि रबी बुआई से पहले फ़सल बीमा योजना के दावों का निपटारा हो सके। मैं कृषि विभाग के साथ मिलकर दालों, तिलहनों और कम अवधि की उन क्रिस्मों के बीज उपलब्ध कराऊँगा जो कम बची नमी में उगें। मैं सुनिश्चित करूँगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मनरेगा के काम चलते रहें, ताकि खेतिहर मज़दूरों के पास भोजन और आय हो। गति महत्वपूर्ण है, क्योंकि विलंबित दावा अगली बुआई का ख़र्च नहीं वहन कर सकता।

प्रश्न 3. एक साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारत को कभी खाद्य निर्यात प्रतिबंधित करना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): प्रतिबंध केवल तब उचित है जब असली घरेलू कमी हो और अन्य उपकरण विफल हो चुके हों, क्योंकि यह किसानों, आयातकों और भारत की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाता है। अधिकांश स्थितियों में एक न्यूनतम निर्यात मूल्य, कोटा या घरेलू भंडार की निकासी उपभोक्ताओं की कम लागत में रक्षा कर सकती है। सरकार को वे परिस्थितियाँ पहले से घोषित करनी चाहिए जिनमें वह निर्यात सीमित करेगी, ताकि व्यापारी और आयातक देश योजना बना सकें। अनुमानित सीमा अचानक लगे प्रतिबंध से कहीं कम हानिकारक होती है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

आज की तीनों खबरें इस बात पर हैं कि भारत एक ऐसी व्यवस्था में नियम लिखने की कोशिश कर रहा है जहाँ ताकतवर देश पहले से मौजूद नियमों की अनदेखी करते हैं। समुद्र में, भारत ध्वज-राज्यों और चालक दल भेजने वाले देशों का एक गठबंधन बना रहा है क्योंकि मिसाइलें उन जहाजों पर भारतीय नाविकों की जान ले रही हैं जो दूसरे देशों के ध्वज तले चलते हैं। WTO में, भारत ने EU के कार्बन सीमा कर की पहली औपचारिक कानूनी परीक्षा में तीसरे पक्ष के रूप में सीट ली है, और यह तब हुआ है जब EU के हरित नियम चुपचाप भारतीय रीसाइक्लरों को यूरोपीय स्क्रेप से काट रहे हैं। न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र 81 वर्ष का हो गया और द हिंदू के शब्दों में “मोटा और कमजोर” दिखा, और भारत की व्यावहारिक आकांक्षा स्थायी सीट से घटकर ताजिकिस्तान के विरुद्ध दो-वर्षीय सीट जीतने तक सिमट गई है।

4.1 भारत और लाइबेरिया ने जहाजों व नाविकों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र में ‘मित्र समूह’ शुरू किया

समाचार (THE NEWS) संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क। भारत और लाइबेरिया ने शुक्रवार, 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) के 81वें सत्र के इतर एक मंत्रिस्तरीय बैठक में ‘जहाजों व नाविकों की सुरक्षा हेतु मित्र समूह’ (Group of Friends on Safety & Security of Shipping & Seafarers) शुरू किया, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस (पीटीआई) और द इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेयसोलो न्यांती के साथ उद्घाटन बैठक की सह-अध्यक्षता की, और दोनों देश इसके सह-अध्यक्ष रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में ‘मित्र समूह’ (group of friends) सदस्य देशों का एक अनौपचारिक, स्वैच्छिक समूह होता है जो किसी एक मुद्दे को साथ मिलकर आगे बढ़ाने पर सहमत होता है; इसके पास कोई संधि-शक्ति नहीं होती। यह जोड़ी सायास बनाई गई है: भारत नाविकों का एक प्रमुख स्रोत देश है, जबकि लाइबेरिया के पास टनभार के हिसाब से सबसे बड़ी शिपिंग रजिस्ट्री है। यह समूह प्रमुख जहाज-स्वामी देशों, सबसे बड़े जहाज पंजीकरण वाले देशों और सर्वाधिक नाविक भेजने वाले देशों को एक साथ लाता है। जयशंकर ने कहा, “काला सागर से लेकर लाल सागर और खाड़ी तक, नागरिक जहाजरानी पर हमले चिंता का बढ़ता कारण बन गए हैं। समुद्री व्यापार को बाधित करने वाले और मासूम जिंदगियां लेने वाले ये कृत्य पूरी तरह अक्षम्य हैं।” इससे दो दिन पहले, एंटीगुआ और बारबुडा के ध्वज वाले बल्क कैरियर एमवी केप डाओ पर ओमान की खाड़ी में हमला हुआ, जिसमें एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई; इससे पहले, पनामा के ध्वज वाले तेल टैंकर एल गैया पर होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय हमला हुआ, और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया। एक्सप्रेस ने मृत नाविक की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया निवासी 22 वर्षीय सूरज यादव के रूप में की है, जो 19 अगस्त को जहाज पर सवार हुए थे, और पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि 19 भारतीय नागरिकों समेत सभी बचे चालक दल को निकाल लिया गया है। जून में देवरिया के ही एक अन्य नाविक शिवानंद चौरसिया की ओमान के पास एक टैंकर पर हमले में मृत्यु हो गई थी, और सोनोवाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा के बाद संघर्ष-क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों के लिए ‘सीफेयर-फर्स्ट’ (Seafarer-First) पहल शुरू की गई है। जयशंकर ने कहा कि विश्व के व्यापारी बेड़े को लगभग बीस लाख नाविक चलाते हैं और जहाजरानी वैश्विक व्यापार के चार-पाँचवें हिस्से को ढोती है। यह समूह एक “समावेशी, स्वैच्छिक और कार्रवाई-उन्मुख मंच” होगा। यह 24 सितंबर के कार्ड में केप डाओ हमले की कड़ी को आगे बढ़ाता है; नया यह है कि भारत कॉन्सुलर प्रतिक्रिया से बहुपक्षीय नियम-निर्माण की ओर बढ़ा है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव GS2 (भारत और बहुपक्षीय संस्थाएँ, अन्य देशों की नीतियों का भारतीय हितों पर प्रभाव) और GS3 (समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियाँ) है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

पश्चिम एशिया का युद्ध खाड़ी, होर्मुज और लाल सागर की जहाजरानी लेन तक फैला → एंटीगुआ-बारबुडा और पनामा के ध्वज वाले जहाजों पर हमला, जिनमें भारतीय चालक दल सवार → जून और 23 सितंबर को भारतीय नाविकों की मृत्यु, एक लापता → भारत, जो चालक दल भेजने वाला देश है पर इन जहाजों पर ध्वज-राज्य अधिकार क्षेत्र नहीं रखता, सबसे बड़े ध्वज रजिस्ट्री वाले लाइबेरिया से हाथ मिलाता है → नाविकों की रोकथाम और सुरक्षा के लिए दबाव बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र मित्र समूह

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. UNCLOS के तहत किसी जहाज के लिए प्राथमिक रूप से ध्वज-राज्य उत्तरदायी होता है, न कि चालक दल का देश — संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय, 1982 (यूएनसीएलओएस, UNCLOS) हर राज्य को अपने ध्वज के तहत जहाज चलाने का अधिकार देता है और राज्य तथा जहाज के बीच एक “वास्तविक संबंध” (अनुच्छेद 91) अनिवार्य करता है। अनुच्छेद 94 ध्वज-राज्य पर प्रशासनिक, तकनीकी और सामाजिक मामलों में, जिसमें चालक दल की संख्या व श्रम स्थितियाँ शामिल हैं, अधिकार क्षेत्र व नियंत्रण का दायित्व डालता है। खुले समुद्र में कोई जहाज अपने ध्वज-राज्य के विशिष्ट अधिकार क्षेत्र में आता है (अनुच्छेद 92)। इसीलिए भारत, जिसके नागरिक विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर मरते हैं, के पास सीमित कानूनी उपाय हैं और उसे लाइबेरिया व पनामा जैसे ध्वज-राज्यों के माध्यम से ही काम करना पड़ता है।
2. ‘सुविधा के ध्वज’ यानी खुली रजिस्ट्रियों का विश्व जहाजरानी पर दबदबा है — एक खुली रजिस्ट्री किसी भी राष्ट्रियता के जहाज मालिक को अपने ध्वज के तहत जहाज पंजीकृत करने देती है, आमतौर पर कम कर, शुल्क और श्रम लागत के लिए। लाइबेरिया, पनामा और मार्शल द्वीप सबसे बड़ी खुली रजिस्ट्रियाँ हैं, और लाइबेरिया की रजिस्ट्री का व्यावसायिक प्रशासन देश के बाहर से होता है। आलोचकों का कहना है कि ‘वास्तविक संबंध’ की शर्त केवल कागज़ पर पूरी होती है, वास्तव में नहीं, और कमजोर ध्वज-राज्य निरीक्षण चालक दल को परित्याग और असुरक्षित परिस्थितियों के जोखिम में डालता है। अंतरराष्ट्रीय परिवहन कर्मी महासंघ लंबे समय से इन्हीं आधारों पर सुविधा के ध्वजों के विरुद्ध अभियान चला रहा है।
3. IMO सुरक्षा नियम बनाता है जबकि ILO का सामुद्रिक श्रम अभिसमय चालक दल की रक्षा

	करता है — अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन (International Maritime Organization, IMO), लंदन स्थित संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी, जहाजरानी की सुरक्षा और समुद्री प्रदूषण रोकने के लिए उत्तरदायी है; इसके प्रमुख उपकरणों में SOLAS (जीवन की सुरक्षा हेतु समुद्री अभिसमय) और जहाज-बंदरगाह सुरक्षा हेतु ISPS कोड शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा अपनाया गया सामुद्रिक श्रम अभिसमय, 2006 (Maritime Labour Convention, MLC) अक्सर नाविकों का 'अधिकार-पत्र' कहा जाता है; यह रोजगार करार, वेतन, आराम के घंटे, प्रत्यावर्तन और चिकित्सा देखभाल पर न्यूनतम मानक तय करता है। भारत ने MLC का अनुसमर्थन किया है। बंदरगाह-राज्य विदेशी जहाजों का MLC-अनुपालन हेतु निरीक्षण कर सकते हैं, जो चालक दल भेजने वाले और बंदरगाह-राज्यों को ध्वज-राज्य से स्वतंत्र एक उपाय देता है। 4. भारत ने अपना जहाजरानी कानून फिर से लिखा है और नाविकों को राष्ट्रीय संपत्ति मानता है — पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार, संसद ने व्यापारिक जहाजरानी विधेयक, 2025 (Merchant Shipping Bill, 2025) पास किया, जो भारतीय जहाजों के पंजीकरण, नाविकों के प्रमाणन और सुरक्षा से जुड़े प्रमुख कानून, व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 1958 की जगह लेता है। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन जहाजरानी महानिदेशालय (Directorate General of Shipping) नाविकों के प्रशिक्षण व प्रमाणन को विनियमित करता है। भारत वैश्विक बेड़े को अधिकारी और नाविक भेजने वाले प्रमुख देशों में शामिल है, और सागर (Security and Growth for All in the Region, SAGAR) और बाद में महासागर के रूप में व्यक्त उसकी सामुद्रिक परिकल्पना भारत को हिंद महासागर में प्रथम प्रतिक्रियादाता व सुरक्षा प्रदाता के रूप में प्रस्तुत करती है। नौवहन की स्वतंत्रता, जो UNCLOS में सहिताबद्ध एक प्राथमिक सिद्धांत है, भारत की इंडो-पैसिफिक नीति का एक घोषित स्तंभ है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS2 में बहुपक्षीय और मुद्रा-आधारित गठबंधनों में भारत की भूमिका पूछी जाती है — यूपीएससी बहुपक्षीय समूहों में भारत की भागीदारी और विकसित व विकासशील देशों की नीतियों के भारत के हितों पर प्रभाव के बारे में पूछ चुका है। किसी अफ्रीकी रजिस्ट्री-राज्य के साथ सह-अध्यक्षता वाला मित्र समूह मुद्रा-आधारित गठबंधन-निर्माण का एक जीवंत उदाहरण है, और भारत को 'वैश्विक दक्षिण की आवाज़' बताने वाले उत्तरों में फिट बैठता है। 2. समुद्री सुरक्षा GS3 का बार-बार आने वाला विषय है — प्रश्नों में भारत के लिए समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ, पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री डकैती और समुद्री संचार मार्गों (sea lines of communication) के महत्व के बारे में पूछा गया है। व्यापारी जहाजों पर लाल सागर और होर्मुज में हुए हमले, जिनमें भारतीय चालक दल मारे गए, डकैती से भी अधिक मजबूत उदाहरण हैं क्योंकि हमलावर राज्य या राज्य-समर्थित तत्व हैं। 3. प्रारंभिक परीक्षा में सामुद्रिक संस्थाओं और अभिसमयों की परीक्षा होती है — UNCLOS के क्षेत्रों और ध्वज-राज्य अधिकार क्षेत्र, IMO बनाम ILO, और सामुद्रिक श्रम अभिसमय किस संस्था ने अपनाया, इस पर प्रश्नों की आशा रखें। चोकपाईट्स — होर्मुज जलडमरूमध्य, बाब-अल-मंडेब और ओमान की खाड़ी — मानचित्र आधारित मानक प्रश्न हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● UNCLOS, 1982 के अनुच्छेद 91 के तहत किसी राज्य और उसके ध्वज के तहत चलने वाले जहाज के बीच एक वास्तविक संबंध होना आवश्यक है। ● UNCLOS के तहत, खुले समुद्र में जहाज अपने ध्वज-राज्य के विशिष्ट अधिकार क्षेत्र में आते हैं, सिवाय उन अपवादों के जो अभिसमय या अन्य संधियों में दिए गए हैं। ● अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, जिसका मुख्यालय लंदन में है, संयुक्त राष्ट्र की वह विशेष एजेंसी है जो जहाजरानी की सुरक्षा एवं सुरक्षा और जहाजों से समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए उत्तरदायी है। ● सामुद्रिक श्रम अभिसमय, 2006 अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अधीन अपनाया गया था और यह नाविकों के लिए न्यूनतम कार्य व जीवन स्तर तय करता है। ● लाइबेरिया एक खुली जहाज रजिस्ट्री संचालित करता है और टनभार के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी रजिस्ट्री उसके पास है। ● बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, जबकि होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ● व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 1958 की जगह 2025 में संसद द्वारा पास किए गए नए कानून ने ले ली।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. भारत के पास चालक दल की समस्या है पर ध्वज नहीं, इसलिए उसने एकतरफा गश्त के बजाय गठबंधन को चुना — जयशंकर द्वारा नामित दोनों जहाज अन्य देशों के ध्वज — एंटीगुआ-बारबुडा और पनामा — के तहत चल रहे थे, इसलिए UNCLOS के तहत भारत इन पर प्राथमिक

अधिकार क्षेत्र का दावा नहीं कर सकता। भारत की नौसेना भारतीय-ध्वज वाले जहाजों की गश्त कर सकती है और करती भी है, पर अधिकांश भारतीय नाविक विदेशी-ध्वज वाले जहाजों पर काम करते हैं। सबसे बड़ी रजिस्ट्री वाले लाइबेरिया के साथ जुड़ना उस देश को, जो लोग देता है, उस देश से जोड़ता है जो कानूनी ध्वज देता है। यह एक चतुर रणनीति है: ध्वज-राज्यों के पास कानूनी हैसियत है, चालक-दल भेजने वाले राज्यों के पास राजनीतिक प्रेरणा है, और साथ मिलकर वे IMO और सुरक्षा परिषद को अकेले से अधिक हिला सकते हैं।

2. **‘स्वैच्छिक’ मंच हमलों की लागत केवल तभी बढ़ा सकता है जब वह हमलावरों का नाम ले —** जयशंकर ने काला सागर से खाड़ी तक के हमलों को सूचीबद्ध किया, पर रिपोर्ट के अनुसार यह नहीं बताया कि मिसाइल किसने चलाई। जो समूह जवाबदेही तय करने से बचता है, वह केवल बयान देगा, रोकथाम नहीं करेगा। इसका प्रतिवाद यह है कि भारत पश्चिम एशिया के युद्ध में सायास तटस्थ है और उसे ईरान, खाड़ी देशों और अमेरिका के साथ काम-चलाऊ संबंधों की ज़रूरत है, इसलिए ऐसा मंच जो किसी एक पक्ष का नाम ले, अपने सदस्य खो देगा। ईमानदार आकलन यह है कि समूह का पहला मूल्य मानवीय है — निकासी, प्रत्यावर्तन, मुआवज़ा — सैनिक नहीं।
3. **नाविक समुद्र में भारत का प्रवासी श्रम बल है, और उनकी मृत्यु आजीविका का मुद्दा है —** एक्सप्रेस के अनुसार सूरज यादव अपने गाँव के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसी व्यापारिक जहाज़ पर काम किया, और जून में देवरिया के ही एक और नाविक की मृत्यु हुई थी। नाविकी उत्तर प्रदेश और बिहार के भीतरी जिलों के युवकों के लिए मध्यम वर्ग में प्रवेश का रास्ता है, जैसे केरल के लिए खाड़ी प्रवास है। जब युद्ध जोखिम बढ़ता है, बीमा कंपनियाँ प्रीमियम बढ़ाती हैं, जहाज़ मालिक सस्ते या अधिक मजबूर चालक दल की तलाश करते हैं, और जोखिम सबसे कम वेतन पाने वाले नाविकों पर ढकेल दिया जाता है। इसलिए ‘सीफेरर-फर्स्ट’ पहल को केवल निकासी नहीं, बल्कि अनुबंधों और बीमा से भी निपटना होगा।
4. **खुली रजिस्ट्रियाँ स्वयं उस समस्या का हिस्सा हैं जिसे यह समूह सुलझाने की कोशिश कर रहा है —** सुविधा के ध्वज इसलिए मौजूद हैं क्योंकि वे मालिकों की लागत घटाते हैं, अक्सर निरीक्षण घटाकर। लाइबेरिया का सुरक्षा पहल का नेतृत्व करना रजिस्ट्री कारोबार में सुधार का संकेत है, पर यह उस विरोधाभास को भी दिखाता है: ध्वज-राज्य पंजीकरण शुल्क से मुनाफा कमाते हैं जबकि युद्ध-क्षेत्र में जहाजों की रक्षा करने की उनकी क्षमता न्यूनतम है। यदि यह समूह ध्वज-राज्यों को वास्तविक ज़िम्मेदारियाँ — युद्ध-जोखिम खंड, चालक दल का प्रत्यावर्तन, मुआवज़ा — स्वीकार करने पर मजबूर करता है, तो यह सार्थक होगा। यदि यह केवल घोषणाओं तक सीमित रहा, तो कानूनी ज़िम्मेदारी और वास्तविक सुरक्षा के बीच की खाई बनी रहेगी।
5. **यह पहल भारत के सुरक्षा परिषद अभियान की भी सेवा करती है —** यह शुरुआत उस सप्ताह हुई जब भारत 2028-29 के निर्वाचित सीट के लिए प्रचार कर रहा था। किसी अफ्रीकी राज्य के साथ किसी व्यावहारिक मुद्दे पर सह-अध्यक्षता भारत को छोटे द्वीपीय और तटीय राज्यों के सामने एक बातचीत का बिंदु देती है, जिनमें से कई रजिस्ट्री चलाते हैं या चालक दल भेजते हैं। यह वाजिब कूटनीति है, पर इस समूह का मूल्यांकन इस बात से होगा कि क्या यह महासभा सप्ताह समाप्त होने के बाद भी जारी रहता है। एक स्थायी सचिवालय या नियमित बैठकों की व्यवस्था इसकी परीक्षा होगी।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“नौवहन की स्वतंत्रता कानून में सुनिश्चित है, पर व्यवहार में उन नाविकों को लगातार नकारी जा रही है जो वैश्विक व्यापार को संभव बनाते हैं।” खाड़ी और लाल सागर में व्यापारी जहाजों पर हुए हाल के हमलों के आलोक में, नाविकों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचे की कमियों की जाँच करें, और भारत की प्रतिक्रिया का आकलन करें। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **प्रस्तावना —** 23 सितंबर को ओमान की खाड़ी में एंटीगुआ-बारबुडा के ध्वज वाले एमवी केप डाओ पर हुए हमले, जिसमें भारतीय नाविक सूरज यादव की मृत्यु हुई, और UNGA-81 में जहाजों व नाविकों की सुरक्षा हेतु भारत-लाइबेरिया मित्र समूह के शुभारंभ से शुरुआत करें।
2. **मुख्य भाग — कानूनी ढाँचा और उसकी कमियाँ —** UNCLOS (अनुच्छेद 91, 92, 94) के तहत ध्वज-राज्य की प्रधानता, IMO के सुरक्षा उपकरणों और MLC 2006 द्वारा चालक दल की रक्षा को समझाएँ। कमी दिखाएँ: भारत जैसे चालक दल भेजने वाले देशों का विदेशी-ध्वज जहाजों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है; खुली रजिस्ट्रियों की प्रवर्तन क्षमता कमज़ोर है; इनमें से कोई भी उपकरण युद्ध-क्षेत्र में राज्य या मिलिशिया हमलों को नहीं रोकता।
3. **मुख्य भाग — भारत की प्रतिक्रिया —** मित्र समूह (सबसे बड़े चालक दल-प्रदाता को टनभार के अनुसार सबसे बड़ी रजिस्ट्री से जोड़ना), जून व सितंबर की मौतों के बाद ‘सीफेरर-फर्स्ट’ पहल, भारतीय-ध्वज जहाजों के लिए नौसैनिक गश्त, और भारत का नया व्यापारिक जहाजरानी कानून शामिल करें। जवाबदेही न तय करने और समूह के स्वैच्छिक स्वरूप का मूल्यांकन करें।
4. **मुख्य भाग — और क्या ज़रूरी है —** MLC के तहत युद्ध-जोखिम बीमा व मुआवज़ा मानक,

IMO के माध्यम से ध्वज-राज्यों पर मज़बूत दायित्व, बंदरगाह-राज्य निरीक्षण का उपयोग, और लाल सागर व खाड़ी में नौसैनिक टास्क फोर्स के साथ समन्वय सुझाएँ।

5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दें कि नाविकों की रक्षा के लिए ध्वज-राज्यों, चालक दल भेजने वाले राज्यों और नौसैनिक शक्तियों को एकजुट करना ज़रूरी है, और भारत का गठबंधन एक सही पहला कदम है जिसका मूल्य महासभा सप्ताह के बाद भी उसकी निरंतरता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न 1. आप जहाजरानी महानिदेशक हैं। देवरिया के परिवार पूछते हैं कि उनके बेटों को युद्ध-क्षेत्र में क्यों भेजा जा रहा है। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं पहले यह सुनिश्चित करूँगा कि पार्थिव शरीर वापस लाया जाए और रोजगार करार व सामुद्रिक श्रम अभिसमय के तहत मुआवज़ा बिना देरी के दिया जाए, और भर्ती एजेंसी को जवाबदेह ठहराया जाए। मैं एक परामर्श जारी करूँगा जिसमें मानिंग एजेंसियों को नाविकों के हस्ताक्षर से पहले युद्ध-क्षेत्र वाले रूट की जानकारी देना और ऐसी यात्राओं को बिना दंड के अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित करना अनिवार्य होगा। मैं यह भी जाँचूँगा कि युद्ध-जोखिम भत्ते और बीमा का भुगतान हो रहा है या नहीं। अंत में, मैं परिवारों के लिए एक हेल्पलाइन बनाऊँगा ताकि खबर केवल कंपनी से न आए।

प्रश्न 2. IMO में भारत के प्रतिनिधि के रूप में, आप किसके लिए दबाव बनाएंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं एक प्रस्ताव चाहूँगा जो नाविकों को अनिवार्य कार्यकर्ता (key workers) मानते हुए संघर्ष में उनकी रक्षा व प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करे, और चालक दल के अनुबंधों में मानक युद्ध-जोखिम खंड शामिल करे। मैं ध्वज-राज्यों की मज़बूत जवाबदेही पर जोर दूँगा, क्योंकि जहाज़ एंटीगुआ-बारबुडा और पनामा में पंजीकृत थे पर उनका चालक दल भारतीय था। मैं फिलीपींस जैसे चालक दल भेजने वाले देशों और रजिस्ट्रियों के बीच समर्थन बनाऊँगा। न्यूयॉर्क के मित्र समूह के साथ समन्वय IMO के काम को राजनीतिक समर्थन देगा।

प्रश्न 3. एक इंटरव्यू बोर्ड पूछता है: क्या भारत को ऐसी घटनाओं में हमलावरों का नाम लेना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): पुख्ता सबूत के बिना हमलावरों का नाम लेना भारत के उन पक्षों से संबंधों को नुकसान पहुँचा सकता है जिनकी उसे ऊर्जा और प्रवासी सुरक्षा के लिए ज़रूरत है। पर चुप्पी भी रोकथाम को कमज़ोर करती है और भारतीय जीवन के प्रति उदासीनता जैसी दिख सकती है। एक संतुलित रुख यह है कि जाँच से स्थापित तथ्य बताए जाएँ, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जवाबदेही की माँग की जाए, और जहाँ भारत अकेले कीमत चुकाएगा वहाँ जवाबदेही तय करने का काम बहुपक्षीय तंत्रों पर छोड़ा जाए। विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि हमलावर कोई भी हो, एक जैसा मानदंड लागू किया जाए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

4.2 WTO पैनल रूस की EU कार्बन सीमा कर के विरुद्ध चुनौती पर सुनवाई करेगा; भारत तीसरे पक्ष के रूप में शामिल

समाचार (THE NEWS) जिनेवा और नई दिल्ली। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement Body, DSB) ने शुक्रवार, 25 सितंबर को यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) और EU की उत्सर्जन-व्यापार योजना के तहत एक आरोपित निर्यात सब्सिडी की समीक्षा हेतु एक पैनल के लिए रूस के अनुरोध को स्वीकार किया, जैसा कि द इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया। भारत ने, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन समेत 17 अन्य देशों के साथ, इस कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपने तीसरे-पक्ष अधिकार आरक्षित किए। तीसरा पक्ष वह सदस्य होता है जिसका किसी मामले में सारभूत हित होता है और जो पक्ष बने बिना पैनल के सामने अपनी दलीलें रख सकता है। CBAM वह शुल्क है जो EU कार्बन-गहन वस्तुओं, जैसे इस्पात और एल्युमीनियम, के आयात पर लगाता है, जो उस कार्बन मूल्य के बराबर होता है जो एक EU उत्पादक ने चुकाया होता, ताकि उत्पादन केवल कमज़ोर पर्यावरणीय नियमों वाले देशों में न खिसक जाए। मॉस्को का आरोप है कि CBAM WTO नियमों के उल्लंघन में इससे प्रभावित वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण व्यापार बाधाएँ पैदा करता है, और कि EU के उत्सर्जन-व्यापार तंत्र (EU Emissions Trading System, ETS) के तहत कुछ कंपनियों को मिलने वाले निःशुल्क भत्ते एक निर्यात सब्सिडी के समान हैं। EU का CBAM 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी हुआ। भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में CBAM पर कोई रियायत नहीं दी गई है, केवल यह वादा किया गया है कि किसी अन्य देश को भविष्य में मिलने वाली कोई भी छूट भारत तक भी पहुँचेगी। भारत और EU धरेलू CBAM-सत्यापन क्षमता का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 10 भारतीय सत्यापन एजेंसियों की मान्यता शामिल है, जिसके लिए छह आवेदन जमा किए गए हैं; भारत EU के साथ कार्बन मूल्य-निर्धारण पर भी चर्चा कर रहा है। एक दूसरा EU हरित नियम भी भारत को प्रभावित करता है। 18 सितंबर को यूरोपीय आयोग ने अपने संशोधित अपशिष्ट प्रेषण विनियमन (Waste Shipment Regulation) के तहत उन गैर-OECD देशों की एक मसौदा सूची प्रकाशित की जिन्हें विशेष अहानिकारक EU अपशिष्ट आयात करने की अनुमति है। भारत इस सूची में शामिल है पर उसे धातु अपशिष्ट प्राप्त करने की मंजूरी नहीं है। 21 मई, 2027 से EU उन गैर-OECD देशों को अहानिकारक अपशिष्ट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देगा जो इस सूची में नहीं हैं; मसौदे पर टिप्पणियाँ 16 अक्टूबर तक देनी हैं। पिछले वित्त वर्ष में EU ने भारत के लगभग 20% एल्युमीनियम स्कैप आयात, 22% कॉपर व कॉपर-मिश्रधातु स्कैप, 20% सीसा और 40% ज़िंक की आपूर्ति की; वित्त वर्ष 26 में आयातित लगभग 84.5 लाख टन लौह व स्टेनलेस-स्टील स्कैप में से 7.9 लाख टन EU से आया। मैटीरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वाणिज्य, इस्पात और खनन मंत्रालयों को पत्र लिखकर बढ़ती लागत, कच्ची (virgin) सामग्री के अधिक उपयोग और छोटे रीसाइक्लरों को नुकसान की चेतावनी दी है, क्योंकि धरेलू स्कैप माँग पूरी नहीं कर सकता। पाठ्यक्रम से जुड़ाव GS2 (विकसित देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव) और GS3 (व्यापार और पर्यावरण) है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

EU अपनी उत्सर्जन-व्यापार प्रणाली के माध्यम से कार्बन मूल्य अपनाता है और 'कार्बन रिसाव' से डरता है → CBAM डिज़ाइन किया जाता है ताकि आयातकों से वही कार्बन लागत ली जाए, अक्टूबर 2023 से केवल रिपोर्टिंग वाले चरण के साथ → 1 जनवरी 2026 से पूर्ण CBAM शुरू, जो भारतीय इस्पात व एल्युमीनियम को प्रभावित करता है → भारत-EU FTA CBAM पर कोई छूट नहीं देता, केवल भविष्य की छूट पर सर्वाधिक-तरजीही खंड देता है → रूस CBAM को WTO में ले जाता है और एक पैनेल बनता है, जिसमें भारत 18 तीसरे पक्षों में से एक है

**स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)**

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- 1. CBAM छह कार्बन-गहन उत्पाद समूहों के आयात पर कार्बन मूल्य लगाता है** — EU का 2023 का CBAM विनियमन लोहा व इस्पात, एल्युमीनियम, सीमेंट, खाद, बिजली और हाइड्रोजन को कवर करता है। 1 अक्टूबर, 2023 से 31 दिसंबर, 2025 तक चले संक्रमणकालीन चरण में आयातकों को केवल अपनी वस्तुओं में अंतर्निहित उत्सर्जन की रिपोर्ट देना आवश्यक था। 1 जनवरी, 2026 से, आयातकों को CBAM प्रमाणपत्र खरीदने होंगे जिनकी कीमत EU ETS के कार्बन मूल्य के अनुरूप होगी, उत्पादन देश में वास्तव में चुकाए गए किसी कार्बन मूल्य को घटाकर। साथ ही, उन्हीं क्षेत्रों में EU उत्पादकों को दिए जाने वाले निःशुल्क ETS भत्तों को धीरे-धीरे समाप्त किया जाना है, जो वही कड़ी है जिस पर रूस सब्सिडी के आरोप के रूप में हमला कर रहा है।
- 2. GATT के भेदभाव-विरोधी नियम और अनुच्छेद XX के अपवाद इस कानूनी लड़ाई की रूपरेखा तय करते हैं** — व्यापार व टैरिफ पर सामान्य समझौते (GATT) का अनुच्छेद I सर्वाधिक-तरजीही-राष्ट्र (Most-Favoured-Nation) व्यवहार अनिवार्य करता है, अर्थात् WTO सदस्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं; अनुच्छेद III राष्ट्रीय व्यवहार अनिवार्य करता है, अर्थात् बाज़ार में प्रवेश के बाद आयातित वस्तुओं के साथ घरेलू 'समान' उत्पादों से कम अनुकूल व्यवहार नहीं होना चाहिए। इन्हें तोड़ने वाला कोई उपाय भी अनुच्छेद XX के तहत, विशेषकर मानव, पशु या पौध जीवन या स्वास्थ्य की रक्षा हेतु आवश्यक उपायों संबंधी उप-खंड (b) और नष्ट होने योग्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संबंधी उप-खंड (g) के तहत, न्यायोचित ठहराया जा सकता है। इस उपाय को अनुच्छेद XX की परिचयात्मक 'शापो' (chapeau) शर्त भी पूरी करनी होगी, जो मनमाना या अनुचित भेदभाव और व्यापार पर छिपे प्रतिबंधों को रोकती है। निर्यात सब्सिडी को सब्सिडी व प्रतिकारी उपाय समझौते (SCM Agreement) के अनुच्छेद 3 के तहत अलग से प्रतिबंधित किया गया है।
- 3. WTO विवाद प्रणाली का पहला चरण काम करता है पर अपीलीय चरण टूटा हुआ है** — विवाद निपटान समझौते (Dispute Settlement Understanding, DSU) के तहत, कोई सदस्य पहले सलाह-मशविरा (consultations) चाहता है; यदि यह असफल रहे, तो वह विवाद निपटान निकाय, जो सभी सदस्यों की सामान्य परिषद होती है, से एक पैनेल — आमतौर पर तीन विशेषज्ञों का — बनाने का अनुरोध कर सकता है। DSU का अनुच्छेद 10 सारभूत हित रखने वाले सदस्यों को तीसरे पक्ष के रूप में शामिल होने की अनुमति देता है। पैनेल रिपोर्टों को सात सदस्यीय अपीलीय निकाय (Appellate Body) के पास अपील किया जा सकता है, पर दिसंबर 2019 से अपीलीय निकाय काम नहीं कर पाया है क्योंकि अमेरिका ने नियुक्तियों को रोक रखा है, इसलिए हारने वाला पक्ष 'शून्य में' अपील कर सकता है और परिणाम को टाल सकता है। कुछ सदस्यों ने एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में बहुपक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था (Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement, MPIA) बनाई है; भारत इसका सदस्य नहीं है।
- 4. जलवायु कानून सामान्य पर विभेदित उत्तरदायित्व पर टिका है, और EU के अपशिष्ट नियम बासेल अभिसमय पर आधारित हैं** — जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (1992) सामान्य पर विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities, CBDR-RC) का सिद्धांत रखता है: सभी देशों को कार्रवाई करनी होगी, पर विकसित देश, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जित किया है, को अगुवाई करनी होगी। भारत का तर्क है कि CBAM EU की जलवायु नीति की लागत विकासशील देशों के निर्यातकों पर डालता है और यह इस सिद्धांत के विपरीत एक एकतरफा व्यापार उपाय है। अलग से, बासेल अभिसमय (1989) खतरनाक अपशिष्ट के सीमापार आवागमन को नियंत्रित करता है; EU का संशोधित अपशिष्ट प्रेषण विनियमन इससे भी आगे जाकर गैर-OECD देशों को अहानिकारक अपशिष्ट के निर्यात को भी तब तक प्रतिबंधित करता है जब तक वे सूचीबद्ध न हों। कार्बन पर भारत की घरेलू प्रतिक्रिया ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत अधिसूचित कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, 2023 है।

- 1. यूपीएससी ने CBAM और हरित व्यापार बाधाओं पर सीधे पूछा है** — मुख्य परीक्षा में कार्बन सीमा करों के भारत के निर्यात पर प्रभाव और WTO में व्यापार-पर्यावरण संबंध के बारे में पूछा गया है। यह पैनेल CBAM की पहली औपचारिक कानूनी परीक्षा है, इसलिए उत्तर अब केवल तर्कों के बजाय एक जीवंत विवाद का हवाला दे सकते हैं।
- 2. WTO का संकट एक मानक GS2 प्रश्न है** — प्रश्नों में अपीलीय निकाय के गतिरोध और WTO

के भविष्य के बारे में पृच्छा गया है। यह जानना कि पैनल फैसला दे सकता है पर 'शून्य' में अपील प्रवर्तन को रोक सकती है, यह समझाता है कि रूस की जीत भी EU की नीति को शीघ्र क्यों नहीं बदल सकती।

3. चक्रीय अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण खनिज GS3 से जुड़ते हैं — स्क्रैप धातु इस्पात, एल्युमीनियम और कॉपर के लिए एक द्वितीयक कच्चा माल है। चक्रीय अर्थव्यवस्था, स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति और संसाधन सुरक्षा पर प्रश्न EU की अपशिष्ट सूची को यह दिखाने के उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं कि साझेदार का पर्यावरणीय नियम भारतीय MSME के लिए आपूर्ति झटका कैसे बन जाता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- EU का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र लोहा व इस्पात, एल्युमीनियम, सीमेंट, खाद, बिजली और हाइड्रोजन को कवर करता है।
- CBAM अक्टूबर 2023 से एक संक्रमणकालीन, केवल-रिपोर्टिंग चरण में चला, और CBAM प्रमाणपत्र खरीदने की अनिवार्यता वाला इसका निश्चित चरण 1 जनवरी, 2026 से शुरू हुआ।
- GATT का अनुच्छेद III राष्ट्रीय व्यवहार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद XX सामान्य अपवाद देता है, जिनमें नष्ट होने योग्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित उपाय शामिल हैं।
- WTO के विवाद निपटान समझौते के अनुच्छेद 10 के तहत, किसी पैनल के समक्ष मामले में सारभूत हित रखने वाला सदस्य तीसरे पक्ष के रूप में भाग ले सकता है।
- WTO का अपीलीय निकाय दिसंबर 2019 से गैर-कार्यशील है क्योंकि उसके सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगी हुई है।
- सामान्य पर विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं का सिद्धांत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय, 1992 में निहित है।
- भारत की कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, 2023 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत अधिसूचित की गई थी।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. भारत CBAM को FTA में लड़ रहा है और जिनेवा में देख रहा है, और यह सही भ्रम-विभाजन है —** भारत ने अपना स्वयं का विवाद दाखिल नहीं किया; उसने तीसरे-पक्ष अधिकार आरक्षित किए, जो उसे मामले का मालिक बने बिना अपना पक्ष रखने देता है। रूस प्रतिबंधों के अधीन है और EU का सामना करने में उसका कुछ खोने को नहीं है; भारत ने हाल ही में EU के साथ FTA पूरा किया है और उसे संबंध की ज़रूरत है। तीसरे पक्ष के रूप में भारत विकास के पहलू, CBDR-RC, पर जोर दे सकता है, जबकि टकराव माँस्को के लिए छोड़ सकता है। कमज़ोरी यह है कि रूस जीत भी जाए तो भारत को अपना कोई उपचार नहीं मिलता।
- 2. सब्सिडी का आरोप भेदभाव के आरोप से अधिक मज़बूत हो सकता है —** EU ने CBAM को इस तरह डिज़ाइन किया है कि आयातक लगभग वही चुकाएँ जो EU उत्पादक चुकाते हैं, जिससे राष्ट्रीय-व्यवहार वाली चुनौती कठिन हो जाती है। पर जब EU उत्पादकों के लिए निःशुल्क ETS भत्ते जारी रहते हैं, EU आयातकों से शुल्क भी ले रहा है और अपनी ही कंपनियों को राहत भी दे रहा है, जो रूस के निर्यात-सब्सिडी वाले तर्क का मूल है। यदि पैनल सहमत होता है, तो EU को CBAM को खत्म करने के बजाय निःशुल्क भत्तों की समाप्ति को तेज़ करना पड़ सकता है। भारत के लिए इसका अर्थ होगा एक अधिक साफ पर फिर भी लागत-भारी CBAM, राहत नहीं।
- 3. FTA का खंड भारत की सौदेबाज़ी की शक्ति की सीमाएँ दिखाता है —** ईटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत-EU FTA CBAM पर कोई रियायत नहीं देता, केवल यह वादा करता है कि किसी अन्य देश को मिलने वाली भविष्य की छूट भारत तक भी पहुँचेगी। यह एक एकतरफा उपाय पर सर्वाधिक-तरजीही खंड है, कोई अपवाद नहीं। भारत की वास्तविक सौदेबाज़ी क्षमता तकनीकी है: कम से कम 10 भारतीय सत्यापन एजेंसियों को मान्यता दिलाना ताकि भारतीय निर्यातक महंगे यूरोपीय सत्यापनकर्ताओं को भुगतान करने के बजाय घर पर ही उत्सर्जन प्रमाणित कर सकें, और कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना के तहत एक घरेलू कार्बन मूल्य बनाना जिसे EU घटाएगा। भारत में चुकाए गए कार्बन मूल्य का हर रुपया वह रुपया है जो ब्रुसेल्स को नहीं चुकाया गया।
- 4. स्क्रैप-अपवाद दिखाता है कि हरित नियम छोटी कंपनियों के लिए आपूर्ति झटके कैसे बन जाते हैं —** भारत अहानिकारक अपशिष्ट के लिए सूचीबद्ध है पर धातु अपशिष्ट के लिए मंज़ूर नहीं है, और EU भारत के ज़िक स्क्रैप का 40% और एल्युमीनियम, सीसा व कॉपर स्क्रैप का लगभग पाँचवाँ हिस्सा देता है। रीसाइक्लर मुख्यतः पतले मार्जिन वाले MSME हैं, और कच्ची धातु पर स्विच करने से लागत और उत्सर्जन दोनों बढ़ते हैं। विडंबना यह है कि रीसाइक्लिंग वही है जिसे जलवायु नीति को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रतिवाद यह है कि EU यह आश्वासन चाहता है

	कि उसका अपशिष्ट पर्यावरणीय मानकों के अनुसार संसाधित हो, और भारत का अनौपचारिक रीसाइक्लिंग क्षेत्र उसे यह चिंता करने का आधार देता है। भारत का जवाब 16 अक्टूबर की समय-सीमा से पहले रीसाइक्लरों के लिए एक सत्यापन योग्य मानक होना चाहिए, केवल कूटनीतिक विरोध नहीं। 5. एकतरफा जलवायु व्यापार उपाय आदर्श बनते जा रहे हैं, इसलिए भारत को मामला-दर-मामला प्रतिक्रिया के बजाय एक सिद्धांत चाहिए — CBAM और अपशिष्ट सूची एक बड़े रुझान के दो उदाहरण हैं जिसमें धनी अर्थव्यवस्थाएँ अपने बाजारों तक पहुँच का उपयोग अपने पर्यावरणीय मानकों को निर्यात करने के लिए करती हैं। भारत इस सिद्धांत का विरोध कर सकता है, पर वह इस रुझान को रोक नहीं सकता। एक टिकाऊ प्रतिक्रिया के तीन भाग हैं: एक विश्वसनीय घरेलू कार्बन मूल्य, मान्यता प्राप्त घरेलू प्रमाणन संस्थाएँ, और WTO में अन्य विकासशील निर्यातक देशों के साथ गठजोड़। क्षमता के बिना विरोध भारतीय निर्यातकों को दो बार भुगतान करवाएगा — एक बार लागत में और एक बार खोए हुए बाजार हिस्से में।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र रूप में एक जलवायु उपाय है पर प्रभाव में एक व्यापार बाधा है।” रूस की चुनौती पर स्थापित WTO पैनल के संदर्भ में इस विचार की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और सुझाव दीजिए कि भारत को ऐसे एकतरफा हरित व्यापार उपायों पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. प्रस्तावना — बताएँ कि CBAM ने 1 जनवरी, 2026 से अपना निश्चित चरण शुरू किया, और 25 सितंबर को WTO के DSB ने रूस के अनुरोध पर एक पैनल बनाया, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और चीन समेत 18 तीसरे पक्षों में भारत भी है। 2. मुख्य भाग — CBAM को जलवायु उपाय मानने का पक्ष — कार्बन रिसाव, ETS मूल्य से मेल, विदेश में चुकाए गए कार्बन मूल्य की कटौती, और GATT के अनुच्छेद XX(b) और (g) के तहत संभावित बचाव को समझाएँ। 3. मुख्य भाग — इसे व्यापार बाधा मानने का पक्ष — राष्ट्रीय-व्यवहार और MFN संबंधी चिंताएँ, निःशुल्क ETS भत्तों पर रूस का निर्यात-सब्सिडी तर्क, भारतीय इस्पात व एल्युमीनियम निर्यातकों के लिए अनुपालन व सत्यापन लागत, और UNFCCC के तहत CBDR-RC के साथ असंगति को शामिल करें। भारतीय रीसाइक्लरों को प्रभावित करने वाले समांतर उदाहरण के रूप में EU की अपशिष्ट-प्रेषण सूची जोड़ें। 4. मुख्य भाग — भारत की प्रतिक्रिया — WTO में तीसरे-पक्ष की वकालत, FTA में सत्यापन-एजेंसी मान्यता, कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना के माध्यम से घरेलू कार्बन मूल्य, MSME निर्यातकों को सहायता, और अन्य विकासशील देशों के साथ गठजोड़-निर्माण की सिफारिश करें। ध्यान दें कि अपीलिय निकाय का गतिरोध किसी भी फैसले के प्रवर्तन को सीमित करता है। 5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दें कि भारत को CBAM की एकतरफावादिता का विरोध करते हुए घरेलू कार्बन व प्रमाणन क्षमता बनानी चाहिए जो उसके निर्यातकों के भुगतान को घटाए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। इस्पात निर्यातक कहते हैं कि CBAM उनके EU मार्जिन को समाप्त कर देगा। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं पहले निर्यातकों के उत्सर्जन आँकड़ों का उपयोग करते हुए उत्पाद-दर-उत्पाद जोखिम का आकलन करूँगा। मैं FTA के तहत भारतीय सत्यापन एजेंसियों की मान्यता को तेज़ करूँगा ताकि निर्यातक मंहेंगे यूरोपीय सत्यापनकर्ताओं पर निर्भर न रहें। मैं ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रालयों के साथ कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना को इस तरह संरेखित करूँगा कि भारत में चुकाए गए कार्बन मूल्य की कटौती हो सके। और मैं ऊर्जा-दक्षता वित्तपोषण के माध्यम से स्वच्छ उत्पादन को समर्थन दूँगा, क्योंकि कम उत्सर्जन ही CBAM लागत में एकमात्र स्थायी कमी है। प्रश्न 2. स्कैप-रीसाइक्लिंग समूह में ज़िला उद्योग केंद्र प्रमुख के रूप में, आप कंपनियों को EU के अपशिष्ट नियमों के लिए कैसे तैयार करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं यह मानचित्रित करूँगा कि कितनी इकाइयाँ EU स्कैप पर निर्भर हैं और किन धातुओं के लिए। मैं उन्हें पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित प्रक्रिया — प्रदूषण मंजूरी, खतरनाक-अपशिष्ट प्रबंधन और श्रमिक सुरक्षा — का दस्तावेज़ीकरण करने में मदद करूँगा, क्योंकि EU की सूची इन्हीं मानकों पर टिकी है। मैं उन्हें वैकल्पिक सप्लायरों और वाहन स्कैपिंग व संग्रह प्रणालियों के तहत घरेलू स्कैप स्रोतों से जोड़ूँगा। मैं 16 अक्टूबर की टिप्पणी समय-सीमा से पहले उनके प्रमाण वाणिज्य मंत्रालय को भी भेजूँगा। प्रश्न 3. एक इंटरव्यू बोर्ड पूछता है: क्या यह पाखंड नहीं है कि भारत जलवायु नेतृत्व का दावा करते हुए CBAM का विरोध करता है?

दृष्टिकोण (Approach): लक्ष्य को स्वीकार करना और तरीके पर सवाल उठाना पाखंड नहीं है। भारत ने उत्सर्जन-तीव्रता के लक्ष्य अपनाए हैं और एक कार्बन बाज़ार बना रहा है, पर CBAM यूरोपीय नीति की लागत गरीब देशों के निर्यातकों पर डालता है, बिना जलवायु वित्त या तकनीक हस्तांतरण के। सामान्य पर विभेदित उत्तरदायित्व का सिद्धांत उस जलवायु संधि का हिस्सा है जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। विश्वसनीय स्थिति यह है कि घर में उत्सर्जन घटाया जाए और साथ ही एकतरफा के बजाय बहुपक्षीय कार्बन नियमों की वकालत की जाए।

4.3 81 वर्ष की आयु में संयुक्त राष्ट्र “भारी-भरकम पर कमज़ोर”; भारत का लक्ष्य 2028-29 का निर्वाचित परिषद-स्थान

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। जैसे-जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का 81वां सत्र समाप्ति की ओर है, आज की तीन टिप्पणियां संयुक्त राष्ट्र के क्षरण का आकलन करती हैं। द हिंदू ने अपने संपादकीय ‘Overweight and weak’ में कहा है कि इस सत्र में “एक विशेष तात्कालिकता” है, क्योंकि यह महासचिव एंतोनियो गुटेरेस का अंतिम सत्र है; इसमें एक अध्ययन का हवाला दिया गया है जिसके अनुसार 2025 में 35 देशों में 65 से अधिक संघर्ष दर्ज हुए, जो 1946 के बाद सबसे अधिक है। इसका तर्क है कि भ्रुवीकरण, चार्टर के उल्लंघन में महाशक्तियों के युद्ध और “एकपक्षीय तथा अवैध प्रतिबंधों” ने संयुक्त राष्ट्र को “भारी-भरकम, कमज़ोर और अप्रतिनिधिक” बना दिया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान 81वें सत्र के अध्यक्ष हैं और आगामी महासचिव के चुनाव की निगरानी करेंगे। इसमें बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर 2025 के भारत-पाकिस्तान चार-दिवसीय युद्ध में शांति करवाने का दावा किया, रूसी राष्ट्रपति ने सत्र छोड़ दिया, और अमेरिका ने फ़िलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाली बहुपक्षवाद-भागीदारी (Partnership for Multilateralism, P4M), जिसे भारत का भी सह-प्रवर्तन प्राप्त है, “सदभावनापूर्ण” तो थी पर “दब कर रह गई”। द हिंदू इसे “आश्चर्यजनक” बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UNGA का भाषण और साथ-साथ चलने वाले शिखर सम्मेलन छोड़ दिए, जबकि उनकी सरकार 2028-29 के निर्वाचित सुरक्षा परिषद कार्यकाल के लिए प्रचार कर रही है। द इंडियन एक्सप्रेस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन का तर्क है कि “एक क्षीण होता संयुक्त राष्ट्र उभरते भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है”। वीडो प्रत्येक स्थायी सदस्य को कार्रवाई रोकने की शक्ति देता है; यूक्रेन, गाज़ा और ईरान-खाड़ी युद्ध ने परिषद की सीमाएं उजागर कर दी हैं। वे चेतावनी देते हैं कि “हथियार बनाई गई अंतर्निर्भरता” (weaponised interdependence) भारतीय कंपनियों को उन नियमों के आगे उजागर कर देती है जो उनकी सरकार ने नहीं लिखे। चूंकि चार्टर संशोधन के लिए सभी पांच स्थायी सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है, इसलिए “निर्वाचित स्थान ही निकटतम संभावना है”; जून 2027 के चुनाव में 2028-29 के लिए भारत का प्रतिद्वंद्वी ताजिकिस्तान है, जो कभी परिषद में नहीं रहा। 1945 में एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति-स्थापना अभियानों में 2,75,000 से अधिक कार्मिक भेजे हैं। भारत ने 21 सितंबर को ब्राज़ील, कनाडा, केन्या, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और बारबाडोस के साथ P4M की शुरुआत में सहयोग किया था। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव इसी समाचारपत्र में लिखते हैं कि श्री गुटेरेस, जो BRICS शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली आए थे, ने कहा कि परिषद “पंगु” हो गई है और संयुक्त राष्ट्र को सुधार नहीं, बल्कि “पूर्ण पुनर्निर्माण” चाहिए; वे प्रस्ताव रखते हैं कि ग्लोबल साउथ के नेता एक “हिंद-प्रशांत चार्टर” (Indo-Pacific Charter) तैयार करें जो बहुभ्रुवीयता को मान्यता दे, जैसे 1941 का अटलांटिक चार्टर संयुक्त राष्ट्र से पहले आया था। यह 22-25 सितंबर के कार्डों में P4M, ताजिकिस्तान के मुकाबले और वीडो-संयम पर आई सामग्री की अगली कड़ी है; नया यहां आकलन है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव GS2 का है: महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, उनकी संरचना और अधिदेश।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं को वीडो सहित स्थायी सदस्य के रूप में जमा देता है → परिषद का विस्तार केवल एक बार, 1965 में हुआ, पर स्थायी सदस्यता कभी नहीं बदली → सुधार-वार्ता 2009 से IGN प्रक्रिया में अटकी है क्योंकि G4, यूनाइटेड फ़ॉर कंसंसस और अफ़्रीकी समूह आपस में असहमत हैं → यूक्रेन, गाज़ा और खाड़ी के युद्ध परिषद को पंगु कर देते हैं, और नेता UNGA-81 से दूर रहते हैं → भारत अपना निकट-कालिक लक्ष्य 2028-29 के निर्वाचित स्थान पर केंद्रित करता है, साथ ही P4M का सह-संस्थापक भी बनता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. चार्टर परिषद की संरचना तय करता है और सुधार को पांच स्थायी सदस्यों का बंधक बना देता है — संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 23 सुरक्षा परिषद की सदस्यता 15 पर तय करता है: पांच स्थायी सदस्य (चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका) और महासभा द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित दस अस्थायी सदस्य, जो तत्काल पुनर्निर्वाचन के पात्र नहीं होते। अनुच्छेद 27(3) के अनुसार मूल विषयों पर निर्णयों के लिए सभी स्थायी सदस्यों के सहमति-मत आवश्यक हैं, और यही वीडो का आधार है। अनुच्छेद 108 के तहत किसी संशोधन के लिए महासभा के दो-तिहाई मतों तथा दो-तिहाई सदस्य देशों के अनुसमर्थन की ज़रूरत होती है, जिसमें सभी पांच स्थायी सदस्य शामिल हों; अनुच्छेद 109 इन्हीं शर्तों पर एक सामान्य समीक्षा सम्मेलन का प्रावधान करता है। अब तक का एकमात्र विस्तार, 11 से 15 सदस्यों तक, 1965 में लागू हुआ था।
2. सुधार की वार्ता IGN में होती है, जहां चार गुटों के परस्पर विरोधी प्रतिमान हैं — सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर-सरकारी वार्ताएं (Intergovernmental Negotiations, IGN) 2009 में महासभा में शुरू हुई थीं। G4 — भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान — स्वयं के लिए स्थायी सीटें चाहते हैं और एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं। इटली के नेतृत्व वाला और पाकिस्तान को शामिल करने वाला यूनाइटेड फ़ॉर कंसंसस (Uniting for Consensus) समूह नए स्थायी सदस्यों का विरोध करता है और लंबी अवधि की निर्वाचित सीटों को प्राथमिकता देता है। अफ़्रीकी संघ की 2005 की एज़ुल्विनी सहमति (Ezulwini Consensus) वीडो सहित सभी

	विशेषाधिकारों वाली दो स्थायी सीटों और अफ्रीका के लिए पांच अस्थायी सीटों की मांग करती है, जबकि विकासशील देशों का L.69 समूह, जिसका भारत भी हिस्सा है, दोनों श्रेणियों में विस्तार का समर्थन करता है। 3. निर्वाचित सीटें महासभा में दो-तिहाई गुप्त मतदान से जीती जाती हैं — अस्थायी सदस्य हर जून में महासभा में गुप्त मतदान से निर्वाचित होते हैं, और किसी उम्मीदवार को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई मत चाहिए। सीटें क्षेत्रीय समूहों के अनुसार आवंटित होती हैं; भारत एशिया-प्रशांत समूह से चुनाव लड़ता है। भारत आठ बार अस्थायी सदस्य रह चुका है: 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 और 2021-22। 1996 में भारत ने एशिया-प्रशांत सीट जापान से हार दी थी, जो याद दिलाता है कि ऐसे मुकाबले तय नहीं होते। 4. महासचिव का चुनाव परिषद और महासभा मिलकर करते हैं — अनुच्छेद 97 के तहत महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है, इसलिए यह सिफारिश भी वीटो के अधीन है। परिपाटी के अनुसार कार्यकाल पांच वर्ष का होता है और एक बार पुनः नवीकरणीय है, और क्षेत्रीय बारी-बारी की एक अनौपचारिक परंपरा रही है। एंटोनियो गुटेरेस ने 1 जनवरी 2017 को पद ग्रहण किया था, और उनका दूसरा कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। 2016 से महासभा ने सार्वजनिक उम्मीदवार-संवादों के माध्यम से चुनाव को अधिक पारदर्शी बनाया है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. UNSC सुधार GS2 के सबसे अधिक दोहराए गए प्रश्नों में है — UPSC भारत की स्थायी सदस्यता की बाधाओं और सुरक्षा परिषद के सुधार की आवश्यकता पर प्रश्न पूछ चुका है। आज की सामग्री एक अधिक तीखा तर्क जोड़ती है: अनुच्छेद 108 का अनुसमर्थन-नियम स्थायी सदस्यता को दूर की चीज़ बना देता है, और इसीलिए भारत अब निर्वाचित सीट पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 2. प्रारंभिक परीक्षा संयुक्त राष्ट्र की संरचना परखती है — प्रश्न सुरक्षा परिषद की संरचना, वीटो और संयुक्त राष्ट्र के अंगों के बारे में पूछे जाते रहे हैं। अनुच्छेद 23, 27, 97 और 108, तथा G4 और यूनाइटेड फ़ॉर कंसेंस के बीच का अंतर, उच्च-संभावना वाली सामग्री है। 3. बहुपक्षवाद और ग्लोबल साउथ PSIR तथा GS2 के विषय हैं — बहुध्रुवीय विश्व में भारत की भूमिका पर उत्तर सुधारवादी रुख (श्री अकबरुद्दीन) की तुलना संशोधनवादी रुख (श्री माधव की 'हिंद-प्रशांत चार्टर' की मांग) से कर सकते हैं, और P4M का उपयोग इस प्रमाण के रूप में कर सकते हैं कि भारत मुद्रा-आधारित गठबंधनों के माध्यम से काम कर रहा है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23 के तहत सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से दस अस्थायी सदस्य दो वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होते हैं और तत्काल पुनर्निर्वाचन के पात्र नहीं होते। ● संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 27(3) गैर-प्रक्रियात्मक विषयों पर निर्णयों के लिए स्थायी सदस्यों के सहमति-मत आवश्यक बताता है, जो वीटो का कानूनी आधार है। ● अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन के लिए महासभा के दो-तिहाई मतों से इसे अपनाया जाना और संयुक्त राष्ट्र के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा इसका अनुसमर्थन आवश्यक है, जिसमें सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य शामिल हों। ● संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 97 के तहत महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। ● G4 में भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान शामिल हैं, जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं। ● अफ्रीकी संघ की एज़ुल्विनी सहमति सुरक्षा परिषद में वीटो सहित दो स्थायी सीटों और अफ्रीका के लिए पांच अस्थायी सीटों की मांग करती है। ● सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से किया जाता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. भारत ने चुपचाप मान लिया है कि स्थायी सदस्यता एक लंबी लड़ाई है — भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन का नेतृत्व करने वाले श्री अकबरुद्दीन अब लिखते हैं कि निर्वाचित सीट ही “निकटतम संभावना” है, क्योंकि चार्टर संशोधन के लिए सभी पांच स्थायी सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए। सुधार अभियान में वर्षों बिताने वाले किसी व्यक्ति की यह एक यथार्थवादी पुनर्व्याख्या है। इसका अर्थ है कि भारत की निकट-कालिक रणनीति महासभा में चुनाव जीतना और परिषद में स्वयं को साबित करना है, बजाय इसके कि वह किसी ऐसे संरचनात्मक बदलाव की प्रतीक्षा करे जिसे कम-से-कम चीन तो रोक ही सकता है। जोखिम यह है कि सुधारवादी

भाषणबाज़ी शीर्ष पर जारी रहे जबकि व्यावहारिक कार्यसूची सिकुड़ती जाए, और छोटे देश इस अंतर को देख लें।

2. **UNGA छोड़ना वह संकेत भेजता है जो शायद भारत का इरादा न हो** — द हिंदू को यह आश्चर्यजनक लगता है कि श्री मोदी ने उसी वर्ष UNGA का भाषण छोड़ दिया जिस वर्ष भारत मत जुटा रहा है, और श्री माधव बताते हैं कि यह लगातार दूसरी अनुपस्थिति थी। निर्वाचित सीट के मुकाबले कई छोटे देशों को साधकर जीते जाते हैं, जिनमें हर एक का एक मत होता है, और ऐसी मनुहार में नेता की स्वयं की उपस्थिति महत्व रखती है। प्रतिकूल यह है कि भारत के विदेश मंत्री एक भारी-भरकम व्यक्तित्व हैं और भारत ने कुछ ही हफ्ते पहले BRICS शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी। फिर भी, ताजिकिस्तान जैसे कभी न रहे प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध मुकाबला सहज होना चाहिए, और भारत को इसे नज़दीकी नहीं बनने देना चाहिए।
3. **हथियार बनाई गई अंतर्निर्भरता इन लेखों में पहचाना गया सबसे व्यावहारिक खतरा है** — श्री अकबरुद्दीन का उदाहरण — एक भारतीय कंपनी जो भारतीय कानून के अनुसार वैध है, फिर भी किसी विदेशी बैंक द्वारा भुगतान से या किसी बीमाकर्ता द्वारा बीमा-कवर से इनकार कर दी जाती है — बताता है कि प्रतिबंध अब राजकीय निर्णयों के बजाय निजी नेटवर्कों के माध्यम से भारत तक पहुंचते हैं। संयुक्त राष्ट्र इन उपायों को प्राधिकृत नहीं करता, और परिषद इन्हें रोक भी नहीं सकती। यह बहुपक्षवाद की अमूर्त अपीलों से कहीं अधिक तीखा तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र क्यों प्रासंगिक है: नियमों के किसी साझा मंच के बिना भारत वाशिंगटन, ब्रुसेल्स या बीजिंग में लिखे गए नियमों से शासित होगा। सीमा यह है कि संयुक्त राष्ट्र का भुगतान प्रणालियों पर भी कोई अधिकार नहीं, इसलिए भारत को विकल्प भी खुद बनाने होंगे।
4. **राम माधव का 'हिंद-प्रशांत चार्टर' एक योजना से अधिक एक उत्तेजना है** — अटलांटिक चार्टर एक संस्थापक दस्तावेज़ के रूप में इसलिए काम कर सका क्योंकि उस पर हस्ताक्षर करने वाली दोनों शक्तियां विश्व युद्ध जीतने ही वाली थीं और नई व्यवस्था लागू कर सकती थीं। आज के ग्लोबल साउथ में वैसी कोई एकता या शक्ति नहीं है, और 'हिंद-प्रशांत' पद को स्वयं चीन नकारता है। यह प्रस्ताव इस संकेत के रूप में उपयोगी है कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी 1945 की व्यवस्था को समाप्त-प्राय मानती है। पर भारत को स्वयं भी चार्टर द्वारा दी गई संप्रभुता और अहस्तक्षेप की रक्षा से लाभ होता है, और कोई नया चार्टर उन्हीं सिद्धांतों को फिर से खोल देगा।
5. **P4M की अनुसूची रह जाना दिखाता है कि मध्यम शक्तियों के गठबंधनों को केवल नाम नहीं, कार्यसूची चाहिए** — द हिंदू कहता है कि P4M दब कर रह गया; श्री अकबरुद्दीन कहते हैं कि इसके सदस्य विभिन्न कूटनीतिक खेमों में फैले हैं और भारत को उन देशों को मनाने में मदद कर सकते हैं जिन्हें वह अन्यथा मना नहीं पाता। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। यूरोपीय संघ, ब्राज़ील, कनाडा, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस और भारत का गठबंधन तभी महत्व रखेगा जब वह ठोस प्रस्ताव सामने लाए — जैसे जलवायु वित्त पर या आर्थिक दबाव के विरुद्ध सुरक्षा पर, जैसा श्री अकबरुद्दीन सुझाते हैं। इसकी कसौटी यह होगी कि वह अगले सत्र में कोई प्रस्ताव-पाठ रखता है या नहीं, न कि यह कि उसकी बैठक इस सप्ताह हुई।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“सुरक्षा परिषद तभी काम करने के लिए बनाई गई थी जब बड़ी शक्तियां आपस में सहमत हो सकीं।” इस कथन के आलोक में चर्चा कीजिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सुधार क्यों अटक गया है, और स्थायी सदस्यता की अपनी दावेदारी के साथ-साथ निर्वाचित सीट पाने की भारत की रणनीति का आकलन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **भूमिका** — UNGA-81 से शुरुआत कीजिए: श्री गुटेरेस का अंतिम सत्र, एक आकलन के अनुसार 2025 में 35 देशों में 65 से अधिक संघर्ष, और द हिंदू द्वारा संयुक्त राष्ट्र को “भारी-भरकम और कमज़ोर” बताया जाना।
2. **मुख्य भाग** — **सुधार क्यों अटका है** — अनुच्छेद 23, 27 और 108 समझाइए; सभी पांच स्थायी सदस्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता; 2009 से चल रही IGN प्रक्रिया; और G4, यूनाइटेड फ़ॉर कंसेंसस, एजुल्विनी सहमति तथा L.69 के परस्पर विरोधी प्रतिमान बताइए। भारत की दावेदारी पर पाकिस्तान और चीन सहित क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विताओं को जोड़िए।
3. **मुख्य भाग** — **भारत की दोहरी रणनीति** — जून 2027 के चुनाव में ताजिकिस्तान के विरुद्ध 2028-29 की उम्मीदवारी, भारत के पहले के आठ कार्यकाल, 2,75,000 से अधिक कार्मिकों का शांति-स्थापना योगदान, और गठबंधन-निर्माण के रूप में P4M की चर्चा कीजिए। श्री अकबरुद्दीन के सुधारवाद की तुलना श्री माधव की नए चार्टर की मांग से कीजिए।
4. **मुख्य भाग** — **जोखिम** — प्रधानमंत्री की UNGA से अनुपस्थिति, हथियार बनाई गई अंतर्निर्भरता जिसे संयुक्त राष्ट्र नियंत्रित नहीं कर सकता, और इस खतरे को रेखांकित कीजिए कि स्थायी-सीट अभियान केवल भाषणबाज़ी बनकर न रह जाए।
5. **निष्कर्ष** — यह निष्कर्ष दीजिए कि भारत को अपने निर्वाचित कार्यकालों का उपयोग शांति-स्थापना अधिदेशों, AI नियमों और आर्थिक दबाव के मुद्दों पर उत्तरदायी नेतृत्व दिखाने के लिए

करना चाहिए, ताकि प्रदर्शन के माध्यम से स्थायी सदस्यता का मामला मज़बूत हो सके।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. आप विदेश मंत्रालय के संयुक्त राष्ट्र प्रभाग में संयुक्त सचिव हैं और 2028-29 के अभियान का प्रबंधन कर रहे हैं। आपकी योजना क्या होगी?

दृष्टिकोण (Approach): मैं हर मत का मानचित्रण करूंगा, विशेष रूप से अफ्रीका, लातिन अमेरिका और छोटे द्वीपीय राज्यों में, और प्रत्येक के साथ एक ठोस प्रस्ताव जोड़ूंगा — क्षमता-निर्माण, शांति-स्थापना प्रशिक्षण, विकास परियोजनाएं या उनकी प्राथमिकताओं पर समर्थन। मैं नाविकों के लिए बने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और P4M जैसी पहलों का उपयोग यह दिखाने के लिए करूंगा कि भारत व्यावहारिक मुद्दों पर परिणाम देता है। मैं नेतृत्व-स्तर के संपर्कों की समय-सारणी बनाऊंगा, क्योंकि छोटे देश व्यक्तिगत ध्यान को महत्व देते हैं। और मैं ऐसे प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध आत्मसंतोष से बचूंगा जो कभी परिषद में नहीं रहा।

प्रश्न 2. एक शांति-स्थापना दल के कमांडर के रूप में आप संयुक्त राष्ट्र में भारत की दावेदारी को कैसे मज़बूत करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): भारत की प्रतिष्ठा अनुशासित और प्रभावी शांति-सैनिकों पर टिकी है, इसलिए मैं सख्त आचरण-मानक, दुर्व्यवहार के प्रति शून्य-सहनशीलता और स्थानीय समुदायों के साथ अच्छे संबंध सुनिश्चित करूंगा। जब किसी अधिदेश को उपलब्ध संसाधनों के साथ पूरा नहीं किया जा सकता, तो मैं इसे ईमानदारी से रिपोर्ट करूंगा, जैसा श्री अकबरुद्दीन का तर्क है कि अधिदेश प्राप्त-योग्य होने चाहिए। मैं महिला अधिकारियों को सामुदायिक जुड़ाव की भूमिकाओं में तैनात करूंगा। ऐसा प्रदर्शन मज़बान देशों को याद रहता है जब वे मत देते हैं।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या संयुक्त राष्ट्र भारत के लिए अब भी प्रासंगिक है?

दृष्टिकोण (Approach): सुरक्षा परिषद अक्सर पंगु रहती है, पर संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौमिक सदस्यता, उसकी एजेंसियां और उसके वैज्ञानिक आकलन एक विकासशील देश के लिए मूल्यवान बने रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बिना व्यापार, प्रौद्योगिकी और जलवायु के नियम केवल कुछ शक्तियां ही लिखेंगी, जैसा श्री अकबरुद्दीन चेतावनी देते हैं। इसलिए भारत को संयुक्त राष्ट्र को त्यागने के बजाय उसमें सुधार और उसका उपयोग करने से अधिक लाभ है। प्रासंगिकता अपने आप नहीं मिलती; इसे संस्था से परिणाम दिलाकर अर्जित करना पड़ता है।

5. पर्यावरण एवं परिस्थितिकी (Environment & Ecology)

आज की दोनों खबरें एक ही प्रश्न के इर्द-गिर्द घूमती हैं: किसी पर्वत-शृंखला के संरक्षण की कीमत कौन चुकाए और उसका दायरा कौन तय करे? पश्चिमी घाट में राज्य गाँव-दर-गाँव पारिस्थितिकी-संवेदी क्षेत्र को घटाने की माँग कर रहे हैं, क्योंकि लागत उनके किसानों पर पड़ती है जबकि लाभ पूरे देश को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में केंद्र की एक विशेषज्ञ समिति ने 1,605 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना के लिए 1.35 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई को स्वीकार कर लिया है, जबकि उसके बदले लगाया जाने वाला वन एक हजार किलोमीटर से अधिक दूर विकसित होगा। दोनों ही मामलों में मंजूरी की मशीनरी काम कर रही है; जो नहीं हो पा रहा वह यह है कि किसी एक हिस्से को मंजूरी देने से पहले पूरे भूदृश्य का आकलन किया जाए।

5.1 केरलम ने केंद्र से पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी-संवेदी क्षेत्र को घटाकर केवल 8,590.69 वर्ग किमी वनक्षेत्र तक सीमित करने का आग्रह किया

समाचार (THE NEWS) तिरुवनंतपुरम। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी-संवेदी क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area — ESA) के मुसौदे के विरुद्ध कर्नाटक द्वारा बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र, जिस पर हमने 21 सितंबर को काई दिया था, के बाद केरलम सरकार ने अपना औपचारिक कदम उठाया है: द हिंदू के अनुसार उसने केंद्र से आग्रह किया है कि घाट के अपने हिस्से में ESA को केवल 8,590.69 वर्ग किमी वनक्षेत्र तक सीमित रखा जाए। ESA वह क्षेत्र है जिस केंद्र पर्यावरण कानून के अंतर्गत अधिसूचित करता है और जिसमें खनन, उत्खनन और बड़े निर्माण जैसी गतिविधियाँ इस आधार पर प्रतिबंधित या विनियमित की जाती हैं कि वहाँ का परिस्थितिकी-तंत्र नाजुक है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विशेष सचिव एम.जी. राजामणिक्कम ने गुरुवार को राज्य की सिफारिशें और सुझाव औपचारिक रूप से केंद्र के सामने रखे, यह बात विद्युत एवं पर्यावरण मंत्री सन्नी जोसेफ ने शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में बताई। श्री जोसेफ ने कहा, “हमारा रुख यह है कि आबादी वाले क्षेत्र, कृषि भूमि और बागान बाहर रखे जाएँ और ESA केवल वन क्षेत्रों तक सीमित हो।” उन्होंने पूरी पृष्ठभूमि बताई: 2013 में के. कस्तूरीरंगन समिति ने राज्य के 123 गाँवों को समेटे हुए 13,108 वर्ग किमी का ESA प्रस्तावित किया था, जिसके विरुद्ध बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए; एक अध्ययन के बाद केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक मुसौदा अधिसूचना जारी की जिसमें क्षेत्रफल घटाकर 9,993.7 वर्ग किमी कर दिया गया। केरलम अब इसे घटाकर 8,590.69 वर्ग किमी और गाँवों की संख्या 98 करना चाहता है। वह अंतिम अधिसूचना की भी माँग कर रहा है, क्योंकि 2014 से जुलाई 2026 तक जारी हुई हर अधिसूचना केवल मुसौदा रही है। मंत्री ने केरलम की स्थिति को “अनुठी” बताया, क्योंकि राज्य आकार में छोटा है, घनी आबादी वाला है और वहाँ वनक्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का 29.15%) भी बड़ा है; उन्होंने कहा कि वन, पर्यावरण, धान के खेतों और आद्रभूमियों की सुरक्षा करने वाले मौजूदा सख्त कानूनों के ऊपर एक और कानून जोड़ने से विकास, कृषि और रोज़गारों का जीवन प्रभावित हो सकता है। यदि आवश्यक हुआ तो मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन नई दिल्ली में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। उसी दिन द हिंदू के संपादकीय (“Narrowed posture”) ने व्यापक तस्वीर प्रस्तुत की: 2026 के मध्य तक गुजरात केंद्र के साथ सहमति के लगभग निकट था, तमिलनाडु को कोई बड़ी असहमति नहीं थी, केरल अपने ज़मीनी-सत्यापित 9,993 वर्ग किमी को घटाकर 8,805 वर्ग किमी करना चाहता था — जो आज की 8,590.69 वर्ग किमी की माँग से छोटी कटौती है — और महाराष्ट्र तथा गोवा क्रमशः 378 और 21 गाँवों को बाहर रखना चाहते थे। केंद्र के 2024 के इस निर्णय का हवाला देते हुए कि ESA को राज्य-दर-राज्य अधिसूचित किया जाएगा, संपादकीय का तर्क है कि कर्नाटक, जिसके पास प्रस्तावित ESA में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हिस्सा है, बिना किसी समान रूप से सोचे-समझे वैकल्पिक नक्शे के इस ढाँचे को खारिज़ करता नहीं रह सकता। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-3 में संरक्षण और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, और सामान्य अध्ययन-2 में केंद्र-राज्य संबंध।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

गाडगिल समिति (2011) पश्चिमी घाट की लगभग पूर्ण सुरक्षा का प्रस्ताव देती है और उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है → कस्तूरीरंगन समिति (2013) उपग्रह आँकड़ों और 20% गाँव-नियम का उपयोग करते हुए ESA को घाट के लगभग 37% तक सीमित करती है → केरलम और कर्नाटक में विरोध के कारण ज़मीनी सत्यापन होता है और केरलम के लिए छोटा 9,993.7 वर्ग किमी का मुसौदा बनता है → एक दशक तक मुसौदे विफल होते रहते हैं और 2024 में केंद्र राज्य-दर-राज्य अधिसूचना का निर्णय लेता है → केरलम अब केवल 8,590.69 वर्ग किमी वनक्षेत्र की माँग करता है, जबकि कर्नाटक पूरे ढाँचे को ही खारिज़ करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. ESA का विधिक आधार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 है, कोई अलग वन-कानून नहीं — पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 [Environment (Protection) Act, 1986] की धारा 3 केंद्र सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए वे सभी उपाय करने की शक्ति देती है जो वह आवश्यक समझे, और धारा 3(2)(v) विशेष रूप से उन क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने की बात करती है जिनमें उद्योग, प्रचालन या प्रक्रियाएँ नहीं चलाई जा सकेंगी, या केवल सुरक्षा-उपायों के अधीन चलाई जा सकेंगी। पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 [Environment (Protection) Rules, 1986] का नियम 5 उन कारकों को सूचीबद्ध करता है जिन पर केंद्र को ऐसे प्रतिबंध लगाते समय विचार करना होता है, जिनमें क्षेत्र की जैव-विविधता और संरक्षित क्षेत्रों से उसकी निकटता शामिल है। यही नियम केंद्र को अंतिम अधिसूचना से पहले अपने इरादे को मुसौदे के रूप में प्रकाशित करने और आपत्तियाँ आमंत्रित करने की अपेक्षा रखता है, जिस कारण पश्चिमी घाट की प्रक्रिया में मुसौदों की एक श्रृंखला बनती रही है। क्योंकि यह अधिनियम केंद्रीय कानून है, अंतिम अधिसूचना केंद्र का निर्णय होती है, हालाँकि व्यवहार में उसने राज्य की सहमति चाही है।
2. गाडगिल और कस्तूरीरंगन असहमत थे कि घाट के कितने हिस्से को सुरक्षा चाहिए और यह तय कैसे हो — परिस्थितिवाद माधव गाडगिल की अध्यक्षता वाले पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल ने 2011 में अपनी रिपोर्ट दी और पूरे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी-संवेदी

माना, उसे तीन क्षेत्रों में बाँटकर क्रमिक प्रतिबंध सुझाए और ग्राम सभाओं की मज़बूत भूमिका तथा एक वैधानिक पश्चिमी घाट परिस्थितिकी प्राधिकरण की सिफ़ारिश की। राज्यों के विरोध के बाद बनाए गए के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाले उच्च-स्तरीय कार्य-समूह ने 2013 में रिपोर्ट दी। इसने घाट को बसावटों, खेतों और बाग़ानों वाले 'सांस्कृतिक भूदृश्य' और 'प्राकृतिक भूदृश्य' में बाँटा, और प्रस्ताव दिया कि घाट के लगभग 37%, यानी लगभग 59,940 वर्ग किमी को ESA के रूप में अधिसूचित किया जाए। ESA के भीतर इसने खनन, उत्खनन, रेत-खनन, लाल-श्रेणी के उद्योगों और बड़ी टाउनशिप पर प्रतिबंध की सिफ़ारिश की; इसका रिमोट-सेंसिंग आँकड़ों का उपयोग और यह नियम कि किसी गाँव का 20% क्षेत्र संवेदी होने पर पूरे गाँव को शामिल कर लिया जाए, वही बातें हैं जिन पर कर्नाटक अब आपत्ति जताता है।

3. पश्चिमी घाट एक वैश्विक जैव-विविधता हॉटस्पॉट और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है — पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर लगभग 1,600 किमी तक फैला है और छह राज्यों — गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु — से गुज़रता है। श्रीलंका के साथ मिलकर यह विश्व के जैव-विविधता हॉटस्पॉटों में से एक बनता है, जहाँ उभयचरों, रेफ्टाइलों, मछलियों और फूल वाले पौधों में स्थानिकता (endemism) बहुत अधिक है। यूनेस्को ने 2012 में पश्चिमी घाट को एक शुंखलाबद्ध प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) के रूप में सूचीबद्ध किया, जिसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के घटक स्थल शामिल हैं। यह शुंखला प्रायद्वीपीय भारत का जल-मीनार (water tower) भी है: गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इसकी ढलानों से निकलती हैं।
4. ESA किसी अभयारण्य के चारों ओर बने पारिस्थितिकी-संवेदी क्षेत्र के समान नहीं है — पारिस्थितिकी-संवेदी क्षेत्र (eco-sensitive zones) भी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत ही राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के चारों ओर बफ़र क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किए जाते हैं, जो 2011 की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य-योजना और मंत्रालय के मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित होते हैं; वे किसी संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर आघात-अवशोषक (shock absorber) की तरह काम करते हैं। पश्चिमी घाट का ESA एक भूदृश्य-स्तरीय अधिसूचना है जो उन गाँवों को भी शामिल करती है जो किसी संरक्षित क्षेत्र से सटे नहीं हैं। केरलम में पहले से ही कई ओवरलैप करती सुरक्षाएँ हैं, जिनमें केरल धान भूमि एवं आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम, 2008 [Kerala Conservation of Paddy Land and Wetland Act, 2008] और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 शामिल हैं, जो मंत्री के 'एक और कानून' वाले तर्क का आधार है। जुलाई 2024 में वायनाड में हुए भूस्खलनों, जिनमें मुंडक्कई और चूरलमाला में 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, ने वर्षा से भीगी खड़ी ढलानों पर निर्माण और उत्खनन को लेकर बहस को और तेज़ कर दिया।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. सामान्य अध्ययन-3 के संरक्षण प्रश्न बार-बार पश्चिमी घाट पर लौटते हैं — पाठ्यक्रम संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं अवक्रमण, और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का नाम लेता है। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों से गाडगिल और कस्तूरीरंगन के दृष्टिकोणों की तुलना करने और यह आकलन करने को कहा गया है कि घाट में भूस्खलन और बाढ़ें क्यों तीव्र हुई हैं। केरलम का यह प्रस्तुतिकरण दिखाता है कि अंतिम नक्शा वास्तव में कैसे मोल-भाव से तय होता है।
2. प्रारंभिक परीक्षा विधिक स्रोत और भूगोल दोनों की परीक्षा लेती है — UPSC ने पूछा है कि पश्चिमी घाट किन राज्यों से गुज़रता है, वहाँ से कौन-सी नदियाँ निकलती हैं, और किस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिकी-संवेदी क्षेत्र अधिसूचित होते हैं। ESA, पारिस्थितिकी-संवेदी क्षेत्र और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र के बीच का अंतर ठीक वैसा ही कथन-आधारित जाल है जो परीक्षा में सेट किया जाता है।
3. पर्यावरणीय संघवाद सामान्य अध्ययन-3 के विषय के भीतर छिपा एक सामान्य अध्ययन-2 विषय है — द हिंदू का संपादकीय ESA को एक सामूहिक-कार्रवाई समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है: लागत राज्यों पर पड़ती है, लाभ राष्ट्र को मिलता है। यह तर्क सहकारी संघवाद और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की केंद्र की शक्ति संबंधी सामान्य अध्ययन-2 के प्रश्नों में फिट होता है, जहाँ 'वन' और 'वन्य पशुओं तथा पक्षियों का संरक्षण' को 42वें संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया था।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(v) केंद्र सरकार को उन क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने की शक्ति देती है जिनमें कोई उद्योग, प्रचालन या प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकेगी, या केवल सुरक्षा-उपायों के अधीन चलाई जा सकेगी।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का नियम 5 उन कारकों को निर्धारित करता है जिन पर केंद्र सरकार को किसी क्षेत्र में उद्योगों और प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध लगाने या रोकने से पहले विचार करना चाहिए, और आपत्तियाँ आमंत्रित करने वाली मुसौदा अधिसूचना की अपेक्षा रखता है।
- पश्चिमी घाट परिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की अध्यक्षता माधव गाडगिल ने की थी, और

विश्लेषण (ANALYSIS)

पश्चिमी घाट पर उच्च-स्तरीय कार्य-समूह की अध्यक्षता के. कस्तूरीरंगन ने की थी।

- कस्तूरीरंगन उच्च-स्तरीय कार्य-समूह ने पश्चिमी घाट को सांस्कृतिक भूदृश्य और प्राकृतिक भूदृश्य में बाँटा और प्रस्ताव दिया कि घाट के लगभग 37% को पारिस्थितिकी-संवेदी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाए।
- पश्चिमी घाट छह राज्यों — गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु — से गुज़रता है।
- पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में एक शृंखलाबद्ध प्राकृतिक स्थल के रूप में शामिल किया गया।
- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने 'वन' और 'वन्य पशुओं तथा पक्षियों का संरक्षण' को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया था।

1. केरलम ऐसी भूमि को ESA में शामिल करने की माँग कर रहा है जो पहले से ही संरक्षित है, जिससे अधिसूचना काफ़ी हद तक निरर्थक हो जाएगी — ESA को वनक्षेत्रों तक सीमित करना उदार सुनाई देता है, पर वन तो वैसे भी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन्यजीव कानूनों और राज्य के वन-नियमों से पहले से ही शासित हैं। भूदृश्य-स्तरीय ESA का उद्देश्य यह है कि किनारों पर होने वाली गतिविधियाँ नियंत्रित हों — गाँवों के ऊपर ढलानों पर उत्खनन, धाराओं के किनारे रिज़ॉर्ट, अस्थिर पहाड़ियों में काटी गई सड़के — क्योंकि वायनाड जैसी आपदाएँ यहीं से शुरू होती हैं। बागानों और बसावटों को बाहर रखने से ठीक यही किनारे हटा दिए जाते हैं। दूसरा पक्ष भी गंभीर है: जिस राज्य में खेत और वन एक-दूसरे में गुँथे हुए हैं, वहाँ घरों और खेत-मार्गों पर लगे व्यापक प्रतिबंध खनन-मालिकों की तुलना में गरीब बसासतों को कहीं अधिक चोट पहुँचाते हैं, और जिस अधिसूचना को राज्य लागू नहीं करेगा, वह किसी की रक्षा नहीं करती।
2. संपादकीय की सबसे मज़बूत दलील यह है कि ESA एक पाठ्यपुस्तक-जैसा सार्वजनिक हित (public good) है, इसलिए राज्य इसे हमेशा घटाने का मोल-भाव करेंगे — जो राज्य खनन की रॉयल्टी और निर्माण-गतिविधि छोड़ता है, वह लागत अकेला वहन करता है, जबकि लाभ — वर्षा का नियमन, दूसरे राज्यों को नदी-जल प्रवाह, जैव-विविधता — पूरे प्रायद्वीप को साझे में मिलते हैं। इसलिए हर राज्य के पास अपना हिस्सा घटाने का प्रोत्साहन है, और केरलम की माँग वास्तव में 13,108 से 9,993.7 से 8,805 और अब 8,590.69 वर्ग किमी तक खिसकती आई है। केंद्र का 2024 का राज्य-दर-राज्य अधिसूचना का निर्णय सहमति को तेज़ करता है, पर एक निरंतर शृंखला के तर्क को कमज़ोर करता है, क्योंकि एक राज्य में टूटा हुआ गलियारा अगले राज्य में अपना मूल्य खो देता है। एक न्यायसंगत हल यह होगा कि संरक्षण करने वाले राज्यों को मुआवज़ा दिया जाए, जैसे वित्त आयोग के हस्तांतरणों में वनावरण को भार देकर, न कि केवल मनाने पर निर्भर रहा जाए।
3. बारह वर्षों के मुसौदे स्वयं एक नीतिगत परिणाम हैं, और उन्होंने निष्कर्षणकारी लॉबी का पक्ष लिया है — केरलम की यह शिकायत कि 2014 से जुलाई 2026 तक जारी हुई हर अधिसूचना मुसौदा ही रही है, दोनों तरफ़ काटती है। अनिश्चितता वैध कृषि और आवासीय निवेश को हतोत्साहित करती है, जैसा संपादकीय कहता है, पर इसका यह भी अर्थ है कि सबसे संवेदनशील गाँवों में खनन पर कोई अंतिम, लागू करने योग्य प्रतिबंध कभी लागू ही नहीं हुआ। 2013 के अंतरिम निर्देश कुछ सुरक्षा बनाए रखते हैं, फिर भी बार-बार मुसौदों का ऐसा शासन हर दौर में मुकदमेबाज़ी और लॉबीइंग को आमंत्रित करता है। एक अंतिम अधिसूचना, चाहे छोटी ही हो, ज़मीन पर अनदेखी की जा रही अनिश्चित मुसौदे से बेहतर होगी।
4. '20% नियम' का विवाद दिखाता है कि असली झगड़ा मानचित्रण की इकाई का है, सिद्धांत का नहीं — कस्तूरीरंगन ने राजस्व गाँव को इकाई के रूप में उपयोग किया और यदि उसका पाँचवाँ हिस्सा पारिस्थितिकी-संवेदी था तो पूरे गाँव को शामिल कर लिया। यह एक प्रशासनिक सुविधा थी, क्योंकि भूमि-अभिलेख और अनुमतियाँ गाँव-वार जारी होती हैं, पर इससे अनिवार्यतः कृषि भूमि भी ESA में समा गई। भूखंड या सर्वेक्षण-संख्या स्तर पर ज़मीनी सत्यापन कई शिकायतों को सुलझा सकता है, और केरलम का 123 से 98 गाँवों तक घटाना बताता है कि ऐसा मानचित्रण संभव है। नीति के लिए सीख यह है कि वैज्ञानिक रूप से ठोस सीमा को यदि खुरदुरे ढंग से खींचा जाए, तो वह राजनीतिक प्रतिरोध पैदा करती है जो अंततः विज्ञान को ही कमज़ोर कर देता है।
5. केरलम का 'अनूठा' दावा आंशिक रूप से सच है और आंशिक रूप से एक ऐसा ढाँचा है जिसे अन्य राज्य नक़ल करेंगे — केरलम छोटा है, घनी आबादी वाला है और घाट के किनारे बागानों पर बहुत अधिक निर्भर है, इसलिए एक दी गई ESA मात्रा वहाँ गुजरात या तमिलनाडु की तुलना में अधिक परिवारों को छूती है। पर कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा ने भी भिन्न शब्दों में इसी तरह की माँग की है, और यदि हर राज्य की विशिष्टता स्वीकार कर ली जाए, तो निरंतर शृंखला एक टुकड़ों में बँटी पट्टी बनकर रह जाएगी। विशिष्टता की तुलना में बेहतर कसौटी जोखिम है: ढाल, वर्षा और भूस्खलन का पुराना इतिहास यह तय करे कि प्रतिबंध कहाँ सबसे कठोर हो, राज्य की सीमा जो भी हो।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

“पश्चिमी घाट का पारिस्थितिकी-संवेदी क्षेत्र एक दशक से अधिक समय से राज्य-दर-राज्य घटाया जाता रहा है, बिना कभी अंतिम रूप से अधिसूचित हुए।” इस गतिरोध के कारणों की परीक्षा कीजिए और सुझाव दीजिए कि पश्चिमी घाट के संरक्षण को वहाँ रहने वाले लोगों की जीविका के साथ किस प्रकार सामंजस्य में लाया जा सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

- 1. भूमिका** — केरलम के सितंबर 2026 के उस प्रस्तुतिकरण से शुरुआत करें जिसमें केंद्र से अपने ESA को 98 गाँवों में फैले केवल 8,590.69 वर्ग किमी वनक्षेत्र तक सीमित करने का आग्रह किया गया है, और इसकी तुलना कस्तूरीरंगन समिति के 13,108 वर्ग किमी और 123 गाँवों से करें; साथ ही यह भी बताएं कि 2014 से हर अधिसूचना मुसौदा ही रही है।
- 2. मुख्य भाग — विधिक एवं वैज्ञानिक ढाँचा** — पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और उसके नियमों के नियम 5 को समझाएँ, फिर गाडगिल और कस्तूरीरंगन के दृष्टिकोणों की तुलना करें, जिसमें 37% का आँकड़ा, सांस्कृतिक व प्राकृतिक भूदृश्य का विभाजन और 20% गाँव-नियम शामिल हो।
- 3. मुख्य भाग — गतिरोध के कारण** — किसानों और बागान-श्रमिकों के जीविका-संबंधी डर, 2012 के विवादित उपग्रह आँकड़े, मानचित्रण की इकाई के रूप में गाँव, वह सार्वजनिक-हित समस्या जो राज्यों को क्षेत्रफल घटाने पर मजबूर करती है, खनन एवं निर्माण हितों की लॉबीइंग, और केंद्र के 2024 के राज्य-दर-राज्य अधिसूचना के निर्णय को शामिल करें।
- 4. मुख्य भाग — आगे की राह** — भूखंड-स्तरीय ज़मीनी सत्यापन, ढाल, वर्षा और भूस्खलन-इतिहास पर आधारित जोखिम-आधारित क्षेत्रीकरण, गाडगिल द्वारा प्रस्तावित ग्राम सभा की भागीदारी, संरक्षण करने वाले राज्यों को वित्तीय मुआवज़ा, और अंतिम अधिसूचना के लिए एक निश्चित तिथि का सुझाव दें। विलंब की कीमत के प्रमाण के रूप में 2024 के वायनाड भूस्खलनों का उपयोग करें।
- 5. निष्कर्ष** — यह निष्कर्ष दें कि एक छोटा पर अंतिम और लागू किया जाने वाला ESA उस बड़े मुसौदे से बेहतर है जिसका पालन कोई नहीं करता, और संरक्षण तभी टिकेगा जब जो इसकी कीमत चुकाते हैं उन्हें मुआवज़ा दिया जाए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. आप कोट्टयम के ज़िला कलेक्टर हैं। कूट्टिक्कल के ग्रामवासियों को डर है कि ESA अधिसूचित होने के बाद वे अपने घरों की मरम्मत नहीं कर सकेंगे। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं पहले मुसौदा हाथ में लेकर स्पष्ट करूँगा कि ESA वास्तव में क्या प्रतिबंधित करता है: खनन, उत्खनन, बड़ा निर्माण और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, न कि मौजूदा घरों की मरम्मत या सामान्य खेती। मैं पंचायत और राजस्व अधिकारियों के साथ वार्ड-स्तरीय बैठकें करूँगा और यह बताने वाली एक सरल सूची प्रकाशित करूँगा कि क्या-क्या अनुमत रहेगा। जहाँ किसी विशेष भूखंड को गलत ढंग से वर्गीकृत किया गया है, वहाँ मैं उन्हें राज्य के ज़मीनी-सत्यापन प्रस्तुतिकरण के लिए दर्ज करूँगा। अफ़वाह अधिसूचना से भी ज़्यादा नुकसान करती है, इसलिए स्पष्ट सूचना ही मेरा पहला दायित्व है।

प्रश्न 2. भारत सरकार के पर्यावरण सचिव के रूप में, क्या आप ESA से सभी बागानों को बाहर रखने की केरलम की माँग स्वीकार करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं व्यापक अपवाद को स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ बागान खड़ी, भूस्खलन-प्रवण ढलानों पर स्थित हैं जहाँ नियमन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मैं राज्य से भूखंड-स्तरीय नक्शे माँगूँगा और बसावटों तथा समतल खेती-भूमि को बाहर रखने के लिए सहमत होऊँगा, जबकि उच्च-जोखिम वाली ढलानें, उनका मौजूदा उपयोग जो भी हो, भीतर ही रखी जाएँगी। मैं अंतिम अधिसूचना के लिए एक निश्चित समय-सीमा भी दूँगा ताकि राज्य को इसके बदले में निश्चितता मिले। मोल-भाव से बना, जोखिम-आधारित नक्शा अदालत में और ज़मीन पर, दोनों जगह टिकता है; राजनीतिक नक्शा नहीं टिकता।

प्रश्न 3. इंटरव्यू बोर्ड पूछता है: क्या केंद्र को राज्यों की आपत्तियों के बावजूद सीधे पश्चिमी घाट ESA अधिसूचित कर देना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): विधिक रूप से वह ऐसा कर सकता है, क्योंकि यह शक्ति एक केंद्रीय अधिनियम में निहित है, पर जिस अधिसूचना को राज्य लागू नहीं करेंगे वह केवल कागज़ पर ही रहेगी। भूमि-अभिलेख, निर्माण-अनुमतियाँ और पुलिसिंग सभी राज्य के विषय हैं। बेहतर रास्ता यह है कि केंद्र अपनी विधिक शक्ति का उपयोग एक समय-सीमा वाले समझौते के लिए दबाव के रूप में करे, जिसे संरक्षण करने वाले राज्यों के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों का समर्थन मिले। यदि कोई राज्य अनिश्चित काल तक मनाही करता रहे, तो केंद्र को कम-से-कम वैज्ञानिक रूप से निर्विवाद मूल क्षेत्र को अधिसूचित कर देना चाहिए, ताकि सबसे संवेदनशील क्षेत्र असुरक्षित न रह जाएँ।

5.2 विशेषज्ञ समिति ने 1,35,733 पेड़ों की कटाई के बावजूद 1,605 मेगावाट सुबनसिरी अपर बाँध को मंजूरी की सिफ़ारिश की

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (Expert Appraisal Committee — EAC) ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी बेसिन पर बनने वाली प्रवाह-आधारित (run-of-the-river) परियोजना, सुबनसिरी अपर जलविद्युत परियोजना (Subansiri Upper Hydroelectric Project — SUHEP), के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की सिफ़ारिश की है, हालाँकि उसने पेड़ों की “बड़ी संख्या” में कटाई पर चिंता भी जताई है — यह जानकारी द इंडियन एक्सप्रेस को EAC की बैठक के कार्यवृत्त से मिली है। पर्यावरणीय मंजूरी केंद्र की वह अनुमति होती है जो किसी बड़ी परियोजना को वायु, जल, भूमि और लोगों पर उसके प्रभावों के अध्ययन के बाद आगे बढ़ने के लिए दी जाती है। अंतिम मंजूरी स्तर-1 वन मंजूरी (Stage-1 forest clearance) के अधीन होगी — यह वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत केंद्र द्वारा दी जाने वाली सैद्धांतिक अनुमति है — क्योंकि परियोजना के लिए 2,733 हेक्टेयर वनभूमि का अपयोजन और लगभग 1,35,733 पेड़ों की कटाई आवश्यक है। EAC ने यह टिप्पणी की कि इस कटाई से वन-संरचना, आवासीय निरंतरता, जैव-विविधता, वन्यजीवों की गतिशीलता और संबंधित परिस्थितिकी-तंत्र सेवाएँ प्रभावित हो सकती हैं, और परियोजना प्रस्तावक राष्ट्रीय जलविद्युत निगम लिमिटेड (National Hydroelectric Power Corporation Limited — NHPC) को एक व्यापक, स्थल-विशिष्ट और समय-बद्ध परिस्थितिकी-तंत्र पुनर्स्थापना एवं जैव-विविधता प्रबंधन योजना तैयार करने की सलाह दी। प्रतिपूरक वनरोपण (compensatory afforestation) — यानी खोए हुए वन की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाने वाला नया रोपण — मध्य प्रदेश के 14 जिलों में लगभग 5,466 हेक्टेयर अवक्रमित वनभूमि पर प्रस्तावित किया गया है। सामान्यतः स्थानीय स्तर पर बराबर की गैर-वन भूमि खोजी जानी चाहिए, पर क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में वनावरण पहले से ही अधिक है, मंत्रालय के मार्गदर्शी सिद्धांत उसे कम-वनावरण वाले राज्यों में गैर-वन भूमि पर यह दायित्व पूरा करने की अनुमति देते हैं; जहाँ बराबर गैर-वन भूमि उपलब्ध न हो, वहाँ अधिनियम अवक्रमित भूमि पर अपयोजित भूमि से दोगुने क्षेत्र में वनरोपण की अपेक्षा रखता है। द इंडियन एक्सप्रेस ने फ़रवरी में रिपोर्ट दी थी कि फ़रवरी 2026 तक अरुणाचल प्रदेश ने, NHPC द्वारा ही नीचे की ओर बनाई गई, सुबनसिरी लोअर परियोजना के लिए प्रतिपूरक वनरोपण की शर्तों का पालन नहीं किया था, और मंत्रालय छह स्मरण-पत्र भेज चुका था। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने सुबनसिरी लोअर को इस शर्त पर मंजूरी दी थी कि कोई भी अपस्ट्रीम परियोजना नहीं आएगी, पर सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश की याचिका पर इसमें संशोधन कर दिया; इसका अगस्त 2009 का निर्देश कहता है कि किसी भी अपस्ट्रीम प्रस्ताव पर “स्थायी समिति द्वारा उसके अपने गुण-दोष के आधार पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा”। EAC ने सुबनसिरी लोअर पर हिमानी सरोवर विस्फोट बाढ़ (glacial lake outburst flood) के निस्सरण, अधिकतम बाढ़ निस्सरण और बाँध-भंग के प्रभावों के आकलनों पर भी ध्यान दिया। मंगा के निकट बनने वाले 1,605 मेगावाट के इस संयंत्र, जिसमें 237 मीटर ऊँचा भंडारण बाँध प्रस्तावित है, के घोषित उद्देश्य विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हैं। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-3 में अधोसंरचना, संरक्षण और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अरुणाचल प्रदेश की खड़ी, उच्च-निस्सरण नदियाँ जलविद्युत के लिए दबाव पैदा करती हैं → सुबनसिरी लोअर को इस शर्त पर मंजूरी मिलती है कि कोई अपस्ट्रीम बाँध नहीं बनेगा, फिर 2009 में सर्वोच्च न्यायालय अपस्ट्रीम प्रस्तावों को उनके अपने गुण-दोष पर आकलन की अनुमति दे देता है → फ़रवरी 2026 तक भी अरुणाचल प्रदेश सुबनसिरी लोअर की प्रतिपूरक वनरोपण शर्तों को पूरा नहीं कर पाया है → NHPC 2,733 हेक्टेयर वन की आवश्यकता वाली 1,605 मेगावाट, 237 मीटर की सुबनसिरी अपर परियोजना के लिए मंजूरी माँगता है → EAC पर्यावरणीय मंजूरी की सिफ़ारिश करती है, और वन मंजूरी तथा मध्य प्रदेश में प्रतिपूरक वनरोपण को अगली परीक्षा के रूप में छोड़ देती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. EIA अधिसूचना, 2006 बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को केंद्र की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के पास भेजती है — पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 [Environment Impact Assessment Notification, 2006], जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी की गई है, परियोजनाओं को श्रेणी A, जिसका मूल्यांकन केंद्र करता है, और श्रेणी B, जिसका मूल्यांकन राज्य-स्तरीय प्राधिकरण करते हैं, में बाँटती है। 50 मेगावाट या उससे अधिक की जलविद्युत क्षमता वाली नदी-घाटी परियोजनाएँ श्रेणी A में आती हैं और उनकी जाँच एक क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति करती है, जो मंत्रालय को मंजूरी या अस्वीकृति की सिफ़ारिश करती है। यह प्रक्रिया चार चरणों से गुज़रती है: स्क्रीनिंग, स्कोपिंग (अध्ययन के संदर्भ की शर्तें तय करना), जन-सुनवाई और मूल्यांकन। EAC की सिफ़ारिश परामर्शी होती है; मंजूरी स्वयं मंत्रालय द्वारा, अक्सर शर्तों के साथ, जारी की जाती है।
2. वन मंजूरी 1980 के वन-कानून के अंतर्गत एक अलग, दो-चरणीय स्वीकृति है — वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 [Forest (Conservation) Act, 1980] की धारा 2 वनभूमि को किसी भी गैर-वन उद्देश्य के लिए उपयोग करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य बनाती है। व्यवहार में यह स्वीकृति दो चरणों में आती है: स्तर-1 प्रतिपूरक वनरोपण और वन के शुद्ध वर्तमान मूल्य (net present value) के भुगतान जैसी शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति है, और स्तर-2 उन शर्तों के पूरा होने पर दी जाने वाली अंतिम स्वीकृति है। 2023 के संशोधन ने इस कानून का नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 [Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980] रख दिया, और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 100 किमी के भीतर आने वाली सामरिक रेखीय परियोजनाओं जैसी कुछ श्रेणियों को छूट दी। इस संशोधन द्वारा ‘वन’ की परिभाषा को संकुचित किए जाने को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
3. प्रतिपूरक वनरोपण का धन वैधानिक निधियों में रखा जाता है — प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 [Compensatory Afforestation Fund Act, 2016] ने लोक लेखों में एक राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य निधि बनाई, जिनमें

उपभोक्ता एजेंसियाँ प्रतिपूरक वनरोपण और अपयोजित वन के शुद्ध वर्तमान मूल्य के लिए धन जमा करती हैं। किसी राज्य के लिए एकत्र अधिकांश धन उस राज्य की निधि में जाता है, और एक छोटा हिस्सा राष्ट्रीय निधि को, जिसे CAMPA नाम से जाने-जाने वाले प्राधिकरण प्रशासित करते हैं। सामान्य नियम बराबर की गैर-वन भूमि पर वनरोपण का है, या जहाँ गैर-वन भूमि उपलब्ध न हो वहाँ अवक्रमित वनभूमि पर दोगुने क्षेत्र में। आलोचक लंबे समय से कहते रहे हैं कि किसी अन्य स्थान पर लगाया गया युवा वनरोपण पुराने, अखंड प्राकृतिक वन के परिस्थितिकी कार्यों की जगह नहीं ले सकता।

4. सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है और भूकंपीय रूप से सक्रिय, हिमानी बेसिन से बहती है — सुबनसिरी तिब्बती हिमालय में उगमित होती है, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है और असम में ब्रह्मपुत्र से मिलती है, और निस्सरण के हिसाब से इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह क्षेत्र सर्वाधिक भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है और यहाँ अनेक हिमानी सरोवर हैं, जिस कारण हिमानी सरोवर विस्फोट बाढ़ें (glacial lake outburst floods — GLOFs) — जब कोई हिमोढ़ (moraine) या बर्फ का बाँध किसी हिमानी सरोवर को रोककर टूट जाता है और जल का अचानक विसर्जन होता है — अब बाँध-मूल्यांकन का हिस्सा बन गई हैं। अक्टूबर 2023 में सिक्किम की साउथ लोनाक झील से आई GLOF ने तीस्ता-III परियोजना के चुंगथांग बाँध को नष्ट कर दिया था, जिससे यह दिखा कि एक ही घटना कई बाँधों वाली नदी में शृंखला बनकर नीचे बढ़ सकती है। प्रवाह-आधारित (run-of-the-river) परियोजनाएँ सीमित भंडारण के साथ नदी के प्रवाह का उपयोग करती हैं, जबकि भंडारण बाँध ऊँची दीवारों के पीछे बड़ी मात्रा में जल संचित करते हैं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. सामान्य अध्ययन-3 अधोसंरचना को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के साथ जोड़ता है — पाठ्यक्रम अधोसंरचना (ऊर्जा) को संरक्षण और EIA के साथ सूचीबद्ध करता है। मुख्य परीक्षा में EIA प्रक्रिया की कमियों, हिमालयी जलविद्युत की पर्यावरणीय लागतों, और चमोली तथा सिक्किम बाढ़ जैसी आपदाओं के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। एक ही परियोजना, जिसमें वनक्षेत्र, पेड़ों और वनरोपण की संख्याएँ मौजूद हैं, अभ्यर्थी को ये तर्क ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर देती है।
2. प्रारंभिक परीक्षा मंजूरी-शृंखला की संस्थाओं की परीक्षा लेती है — UPSC ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, CAMPA ढाँचे, और किन परियोजनाओं को केंद्रीय पर्यावरणीय मंजूरी चाहिए, इस बारे में पूछा है। EAC, स्तर-1 और स्तर-2 वन स्वीकृतियाँ, तथा अवक्रमित भूमि पर दोगुने क्षेत्र का नियम — यह सब सीधा कथन-सामग्री है।
3. पूर्वोत्तर की जलविद्युत एक सामरिक और जल-सुरक्षा का प्रश्न भी है — यालुंग त्सांगपो पर चीन के ऊपरी बांध-निर्माण ने भारत को ऊर्जा के लिए और एक बफर के रूप में अरुणाचल प्रदेश में परियोजनाएँ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, जैसा 24 सितंबर को कार्ड की गई सियांग अपर परियोजना में देखा गया। भारत-चीन संबंधों और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जल-सुरक्षा संबंधी प्रश्न सुबनसिरी परियोजनाओं को प्रमाण के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- EIA अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत 50 मेगावाट या उससे अधिक की जलविद्युत क्षमता वाली नदी-घाटी परियोजनाएँ श्रेणी A की परियोजनाएँ हैं जिनका मूल्यांकन केंद्रीय स्तर पर एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति करती है।
- EIA अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी के चार चरण स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, जन-सुनवाई और मूल्यांकन हैं।
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, जिसका नाम अब वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 है, की धारा 2 गैर-वन उद्देश्यों के लिए वनभूमि के अपयोजन हेतु केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य बनाती है।
- जब प्रतिपूरक वनरोपण के लिए गैर-वन भूमि उपलब्ध नहीं होती, तो अपयोजित भूमि के दोगुने क्षेत्र में अवक्रमित वनभूमि पर वनरोपण अपेक्षित है।
- प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 ने लोक लेखों में एक राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि और राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधियाँ स्थापित की।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत गठित है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
- सुबनसिरी, जो तिब्बत में उगमित होकर अरुणाचल प्रदेश से होकर असम में बहती है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. मध्य प्रदेश में वनरोपण करना अरुणाचल प्रदेश के वन की क्षतिपूर्ति राष्ट्रीय लेखों में करता है, परिस्थितिकी-तंत्र में नहीं — EAC स्वयं यह सूचीबद्ध करती है कि कटाई से क्या नुकसान होगा: सुबनसिरी बेसिन में वन-संरचना, आवासीय निरंतरता, वन्यजीवों की गतिशीलता और परिस्थितिकी-तंत्र सेवाएँ। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में 5,466 हेक्टेयर अवक्रमित भूमि पर

वनरोपण इनमें से कुछ भी स्थानीय स्तर पर पुनर्स्थापित नहीं करता; यह केवल राष्ट्रीय वनावरण की गणना में एक सख्या पुनर्स्थापित करता है। उच्च-वनावरण वाले राज्यों को कहीं और वनरोपण करने की अनुमति देने वाला नियम भूमि की कमी का एक व्यावहारिक उत्तर था, पर एक जैव-विविधता हॉटस्पॉट में यह स्थानीय हानि को एक कागजी लाभ में बदल देता है। दूसरा पक्ष यह है कि अरुणाचल के पास वास्तव में गैर-वन भूमि की कमी है और मध्य भारत में सुव्यवस्थित वनरोपण भी कार्बन का संग्रहण करता है, जो एक वास्तविक, यद्यपि भिन्न, लाभ है।

2. **सुबनसिरी लोअर का अभिलेख यह अनुमान लगाने का सबसे अच्छा आधार है कि सुबनसिरी अपर की शतें कैसे पूरी होंगी** — द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि छह स्मरण-पत्रों के बाद भी फ़रवरी 2026 में नीचे की परियोजना की प्रतिपूरक वनरोपण की शतें अपूर्ण थीं। जो मंजूरी-व्यवस्था पुरानी शतें अपूर्ण रहते हुए भी नई स्वीकृतियाँ देती है, वह यह संकेत देती है कि शतें मोल-भाव योग्य हैं। EAC की समय-बद्ध परिस्थितिकी-तंत्र पुनर्स्थापना एवं जैव-विविधता प्रबंधन योजना की माँग उचित है, पर इसका मूल्य निगरानी और दंड पर निर्भर करता है, जिनकी मंजूरी-व्यवस्था में ऐतिहासिक रूप से कमी रही है। मंत्रालय पुरानी परियोजना पर अनुपालन को नई परियोजना की स्तर-2 स्वीकृति की पूर्व-शतें बना सकता है।
3. **237 मीटर का 'प्रवाह-आधारित' भंडारण बाँध एक विरोधाभास है जिसे मूल्यांकन में सुलझाया जाना चाहिए** — रिपोर्ट इस परियोजना को प्रवाह-आधारित और बाढ़ नियंत्रण के लिए 237 मीटर ऊँचे भंडारण बाँध के रूप में, दोनों ही तरह से वर्णित करती है। प्रवाह-आधारित परियोजनाओं को आमतौर पर कम-प्रभाव वाला बताया जाता है क्योंकि वे कम जल संचित करती हैं, पर बाढ़ नियंत्रण के लिए भंडारण चाहिए, और भंडारण नीचे की धार, अवसाद (sediment) और मछली-पालन को बदल देता है। यह अंतर असम के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ नीचे की बस्तियों ने सुबनसिरी लोअर का विरोध ठीक बदले हुए प्रवाह और बाँध-सुरक्षा के मुद्दे पर किया था। मूल्यांकन में यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि जलाशय में कितना जल संचित होगा और सूखे मौसम तथा बाढ़ में विसर्जन का प्रबंधन कैसे किया जाएगा।
4. **परियोजना-दर-परियोजना मंजूरी यह नहीं पकड़ सकती कि बाँधों की एक शृंखला किसी नदी के साथ क्या करती है** — सर्वोच्च न्यायालय का 2009 का यह निर्देश कि अपस्ट्रीम प्रस्तावों को 'उनके अपने गुण-दोष' पर आँका जाए, हर परियोजना के साथ न्याय करने के इरादे से था, पर नदियाँ परियोजना-दर-परियोजना काम नहीं करती हैं। नीचे सुबनसिरी लोअर के मौजूद रहने और पूरे बेसिन में अधिक परियोजनाओं की योजना के साथ, संगत प्रश्न प्रवाह, अवसाद, मछलियों के प्रवास और बाढ़-जोखिम पर संचयी प्रभाव का है। EAC ने सुबनसिरी लोअर पर बाँध-भंग प्रभावों और GLOF निस्सरण का आकलन करके एक क्रम उठाया है, जो कई मूल्यांकनों की तुलना में अधिक है। हर नए बाँध से पहले अद्यतन किया गया एक बेसिन-व्यापी वहन-क्षमता अध्ययन इस क्रम को नियमित बना सकता है, बजाय इसके कि यह केवल कभी-कभार हो।
5. **बाँध के लिए तर्क वास्तविक है और उसे सच्चाई से रखा जाना चाहिए** — पूर्वोत्तर में जलविद्युत की बड़ी अप्रयुक्त क्षमता है, जलविद्युत एक स्थिर, गैर-जैव-ईंधन स्रोत है जो सौर और वायु ऊर्जा को संतुलित कर सकता है, और एक भंडारण बाँध असम में बाढ़ नियंत्रित कर सकता है। यारलुंग त्सांगपो पर चीन के ऊपरी बाँध-निर्माण को देखते हुए एक सामरिक तर्क भी है। इससे 1,35,733 पेड़ अप्रासंगिक नहीं हो जाते; इसका अर्थ है कि यह व्यापार खुले में किया जाना चाहिए, वनों और नीचे की बस्तियों को होने वाली लागत की गणना कर, और लाभों को वास्तव में देकर, न कि क्षतिपूर्ति की भाषा के पीछे छिपाकर।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“पूर्वी हिमालय में बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन एक-एक करके होता है, जबकि उनके प्रभाव पूरे नदी-बेसिन में संचित होते हैं।” अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी परियोजनाओं के संदर्भ में इस कथन की समालोचनात्मक परीक्षा कीजिए, और भारत की पर्यावरणीय एवं वन मंजूरी प्रक्रिया में सुधारों का सुझाव दीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **भूमिका** — बताएँ कि पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने NHPC की 1,605 मेगावाट सुबनसिरी अपर परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की सिफ़ारिश की है, जिसके लिए 2,733 हेक्टेयर वन और लगभग 1,35,733 पेड़ों की कटाई आवश्यक है, और मेगा के निकट 237 मीटर ऊँचा बाँध प्रस्तावित है।
2. **मुख्य भाग — मंजूरी-शृंखला** — EIA अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत श्रेणी A मूल्यांकन, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम के अंतर्गत दो-चरणीय वन मंजूरी, प्रतिपूरक वनरोपण के नियम और CAF अधिनियम, 2016, तथा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की भूमिका को समझाएँ।
3. **मुख्य भाग — संचयी समस्या** — NBWL की मूल कोई-अपस्ट्रीम-परियोजना-नहीं की शर्त, सर्वोच्च न्यायालय का 2009 का संशोधन, सुबनसिरी लोअर की अपूर्ण वनरोपण शर्तें, और GLOF तथा बाँध-भंग के आकलनों का उपयोग यह दिखाने के लिए करें कि बेसिन-स्तरीय जोखिमों को टुकड़ों में संभाला जाता है। कैस्केड-जोखिम के उदाहरण के रूप में 2023 में तीस्ता-

III के विनाश का उल्लेख करें।

4. **मुख्य भाग — सुधार** — अनिवार्य बेसिन-व्यापी संचयी प्रभाव एवं वहन-क्षमता अध्ययन, जहाँ संभव हो वहीं भूदृश्य में वनरोपण, नई मंजूरीयों के लिए पुरानी परियोजनाओं पर अनुपालन को शर्त बनाना, स्वतंत्र मंजूरी-पश्चात निगरानी, और असम की नीचे की बस्तियों के साथ वास्तविक परामर्श का प्रस्ताव दें।
5. **निष्कर्ष** — यह निष्कर्ष दें कि भारत के ऊर्जा-संक्रमण को हिमालयी जलविद्युत की आवश्यकता है, पर इसकी विश्वसनीयता नदियों को तंत्र के रूप में आँकने और मंजूरीयों से जुड़ी शर्तों को लागू करने पर निर्भर करती है।

प्रश्न 1. आप सुबनसिरी परियोजनाओं से नीचे की ओर असम के एक ज़िले के उप-आयुक्त हैं। निवासियों को अचानक जल-विसर्जन का डर है। आप क्या क़दम उठाएंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं NHPC और राज्य के जल संसाधन विभाग से बाँध का विसर्जन-प्रोटोकॉल माँगूंगा और सायरन, SMS अलर्ट तथा गाँव-स्तरीय संपर्क बिंदुओं के साथ एक लिखित पूर्व-चेतावनी प्रणाली पर बल दूँगा। मैं ज़िला आपदा प्रबंधन योजना में बाँध-विसर्जन और बाँध-भंग के परिदृश्यों को शामिल करूँगा और ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मॉक ड्रिल आयोजित करूँगा। मैं बदले हुए प्रवाह से प्रभावित मछुआरों और किसानों के लिए एक शिकायत-चैनल भी बनाऊँगा। जब समुदायों को ठीक-ठीक पता होता है कि क्या और कब होगा, तो वे बाँध पर अधिक भरोसा करते हैं।

प्रश्न 2. विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्य सचिव के रूप में, आप उस प्रस्तावक को कैसे संभालेंगे जिसकी पुरानी परियोजना की मंजूरी-शर्तें अपूर्ण हैं?

दृष्टिकोण (Approach): मैं पुरानी परियोजना की अनुपालन-रिपोर्ट नई मूल्यांकन के हिस्से के रूप में समिति के सामने रखूँगा। मैं सिफ़ारिश करूँगा कि नई परियोजना की अंतिम स्वीकृति को प्रतिपूरक वनरोपण सहित लेबित शर्तों पर दर्शाई जा सकने वाली प्रगति से जोड़ा जाए। मैं नई मंजूरी में मापनीय मील के पत्थर निर्धारित करूँगा, जिनकी नियमित अनुपालन-रिपोर्टों की समीक्षा मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय करे। जब शर्तों की नियमित रूप से बिना किसी परिणाम के अनदेखी होती है, तो मंजूरीयाँ विश्वसनीयता खो देती हैं।

प्रश्न 3. इंटरव्यू बोर्ड पूछता है: जब भारत को स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता है, तो जलविद्युत के लिए अरुणाचल प्रदेश में एक लाख से अधिक पेड़ काटना उचित है?

दृष्टिकोण (Approach): दोनों लक्ष्य वैध हैं, इसलिए प्रश्न यह है कि यह व्यापार कैसे किया जाए। जलविद्युत स्थिर, कम-कार्बन बिजली और बाढ़ नियंत्रण देती है, पर पुराने हिमालयी वन और नीचे की नदी-प्रणालियों को कहीं और रोपण करके पुनः नहीं बनाया जा सकता। मैं इस परियोजना का समर्थन केवल तब करूँगा जब संचयी प्रभावों का अध्ययन हो, अभिकल्प वन-हानि को न्यूनतम करे, पुनर्स्थापना स्थल के जितना निकट हो सके वहाँ की जाए, और नीचे की बस्तियों की रक्षा हो। स्वच्छ ऊर्जा जो एक जैव-विविधता हाटस्पॉट को पूरे हिसाब के बिना नष्ट कर दे, वह वास्तव में स्वच्छ नहीं है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

6. स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान (Health & Life Sciences)

भारत की मानसिक-स्वास्थ्य समस्या विचारों की कमी नहीं है, बल्कि लोगों की और मरीजों के नज़दीक जगहों की कमी है। BRICS का जो नया नेटवर्क NIMHANS समन्वित करेगा, वह इसी सोच पर बना है: गैर-विशेषज्ञ कर्मियों के साथ काम-बँटवारा (task-sharing), टेली-परामर्श और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के भीतर उपचार — उन साझीदारों से उधार लेकर और अपनाकर जो इसी अंतर से जुझ चुके हैं। इस कोशिश का मूल्य शिखर-सम्मेलन की मेज़ पर नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर परखा जाएगा।

6.1 भारत मानसिक-स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्रों के BRICS नेटवर्क का पायलट करेगा, NIMHANS समन्वय केंद्र होगा

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य में नए बने BRICS उत्कृष्टता केंद्रों के नेटवर्क (Network of Centres of Excellence, CoEs) का पायलट भारत करेगा, और बेंगलुरु का राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, NIMHANS) इसका समन्वय केंद्र होगा। BRICS वह समूह है जो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ और तब से विस्तृत हुआ है। NIMHANS नेटवर्क का शासन-प्रोटोकॉल तैयार कर रहा है, जबकि बहु-देशीय संचालन समिति और तकनीकी कार्य-समूह गठित किए जा रहे हैं; उत्कृष्टता केंद्र, समझौते, संपर्क-बिंदु और शासन-व्यवस्थाएँ तय की जा रही हैं। NIMHANS में मनोचिकित्सा के प्रोफ़ेसर डॉ. नवीन कुमार सी. ने कहा, “उम्मीद है कि यह नेटवर्क काम-बँटवारा मॉडलों और डिजिटल टेली-हेल्थ मंचों को बड़े स्तर पर फैलाकर BRICS देशों में मौजूद उपचार-अंतरों को कम करेगा। इसका लक्ष्य मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जोड़ना भी होगा, जिससे सेवाएँ दुर्गम और ग्रामीण जनसंख्या तक पहुँचें।” काम-बँटवारा का अर्थ है गैर-विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मियों को सामान्य मानसिक विकारों की पहचान करने, बुनियादी सहायता देने और गंभीर मामलों को आगे भेजने की ट्रेनिंग देना, ताकि कमी वाले मनोचिकित्सक ही देखभाल का एकमात्र बिंदु न रहें। रिपोर्ट सदस्य देशों के तरीकों का वर्णन करती है: चीन में बनाया गया एक शैक्षिक मांगा (manga) जो कलंक से लड़ता है और 17 वर्षीय स्कूली छात्रा शियाओयु की कहानी बताता है जिसकी चिंता और अवसाद को आलस समझा जाता है, जब तक एक सहपाठी उसे परामर्श क्लिनिक तक नहीं पहुँचाता; इंडोनेशिया में मानसिक-स्वास्थ्य संकट और आत्महत्या-रोकथाम के लिए एक 24x7 डिजिटल मंच; दक्षिण अफ्रीका में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा चित्र और कहानी आधारित जाँच; संयुक्त अरब अमीरात में आभासी-वास्तविकता (virtual reality) की क्लिनिकल सिमुलेशन; और रूस में हृदय-दर परिवर्तनशीलता, त्वचा की गैल्वेनिक प्रतिक्रिया और बायोफीडबैक का उपयोग करते हुए तकनीक-सहायित मूल्यांकन। भारत अपनी टेली-मानसिक-स्वास्थ्य सेवाएँ लाता है। डॉ. नवीन ने कहा कि सहभागिता “तकनीकी विशेषज्ञता, संयुक्त शोध, क्षमता-निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान” पर आधारित होगी, न कि “केवल धनराशि के अनुदानों” पर। संभावित संयुक्त शोध में AI-सहायित जाँच, डिजिटल हस्तक्षेप, आत्महत्या-रोकथाम, जैव-चिह्नक (biomarkers) और महामारी-विज्ञान मानचित्रण शामिल हैं; प्रमाण-आधारित क्लिनिकल प्रोटोकॉल, सांस्कृतिक रूप से अनुकूलनीय उपकरणों और सार्वजनिक-शिक्षा रणनीतियों का एक संग्रह प्रस्तावित है, जैसे कि डेटा गोपनीयता, साइबर-सुरक्षा, नैतिक AI और अधिकार-आधारित नीति पर साझा तरीके भी। डॉ. नवीन ने कहा कि 2017 में अनुमानित 19.73 करोड़ भारतीय मानसिक विकारों से प्रभावित थे, उपचार-अंतर 70%-92% था, मनोचिकित्सकों, क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकों और मनोरोग नर्सों की कमी शहरों में केंद्रित थी, और 2012 से 2030 के बीच अनुमानित आर्थिक नुकसान 1.08 खरब (ट्रिलियन) डॉलर था। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS2 में स्वास्थ्य और भारत से जुड़े समूह, तथा GS3 में सार्वजनिक सेवाओं में तकनीक।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

मानसिक विकार अनुमानित 19.73 करोड़ भारतीयों को प्रभावित करते हैं, उपचार-अंतर 70%-92% है और विशेषज्ञ शहरों में केंद्रित हैं → मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 देखभाल तक पहुँच को कानूनी अधिकार बनाता है, और टेली-मानस परामर्श को फ़ोन तक ले जाता है → अन्य BRICS सदस्य मांगा से लेकर चित्र-आधारित जाँच तक अपने ही कम-लागत उपकरण विकसित करते हैं → समूह एक उत्कृष्टता केंद्रों का नेटवर्क बनाता है जिसका पायलट भारत करेगा और समन्वय NIMHANS करेगा → सफलता इस पर निर्भर करेगी कि साझा प्रोटोकॉल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और फ्रंटलाइन कर्मियों तक पहुँचते हैं या नहीं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 ने देखभाल तक पहुँच को एक लागू करने योग्य अधिकार बना दिया — मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 (Mental Healthcare Act, 2017) ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की जगह ली और इसे संयुक्त राष्ट्र के दिव्यांगजन अधिकार अभिसमय (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) के अनुरूप बनाया गया, जिसे भारत ने अनुसमर्थित किया है। धारा 18 हर व्यक्ति को सरकार द्वारा चलाई या वित्तपोषित सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार पाने का अधिकार देती है, जो सस्ती, अच्छी गुणवत्ता वाली और भेदभाव-मुक्त होनी चाहिए। यह अधिनियम व्यक्ति को यह तय करने के लिए एक अग्रिम निर्देश (advance directive) बनाने और एक नामित प्रतिनिधि नियुक्त करने की अनुमति देता है कि उसका उपचार कैसे किया जाए। यह केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड स्थापित करता है जो संस्थानों को विनियमित करें और शिकायतें सुनें।
2. 2017 के अधिनियम की धारा 115 ने आत्महत्या के प्रयास को व्यावहारिक रूप से अपराध-मुक्त कर दिया — मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम की धारा 115 यह मानती है, जब तक अन्यथा साबित न हो, कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्ति गंभीर तनाव में था और उस समय के भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अंतर्गत उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और सज़ा नहीं दी जाएगी। यह सरकार पर ऐसे व्यक्ति को देखभाल, उपचार और पुनर्वास देने का दायित्व भी डालती है, ताकि पुनरावृत्ति का जोखिम घटे। यह बदलाव आत्महत्या के प्रयास को अपराध की जगह एक स्वास्थ्य आपात स्थिति मानता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023,

जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली, आत्महत्या के प्रयास को सामान्य अपराध के रूप में आगे नहीं ले जाती।

3. NIMHANS राष्ट्रीय महत्व की संस्था और भारत की टेली-मानसिक-स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ है — बेंगलुरु के NIMHANS को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु अधिनियम, 2012 [National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bengaluru Act, 2012] द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था (Institute of National Importance) घोषित किया गया, जो इसे डिग्री देने में सक्षम मानित विश्वविद्यालय का दर्जा देता है। इसने 2015-16 का राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण संचालित किया, जिसने मानसिक विकारों के लिए उपचार-अंतर 70% से 92% के बीच आँका था — वही सीमा जिसका डॉ. नवीन उल्लेख करते हैं। यह अक्टूबर 2022 में शुरू हुए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, टेली-मानस (Tele-MANAS) का नोडल केंद्र है, जो कई भाषाओं में टोल-फ्री नंबर 14416 के माध्यम से मुफ्त परामर्श देता है। टेली-मानस फोन करने वालों को प्रशिक्षित परामर्शदाताओं और, जहाँ जरूरी हो, विशेषज्ञों तथा प्रत्यक्ष सेवाओं तक भेजता है।

4. भारत के सार्वजनिक मानसिक-स्वास्थ्य कार्यक्रम ज़िले और प्राथमिक केंद्र से बनते हैं — राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। इसका ज़िला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम घटक, जो 1996 में शुरू हुआ, बाह्य-रोगी देखभाल, सामुदायिक पहुँच और जागरूकता के लिए ज़िला-स्तरीय टीमें बनाता है। मानसिक, तंत्रिका-संबंधी और मादक-द्रव्य-उपयोग विकार आयुष्मान आरोग्य मंदिरों — जिन्हें पुनर्नामित स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र कहा जाता था — की विस्तारित सेवा-सूची का भाग हैं, जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का काम-बँटवारा काम करेगा। 2022 की राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति भारत की इस तरह की पहली राष्ट्रीय रणनीति थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानसिक स्वास्थ्य अंतर कार्यवाई कार्यक्रम (Mental Health Gap Action Programme, mhGAP) गैर-विशेषज्ञों के लिए प्राथमिकता वाली स्थितियों की पहचान और प्रबंधन का मानक मार्गदर्शन देता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS2 स्वास्थ्य को सामाजिक क्षेत्र और BRICS को भारत से जुड़ा समूह मानता है — पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं के विकास और प्रबंधन, तथा महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और समूहों के बारे में पूछा जाता है। मुख्य परीक्षा मानसिक स्वास्थ्य में उपचार-अंतर, मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 और देखभाल के विस्तार में तकनीक की भूमिका के बारे में पूछ चुकी है। यह खबर घरेलू स्वास्थ्य नीति को BRICS में भारत की भूमिका से जोड़ती है, जिसकी अध्यक्षता इस वर्ष भारत के पास है।

2. प्रारंभिक परीक्षा 2017 के अधिनियम के प्रावधानों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों को परखती है — UPSC और राज्य आयोगों ने आत्महत्या के प्रयास को अपराध-मुक्त करने, मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम द्वारा दिए गए अधिकारों, टेली-मानस हेल्पलाइन और राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के दर्जे पर कथन-आधारित प्रश्न रखे हैं। ये टिकाऊ तथ्य बार-बार लौटते हैं।

3. निबंध और GS4 कलंक और गरिमा से सामग्री लेते हैं — चीनी मांगा का 'इज़्जत जाने' और परिवार के दोषारोपण वाला विषय मानसिक स्वास्थ्य, युवाओं के दबाव और बीमार व्यक्तियों की गरिमा पर निबंधों के लिए एक तैयार उदाहरण है। परीक्षा-तनाव झेलते छात्रों और करुणामय प्रशासन पर GS4 के केस-स्टडी भी यही सामग्री उपयोग करते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 18 हर व्यक्ति को समुचित सरकार द्वारा चलाई या वित्तपोषित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से देखभाल और उपचार पाने का अधिकार देती है।
- मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 115 प्रावधान करती है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को, जब तक अन्यथा साबित न हो, गंभीर तनाव में माना जाएगा और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और सज़ा नहीं दी जाएगी।
- मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अग्रिम निर्देश और नामित प्रतिनिधि का प्रावधान करता है।
- बेंगलुरु के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को 2012 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया।
- टेली-मानस, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, टोल-फ्री नंबर 14416 के माध्यम से उपलब्ध है, और NIMHANS इसका नोडल केंद्र है।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में शुरू किया गया, और इसका ज़िला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम घटक 1996 में।
- मानसिक स्वास्थ्य में काम-बँटवारा (task-sharing) का अर्थ है गैर-विशेषज्ञ स्वास्थ्य

कर्मियों को सामान्य मानसिक विकारों की पहचान, सहायता और आगे भेजने की ट्रेनिंग देना।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. नेटवर्क का असली उत्पाद काम-बैटवारे का प्रोटोकॉल है, और भारत को शोध-पत्रों से अधिक इसकी ज़रूरत है** — 70%-92% का उपचार-अंतर केवल अधिक मनोचिकित्सक प्रशिक्षित करने से कभी नहीं भरेगा, क्योंकि विशेषज्ञ तैयार करने में एक दशक लगता है और वे शहरों में जमा हो जाते हैं। एकमात्र मापनीय रास्ता यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, आशा कार्यकर्ता और नर्स पहचान, बुनियादी परामर्श और आगे भेजने का काम संभालें, जबकि विशेषज्ञ निगरानी करें। दक्षिण अफ्रीका की चित्र-आधारित जाँच और इंडोनेशिया का संकट-मंच ठीक इसी काम के व्यावहारिक उपकरण हैं। यदि नेटवर्क प्राथमिक-देखभाल कर्मियों के लिए एक परखा हुआ, अनुकूलनीय संग्रह तैयार करता है, तो वह स्वयं को सही ठहराएगा; यदि वह मुख्यतः सम्मेलनों और संयुक्त शोध-पत्रों तक सीमित रहता है, तो नहीं।
- 2. धनराशि के बिना ज्ञान-आदान-प्रदान पर बना नेटवर्क यथार्थवादी है, पर यह महत्वाकांक्षा सीमित करता है** — डॉ. नवीन का यह कहना कि सहभागिता 'केवल धनराशि के अनुदान' नहीं बल्कि तकनीकी होगी, BRICS के अनुकूल है, जिसके पास विश्व बैंक या ग्लोबल फंड जैसा कोई स्वास्थ्य-कोष नहीं है। ज्ञान का आदान-प्रदान सस्ता है और सरकार बदलने पर भी टिका रह सकता है। सीमा यह है कि प्रोटोकॉल को प्राथमिक केंद्रों पर प्रशिक्षित कर्मी, दवाइयाँ और निगरानी चाहिए, और उसका खर्च हर देश को घरेलू स्तर पर ही जुटाना है। यह नेटवर्क भारत के अपने मानसिक-स्वास्थ्य बजट के खर्च की दिशा तय कर सकता है, पर वह बजट की जगह नहीं ले सकता।
- 3. AI जाँच और शारीरिक जैव-चिह्न उस गोपनीयता के सवाल उठाते हैं जिसे नेटवर्क सही ढंग से अपने एजेंडे में रखता है** — मानसिक-स्वास्थ्य आँकड़े सबसे अधिक कलंकित करने वाले आँकड़ों में हैं, और हृदय-दर परिवर्तनशीलता या त्वचा की प्रतिक्रिया पढ़ने वाले उपकरण, या मरीजों की बातचीत पर प्रशिक्षित AI मॉडल, प्रोफाइलिंग और लीक होने के नए जोखिम बनाते हैं। भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) स्वास्थ्य आँकड़ों के लिए कोई विशेष श्रेणी नहीं बनाता, इसलिए गोपनीयता और नैतिक AI पर एक साझा BRICS ढाँचा चिकित्सकों के लिए एक व्यावहारिक कमी भर सकता है। इसके विरुद्ध मत यह है कि BRICS सदस्यों के डेटा तक राज्य की पहुँच के मानक बहुत अलग-अलग हैं, इसलिए एक साझा तरीका सबसे ऊँचे के बजाय सबसे नीचे मानक पर सिमट सकता है।
- 4. कलंक कई परिवारों में आपूर्ति से बड़ी बाधा है, इसीलिए मांगा महत्वपूर्ण है** — एक ऐसी लड़की की चीनी कहानी जिसके अवसाद को आलस कहा जाता है, कई भारतीय घरों को जानी-पहचानी लगेगी, जहाँ मदद माँगना कमज़ोरी की निशानी या विवाह और करियर के लिए खतरा माना जा सकता है। सांस्कृतिक रूप से अनुकूलित सार्वजनिक शिक्षा — कॉमिक, कहानियाँ, स्थानीय भाषा के संदेश — क्लिनिकों से सस्ती है और उस देखभाल की माँग बढ़ा सकती है जो वैसे भी मौजूद है, जिसमें टेली-मानस शामिल है। भारत ऐसी सामग्री को स्कूलों और कोचिंग केंद्रों के लिए अपना सकता है, जहाँ परीक्षा का तनाव तीखा है। पर सेवाओं के बिना जागरूकता केवल निराशा बढ़ाती है, इसलिए शिक्षा और आपूर्ति को साथ-साथ बढ़ाना होगा।
- 5. भारत का स्वास्थ्य-कूटनीति में नेतृत्व तब सबसे बेहतर काम करता है जब वह वही व्यवस्थाएँ निर्यात करे जो उसने बड़े पैमाने पर वास्तव में चलाई हैं** — भारत की टेली-मानसिक-स्वास्थ्य सेवा मेज़ पर लाने के लिए एक असली संपत्ति है, जो एक ही राष्ट्रीय नंबर वाले सार्वजनिक मंच पर बनाई गई है। नेटवर्क का नेतृत्व करने से भारत को डिजिटल स्वास्थ्य के मानदंड तय करने का मौका मिलता है, विकासशील दुनिया के बड़े हिस्से के लिए, जैसा उसने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ किया है। जोखिम यह है कि आकलन से पहले पायलटों को उपलब्धि के रूप में पेश किया जाए; टेली-मानस के रेफरल और अनुवर्ती परिणामों पर स्वतंत्र अध्ययन ज़रूरी है। विदेश में विश्वसनीयता घर पर मापन-योग्य नतीजों पर निर्भर करेगी।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

“भारत की मानसिक-स्वास्थ्य चुनौती कानून की अनुपस्थिति से कम और लोगों के रहने के नज़दीक सेवाओं की अनुपस्थिति से अधिक जुड़ी है।” इस कथन के आलोक में विश्लेषण कीजिए कि काम-बैटवारा, टेली-मानसिक-स्वास्थ्य और BRICS उत्कृष्टता केंद्रों के नेटवर्क जैसा अंतरराष्ट्रीय सहयोग भारत के मानसिक-स्वास्थ्य उपचार-अंतर को कैसे कम कर सकते हैं। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

- 1. भूमिका** — NIMHANS के डॉ. नवीन कुमार सी. का हवाला दें: 2017 में अनुमानित 19.73 करोड़ भारतीय मानसिक विकारों से प्रभावित, उपचार-अंतर 70%-92% और 2012 से 2030 के बीच अनुमानित 1.08 खरब डॉलर का नुकसान। उल्लेख करें कि भारत NIMHANS की समन्वयक भूमिका के साथ BRICS उत्कृष्टता केंद्रों के नेटवर्क का पायलट करेगा।
- 2. मुख्य भाग** — कानूनी ढाँचा पहले से मज़बूत है — मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 समझाएँ: धारा 18 के अंतर्गत देखभाल तक पहुँच का अधिकार, अग्रिम निर्देश, मानसिक

स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड, और धारा 115 के अंतर्गत आत्महत्या के प्रयास का अपराध-मुक्तीकरण। दलील दें कि अंतर क्रियान्वयन में है।

3. **मुख्य भाग — सेवा-अंतर कम करना** — आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों और आशा कार्यकर्ताओं के काम-बैठवारे, ज़िला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, 14416 पर टेली-मानस, और WHO के mhGAP मार्गदर्शन पर चर्चा करें। विशेषज्ञों की कमी और उनके शहरों में केंद्रित होने का उल्लेख करें।
4. **मुख्य भाग — BRICS सहयोग क्या जोड़ता है** — सदस्य देशों के उदाहरण उपयोग करें — चीन का कलंक-विरोधी मांगा, इंडोनेशिया का संकट-मंच, दक्षिण अफ्रीका की चित्र-आधारित जाँच, UAE की VR सिमुलेशन और रूस का तकनीक-सहायित मूल्यांकन — तथा प्रस्तावित प्रोटोकॉल-संग्रह, संयुक्त शोध और डेटा गोपनीयता व नैतिक AI पर साझा नियमों का। धनराशि-रहित नेटवर्क की सीमा नोट करें।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दें कि भारत को अपने अधिकार-आधारित कानून को प्राथमिक स्तर पर सेवाओं में बदलना होगा, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग तब सबसे उपयोगी है जब वह इस काम के लिए परखे हुए, अनुकूलनीय उपकरण देता है।

प्रश्न 1. आप एक ऐसे ज़िले के ज़िलाधिकारी हैं जिसकी सरकारी व्यवस्था में कोई मनोचिकित्सक नहीं है। मानसिक-स्वास्थ्य देखभाल सुधारने के लिए आप उपलब्ध उपकरणों का उपयोग कैसे करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं सुनिश्चित करूँगा कि ज़िला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम मौजूद हो और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के चिकित्सा अधिकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सामान्य स्थितियों की जाँच और आगे भेजने के लिए प्रशिक्षित हों। मैं 14416 पर टेली-मानस का स्कूलों, कॉलेजों और प्राथमिक केंद्रों में प्रचार करूँगा ताकि परामर्श तुरंत उपलब्ध हो। मैं निकटतम मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग के साथ नियमित दौर या टेली-परामर्श की व्यवस्था करूँगा। मैं केवल आयोजित शिविरों की संख्या नहीं, बल्कि पहचाने गए, उपचारित और अनुवर्तित लोगों की संख्या पर नज़र रखूँगा।

प्रश्न 2. स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में, सार्वजनिक सुविधाओं में AI-आधारित मानसिक-स्वास्थ्य जाँच के उपयोग से पहले आप किन सुरक्षा-उपायों पर ज़ोर देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं यह अनिवार्य करूँगा कि कोई भी उपकरण उपयोग से पहले भारतीय जनसंख्या और भाषाओं पर मान्य किया जाए, और वह किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी के फ़ैसले की जगह न ले, केवल उसका सहायक बने। डेटा सूचित सहमति से एकत्र किया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुरूप केवल उपचार के लिए उपयोग होगा। मैं त्रुटियों और पक्षपात की स्वतंत्र जाँच की माँग करूँगा। मानसिक बीमारी का ग़लत लेबल किसी व्यक्ति की नौकरी और परिवार को नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए सावधानी पहले आनी चाहिए।

प्रश्न 3. एक साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: जब भारत का अपना उपचार-अंतर इतना बड़ा है, तो उसे BRICS मानसिक-स्वास्थ्य नेटवर्क का नेतृत्व क्यों करना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): नेटवर्क का नेतृत्व करना यह दावा नहीं है कि भारत ने समस्या सुलझा ली है; यह उन देशों से तेज़ी से सीखने का तरीका है जिन्होंने अलग-अलग उपाय आजमाए हैं। भारत के पास एक चलती हुई राष्ट्रीय टेली-मानसिक-स्वास्थ्य सेवा और NIMHANS जैसी अग्रणी संस्था है, जो उसे देने के लिए कुछ असली देती है। यह नेटवर्क भारत को डिजिटल स्वास्थ्य में डेटा और नैतिकता के साझा मानदंड तय करने का अवसर भी देता है। नेतृत्व की परीक्षा यह होगी कि भारत जो सीखता है उसे अपने ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लागू करता है या नहीं।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

आज की दोनों खबरें इस बारे में हैं कि किसी संकटपूर्ण प्रौद्योगिकी के डिज़ाइन का स्वामित्व किसके पास हो और उसे पाने के लिए भारत को क्या देना होगा। परमाणु ऊर्जा में भारत ने विदेशी रिएक्टर विक्रेताओं को वापस मेज़ पर लाने के लिए अपने दायित्व-कानून को फिर से लिखा है, और फ्रांसीसी अब स्थानीयकरण करने से पहले रिएक्टरों के एक बड़े बेड़े के ऑर्डर की माँग कर रहे हैं। चिप्स में एक विश्वविद्यालय प्रयोगशाला ने पुनर्संरचनात्मक हाईवेयर पर एक काम करता ग्राफ़िक्स प्रोसेसर दिखाया है, जबकि भारतीय फ़ोन खरीदार इस तथ्य की कीमत चुका रहे हैं कि दुनिया की मेमोरी चिप्स AI डेटा केंद्रों की ओर मोड़ी जा रही हैं। प्रौद्योगिकी की संप्रभुता कानून से, ऑर्डरों से या धैर्यपूर्ण डिज़ाइन-क्षमता से खरीदी जाती है; भारत तीनों को एक साथ आजमा रहा है।

7.1 फ्रांस की EDF ने यूरोपीय प्रेशराइज्ड रिएक्टर पेश किए, जबकि भारत SHANTI अधिनियम के अंतर्गत मसौदा नियम अंतिम रूप दे रहा है

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 25 सितंबर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को फ्रांस सरकार की स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एलेक्ट्रिसिटे दे फ्रांस (Électricité de France — EDF) के साथ भारत में उसके यूरोपीय प्रेशराइज्ड रिएक्टर (European Pressurised Reactor — EPR) लगाने पर चर्चा की; यह जानकारी द इंडियन एक्सप्रेस ने दी है। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल ने EDF के अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाई फ्रॉन्टाना से मुलाकात की। EPR एक बड़े प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की डिज़ाइन है — रिएक्टरों का वह परिवार जिसमें उच्च दबाव में रखा सामान्य जल कोर को ठंडा भी करता है और उष्मा को भाप जनरेटर तक भी ले जाता है, बिना कोर में उबलने दिए। बैठक में विदेश मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, NTPC और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (Nuclear Power Corporation of India Limited — NPCIL) के अधिकारी भी शामिल हुए। ऊर्जा मंत्रालय के वक्तव्य के अनुसार, “चर्चा EPR प्रौद्योगिकी की तैनाती, परमाणु क्षेत्र में भारत के नियामक सुधारों, पम्पड हाइड्रो भंडारण परियोजनाओं पर सहयोग, तथा एक सुदृढ़, परस्पर लाभप्रद साझेदारी के आगे के रास्ते पर केंद्रित थी।” EDF ने भारतीय अधिकारियों को बड़े पैमाने पर स्थानीयकरण संभव बनाने के लिए भारत में एक ईकोसिस्टम और सप्लाय चेन बनाने के अपने प्रयासों की जानकारी दी, और दोहराया कि “कई परमाणु रिएक्टरों वाला एक बड़ा कार्यक्रम सप्लायरों को भरोसा देगा और भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाकर पैमाने की मितव्ययिता (economies of scale) संभव करेगा।” बदले में श्री अग्रवाल ने फ्रांसीसी पक्ष को नियामक ढाँचे को अंतिम रूप देने में हुई प्रगति की जानकारी दी, जिसमें SHANTI (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) के मसौदा नियम व विनियमन शामिल हैं, जिन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy — DAE) ने पिछले महीने हितधारक-सलाह के लिए सार्वजनिक किया था। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इन मसौदों में एक व्यापक परमाणु ऊर्जा ईकोसिस्टम का ढाँचा दिया गया है, जो निजी भागीदारी, केप्टिव परमाणु उत्पादन (कोई औद्योगिक उपयोगकर्ता अपनी बिजली के लिए स्वयं बनाया संयंत्र), विदेशी रिएक्टर प्रौद्योगिकी, लाइसेंसिंग, सुरक्षा निगरानी और परमाणु दायित्व को समेटता है। भारत ने “हाल ही में अपने कड़े-नियंत्रित सिविल परमाणु क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोला है”, जिससे फ्रांस, अमेरिका और रूस की परमाणु प्रमुख कंपनियों की दिलचस्पी फिर से जगी है। इस पत्रिका के 21 सितंबर के RAPP-8 वाले कार्ड से आगे नई बात यह है कि अब मामला व्यावसायिक भी बन गया है: एक विदेशी विक्रेता नए कानून के अंतर्गत बने मसौदा नियम-पुस्तिका के आधार पर सौदेबाज़ी कर रहा है। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, SHANTI विधेयक, 2025 ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010, दोनों को निरस्त कर उनकी जगह ली; PIB की एक विज्ञप्ति के अनुसार, लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा ने इसे 18 दिसंबर, 2025 को पारित किया। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: ऊर्जा अवसंरचना और प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण पर GS3, और भारत-फ्रांस संबंधों पर GS2।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

2008 की NSG छूट और भारत-फ्रांस सिविल परमाणु समझौता विदेशी रिएक्टरों के लिए द्वार खोलते हैं → 2010 के दायित्व-कानून का सप्लायर-प्रत्यावर्तन खंड विक्रेताओं को दूर रखता है और जैतापुर एक दशक से अधिक समय तक रुका रहता है → दिसंबर 2025 का SHANTI अधिनियम 1962 और 2010 के कानूनों को निरस्त करता है, संयंत्रों को भारतीय निजी कंपनियों के लिए खोलता है और सप्लायर-प्रत्यावर्तन को सीमित करता है → DAE अगस्त 2026 में सलाह के लिए SHANTI के मसौदा नियम जारी करता है → EDF EPR पेश करने लौटती है और बहु-रिएक्टर बेड़े के ऑर्डर की माँग करती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. SHANTI अधिनियम ने दो कानूनों की जगह ली और रिएक्टर चलाने पर सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया — विधेयक पर PRS के सारांश के अनुसार, SHANTI अधिनियम परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 (CLNDA) को निरस्त करके दोनों को एक ही कानून में समेट देता है। केंद्र सरकार अब भारत में निगमित किसी भी कंपनी को, और सरकारी संस्थाओं व निजी कंपनियों के संयुक्त उपक्रमों को, परमाणु संयंत्र बनाने, उनके स्वामित्व या संचालन के लिए, तथा परमाणु ईंधन के निर्माण, परिवहन, व्यापार या भंडारण के लिए लाइसेंस दे सकती है; भारत के बाहर निगमित कंपनियाँ इससे बाहर रहेंगी। परमाणु खनिजों का खनन और निर्दिष्ट परमाणु पदार्थों का उत्पादन व व्यापार केंद्र सरकार और उसकी कंपनियों के पास ही रहेगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (Atomic Energy Regulatory Board — AERB), जो पहले 1962 के अधिनियम के अंतर्गत एक कार्यकारी आदेश से बना था, को अब वैधानिक दर्जा मिल गया है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक सदस्य और खोज-सह-चयन समिति की सलाह पर चुने गए अधिकतम सात अशकालिक सदस्य होंगे।
2. CLNDA की धारा 17(बी) ही वह कारण थी जिसने विदेशी विक्रेताओं को दूर रखा —

CLNDA, 2010 ने परमाणु दुर्घटना का दायित्व दोष-निरपेक्ष आधार पर परिचालक (operator) पर केंद्रित किया, 10 मेगावाट ऊष्मीय और उससे अधिक क्षमता वाले रिएक्टरों के लिए परिचालक के दायित्व की सीमा ₹1,500 करोड़ तय की, और बाकी बोझ केंद्र सरकार पर छोड़ दिया। इसकी धारा 17(बी) अंतरराष्ट्रीय व्यवहार से आगे बढ़कर परिचालक को यह अधिकार भी देती थी कि यदि दुर्घटना पेटेंट या गुप्त दोष वाले उपकरण या सामग्री, या घटिया सेवाओं के कारण हुई हो, तो वह सप्लायर के विरुद्ध प्रत्यावर्तन (recourse) कर सके। धारा 46 अन्य कानूनों, जिनमें अपकृत्य विधि (tort law) भी शामिल है, के अंतर्गत दावों की भी गुंजाइश छोड़ती थी। अमेरिका, फ्रांस और जापान के विक्रेताओं ने तर्क दिया कि इससे उन्हें असंमित और बीमा-योग्य न रहने वाला जोखिम उठाना पड़ता है। PRS के अनुसार, SHANTI अधिनियम दोषपूर्ण उपकरण या सामग्री के लिए सप्लायरों के विरुद्ध प्रत्यावर्तन हटा देता है, इसे केवल वहीं रखता है जहाँ अनुबंध में इसका प्रावधान हो या क्षति किसी जानबूझकर किए गए कृत्य से हुई हो, और सपाट सीमा की जगह संयंत्र की क्षमता के अनुसार ₹100 करोड़ से ₹3,000 करोड़ तक की स्तरीकृत सीमाएँ लाता है।

3. भारत 2016 में वैश्विक दायित्व अभिसमय में शामिल हुआ, और SHANTI अधिनियम उसके और निकट पहुँचता है — परमाणु क्षति के लिए पूरक क्षतिपूर्ति अभिसमय (Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage — CSC), जिसे 1997 में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अंतर्गत अपनाया गया, एक साझा ढाँचा बनाता है जिसमें परिचालक अनन्य दायित्व वहन करते हैं और एक अंतरराष्ट्रीय कोष राष्ट्रीय सीमा से आगे की क्षतिपूर्ति को पूरा करता है। भारत ने 2010 में CSC पर हस्ताक्षर किए और फरवरी 2016 में इसका अनुसमर्थन किया, इससे पहले एक ज्ञापन जारी करते हुए यह तर्क दिया कि धारा 17(बी) इसके अनुकूल है। CSC का मॉडल दायित्व को परिचालक पर केंद्रित करता है और सप्लायरों के विरुद्ध प्रत्यावर्तन की अनुमति केवल तभी देता है जब अनुबंध ऐसा कहे या क्षति किसी जानबूझकर किए गए कृत्य से हुई हो — और यही रख अब SHANTI अधिनियम ने अपनाया है। नया कानून कुछ शर्तों के साथ भारत में हुई किसी घटना से किसी विदेशी राज्य में हुई क्षति के लिए भी क्षतिपूर्ति का विस्तार करता है।

4. जैतापुर और त्रि-चरणीय कार्यक्रम यह तय करते हैं कि EPR बेड़े का क्या अर्थ होगा — महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले की जैतापुर परियोजना लगभग 1,650 मेगावाट के छह EPR के रूप में योजनाबद्ध की गई थी, जिससे यह विश्व का सबसे बड़ा परमाणु स्थल बन जाता; यह 2008 के भारत-फ्रांस सिविल परमाणु सहयोग समझौते के बाद आई थी और अभी तक निर्माण-चरण तक नहीं पहुँची है। DAE के अंतर्गत आने वाला सार्वजनिक उपक्रम NPCIL भारत के अधिकांश शक्ति रिएक्टर चलाता है, जिनमें से अधिकांश प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करने वाले प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (PHWR) हैं। होमी भाभा द्वारा परिकल्पित भारत का त्रि-चरणीय कार्यक्रम PHWR से आगे बढ़कर प्लूटोनियम पैदा करने वाले फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की ओर, और फिर थोरियम-आधारित रिएक्टरों की ओर जाता है, क्योंकि भारत के पास यूरेनियम सीमित है पर थोरियम का बड़ा भंडार है। EPR जैसे आयातित लाइट वाटर रिएक्टर और कुडनकुलम के रूसी VVER इस क्रम से बाहर हैं और तेज़ी से क्षमता जोड़ते हैं, जबकि स्वदेशी 220 मेगावाट भारत स्मॉल रिएक्टर और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कैप्टिव औद्योगिक उपयोग के लिए बनाए गए हैं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- 1. GS3 ऊर्जा सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा की वृद्धि पर प्रश्न पूछता है** — UPSC उम्मीदवारों से भारत के ऊर्जा-मिश्रण में परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता तथा सुरक्षा व लागत संबंधी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए कह चुका है। SHANTI अधिनियम और एक विदेशी विक्रेता की पेशकश सप्लाइ-साइड का एक ताज़ा मामला देते हैं: क्षमता तभी आएगी जब दायित्व, निजी पूँजी और स्थानीयकरण एक साथ जुड़ें। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के राज्यसभा में दिए बयान के अनुसार, जिसे PIB ने रिपोर्ट किया, भारत के पास 2047 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 9 गीगावाट परमाणु क्षमता है।
- 2. प्रारंभिक परीक्षा बार-बार परमाणु संस्थाओं और अभिसमयों को परखती है** — प्रश्न IAEA सुरक्षा उपायों, परमाणु सप्लायर समूह, और विभिन्न रिएक्टरों में उपयोग होने वाले ईंधन को कवर करते रहे हैं। वैधानिक AERB, CSC, और PHWR व लाइट वाटर रिएक्टरों का अंतर अब कानून बदलने के बाद स्वाभाविक प्रारंभिक-परीक्षा लक्ष्य हैं। परिचालक और सप्लायर के दायित्व का भेद ठीक वैसा परिभाषात्मक बिंदु है जो पत्र को पसंद है।
- 3. GS2 फ्रांस को भारत का सबसे सुसंगत सामरिक साझेदार मानता है** — भारत-फ्रांस संबंधों की परीक्षा सामान्यतः रक्षा, अंतरिक्ष और सिविल परमाणु सहयोग के माध्यम से होती है। साझेदारी पर कोई उत्तर जैतापुर को इस कसौटी के रूप में उपयोग कर सकता है कि क्या 2008 का समझौता केवल कूटनीतिक सद्भावना ही नहीं, बल्कि बिजली भी देता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- SHANTI अधिनियम, 2025 ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 को निरस्त कर परमाणु ऊर्जा और परमाणु

दायित्व से संबंधित कानून को एक ही कानून में समेट दिया।

- SHANTI अधिनियम के अंतर्गत, भारत में निगमित कंपनियाँ, जिनमें सरकारी संस्थाओं और निजी कंपनियों के संयुक्त उपक्रम शामिल हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने, उनके स्वामित्व या संचालन के लिए लाइसेंस पा सकती हैं, जबकि भारत के बाहर निगमित कंपनियाँ इसके लिए पात्र नहीं हैं।
- SHANTI अधिनियम परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा देता है, जो पहले परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत एक कार्यकारी आदेश से गठित किया गया था।
- परमाणु क्षति के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 की धारा 17(बी) परिचालक को पेटेंट या गुप्त दोष वाले उपकरण या सामग्री, या घटिया सेवाओं से हुई परमाणु क्षति के लिए सप्लायर के विरुद्ध प्रत्यावर्तन का अधिकार देती थी।
- परमाणु दायित्व कानून के अंतर्गत, परमाणु क्षति का दायित्व दोष-निरपेक्ष आधार पर संस्थापन के परिचालक पर केंद्रित होता है, जिसका अर्थ है कि पीड़ित को लापरवाही साबित करने की आवश्यकता नहीं होती।
- परमाणु क्षति के लिए पूरक क्षतिपूर्ति अभिसमय (CSC) अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अंतर्गत अपनाया गया, और भारत ने इसका अनुसमर्थन 2016 में किया।
- यूरोपीय प्रेशराइज्ड रिएक्टर (EPR) एक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर डिज़ाइन है जो सामान्य (लाइट) जल को शीतलक व मंदक के रूप में उपयोग करता है, न कि भारत के स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टरों की तरह, जो प्राकृतिक यूरेनियम और भारी जल का उपयोग करते हैं।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. **दायित्व-सुधार ज़रूरी था, पर EDF ने अब अगली क्रीमत भी बता दी है: बेड़े का ऑर्डर —** पंद्रह साल तक विदेशी विक्रेता धारा 17(बी) को बाधा बताते रहे; SHANTI अधिनियम इसे हटाता है, और महीनों के भीतर विक्रेता वापस आ गए हैं। पर शुक्रवार को EDF का संदेश दायित्व के बारे में बिल्कुल नहीं था। उसने कहा कि “कई परमाणु रिएक्टरों वाला एक बड़ा कार्यक्रम” सप्लायरों को भरोसा देगा — जो अपनी भारतीय सप्लाइ चैन बनाने से पहले एक प्रतिबद्ध बहु-इकाई ऑर्डर की माँग है। इससे जोखिम विक्रेता की बैलेंस शीट से हटकर भारत के योजना-निर्णय पर आ जाता है: यदि सरकार एक बेड़े के लिए प्रतिबद्ध होती है और लागत बढ़ जाती है, तो क्रीमत भारतीय उपभोक्ता चुकाते हैं। इसके प्रतिपक्ष में यह तर्क है कि किसी भी रिएक्टर का एकल-निर्माण कभी सस्ता नहीं रहा है, और एक ही डिज़ाइन का शुंखलाबद्ध निर्माण ही वह तरीका है जिससे फ्रांस ने स्वयं 1970 और 1980 के दशकों में लागत घटाई थी।
2. **सप्लायर-प्रत्यावर्तन हटाने से जोखिम सार्वजनिक खज़ाने पर स्थानांतरित होता है: दूर नहीं —** CLNDA का सप्लायर-खंड भोपाल से लिया गया सबक था, जहाँ पीड़ितों को एक विदेशी कंपनी से क्षतिपूर्ति के लिए दशकों संघर्ष करना पड़ा। नए कानून के अंतर्गत परिचालक एक स्तरीकृत सीमा तक दायी है और बाकी केंद्र सरकार चुकाती है, जबकि सप्लायर तभी दायी है जब अनुबंध या कोई जानबूझकर किया गया कृत्य उसे ऐसा बनाए। यह अंतरराष्ट्रीय मानदंड है और बीमा-योग्य है, इसीलिए यह विक्रेताओं को आकर्षित करता है। इसका अर्थ यह भी है कि किसी आयातित रिएक्टर का डिज़ाइन-दोष परिचालक की सीमा से आगे भारतीय करदाता चुकाएँगे। क्या ₹100 करोड़ से ₹3,000 करोड़ की स्तरीकृत सीमाएँ EPR जैसे बड़े संयंत्र के लिए पर्याप्त हैं, यह सलाह के लिए रखे गए नियमों पर एक वाजिब सवाल है।
3. **EPR का अपना रिकॉर्ड ही सावधानी का सबसे मज़बूत तर्क है —** EPR सेवा में मौजूद सबसे शक्तिशाली रिएक्टर डिज़ाइनों में से एक है, पर यूरोप में इसके पहली बार बने संयंत्र, फ़िनलैंड के ओल्किलुओतो और फ्रांस के फ्लामांविन में, वर्षों देर से और बजट से बहुत आगे पूरे हुए। चीन में इकाइयाँ तेज़ी से बनीं, जो यह दर्शाता है कि समस्या डिज़ाइन में नहीं, बल्कि खोए हुए निर्माण-कौशल और पहली बार बनाने की इंजीनियरिंग में थी। NPCIL अब जिस बैच में PHWR बेड़े को बनाता है, वह क्षमता जोड़ने का सस्ता और अधिक पूर्वानुमेय तरीका है। EPR के पक्ष में तर्क तीव्रता का है: एक बड़ी इकाई कई स्वदेशी इकाइयों से अधिक क्षमता जोड़ती है, और भारत को 2047 के लक्ष्य के निकट पहुँचने के लिए तीव्र गति की ज़रूरत है।
4. **असली इनाम स्थानीयकरण है, और यह भारत के निजी उद्योग पर निर्भर करता है —** EDF ने बड़े पैमाने पर स्थानीयकरण और भारतीय उद्योग का लाभ उठाने की बात की। यह तभी काम करेगा जब भारतीय फ़ोर्जिंग, पंप, वाल्व और नियंत्रण प्रणालियाँ परमाणु-दर्जे के गुणवत्ता मानकों को पूरा करें, जो DAE की पारंपरिक सप्लायर-सूची से बाहर वर्तमान में बहुत कम कंपनियाँ करती हैं। SHANTI अधिनियम का निजी परिचालकों के लिए खुलना यहाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि खरीदारों का एक बड़ा बाज़ार घटक-निर्माताओं को निवेश के लिए मात्रा देता है। यदि नियम उद्योगों के लिए कैप्टिव परमाणु उत्पादन की अनुमति देते हैं, तो छोटे रिएक्टरों की माँग इस सप्लायर-आधार को मुट्ठी भर मँगा-परियोजनाओं से भी तेज़ी से खड़ा कर सकती है। दोनों रास्तों — आयातित बड़े रिएक्टर और स्वदेशी छोटे रिएक्टर — को प्रतिस्पर्धी के बजाय पूरक माना

	जाना चाहिए। 5. नियम-निर्माण का चरण यह तय करेगा कि सुधार विश्वसनीय है या नहीं — कोई अधिनियम सिद्धांत तय करता है; लाइसेंसिंग, सुरक्षा निगरानी और दायित्व पर मसौदा नियम यह तय करेंगे कि कोई परियोजना कितनी देर प्रतीक्षा करती है और किसका जोखिम कितना है। वैधानिक AERB एक सुधार है, पर उसके सदस्य फिर भी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, जो NPCIL की भी स्वामी है, और नियामक की स्वतंत्रता का आकलन इस बात से होगा कि वह किसी सरकारी परिचालक के आवेदन के साथ कैसा व्यवहार करता है। हितधारक-सलाह उन राज्यों, स्थानीय समुदायों और स्वतंत्र विशेषज्ञों को सुने जाने का अवसर है जो संयंत्रों की मेज़बानी करते हैं। एक कब्जे में लिया गया नियामक ठीक उन्हीं क्षेत्रों में, जैसे रत्नागिरी में, जनता का भरोसा तोड़गा, जहाँ पहले हुए विरोधों ने परियोजनाओं को रोका था।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“परमाणु क्षति के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 की जगह लेकर SHANTI अधिनियम ने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में विदेशी भागीदारी की मुख्य विधिक बाधा हटा दी है, पर आर्थिक बाधाओं को नहीं।” विदेशी रिएक्टर विक्रेताओं के साथ हाल की वार्ताओं के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. भूमिका — उल्लेख कीजिए कि दिसंबर 2025 में पारित SHANTI अधिनियम ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और CLNDA, 2010 को निरस्त किया, और 25 सितंबर, 2026 को ऊर्जा मंत्रालय ने EDF के साथ EPR पर वार्ता की जबकि DAE SHANTI के मसौदा नियमों पर सलाह ले रहा है। 2. मुख्य भाग — हटी हुई विधिक बाधा — धारा 17(बी) और सप्लायर-प्रत्यावर्तन, ₹1,500 करोड़ की सपट परिचालक-सीमा, और SHANTI अधिनियम किस तरह प्रत्यावर्तन को अनुबंध या जानबूझकर किए गए कृत्य तक सीमित करता है, ₹100 करोड़ से ₹3,000 करोड़ की स्तरीकृत सीमाएँ लाता है, लाइसेंसिंग भारतीय कंपनियों के लिए खोलता है और AERB को वैधानिक दर्जा देता है, यह समझाइए। 2016 में अनुसमर्थित CSC से जोड़िए। 3. मुख्य भाग — बची हुई आर्थिक बाधाएँ — EDF की बहु-रिएक्टर कार्यक्रम की माँग, ओल्लिलुओतो और फ्लामांजिल में पहली बार बने EPR की लागत व समय की अधिकता, EPR की बिजली किस टैरिफ़ पर बेची जा सकती है, भारतीय परमाणु-दर्जे की सप्लाइ चैन की गहराई, और जैतापुर में देखी गई भूमि व स्थानीय स्वीकृति की समस्याओं पर चर्चा कीजिए। 4. मुख्य भाग — प्रतिपक्ष — तर्क दीजिए कि शृंखलाबद्ध निर्माण से लागत घटती है, बड़े आयातित रिएक्टर त्रि-चरणीय कार्यक्रम व स्वदेशी PHWR के पूरक हैं, और 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य केवल स्वदेशी क्षमता से पूरा नहीं हो सकता। 5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि कानून ने प्रवेश के सुवाल को सुलझा दिया है, और नियम, एक स्वतंत्र नियामक तथा सार्वजनिक-निजी जोखिम-बंटवारे का स्पष्ट ढाँचा यह तय करेंगे कि रिएक्टर वास्तव में बनते हैं या नहीं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप रत्नागिरी के ज़िला कलेक्टर हैं। EPR पर फिर से शुरू हुई वार्ता की ख़बर से जैतापुर परियोजना को लेकर स्थानीय चिंता फिर से जाग उठती है। आप क्यों करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं पहले NPCIL और राज्य सरकार से तथ्य स्पष्ट करूँगा, ताकि मेरा कार्यालय किसी भी दिशा में अफ़वाहों को न बढ़ाए। मैं मछुआरा और किसान समुदायों के साथ भूमि, आजीविका और आपातकालीन तैयारी योजना पर खुली बैठक करूँगा, जिनमें AERB और NPCIL के विशेषज्ञ सीधे सवालों के जवाब दें। पहले हुए भूमि-अधिग्रहण से बची हुई क्षतिपूर्ति या पुनर्वास की शिकायतों की समीक्षा कर उन्हें समय-सीमा के भीतर निपटाया जाएगा। पुराने वादे पूरे करने के बाद ही नए सहयोग की माँग करने से भरोसा बनता है। प्रश्न 2. SHANTI नियम तैयार करने वाले संयुक्त सचिव के रूप में, एक विदेशी विक्रेता की गारंटीशुदा बहु-रिएक्टर ऑर्डर की माँग को आप कैसे संभालेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं नियम-पुस्तिका को व्यावसायिक वार्ता से अलग रखूँगा, क्योंकि किसी एक विक्रेता का पक्ष लेने वाले नियम विधिक चुनौती और अविश्वास को आमंत्रित करते हैं। नियमों में सभी पर समान रूप से लागू होने वाली पारदर्शी लाइसेंसिंग समय-सीमाएँ, सुरक्षा मानक और दायित्व प्रक्रियाएँ होनी चाहिए। कोई भी बेड़े-प्रतिबद्धता टैरिफ़, स्थानीयकरण और वित्तपोषण शर्तों के आधार पर एक अलग, प्रतिस्पर्धी रूप से परखा गया निर्णय होना चाहिए और सामान्य मंत्रिमंडल-प्रक्रिया से पास होना चाहिए। मैं शृंखला की हर ऑर्डर के साथ प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण और स्थानीय सामग्री की शर्तें जोड़ने पर भी बल दूँगा। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भोपाल के बाद सप्लायर-दायित्व को कमज़ोर करना सही था?

दृष्टिकोण (Approach): भोपाल कॉर्पोरेट जवाबदेही की चेतावनी है, पर CLNDA में सप्लायर-प्रत्यावर्तन ने एक भी सुरक्षित रिएक्टर नहीं दिया; इसने कोई आयातित रिएक्टर ही नहीं दिया। SHANTI अधिनियम उस अंतरराष्ट्रीय मॉडल का अनुसरण करता है जिसमें परिचालक कठोरता से दायी है और राज्य उसके पीछे खड़ा रहता है, ताकि पीड़ितों को किसी विदेशी कंपनी पर मुकदमा किए बिना जल्दी भुगतान मिले। ईमानदार कीमत यह है कि सार्वजनिक खजाना सीमा से आगे का जोखिम वहन करता है, जिसे कठोर विनियमन, पर्याप्त बीमा और अनुबंधीय वारंटी से संभालना होगा। मैं इस बदलाव का समर्थन करूंगा, पर साथ में एक ऐसा नियामक भी चाहूंगा जो इस समझौते को सुरक्षित बना सके।

7.2 IIT दिल्ली ने FPGA पर एक स्वदेशी प्रोग्रामेबल माइक्रो-GPU दिखाया, जबकि AI माँग से फ़ोन कीमतें बढ़ रही हैं

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 25 सितंबर। IIT दिल्ली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने भारत में डिज़ाइन किया गया एक प्रोग्रामेबल माइक्रो-ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट (graphics processing unit — GPU) बनाया है, जो उनका कहना है कि आगे चलकर कम लागत वाले एम्बेडेड उपकरणों के लिए स्थानीय रूप से डिज़ाइन किए गए ग्राफ़िक्स हार्डवेयर को संभव बना सकता है; यह जानकारी द इंडियन एक्सप्रेस ने दी है। GPU एक ऐसा प्रोसेसर है जो एक साथ अनेक सरल गणनाएँ करने के लिए बनाया जाता है, जो छवियाँ बनाने और, बड़े रूपों में, AI मॉडलों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयुक्त होता है। वर्तमान में सभी GPU आयातित होते हैं। एक शोधकर्ता ने कहा, “हमारी जानकारी के अनुसार, भारत के किसी विश्वविद्यालय से यह पहला काम करता, प्रदर्शनयोग्य स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया माइक्रो-GPU है।” यह चिप ग्राफ़िक्स और डिस्प्ले के लिए है, उच्च-स्तरीय AI कंप्यूटिंग के लिए नहीं। सुझाए गए उपयोगों में औद्योगिक नियंत्रण डिस्प्ले, ई-रिक्षा डैशबोर्ड नैविगेटर, छोटी मछली-पकड़ने वाली नावों के लिए अंतर्देशीय जल-नौवहन टर्मिनल और शैक्षणिक ई-बुक रीडर शामिल हैं। यह प्रणाली अभी एक स्पार्टन-7 फ़्रील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे (Field Programmable Gate Array — FPGA) पर चलती है — एक ऐसी चिप जिसके भीतरी परिपथ निर्माण के बाद सॉफ़्टवेयर से पुनः जोड़े जा सकते हैं — अलग स्वतंत्र सिलिकॉन चिप के रूप में नहीं। हार्डवेयर को RTL में वर्णित किया गया, वह कोड जो यह तय करता है कि डेटा रजिस्ट्रों के बीच कैसे बहता है। इस डिज़ाइन को एप्लिकेशन-स्पेसिफ़िक इंटीग्रेटेड सर्किट (Application-Specific Integrated Circuit — ASIC) में भी बदला जा सकता है, यानी प्रोसेसर एक समर्पित सिलिकॉन चिप के रूप में निर्मित होगा; यह काम अभी FPGA चरण में ही है। M.Tech छात्र नम्मि आकाश और M. रवि तेजा ने प्रोफ़ेसर जयदेव और कौशिक साहा के मार्गदर्शन में यह परियोजना संचालित की। टीम अब 8-16 कोर वाले वेक्टर-शैली के ग्राफ़िक्स प्रोसेसर, एक अनुकूलित कंपाइलर और ग्राफ़िक्स सॉफ़्टवेयर टूलचेन, तथा 65-नैनोमीटर ASIC प्रक्रिया पर एक संकल्पना-प्रमाण (proof of concept) को खोज कर रही है। उसी दिन द हिंदू ने नई दिल्ली से चिप बाज़ार के उपभोक्ता-पक्ष की रिपोर्ट दी, जो इस पत्रिका के 23 सितंबर के मेमोरी-चिप “सुपरसाइकिल” वाले कार्ड को आगे बढ़ाती है। क्योंकि AI कंपनियाँ और डेटा केंद्र मेमोरी चिप्स खरीद रहे हैं, फ़ोन निर्माताओं — अखबार ने ऑल इंडिया मोबाइल रितेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) के माध्यम से Vivo, Samsung, Realme, Oppo, Nothing, Poco और Xiaomi से नोटिस प्राप्त किए — ने फ़रवरी से रितेलरों को क्रमशः बड़े मूल्य-वृद्धि नोटिस भेजे हैं। नवीनतम खेप ₹1,000 से ₹5,000 तक है, और कुछ बजट हैंडसेट कीमत में दोगुने से भी अधिक हो गए हैं। AIMRA के संस्थापक अध्यक्ष कैलाश लखयानी ने कहा कि कंपनियों को उम्मीद है कि यह स्थिति 2028 या 2030 तक बनी रहेगी। काउंटरपॉइंट रिसर्च ने गुरुवार को कहा कि 2025 से 2030 के बीच वैश्विक स्तर पर \$200 से कम कीमत वाले स्मार्टफ़ोन की शिपमेंट में लगभग 40% गिरावट का अनुमान है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी के विकास पर GS3।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

भारत चिप-डिज़ाइन प्रतिभा तैयार करता है पर हर GPU और मेमोरी चिप आयात करता है → 2021 से भारत सेमीकंडक्टर मिशन और डिज़ाइन-लिंकड इसेंटिव डिज़ाइन व पैकेजिंग को बढ़ावा देते हैं → AI डेटा केंद्र वैश्विक मेमोरी सप्लाय को समेट लेते हैं और GPU सामरिक संपत्ति बन जाते हैं → भारत में फ़ोन कीमतें प्रति खेप ₹1,000-5,000 बढ़ती हैं → IIT दिल्ली की टीम FPGA पर एक प्रोग्रामेबल माइक्रो-GPU दिखाती है और 65-नैनोमीटर ASIC की योजना बनाती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. GPU एक साथ अनेक सरल काम करके जीतता है, CPU क्रम में जटिल काम करके — केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट (central processing unit — CPU) में कुछ शक्तिशाली कोर होते हैं जो विविध निर्देशों को एक के बाद एक तेज़ी से चलाने के लिए अनुकूलित होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम और सामान्य सॉफ़्टवेयर के लिए उपयुक्त है। ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) में अनेक सरल कोर होते हैं जो बड़ी मात्रा में डेटा पर समांतर रूप से एक ही ऑपरेशन लागू करते हैं, मूल रूप से लाखों पिक्सलों के रंग की गणना के लिए। यही समांतरता मशीन लर्निंग के केंद्र में मौजूद मैट्रिक्स गुणन के लिए उपयुक्त है, इसीलिए बड़े GPU AI-उछाल का इंजन बन गए। IIT दिल्ली के जैसा माइक्रो-GPU छोटे डिस्प्ले और एम्बेडेड उपकरणों को लक्षित करता है, जहाँ कच्ची गति से अधिक कम बिजली और कम लागत मायने रखते हैं।
2. FPGA किसी डिज़ाइन को सिद्ध करता है, ASIC उसे उत्पाद में बदलता है — फ़्रील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे एक ऐसी चिप है जिसमें लॉजिक के खंड होते हैं जिनके कनेक्शन निर्माण के बाद कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं, इसलिए एक ही FPGA अनेक डिज़ाइनों को धारण कर सकता है। एप्लिकेशन-स्पेसिफ़िक इंटीग्रेटेड सर्किट एक ही डिज़ाइन के लिए बनाया जाता है, जो उसे प्रति इकाई तेज़, छोटा और सस्ता बनाता है, पर इसके लिए मास्क और फ़ैब्रिकेशन की भारी एकबारगी लागत चाहिए। इसलिए डिज़ाइनर हार्डवेयर को रजिस्टर-ट्रांसफ़र स्तर (register-transfer level — RTL) पर किसी हार्डवेयर विवरण भाषा में लिखते हैं, उसे FPGA पर परखते हैं,

और मात्रा के अनुकूल होने पर ही ASIC की ओर बढ़ते हैं। 65 नैनोमीटर जैसा प्रोसेस-नोड निर्माण-प्रौद्योगिकी की पीढ़ी को दर्शाता है; पुराने नोड सस्ते होते हैं और अनेक एम्बेडेड चिप्स के लिए पर्याप्त होते हैं।

3. **भारत सेमीकंडक्टर मिशन फ़ैब, पैकेजिंग और डिज़ाइन को वित्तपोषित करता है** — केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2021 में ₹76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी, और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारत सेमीकंडक्टर मिशन इसे लागू करता है। यह सेमीकंडक्टर फ़ैब, डिस्प्ले फ़ैब, कॉम्पाउंड सेमीकंडक्टर और असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग व पैकेजिंग (ATMP/OSAT) इकाइयों का समर्थन करता है, तथा एक डिज़ाइन लिंकड इंसेंटिव (DLI) योजना चलाता है जो चिप और IP कोर डिज़ाइन करने वाली घरेलू स्टार्टअप और कंपनियों को वित्तीय सहायता व डिज़ाइन अवसरचना तक पहुँच देती है। चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम शैक्षणिक संस्थानों में चिप-डिज़ाइन प्रशिक्षण और परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है। IIT मद्रास द्वारा विकसित SHAKTI और C-DAC द्वारा विकसित VEGA जैसे स्वदेशी प्रोसेसर खुले RISC-V निर्देश-सेट पर बने हैं, जिसके लिए कोई लाइसेंस फ़ीस नहीं चाहिए।
4. **मेमोरी चिप्स AI-उछाल की जिन्स-परत (commodity layer) हैं** — डायनैमिक रैंडम-एक्सेस मेमोरी (DRAM) फ़ोन और कंप्यूटरों की कार्यशील मेमोरी है; यह वोलेटाइल है, बिजली बंद होने पर डेटा खो देती है, NAND फ़्लैश भंडारण के विपरीत। हाई बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) कई DRAM डाई को सीधा खड़ा करके एक AI प्रोसेसर के पास रखती है, जिससे AI प्रशिक्षण के लिए ज़रूरी विशाल डेटा-प्रवाह मिलता है। यह बाज़ार कुछ ही निर्माताओं, विशेषकर सैमसंग, SK Hynix और माइक्रोन के हाथों में केंद्रित है, इसलिए जब वे डेटा केंद्रों के लिए उच्च-मार्जिन HBM की ओर क्षमता मोड़ते हैं, तो फ़ोन के लिए सामान्य DRAM की सप्लाई तंग हो जाती है। 2024 में मंजूर IndiaAI मिशन भारतीय शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए GPU कंप्यूट तक पहुँच पर सब्सिडी देता है, पर वे GPU और उनकी मेमोरी आयातित हैं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **GS3 का पाठ्यक्रम प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण पर सवाल करता है** — UPSC पछू चुका है कि भारत सेमीकंडक्टर निर्माण में पीछे क्यों है और भारत सेमीकंडक्टर मिशन किस उद्देश्य से बनाया गया है। एक विश्वविद्यालय का GPU प्रदर्शन डिज़ाइन-स्तर का एक ठोस उदाहरण है, जहाँ भारत के पास प्रतिभा है पर अपनी कम बौद्धिक संपदा है। जो उत्तर डिज़ाइन, फ़ैब्रिकेशन और पैकेजिंग को अलग-अलग करके समझाते हैं, वे “चिप्स” पर सामान्य उत्तरों से बेहतर अंक पाते हैं।
2. **प्रारंभिक परीक्षा कंप्यूटिंग हार्डवेयर की शब्दावली परखती है** — RISC-V, क्वांटम कंप्यूटिंग और AI चिप्स जैसे शब्दों पर प्रश्न आ चुके हैं, और FPGA व ASIC, या CPU व GPU का अंतर अगला स्वाभाविक क़दम है। मेमोरी-चिप की कहानी DRAM और HBM को जोड़ती है, जो AI सप्लाई चेन पर करंट अफ़ेयर्स में बार-बार आते हैं।
3. **घरेलू क्रीमों को प्रभावित करने वाली वैश्विक सप्लाई चेन GS3 के अर्थव्यवस्था प्रश्नों में फ़िट होती है** — फ़ोन-क्रीम की कहानी दर्शाती है कि एक क्षेत्र — AI डेटा केंद्र — का माँग-आघात एक संकेदित सप्लाई चेन के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं तक कैसे पहुँचता है। यह मुद्रास्फीति के कारकों, डिजिटल विभाजन (digital divide), और प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण की सहनक्षमता (resilience) पर प्रश्नों के लिए उपयोगी है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) में बड़ी संख्या में सरल कोर होते हैं जो एक ही ऑपरेशन को अनेक डेटा-अवयवों पर समांतर रूप से करते हैं, जो इसे ग्राफ़िक्स रेंडरिंग और मशीन लर्निंग के लिए उपयुक्त बनाता है।
- फ़ील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे (FPGA) एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसका लॉजिक निर्माण के बाद पुनर्संरचित किया जा सकता है, जबकि एप्लिकेशन-स्पेसिफ़िक इंटीग्रेटेड सर्किट (ASIC) एक ही निश्चित डिज़ाइन के लिए निर्मित किया जाता है।
- ₹76,000 करोड़ के परिव्यय वाले सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को दिसंबर 2021 में मंजूरी मिली, और इसे इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारत सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से लागू किया जाता है।
- सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डिज़ाइन लिंकड इंसेंटिव योजना सेमीकंडक्टर चिप्स और IP कोर के डिज़ाइन में घरेलू कंपनियों और स्टार्टअप का समर्थन करती है।
- SHAKTI (IIT मद्रास) और VEGA (C-DAC) खुले स्रोत वाले RISC-V निर्देश-सेट आर्किटेक्चर पर आधारित स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर हैं।
- डायनैमिक रैंडम-एक्सेस मेमोरी (DRAM) वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि हाई बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) AI त्वरकों को उच्च डेटा-प्रवाह देने के लिए कई DRAM डाई को सीधा

खड़ा करती है।

- रजिस्टर-ट्रांसफर स्तर (RTL) विवरण चिप-डिज़ाइन का वह चरण है जिसमें हार्डवेयर रजिस्ट्रो के बीच डेटा के प्रवाह को एक हार्डवेयर विवरण भाषा में निर्दिष्ट किया जाता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. यह उपलब्धि डिज़ाइन-क्षमता की है, कोई उत्पाद नहीं, और यही शुरुआत का सही बिंदु है — स्पार्टन-7 FPGA पर बना माइक्रो-GPU व्यावसायिक ग्राफिक्स चिप्स से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, और शोधकर्ता ऐसा दावा भी नहीं करते। इसका मूल्य यह है कि एक भारतीय टीम अब एक प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स आर्किटेक्चर, उसका RTL और, यदि वे इसे बनाएँ, उसका कंपाइलर अपने पास रखती है। इस तरह की बौद्धिक संपदा ही भारत में सबसे अधिक कमी है: देश में विदेशी कंपनियों के लिए काम करने वाले अनेक चिप-डिज़ाइनर हैं, पर भारतीय-स्वामित्व वाले डिज़ाइन बहुत कम हैं। ईमानदार सीमा यह है कि सॉफ्टवेयर ईकोसिस्टम के बिना GPU का उपयोग करना कठिन है, इसीलिए योजनाबद्ध कंपाइलर और टूलचेन सिलिकॉन जितने ही महत्वपूर्ण हैं।
2. ई-रिक्षा और मछली-पकड़ने वाली नावों को लक्षित करना एक चतुर बाज़ार-चयन है — टीम कम-लागत वाले एम्बेडेड डिस्प्ले के उस खंड को लक्षित कर रही है, जिसे वैश्विक चिप कंपनियाँ सस्ते आयातित पुर्जों से सेवा देती हैं पर जिसके लिए वे डिज़ाइन नहीं करतीं। ई-रिक्षा डैशबोर्ड, छोटी नावों के नौवहन टर्मिनल और स्कूली ई-रीडर जैसे भारतीय उत्पादों को बहुत कम लागत और लंबे उत्पाद-जीवन में मध्यम ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है। इन उपयोगों के लिए अनुकूलित और स्थानीय रूप से समर्थित एक स्वदेशी डिज़ाइन का असली स्थान बन सकता है। जोखिम पैमाने का है: ये बाज़ार क्रीमत के प्रति संवेदनशील हैं, और ASIC केवल बड़ी मात्रा में ही किसी रेडीमेड पुर्जों से सस्ता पड़ता है, जिसकी गारंटी उद्योग-साझेदारों के बिना कोई विश्वविद्यालय परियोजना नहीं दे सकती।
3. फ़ोन-क्रीमत का झटका चिप्स में क्रीमत-लेने वाला (price-taker) होने की क्रीमत दिखाता है — भारत जो फ़ोन बेचता है उनमें से अधिकांश को असंबल करता है पर उनके भीतर की मेमोरी को लगभग बिल्कुल भी डिज़ाइन या फ़ैब्रिकेट नहीं करता। जब मेमोरी-निर्माता AI डेटा केंद्रों के लिए HBM की ओर क्षमता मोड़ते हैं, तो भारतीय खरीदार प्रति हैडसेट ₹1,000 से ₹5,000 अधिक चुकाते हैं, और कुछ बजट मॉडल क्रीमत में दोगुने से भी अधिक हो गए हैं। द हिंदू की रिपोर्ट कि 20% ग्राहक कम शक्तिशाली या सेकंड-हैंड फ़ोन से समझौता कर रहे हैं, एक डिजिटल-विभाजन की कहानी है, क्योंकि बजट फ़ोन ही गरीब परिवारों के लिए इंटरनेट का मुख्य साधन है। कोई विश्वविद्यालय-निर्मित GPU इसे निकट भविष्य में ठीक नहीं करता, पर यह दिखाता है कि नीति असंबली-सब्सिडी से हटकर डिज़ाइन और फ़ैब्रिकेशन की ओर क्यों जा रही है।
4. रिटेलरों के क्रीमत-आँकड़ों को सावधानी से पढ़ना चाहिए — आँकड़े रिटेलरों के एक संघ से आते हैं, और श्री लखयानी ने यह भी कहा कि कुछ रिटेलर पुरानी क्रीमतों पर खरीदे गए स्टॉक पर, कुछ सैमसंग मॉडलों पर 3.85% से 14% से अधिक तक, ऊँचा मार्जिन कमा रहे हैं। रिटेलरों का हित बिकवाली में गिरावट को उजागर करने में है, और यह दावा कि दिन में आने वाले 10 या 15 ग्राहकों में से केवल एक-दो ही फ़ोन खरीदते हैं, दक्षिण दिल्ली की एक ही दुकान का अनुभव है। लगभग 40% गिरावट का अनुमान काउंटरपाइंट से आता है, भारतीय आँकड़ों से नहीं। यह रुझान वास्तविक है, पर भारत के लिए इसका आकार अभी मापा नहीं गया है, और रिपोर्ट में उल्लेखित फ़ोन पर GST कटौती की “अफ़वाह” को नीति के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
5. विश्वविद्यालय चिप परियोजनाओं को केवल अनुदान नहीं, फ़ैब्रिकेशन तक पहुँच का रास्ता चाहिए — टीम का अगला कदम, 65-नैनोमीटर ASIC संकल्पना-प्रमाण, एक फ़ैब्रिकेशन सुविधा और महँगे मास्क-सेट तक पहुँच माँगता है। भारत की डिज़ाइन-लिंकड इंसेंटिव योजनाएँ और शैक्षणिक चिप-डिज़ाइन कार्यक्रम ठीक यही देने के लिए बने हैं, पर परियोजनाएँ अक्सर एक सफल FPGA प्रदर्शन और पहले सिलिकॉन के बीच ही रुक जाती हैं। साझा मल्टी-प्रोजेक्ट वेफ़र रन, जिनमें अनेक डिज़ाइन एक ही फ़ैब्रिकेशन रन साझा करते हैं, शैक्षणिक समूहों के लिए लागत घटाते हैं। यदि निर्माणाधीन नए भारतीय फ़ैब पुराने नोड पर ऐसे साझा रन उपलब्ध कराएँ, तो इस जैसी विश्वविद्यालय-डिज़ाइन वर्षों के बजाय महीनों में सिलिकॉन तक पहुँच सकती है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

भारत ने चिप-डिज़ाइन इंजीनियरों का एक मजबूत आधार तो बनाया है, पर सेमीकंडक्टर बौद्धिक संपदा बहुत कम रखता है। चर्चा कीजिए कि शैक्षणिक शोध, डिज़ाइन लिंकड इंसेंटिव योजना और घरेलू माँग मिलकर भारत को चिप-असंबली से चिप-डिज़ाइन की ओर कैसे ले जा सकते हैं। हाल के विकासों से इसे स्पष्ट कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

1. भूमिका — स्पार्टन-7 FPGA पर दिखाए गए IIT दिल्ली के प्रोग्रामेबल माइक्रो-GPU का उल्लेख कीजिए, जिसे उसके डेवलपर्स ने किसी भारतीय विश्वविद्यालय से पहला काम करता स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया माइक्रो-GPU बताया है, इस तथ्य के विपरीत कि भारत में उपयोग होने वाले सभी GPU आयातित हैं।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

2. **मुख्य भाग — कमी** — डिज़ाइन, फ़ैब्रिकेशन और पैकेजिंग की मूल्य-शृंखला समझाइए; बताइए कि भारत की ताकत विदेशी कंपनियों के लिए डिज़ाइन-सेवाओं और नई पैकेजिंग सुविधाओं में है, जबकि डिज़ाइन-स्वामित्व और मेमोरी-निर्माण गायब हैं। साक्ष्य के रूप में AI-चालित मेमोरी-चिप संकट और ₹1,000 से ₹5,000 की फ़ोन क्रीम-वृद्धि का उपयोग कीजिए।
3. **मुख्य भाग — उपकरण** — ₹76,000 करोड़ के सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम, DLI योजना, चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम, RISC-V आधारित SHAKTI और VEGA, तथा IndiaAI मिशन के कंप्यूट-समर्थन का वर्णन कीजिए। यह समझाइए कि FPGA-से-ASIC क्रम के लिए साझा फ़ैब्रिकेशन-पहुँच और उद्योग-साझेदारों की क्यों आवश्यकता है।
4. **मुख्य भाग — कड़ी के रूप में माँग की कमी** — तर्क दीजिए कि ई-रिक्षा डैशबोर्ड, स्मार्ट मीटर और शिक्षा-उपकरण जैसे घरेलू क्षेत्र भारतीय डिज़ाइनरों के लिए शुरुआती मात्रा दे सकते हैं, और सार्वजनिक खरीद में प्राथमिकता इसमें सहायक हो सकती है, इस चेतावनी के साथ कि संरक्षण घटिया उत्पादों को स्थायी नहीं बनाना चाहिए।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि डिज़ाइन-संप्रभुता किसी एक बड़े फ़्लैगशिप चिप से नहीं, बल्कि टूलचेन और खरीदारों के सहारे सिलिकॉन तक पहुँचने वाले अनेक छोटे स्वदेशी डिज़ाइनरों से आएगी।

प्रश्न 1. आप MeitY में एक सचिव हैं। एक विश्वविद्यालय टीम अपने FPGA-आधारित GPU को सिलिकॉन तक ले जाने में मदद मांगती है। आप क्या पेशकश करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं टीम को डिज़ाइन-टूल और फ़ैब्रिकेशन-रन के लिए वित्तपोषण हेतु डिज़ाइन लिंकड इंसेंटिव योजना और चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम से जोड़ूँगा। मैं किसी सुलभ नोड पर मल्टी-प्रोजेक्ट वेफ़र शटल के लिए ज़ोर दूँगा, ताकि लागत अन्य शैक्षणिक डिज़ाइनरों के साथ बँट जाए। मैं टीम को किसी लक्षित बाज़ार, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन या ई-रीडर, में उद्योग-साझेदार खोजने में भी सहायता करूँगा, क्योंकि खरीदार के बिना कोई चिप शायद ही टिकता है। संस्थान और छात्रों के बीच IP-स्वामित्व के स्पष्ट नियम शुरुआत में ही तय कर लिए जाने चाहिए।

प्रश्न 2. आप छात्रों को टैबलेट बाँटने वाली योजना चलाने वाले ज़िला कलेक्टर हैं। बढ़ती उपकरण-क्रीमतों पर आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं पहले यह जाँचूँगा कि खरीद-अनुबंध में क्रीमत-परिवर्तन खंड है या नहीं, और सप्लायर प्रतिबद्ध ऑर्डरों के लिए उद्धृत क्रीमतों का पालन कर रहा है या नहीं। मैं शिक्षण-सॉफ़्टवेयर की ज़रूरत से कम विशिष्टता वाला उपकरण नहीं लूँगा, क्योंकि सस्ता पर बेकार उपकरण सार्वजनिक धन बर्बाद करता है। जहाँ बजट तंग हो, वहाँ मैं उन छात्रों को प्राथमिकता दूँगा जिनके घर में कोई उपकरण नहीं है और स्कूल की प्रयोगशालाओं में साझा उपकरण पर विचार करूँगा। मैं यह क्रीमत-रुझान राज्य को बताऊँगा ताकि अगली निविदा यथार्थवादी हो।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: क्या भारत को सार्वजनिक धन AI के लिए GPU पर खर्च करना चाहिए या अपनी चिप बनाने पर?

दृष्टिकोण (Approach): दोनों की ज़रूरत है, पर वे अलग-अलग समय-सीमाओं की सेवा करते हैं। आयातित GPU भारतीय शोधकर्ताओं और स्टार्टअप को आज कंप्यूट देते हैं, जिसे IndiaAI मिशन पहले से सब्सिडी देता है, और स्वदेशी चिप्स की प्रतीक्षा करने से वे पीछे रह जाएँगे। चिप-डिज़ाइन क्षमता बनाना सौदेबाज़ी-शक्ति और सप्लाइ की सुरक्षा में एक दशक-भर का निवेश है। एक समझदार संतुलन यह है कि अभी कंप्यूट खरीदा जाए, साथ ही डिज़ाइन, पैकेजिंग और फ़ैब्रिकेशन को लगातार वित्तपोषित किया जाए, ताकि निभरता समय के साथ घटे।

8. समाज (Society)

सबसे टिकाऊ लैंगिक मान्यताएँ समानता के भाषणों में नहीं सिखाई जाती; वे उन तस्वीरों से सोख ली जाती हैं जो दिखाती हैं कि खाना कौन पकाता है, पानी कौन भरता है और ढोल कौन बजाता है। आंध्र प्रदेश ने छह-सात साल के बच्चों के लिए इन्हीं तस्वीरों को फिर से खींचने का फैसला किया है, अपनी नई पाठ्यपुस्तकों में घर के काम पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबर बाँटकर। यह एक सस्ता, शांत सुधार है जो भारत के अवैतनिक देखभाल-भार की जड़ पर लक्षित है, और इसकी सफलता किताबों से कम, उन्हें पाने वाले घरों और कक्षाओं पर अधिक निर्भर करेगी।

8.1 आंध्र प्रदेश की नई कक्षा 1-2 पाठ्यपुस्तकें दिखाती हैं कि पुरुष आधे घरेलू काम करते हैं

समाचार (THE NEWS) हैदराबाद, 25 सितंबर। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश की कक्षा 1 और 2 की नई पाठ्यपुस्तकें घरेलू काम पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबर बाँटा हुआ दिखाती हैं, क्योंकि राज्य कम उम्र से ही लैंगिक रूढ़ियों को मिटाने की कोशिश कर रहा है। लैंगिक रूढ़ि (gender stereotype) एक तथ्यशुदा धारणा है कि पुरुषों और महिलाओं को क्या करना चाहिए, जैसे कि खाना बनाना और पानी भरना महिलाओं का काम है। नई किताबें एक पिता को माँ के साथ रसोई में काम करते, संगीत प्रदर्शन में ढोल और वायलिन बजाती लड़कियों, और एक साझा सार्वजनिक नल से पानी लेने की क्रतार में साथ खड़े पुरुषों और महिलाओं को दिखाती हैं। अन्य चित्रों में एक महिला सब्जी बेचती दिखती है, एक दुकान पर एक पुरुष एक महिला के साथ फूल-माला बनाता है, और एक पुरुष तथा एक महिला खेत में साथ काम करते हैं। एक अधिकारी ने कहा, “जबकि पुरानी पाठ्यपुस्तकें घरेलू काम पूरी तरह महिलाओं द्वारा किया जाना दिखाती थीं, हाल ही में लाई गई नई पाठ्यपुस्तकों ने यह तरीका बदल दिया है, ताकि दिखाए गए घरेलू काम का 50% पुरुष और 50% महिलाएँ करें।” राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं मानव संसाधन विकास मंत्री एन. लोकेश नायडू ने गुरुवार को दिल्ली में पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक बातचीत में कहा, “लक्ष्य पहली कक्षा से ही लैंगिक रूढ़िबद्धता से बचना है।” नई किताबें बच्चों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के “अच्छे” और “बुरे” दोनों पहलुओं से भी परिचित कराती हैं, ताकि वे इस तकनीक को समझें और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करें। प्राथमिक स्कूल अब शनिवार को मूल्य-आधारित और व्यावहारिक शिक्षा के लिए “नो बैग डे” मनाते हैं, जिसमें परिवार और कृषि वजत प्रबंधन के पाठ, क्षेत्र-भ्रमण और AI का परिचय शामिल है। सरकार कक्षाओं को “गेमिफाई” करने पर काम कर रही है: हर 45 मिनट की कक्षा के बाद विद्यार्थी पाठ का सार बताने वाला 60 या 90 सेकंड का वीडियो देखेंगे और क्लिकर तकनीक का उपयोग करते हुए चार-पाँच प्रश्नों के उत्तर देंगे। यह ऑकड़ा राज्य की लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) में जाएगा, जो व्यक्तिगत सीखने की कमियों को पहचानेगा और LEAP ऐप के माध्यम से लक्षित गृह-कार्य तथा शिक्षण-सामग्री देगा, जो अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी खुला है। शिक्षकों की उपलब्धता पर, श्री लोकेश ने कहा कि प्रति कक्षा एक शिक्षक वाले स्कूलों का हिस्सा 2024 में 3% से बढ़कर 33% हो गया है, और शुक्रवार को द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हाल की भर्ती में 16,000 शिक्षक नियुक्त किए गए, और भर्ती हर साल होगी। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS1 में महिलाओं की भूमिका और सामाजिक सशक्तीकरण, तथा GS2 में सामाजिक क्षेत्र के रूप में शिक्षा।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

बच्चे पढ़ पाने से पहले ही तस्वीरों से यह सोख लेते हैं कि घर में कौन क्या करता है → पुरानी पाठ्यपुस्तकें घरेलू काम पूरी तरह महिलाओं द्वारा किया जाना दिखाती थीं, जो एक मान्यता को मजबूत करती थीं → समय-उपयोग सर्वेक्षण दिखाते हैं कि भारतीय महिलाएँ अधिकांश अवैतनिक घरेलू और देखभाल-कार्य उठाती हैं, जो कई महिलाओं को वैतनिक रोजगार से बाहर रखता है → NEP 2020 और नए पाठ्यक्रम ढाँचे लैंगिक-संवेदनशील सामग्री की मांग करते हैं → आंध्र प्रदेश कक्षा 1-2 की पाठ्यपुस्तकों को पुरुषों और महिलाओं के बीच 50:50 काम-बाँटवारे के साथ फिर से तैयार करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. समय-उपयोग सर्वेक्षण उस अवैतनिक काम को मापता है जिसे GDP नहीं गिनता — सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistics Office, NSO) ने 2019 में भारत का पहला अखिल-भारतीय समय-उपयोग सर्वेक्षण (Time Use Survey) संचालित किया और 2024 में दूसरा दौर किया। यह छह वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के दिन के हर मिनट का हिसाब रखता है, वैतनिक काम को अवैतनिक घरेलू सेवाओं और अवैतनिक देखभाल-कार्य से अलग करते हुए। दोनों दौरों में पाया गया कि महिलाएँ परिवार के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाओं में पुरुषों से कई गुना अधिक मिनट प्रतिदिन देती हैं, जबकि पुरुष रोजगार में कहीं अधिक समय देते हैं। चूँकि घर के भीतर अवैतनिक काम GDP में नहीं गिना जाता, यह सर्वेक्षण महिलाओं द्वारा उठाए जाने वाले भार का मुख्य आधिकारिक प्रमाण है।
2. अवैतनिक देखभाल-कार्य भारत में महिलाओं की कम श्रम-बल भागीदारी की एक प्रमुख व्याख्या है — आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey, PLFS), जिसे NSO 2017-18 से संचालित कर रहा है, श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate, LFPR) मापता है — यानी काम कर रहे या काम खोज रहे लोगों का हिस्सा। भारत में महिला LFPR हाल के PLFS दौरों में बढ़ी है, पर यह पुरुषों की दर से बहुत नीचे बनी हुई है, और इस बढ़ोतरी का अधिकांश हिस्सा स्वरोजगार और घरेलू उद्यमों में अवैतनिक काम में है। सर्वेक्षण बार-बार यह पाते हैं कि श्रम बल से बाहर रहने वाली महिलाओं का बड़ा हिस्सा घरेलू ज़िम्मेदारियों को इसका कारण बताता है। अर्थशास्त्री घरेलू काम के बँटवारे को “दोहरा भार” (double burden) कहते हैं: जब महिलाएँ वैतनिक काम करती हैं, तब भी वे आमतौर पर अधिकांश घरेलू काम अपने पास रखती हैं।
3. NEP 2020 और नए पाठ्यक्रम ढाँचे लैंगिक-संवेदनशील पाठ्य-सामग्री की मांग करते हैं —

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy, NEP) 2020 लैंगिकता को एक व्यापक प्राथमिकता मानती है, राज्यों को लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों की पहुँच सुधारने में मदद के लिए एक लैंगिक-समावेशन कोष प्रस्तावित करती है, और व्यावहारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों वाले बैगरहित दिनों की सिफ़ारिश करती है। आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढाँचा (National Curriculum Framework for Foundational Stage, NCF-FS), 2022 तीन से आठ वर्ष के बच्चों को कवर करता है, जिसमें कक्षा 1 और 2 शामिल हैं, और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढाँचा (National Curriculum Framework for School Education, NCF-SE), 2023 पूरे स्कूली चरण को कवर करता है। दोनों ढाँचे लैंगिक, जाति और अन्य रूढ़ियों से मुक्त शिक्षण-सामग्री की माँग करते हैं। राज्य अपनी पाठ्यपुस्तकें अपनी राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषदों के माध्यम से तैयार करते हैं, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है।

4. **संविधान और सतत विकास लक्ष्य दोनों उस मान्यता का नाम लेते हैं जिसे निशाना बनाया जा रहा है** — अनुच्छेद 51A(क), जो 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया एक मूल कर्तव्य है, हर नागरिक से महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रचलनों को त्यागने की माँग करता है। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है, और अनुच्छेद 21A तथा बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) छह से चौदह वर्ष तक स्कूली शिक्षा की गारंटी देते हैं; RTE अधिनियम की अनुसूची स्कूलों के लिए विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात के मानक तय करती है। लैंगिक समानता पर सतत विकास लक्ष्य 5 (SDG 5) में लक्ष्य 5.4 शामिल है, जो देशों से सार्वजनिक सेवाओं, अवसरचना और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से, तथा घर और परिवार के भीतर साझा ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देकर, अवैतनिक देखभाल एवं घरेलू काम को पहचानने और महत्व देने की माँग करता है। आंध्र की पाठ्यपुस्तकें इस आखिरी खंड पर एक सीधा प्रयास हैं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **GS1 महिलाओं के काम और सामाजिक मान्यताओं पर नियमित रूप से पूछता है** — UPSC महिलाओं की कम श्रम-बल भागीदारी के कारणों, कृषि के महिलाकरण (feminisation of agriculture) और पितृसत्ता के महिलाओं की स्थिति पर प्रभावों के बारे में पूछ चुकी है। अवैतनिक देखभाल-कार्य या लैंगिक मान्यताओं को बदलने में शिक्षा की भूमिका पर एक प्रश्न पाठ्यक्रम के शीर्षक “महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन” और “सामाजिक सशक्तीकरण” के अंतर्गत सीधे आता है। यह खबर उल्लेख करने के लिए एक ठोस नीतिगत उदाहरण देती है।
2. **प्रारंभिक परीक्षा सर्वेक्षणों, ढाँचों और कर्तव्यों को परखती है** — समय-उपयोग सर्वेक्षण, PLFS और उन्हें संचालित करने वाली एजेंसियाँ मानक प्रारंभिक परीक्षा सामग्री हैं, जैसे मूल कर्तव्य और सतत विकास लक्ष्य भी हैं। NCF-FS और NCF-SE, और वे किन आयु-समूहों को कवर करते हैं, अब स्वाभाविक निशाना हैं क्योंकि राज्य इनके अंतर्गत नई पाठ्यपुस्तकें लागू कर रहे हैं।
3. **निबंध और GS2 स्कूली सुधार को शासन की परीक्षा के रूप में उपयोग करते हैं** — लैंगिक समानता और सामाजिक बदलाव के औज़ार के रूप में शिक्षा पर निबंध-विषय बार-बार आते हैं। आंध्र के सुधारों में एक शासन-संबंधी सूत्र भी है: सीखने का आँकड़ा, शिक्षक भर्ती और प्रति कक्षा एक शिक्षक का लक्ष्य वही है जिसे परीक्षक परिणाम-केंद्रित स्कूल प्रशासन कहते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- भारत में समय-उपयोग सर्वेक्षण सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है; पहला अखिल-भारतीय दौर 2019 में हुआ था।
- संविधान का अनुच्छेद 51A(क) महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रचलनों को त्यागने का एक मूल कर्तव्य स्थापित करता है।
- मूल कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर जोड़ा गया।
- आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढाँचा (2022) तीन से आठ वर्ष तक के बच्चों को कवर करता है, जिसमें कक्षा 1 और 2 शामिल हैं।
- सतत विकास लक्ष्य 5.4 अवैतनिक देखभाल एवं घरेलू काम को पहचानने और महत्व देने की माँग करता है, जिसमें घर और परिवार के भीतर साझा ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देना शामिल है।
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय संचालित करता है, श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात और बेरोज़गारी दर मापता है।
- शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. पाठ्यपुस्तकें मान्यता के जड़ पकड़ने से पहले उस पर काम करती हैं, इसीलिए शुरुआती कक्षाएँ महत्वपूर्ण हैं — छह-सात साल की उम्र तक बच्चों के मन में यह स्पष्ट धारणा बन जाती है कि कौन-सा काम किस लिंग का है, जो घर पर सीखी और स्कूल में देखी गई चीजों से मज़बूत होती है। कक्षा 1 की किताब में तस्वीरें बार-बार देखी जाती हैं, जोर से चर्चा की जाती है और अक्सर चित्रकला में कॉपी की जाती है, इसलिए वे बाद की किसी कक्षा के पाठ से कहीं अधिक उम्मीदें आकार देती हैं। अधिकारी के अपने कथन के अनुसार, आंध्र की पुरानी किताबें घरेलू काम पूरी तरह महिलाओं द्वारा किया जाना दिखाती थीं, यानी स्कूल-व्यवस्था स्वयं सक्रिय रूप से यह रूढ़ि सिखा रही थी। इसे सुधारने की लगभग कोई लागत नहीं है, क्योंकि पाठ्यपुस्तकें वैसे भी संशोधित होती रहती हैं। सीमा यह है कि एक तस्वीर बच्चे के घर के रोज़मर्रा के अनुभव से मुकाबला करती है, और आमतौर पर घर जीत जाता है।
2. 50:50 का नियम एक भोंडा उपकरण है, पर मापने योग्य है — काम गिनकर उन्हें बराबर बाँटना यंत्रवत लग सकता है, और कोई आलोचक कह सकता है कि यह एक ऐसा आदर्श पेश करता है जिससे कुछ ही भारतीय घर मेल खाते हैं। पर एक संख्यात्मक नियम जाँचने योग्य है: कोई भी किताब खोलकर देख सकता है, जो “लैंगिक संवेदनशीलता” के अस्पष्ट वादों के साथ सच नहीं है। यह चित्रकारों और लेखकों को आदत के भरोसे चलने के बजाय हर तस्वीर पर सोचने पर भी मज़बूर करता है। असली परीक्षा यह होगी कि क्या आगे की कक्षाओं की किताबें यह तरीका जारी रखती हैं और क्या शिक्षक इन तस्वीरों का उपयोग बातचीत शुरू करने के लिए करते हैं, न कि केवल उन्हें छोड़ जाते हैं।
3. आर्थिक दाँव महिलाओं का समय है, और स्कूल केवल उसका एक हिस्सा संभाल सकते हैं — समय-उपयोग सर्वेक्षण दिखाते हैं कि भारत का अधिकांश अवैतनिक घरेलू काम महिलाएँ करती हैं, और यही एक बड़ा कारण है कि कई महिलाएँ वैतनिक नौकरियों से बाहर रह जाती हैं। लड़कों की घरेलू काम के प्रति उम्मीदों को बदलना उस भार को साझा करने का एक दीर्घकालिक तरीका है, पर श्रम बाज़ार पर इसका असर आने में एक पीढ़ी लगेगी। इस बीच, पानी भरने, अक्षम ईंधन से खाना पकाने और बच्चों तथा बुजुर्गों की देखभाल में महिलाओं का समय पाइप से जल-सप्लाई, स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन और क्रेच (creches) से बेहतर घटाया जा सकता है। पाठ्यपुस्तक-सुधार इस अवसरचना का पूरक है; वह उसकी जगह नहीं ले सकता।
4. इस सुधार को असली जोखिम किताब में नहीं, कक्षा में है — जो शिक्षक खाना पकाते पिता की तस्वीर पर हँसता है, या कक्षा साफ़ करने के लिए केवल लड़कियों से कहता है, वह पाठ को उलट देता है। लैंगिक-संवेदनशील पाठ्यपुस्तकें पहले भी कई राज्यों में बनाई गई हैं, और ऐसे प्रयासों के आकलन में अक्सर पाया जाता है कि शिक्षकों का रुख और स्कूल की प्रथाएँ परिणाम तय करती हैं। आंध्र की 16,000 शिक्षकों की भर्ती नियुक्ति-प्रशिक्षण में लैंगिक संवेदीकरण जोड़ने का अवसर है। इसके बिना, नई किताबों को केवल चित्रों का बदलना समझा जाने का जोखिम है, विचारों का बदलना नहीं।
5. डेटा-आधारित कक्षा अपने साथ लाभ और अपने ही सवाल लाती है — हर 45 मिनट की कक्षा के बाद एक छोटा वीडियो और क्लिकर प्रश्न देने की योजना, जो LEAP ऐप के माध्यम से लक्षित गृह-कार्य तय करने वाले LMS को आँकड़ा देती है, सीखने की कमियों को शुरुआत में ही पहचान सकती है, जो भारतीय प्राथमिक स्कूली शिक्षा की मूल कमज़ोरी है। यह छोटे बच्चों पर विस्तृत आँकड़ा भी बनाती है, जो सहमति, भंडारण और उपयोग के सवाल उठाती है, जिन्हें रिपोर्ट संबोधित नहीं करती हैं। बार-बार होने वाली छोटी क्विज़ खेल-आधारित सीखने की जगह ले सकती हैं, जिस पर आधारभूत-चरण ढाँचा जोर देता है। प्रति कक्षा एक शिक्षक वाले स्कूलों का 3% से 33% तक बढ़ना असली प्रगति दिखाता है, पर इसका यह भी अर्थ है कि दो-तिहाई स्कूल अब भी इस लक्ष्य से पीछे हैं, और तकनीक उन कक्षाओं में शिक्षक की जगह नहीं ले सकती।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

“लैंगिक भूमिकाएँ प्रश्न किए जाने से बहुत पहले सीख ली जाती हैं।” इस संदर्भ में, भारत में अवैतनिक घरेलू काम के असमान बँटवारे को संबोधित करने में स्कूली पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ऐसे हस्तक्षेपों की सीमाएँ क्या हैं? (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

1. भूमिका — आंध्र प्रदेश की नई कक्षा 1 और 2 की पाठ्यपुस्तकों से शुरू करें, जो घरेलू काम को पुरुषों और महिलाओं के बीच 50:50 बाँटा हुआ दिखाती हैं, जबकि पुरानी किताबें उसे पूरी तरह महिलाओं द्वारा किया जाना दिखाती थीं, और इसे समय-उपयोग सर्वेक्षण के इस प्रमाण से जोड़ें कि महिलाएँ अधिकांश अवैतनिक घरेलू काम उठाती हैं।
2. मुख्य भाग — पाठ्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है — लैंगिक समाजीकरण (gender socialisation) और छिपे पाठ्यक्रम (hidden curriculum) को समझाएँ; रूढ़ि-मुक्त सामग्री पर NEP 2020, NCF-FS 2022 और NCF-SE 2023 का उल्लेख करें, तथा अनुच्छेद 51A(क) और घर के भीतर साझा ज़िम्मेदारी की माँग करने वाले SDG लक्ष्य 5.4 का। आंध्र के उदाहरण उपयोग करें — रसोई में पिता, ढोल बजाती लड़कियाँ और पानी के नल पर पुरुष।

3. **मुख्य भाग — आर्थिक जुड़ाव** — अवैतनिक काम को PLFS द्वारा मापी गई कम महिला श्रम-बल भागीदारी और कामकाजी महिलाओं पर दोहरे भार से जोड़ें। दलील दें कि लड़कों की उम्मीदें बदलना घरेलू काम साझा करने का एक दीर्घकालिक उपकरण है।
4. **मुख्य भाग — सीमाएँ** — पाठ्यपुस्तक की तस्वीरों और घर की व्यावहारिकता के बीच अंतर, शिक्षकों के रुख और प्रशिक्षण, धीमे पीढ़ीगत असर, तथा पाइप जल-सप्लाई, स्वच्छ ईंधन और क्रेश जैसी पूरक अवसंरचना की ज़रूरत पर चर्चा करें। उल्लेख करें कि प्रभाव को परखने के लिए बार-बार होने वाले समय-उपयोग सर्वेक्षण ज़रूरी हैं।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दें कि पाठ्यपुस्तकें एक ज़रूरी, कम-लागत पहला कदम हैं, जिसे शिक्षक-संवेदीकरण, सामुदायिक सहभागिता और उन सार्वजनिक सेवाओं का साथ चाहिए जो देखभाल-भार को स्वयं घटाती हैं।

प्रश्न 1. ज़िला शिक्षा अधिकारी के रूप में, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि नई लैंगिक-निरपेक्ष पाठ्यपुस्तकें वास्तव में कक्षा की प्रथा बदलें ?

दृष्टिकोण (Approach): मैं शिक्षकों के नियुक्ति और पुनश्चर्चा प्रशिक्षण में लैंगिक संवेदीकरण शामिल करूँगा, पाठ्यपुस्तक की तस्वीरों को शिक्षण-सामग्री के रूप में उपयोग करते हुए। स्कूल की निगरानी-यात्राएँ सरल प्रथाओं की जाँच करेंगी, जैसे कि सफ़ाई और नेतृत्व की जिम्मेदारियाँ लड़कों और लड़कियों के बीच बदली जाती हैं या नहीं। मैं स्कूल प्रबंधन समितियों और अभिभावकों को शामिल करूँगा, क्योंकि बच्चे किताब की तुलना घर में जो देखते हैं उससे करते हैं। बच्चे इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर शिक्षकों की प्रतिक्रिया अगली संशोधन के लिए राज्य परिषद को वापस भेजी जाएगी।

प्रश्न 2. कुछ अभिभावकों की शिकायत है कि पाठ्यपुस्तकें उनकी परंपराओं के विरुद्ध मूल्यों को बढ़ावा देती हैं। ज़िलाधिकारी के रूप में आप कैसे जवाब देंगे ?

दृष्टिकोण (Approach): मैं अभिभावकों से सम्मानपूर्वक मिलूँगा और समझाऊँगा कि किताबें पुरुषों और महिलाओं को काम साझा करते हुए दिखाती हैं, जो संविधान के महिलाओं की गरिमा का सम्मान करने के मूल कर्तव्य को दर्शाता है और किसी धर्म या रीति पर आक्रमण नहीं करता। कई परिवार खेतों में और नल पर काम पहले से साझा करते हैं, और तस्वीरें उसी वास्तविकता को दिखाती हैं। मैं किताबें वापस नहीं लूँगा, क्योंकि पाठ्यक्रम राज्य द्वारा उचित प्रक्रिया से तय किया जाता है, पर मैं सुनिश्चित करूँगा कि शिक्षक सामग्री को संवेदनशीलता से प्रस्तुत करें। सामुदायिक नेताओं और महिला स्वयं-सहायता समूहों के माध्यम से संवाद टकराव से बेहतर काम करता है।

प्रश्न 3. एक साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या पाठ्यपुस्तकों में घरेलू काम का 50:50 चित्रण राज्य द्वारा किया गया सामाजिक अभियांत्रिकी है ?

दृष्टिकोण (Approach): हर पाठ्यपुस्तक मूल्य पहुँचाती है; पुरानी किताबें जो केवल महिलाओं को काम करते दिखाती थीं, वे भी सामाजिक अभियांत्रिकी का एक रूप थीं, केवल अनजाने में। राज्य की पसंद निरपेक्षता और प्रभाव के बीच नहीं, बल्कि एक असमान मान्यता को मज़बूत करने और समानता के संवैधानिक संकल्प को दर्शाने के बीच है। 50:50 का बँटवारा पारदर्शी और सार्वजनिक बहस के लिए खुला है, जो उसे किसी छिपे पक्षपात से कहीं अधिक वैध बनाता है। फिर भी राज्य को घर में ज़ोर-ज़बर्दस्ती से बचना चाहिए और पाठ को समझाने देना चाहिए, थोपने नहीं।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

पूर्वोत्तर आज की सुर्खियों पर छाया हुआ है, क्योंकि दो समांतर धाराएँ एक साथ चल रही हैं: केंद्र आपातकालीन सैनिक शक्तियों को फिर छह महीने के लिए बढ़ा रहा है, और साथ ही नागाओं को वार्ता-मेज पर एक राजनीतिक सीट भी दे रहा है। यह कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि बल और बातचीत का वही परिचित भारतीय फॉर्मूला है, और इसकी कमजोरी कामजोंग में दिखती है, जहाँ म्यांमार के गृहयुद्ध से निकले सशस्त्र गुट खुली सीमा पार कर गाँववालों को मार रहे हैं। तीसरी खबर विमर्श को उग्रवाद से आगे प्रत्यरोधन (deterrence) तक फैलाती है: क्या 2003 में लिखी गई परमाणु नीति अब दो संबद्ध परमाणु-शक्ति संपन्न पड़ोसियों और हाइपरसॉनिक शस्त्रों वाली दुनिया के लिए भी उपयुक्त रह गई है।

9.1 कामजोंग हत्याओं में मृतकों की संख्या आठ पहुँचने के बीच मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल में AFSPA छह महीने के लिए बढ़ाया गया

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली और इफाल। तीनों अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार, 25 सितंबर को कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 (Armed Forces (Special Powers) Act — AFSPA) को 1 अक्टूबर से फिर छह महीने के लिए बढ़ा दिया। AFSPA केवल उन क्षेत्रों में लागू होता है जिन्हें “अशांत” घोषित किया गया हो; द हिंदू के अनुसार, वहाँ सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधि के उल्लंघन में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध घातक बल तक का प्रयोग कर सकते हैं, बिना वारंट गिरफ्तारी और खोजी कर सकते हैं, और केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना उनके विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। मणिपुर में अशांत-क्षेत्र की घोषणा घाटी के पाँच जिलों के 13 पुलिस थानों के अधिकार-क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य को कवर करती है। ET ने इफाल पश्चिम, इफाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग में फैले इन थानों की सूची दी है। 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 के बीच घाटी के सभी पुलिस थानों से यह अधिनियम हटा लिया गया था, पर 3 मई 2023 से शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद 14 नवंबर 2024 को छुट प्राप्त 19 में से छह थानों में इसे फिर लागू कर दिया गया। मणिपुर में AFSPA 1981 से लागू है। नागालैंड में यह अधिनियम नौ जिलों (जिनमें दीमापुर और मोन शामिल हैं) और पाँच अन्य जिलों के 21 पुलिस थानों को कवर करता है। अरुणाचल में यह तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग तथा असम से लगे एक जिले के तीन पुलिस थानों को कवर करता है। यह विस्तार उस घटना के एक दिन बाद हुआ जब गुरुवार को म्यांमार सीमा के पास कामजोंग जिले के पिलोंग गाँव में चार तांगखुल नागा नागरिक, जिनमें 67 वर्षीय वारेशिम जाजो और उनके पुत्र 43 वर्षीय फ़ामी जाजो शामिल हैं, गोली मारकर मार डाले गए। पुलिस इसके लिए संदिग्ध म्यांमार-आधारित कुकी नेशनल आर्मी-बर्मा (Kuki National Army-Burma — KNA-B) को ज़िम्मेदार मानती है। द हिंदू के अनुसार, तांगखुल नागा लोंग की कार्यसमिति ने कहा कि “भारी आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित एक कुकी आतंकी गुट म्यांमार के फ़ाइलन कुकी गाँव से नाम्या नदी पार करके आया”, और उसने म्यांमार के पीपल्स डिफेंस फ़ोर्स से समर्थन का आरोप लगाया; यह कामजोंग में तीसरा ऐसा हमला था। एक्सप्रेस ने लगभग दो सप्ताह में कम-से-कम आठ नागा और कुकी-जो लोगों के मरने का आँकड़ा दिया है: 15 सितंबर को लेइजांगफ़ाई में दो कुकी-जो महिलाएँ, 21 सितंबर को एक 17 वर्षीय नागा किशोर, 23 सितंबर को वाकोटफ़ाई में एक 36 वर्षीय कुकी-जो पुरुष, और अब चार और। काँगपोकपी के नागा गाँवों में 23-24 सितंबर को घर जलाए गए; एक्सप्रेस के अनुसार दो गाँवों में कम-से-कम 24 घर, जबकि ET के अनुसार तीन गाँवों में लगभग 41 घर। तांगखुल नागा लोंग ने 24 घंटे के बंद का आह्वान किया, और एक युवा संगठन ने ऑपरेशन-निलंबन (Suspension of Operations) व्यवस्था के अधीन गुटों की गतिविधियों पर सवाल उठाए। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

3 मई 2023 से मणिपुर की जातीय हिंसा 2022-23 में घाटी से हटाए गए AFSPA को पलट देती है → नवंबर 2024 में घाटी के छह पुलिस थानों में इसे फिर लागू किया जाता है और फ़रवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लगता है → म्यांमार का गृहयुद्ध खुली सीमा के आर-पार गुटों को हथियार पहुँचाता है → सितंबर 2026 के दो सप्ताहों में नागा-कुकी संघर्ष में कम-से-कम आठ लोग मारे जाते हैं → केंद्र 1 अक्टूबर से छह महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ का दर्जा फिर बढ़ा देता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. AFSPA धारा 3 के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ की घोषणा से लागू होता है — सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा 3 किसी राज्य के राज्यपाल, किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या केंद्र सरकार को किसी क्षेत्र को “अशांत” घोषित करने देती है, यदि नागरिक सत्ता की सहायता में सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो; केंद्र सरकार की यह घोषणा-शक्ति 1972 के एक संशोधन से जोड़ी गई थी। धारा 4 किसी कमीशंड अधिकारी, वारंट अधिकारी या अराजपत्रित अधिकारी को, उचित चेतावनी के बाद, प्रतिषेधात्मक आदेशों के उल्लंघन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध गोली चलाने या बल-प्रयोग की, यहाँ तक कि मृत्यु कारित करने की, अनुमति देती है, तथा शस्त्र-भंडारों और सुदृढ़ स्थानों को ध्वस्त करने, बिना वारंट गिरफ्तारी करने और परिसरों में प्रवेश व खोजी करने की भी। धारा 5 के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को न्यूनतम संभव विलंब के साथ निकटतम पुलिस थाने को सौंपा जाना अनिवार्य है। धारा 6 इस अधिनियम के तहत कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अभियोजन या विधिक कार्यवाही को वर्जित करती है।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने AFSPA को वैध ठहराया, पर उसे सुरक्षोपायों से बाँध दिया — Naga People's Movement of Human Rights v. Union of India (1998) में एक संविधान पीठ ने अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा, पर कहा कि अशांत-क्षेत्र की घोषणा सीमित अवधि के लिए होनी चाहिए और उसकी समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए, जिसमें छह महीने की समीक्षा-अंतराल माना गया, और सेना को अपनी ‘करे और न करे’ (Dos and Don'ts) की सूची का पालन करने के लिए बाध्य किया गया। Extra Judicial Execution Victim Families

Association (EEVFAM) v. Union of India (2016) में, जो मणिपुर में कथित फ़र्जी मुकाबलों से उत्पन्न हुआ था, न्यायालय ने कहा कि कोई पूर्ण उन्मुक्ति नहीं है और अशांत घोषित क्षेत्र में भी अत्यधिक या प्रतिकारात्मक बल की अनुमति नहीं है। यही निर्णय है जिनकी वजह से विस्तार आज जैसी छह-मासिक अधिसूचनाओं में आते हैं।

3. सरकारी समितियों ने निरसन की सिफ़ारिश की, पर सरकारों ने आंशिक वापसी को ही प्राथमिकता दी — 2004 में मणिपुर में हुए प्रदर्शनों के बाद बनी न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी समिति ने 2005 में सिफ़ारिश की कि AFSPA को निरस्त कर दिया जाए और आवश्यक शक्तियों को सुरक्षोपायों के साथ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में समाहित किया जाए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सार्वजनिक व्यवस्था पर अपनी पाँचवीं रिपोर्ट में निरसन का समर्थन किया। इसके बदले केंद्र ने कवर किए गए क्षेत्र को घटाया है, 2022 से असम, नागालैंड और मणिपुर के बड़े हिस्सों से इस अधिनियम को हटाकर, पर सीमावर्ती व संघर्षग्रस्त ज़िलों में इसे बनाए रखा है।
4. मुक्त आवागमन व्यवस्था और म्यांमार का युद्ध सीमा पर खतरे को आकार देते हैं — भारत और म्यांमार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम से गुज़रती लगभग 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसकी रक्षा असम राइफ़ल्स करती है। मुक्त आवागमन व्यवस्था (Free Movement Regime) के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासी, जो अक्सर दोनों ओर एक ही जनजाति के होते हैं, बिना वीज़ा के थोड़ी दूरी तक आ-जा सकते थे; 2024 में केंद्र ने इस व्यवस्था को समाप्त कर पूरी सीमा पर बाड़ लगाने की घोषणा की। म्यांमार में 1 फ़रवरी 2021 के सैनिक तख़्तापलट के बाद से पीपल्स डिफेंस फ़ोर्सेज़ और जातीय सशस्त्र संगठनों जैसे सशस्त्र प्रतिरोध गुटों का सीमावर्ती क्षेत्र के अधिकांश भाग पर नियंत्रण है। मणिपुर में कई कुकी-ज़ो सशस्त्र गुट 2008 से केंद्र और राज्य के साथ ऑपरेशन-निलंबन (Suspension of Operations — SoO) समझौते के अधीन हैं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. AFSPA सुरक्षा बनाम अधिकारों पर एक बार-बार आने वाला मुख्य परीक्षा प्रश्न है — UPSC पूछ चुका है कि क्या AFSPA को निरस्त किया जाना चाहिए, और आंतरिक सुरक्षा में सशस्त्र बलों की भूमिका पर भी। आज की अधिसूचना यह दर्शाती है कि यह अधिनियम अभी कहाँ-कहाँ लागू है, इसका ठीक-ठीक वर्तमान नक्शा देती है, और कामजोंग हत्याएँ इसकी निरंतरता के पक्ष में सुरक्षा-तर्क को सामने रखती हैं।
2. सीमा प्रबंधन और सीमा-पारीय संबंध GS3 में आते हैं — पाठ्यक्रम में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ, तथा संगठित अपराध और आतंकवाद के परस्पर संबंध का उल्लेख है। प्रश्न भारत-म्यांमार सीमा, मुक्त आवागमन व्यवस्था, और म्यांमार की अस्थिरता के पूर्वोत्तर पर प्रभाव के बारे में पूछे जा चुके हैं।
3. प्रारंभिक परीक्षा अधिनियम की संरचना पर प्रश्न पूछती है — अशांत क्षेत्र किसे घोषित करने का अधिकार है, अभियोजन के लिए किस अनुमोदन की आवश्यकता है, और किस निर्णय ने अधिनियम को वैध ठहराया — यह सब प्रारंभिक परीक्षा की मानक सामग्री है, साथ ही यह भी कि कौन-से ज़िलों या राज्यों में AFSPA अब भी लागू है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत किसी राज्य का राज्यपाल, किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं।
- AFSPA, 1958 की धारा 6 इस अधिनियम के तहत कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अभियोजन या विधिक कार्यवाही को वर्जित करती है।
- Naga People's Movement of Human Rights v. Union of India (1998) में सर्वोच्च न्यायालय ने AFSPA की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, साथ ही अशांत-क्षेत्र की घोषणाओं की समय-समय पर समीक्षा अनिवार्य की।
- EEVFAM मामले (2016) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि AFSPA के तहत अशांत घोषित क्षेत्रों में भी अत्यधिक बल का प्रयोग करने वाले सशस्त्र बल कर्मियों को पूर्ण उन्मुक्ति नहीं है।
- न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी समिति (2005) ने AFSPA के निरसन और आवश्यक प्रावधानों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में समाहित करने की सिफ़ारिश की थी।
- मणिपुर, जो पहले एक संघ राज्यक्षेत्र था, को 1972 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।
- असम राइफ़ल्स भारत-म्यांमार सीमा की रक्षा के लिए ज़िम्मेदार बल है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. AFSPA का नक्शा अब किसी सार्वभौमिक नियम का नहीं, बल्कि संघर्ष की भूगोल का अनुसरण करता है** — यह अधिनियम मणिपुर के 13 घाटी पुलिस थानों को छोड़कर पूरे राज्य, नागालैंड के नौ जिलों और अरुणाचल के तीन म्यांमार-सीमावर्ती जिलों को कवर करता है। यह एक दशक पहले की तुलना में कहीं अधिक बारीक भूगोल है: घाटी, जहाँ राज्य पुलिस का दबदबा है, बड़े पैमाने पर बाहर है; पहाड़ी क्षेत्र और सीमा भीतर हैं। तर्क यह है कि सशस्त्र गुट पहाड़ों और म्यांमार सीमा के आर-पार से सक्रिय रहते हैं, जहाँ पुलिस की क्षमता कम है। इसके विपरीत यह भी कहा जाता है कि इससे एक ही राज्य में नागरिकों के दो वर्ग बन जाते हैं, पहाड़ी जनजातियाँ ऐसे कानून के अधीन रहती हैं जिससे घाटी अब मुक्त है, और यह उसी जातीय द्वेष को बढ़ाता है जो हिंसा की जड़ में है।
- 2. कामजोंग दिखाता है कि खतरा अब सीमा-पारीय है, जो पहाड़ों में AFSPA के पक्ष में तर्क को मजबूत करता है** — तांगखुल संगठन के अनुसार, हत्यारे कथित रूप से नाम्या नदी को म्यांमार के एक गाँव से पार करके आए और फिर लौट गए। जब हमलावर किसी अन्य देश के क्षेत्र को शरणस्थल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो सामान्य पुलिसिंग उनका पीछा नहीं कर सकती, और सेना व असम राइफल्स को सीमावर्ती गाँवों में तेज़ी से खोजी व गिरफ्तारी की शक्तियाँ चाहिए। सरकार के पास यही सबसे मजबूत तर्क है। पर AFSPA की शक्तियाँ भारत के भीतर भारतीय नागरिकों पर लागू होती हैं, सीमा-पार के शरणस्थलों पर नहीं, इसलिए वास्तविक उपचार सीमा-नियंत्रण और म्यांमार की ओर जो भी नियंत्रण में हो उसके साथ कूटनीति में है।
- 3. ऑपरेशन-निलंबन व्यवस्था अब एक राजनीतिक बोझ बन गई है** — एक तांगखुल युवा संगठन ने ऑपरेशन-निलंबन व्यवस्था के अधीन गुटों की गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं, और हत्याओं के लिए कुकी गुटों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। SoO शिविरों का उद्देश्य वातावरण के क्षेत्र को सशस्त्र कैदों को नियंत्रित रखना था; यदि उनके सदस्य या सहयोगी हिंसा में सक्रिय हैं, तो यह व्यवस्था नागाओं और मैतेइयों दोनों की नज़र में अपनी वैधता खो देती है। दूसरी ओर, कुकी-जो पक्ष ने भी इसी पखवाड़े में महिलाओं और एक युवक को खोया है। सरकार को SoO शिविरों की सत्यापन-योग्य निगरानी चाहिए, अन्यथा यह व्यवस्था एक पक्ष के संरक्षण के रूप में देखी जाएगी।
- 4. पैंतालीस वर्षों के विस्तार यह संकेत देते हैं कि यह अधिनियम राजनीति का विकल्प बन गया है** — मणिपुर में AFSPA 1981 से लागू है, और संक्षिप्त वापसियों को छोड़कर इस अधिकांश अवधि में इस हर छह महीने में नवीनीकृत किया जाता रहा है। नागरिक सत्ता की अस्थायी सहायता के लिए बनाया गया कानून शासन का एक स्थायी अंग बन गया है। सर्वोच्च न्यायालय की छह-मासिक समीक्षा की अनिवार्यता एक वास्तविक कसौटी के बजाय एक औपचारिकता बन गई है। ईमानदार दृष्टिकोण यह है कि यह अधिनियम केवल तभी हटाया जा सकता है जब पुलिस-क्षमता, सीमा-नियंत्रण और राजनीतिक समझौते उसे अनावश्यक बना दें — और स्वयं ये नवीनीकरण ही बताते हैं कि यह लक्ष्य अभी कितनी दूर है।
- 5. अखबारों के अलग-अलग घर-गिनती के आँकड़े एक जातीय संघर्ष की सूचना-धुंध दिखाते हैं** — एक्सप्रेस काँगपोकपी के दो नागा गाँवों में 24 घर जलाए जाने की रिपोर्ट देता है, जबकि ET तीन गाँवों में लगभग 41 घरों की बात करता है। किसी जातीय संघर्ष में आँकड़े स्वयं विवाद का विषय बन जाते हैं और समुदायों को गोलबंद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रशासकों के लिए सटीक और शीघ्र प्रकाशित आँकड़े अफवाहों को कम करते हैं; पाठकों के लिए सीख यह है कि बड़ी संख्या चुनने के बजाय स्रोतों के साथ संभावित दायरा बताया जाए।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS QUESTION)

“AFSPA अपने मूल उद्देश्य से आगे निकल गया है, फिर भी पूर्वोत्तर की सुरक्षा-स्थिति इसके विस्तार को बार-बार उचित ठहराती रहती है।” मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इस अधिनियम के हाल के विस्तार के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और इसकी अंततः वापसी के लिए एक रोडमैप सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

- 1. भूमिका (Introduction)** — बताएँ कि 25 सितंबर को गृह मंत्रालय ने मणिपुर (13 घाटी पुलिस थानों को छोड़कर), नागालैंड के नौ जिलों व 21 पुलिस थानों, तथा अरुणाचल के तीन जिलों व तीन पुलिस थानों में AFSPA को 1 अक्टूबर से छह महीने के लिए बढ़ाया, और यह उस घटना के एक दिन बाद हुआ जब कामजोंग के पिलोंग में चार नागा मार डाले गए थे।
- 2. मुख्य भाग — निरंतरता के पक्ष में तर्क** — 3 मई 2023 से मणिपुर की हिंसा, दो सप्ताहों में कम-से-कम आठ नागा व कुकी-जो लोगों की हत्या, 2021 के तख्तापलट के बाद म्यांमार में सीमा-पारीय शरणस्थलों, और पहाड़ी जिलों में कमज़ोर पुलिस-क्षमता को शामिल करें।
- 3. मुख्य भाग — विरोध में तर्क** — धारा 4 और 6, EEVFAM (2016) के निष्कर्ष, जीवन रेड्डी समिति और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफ़ारिशें, तथा भरोसे व सैनिक-नागरिक संबंधों को होने वाली क्षति की व्याख्या करें; यह भी नोट करें कि यह कानून मणिपुर में 1981 से लागू है।

4. **मुख्य भाग — एक रोडमैप** — मापने योग्य संकेतकों से जुड़ी ज़िलावार वापसी, पुलिस आधुनिकीकरण, विभाजित जनजातियों के लिए मानवीय व्यवस्थाओं के साथ सीमा-बाड़बंदी, SoO शिविरों की निगरानी, और प्रकाशित कारणों के साथ वास्तविक छह-मासिक समीक्षा का प्रस्ताव रखें।
5. **निष्कर्ष (Conclusion)** — निष्कर्ष दें कि AFSPA को सामान्य पुलिसिंग और राजनीतिक समझौते की ओर एक पुल के रूप में देखा जाना चाहिए, और सुरक्षा-नीति की सफलता इस अधिनियम के नक्शे के सिकुड़ने से मापी जाती है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. आप पिलोंग हत्याओं के बाद कामजोंग के उपायुक्त हैं। आपके पहले कदम क्या होंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि पार्थिव शरीर गरिमा के साथ सौंपे जाएँ, मुआवज़ा तत्काल दिया जाए, और घायलों व विस्थापितों की देखभाल हो। मैं सीमावर्ती गाँवों को सुरक्षित करने और नाम्या नदी के पार-स्थलों पर गश्त के लिए असम राइफल्स के साथ समन्वय करूँगा। मैं बंद को संभालने और कुकी-ज़ो गाँवों पर प्रतिशोध रोकने के लिए तांगखुल नागा लॉग के नेताओं से मिलूँगा। और अफ़वाहों को कम करने के लिए सत्यापित तथ्य शीघ्र प्रकाशित करूँगा।

प्रश्न 2. मणिपुर के गृह सचिव के रूप में आप किसी ज़िले से AFSPA हटाने की सिफ़ारिश करने का निर्णय कैसे लेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं स्पष्ट संकेतकों का उपयोग करूँगा: छह महीनों में हिंसा की घटनाएँ, राज्य पुलिस की शक्ति व पहुँच, सशस्त्र गुटों की उपस्थिति, और सीमा की स्थिति। मैं केवल सुरक्षा एजेंसियों से नहीं, बल्कि ज़िला अधिकारियों और नागरिक समाज से भी सलाह लूँगा। वापसी चरणबद्ध होगी, उन क्षेत्रों से शुरू करते हुए जहाँ पुलिस ज़िम्मेदारी ले सके। हर निर्णय के कारण दर्ज किए जाने चाहिए, ताकि छह-मासिक समीक्षा वास्तविक हो, केवल औपचारिकता न रहे।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या कोई सैनिक AFSPA के तहत नैतिक ढंग से कार्य कर सकता है?

दृष्टिकोण (Approach): यह अधिनियम शक्तियाँ देता है, पर संयम का कर्तव्य नहीं हटाता; सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अशांत घोषित क्षेत्रों में भी अत्यधिक बल की अनुमति नहीं है। एक नैतिक अधिकारी न्यूनतम बल का उपयोग करता है, चेतावनी देता है, अपनी कार्रवाईयों दर्ज करता है, और गिरफ़्तार व्यक्तियों को तुरंत सौंपता है। वह यह भी जानता है कि एक अनुचित हत्या पूरे गाँव को एक पीढ़ी तक राज्य के विरुद्ध कर सकती है। विधिक उन्मुक्ति नैतिक उन्मुक्ति नहीं है।

9.2 केंद्र ने नागा शांति-मेज़ पर एक केंद्रीय मंत्री को बैठाया, NSCN-IM की एक माँग पूरी की

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र ने नागा शांति-वार्ता में “एक केंद्रीय मंत्री या केंद्रीय स्तर के मंत्रियों के समूह” को शामिल करने पर सहमति दे दी है, जिससे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ़ नागालिम (इसाक-मुइवा), या NSCN-IM, की वार्ताओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दीर्घकालिक माँग पूरी हो गई है। सबसे बड़ा नागा सशस्त्र गुट NSCN-IM 1997 से संघर्ष-विराम और वार्ता की स्थिति में है। गुरुवार के एक वक्तव्य में NSCN-IM ने कहा कि वह इस निर्णय का “विशेष रूप से स्वागत” करता है और उसे आशा है कि यह “राजनीतिक प्रक्रिया को गति देगा” और “सम्मानजनक व स्थायी राजनीतिक समाधान” के लिए गति पैदा करेगा। यह कदम पूर्व संयुक्त आसूचना समिति प्रमुख अजित लाल को फ़रवरी में गृह मंत्रालय में सलाहकार (पूर्वोत्तर) नियुक्त किए जाने के सात महीने बाद आया है; पहली बार NSCN-IM ने उनकी नियुक्ति को “मध्यस्थ” के रूप में स्वागत करते हुए इसे “महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक विकास” कहा। यह लहजा उन वर्षों से बहुत अलग है जब पूर्व IPS अधिकारी आर.एन. रवि मध्यस्थ थे: 2015 के फ़्रेमवर्क समझौते पर मतभेदों के बाद NSCN-IM ने श्री रवि पर “शरारत” और नागा समाज को “विभाजित” करने की कोशिश का आरोप लगाया था, जबकि उन्होंने NSCN को एक “सशस्त्र गिरोह” कहा था जो एक “समांतर सरकार” चला रहा है। उनके उत्तराधिकारी, पूर्व आसूचना ब्यूरो अतिरिक्त निदेशक ए.के. मिश्रा, बहुत आगे नहीं बढ़ सके। फ़्रेमवर्क समझौता 3 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ था। NSCN-IM ने मुख्यमंत्री नेइफ़्यू रियो की सरकार को भी उसकी “सक्रिय सहायता” के लिए धन्यवाद दिया। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार NSCN-IM पर कई दबाव हैं। उसका बागी धड़ा, ईस्टर्न फ़्लैंक, म्यांमार में स्थित है, किसी संघर्ष-विराम के अधीन नहीं है और वार्ता से इंकार करता है। NSCN के सह-संस्थापक इसाक चिशो स्वि के पुत्र इकातो 2024 में इसमें शामिल हुए और जुलाई में इसके अध्यक्ष बने; एक अधिकारी ने कहा कि इससे इसे वैधता मिलती है, क्योंकि इकातो नागालैंड के एक नागा हैं जबकि NSCN-IM का नेतृत्व मणिपुर के तांगखुल मुइवा करते हैं। नागालैंड में देरी पर जनता की अधीरता भी “जन-दबाव बना रही है”। पर कट्टर ईस्टर्न फ़्लैंक NSCN-IM के लिए मूल मांगों — जिनमें नागा झंडा और अपना संविधान शामिल है, जिन्हें दिल्ली पहले ही नहीं मानने की बात कह चुका है — पर समझौता करना कठिन बना सकता है। शुक्रवार को NSCN-IM की बाह्य प्रचार शाखा ने दूसरा वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि वार्ता सरकार और NSCN के बीच “संप्रभुता” पर आधारित है, और कि “नागालिम राष्ट्रीय झंडा और नागालिम राष्ट्रीय संविधान” “गैर-परक्राम्य” हैं। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 (सीमावर्ती क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा) और GS2 (अनुच्छेद 371A)।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1947 में नागा नेशनल काउंसिल स्वतंत्रता का दावा करती है और उग्रवाद शुरू होता है → 16-सूत्री समझौता (1960) अनुच्छेद 371A के साथ नागालैंड राज्य बनाता है, पर 1975 के शिलांग समझौते से आंदोलन विभाजित हो जाता है और NSCN का जन्म होता है → NSCN-IM 1997 में संघर्ष-विराम में प्रवेश करता है और 2015 में फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करता है → झंडा, संविधान और मध्यस्थ आर.एन. रवि के साथ कड़वे सार्वजनिक विवाद पर बातें ठप हो जाती हैं → नए मध्यस्थ अजित लाल और मेज़ पर एक केंद्रीय मंत्री, यहाँ तक कि ईस्टर्न फ्रंट और जन-अधीरता NSCN-IM पर दबाव बढ़ाते हुए भी

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. नागालैंड एक राजनीतिक समझौते से बना और अनुच्छेद 371A से संरक्षित है — भारत सरकार और नागा पीपल्स कन्वेंशन के बीच 1960 के 16-सूत्री समझौते से नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 के तहत नागालैंड का सृजन हुआ, और राज्य का उद्घाटन 1 दिसंबर 1963 को हुआ। संविधान (तेरहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1962 ने अनुच्छेद 371A जोड़ा। इसके तहत नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत विधि और प्रक्रिया, नागा प्रथागत विधि के अनुसार निर्णय वाले सिविल व दांडिक न्याय के प्रशासन, या भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व व अंतरण से संबंधित संसद का कोई अधिनियम नागालैंड पर लागू नहीं होता, जब तक कि राज्य विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसा न चाहे। यह संविधान के सबसे मज़बूत विशेष प्रावधानों में से एक है।
2. NSCN एक विभाजन से जन्मा और फिर दोबारा विभाजित हुआ — 1975 के शिलांग समझौते के तहत, जिसमें नागा भूमिगत आंदोलन के एक हिस्से ने संविधान को स्वीकार कर लिया, अन्य लोगों ने इसे नकार दिया और 1980 में इसाक चिशी स्क्व, थुइंगालेंग मुइवा और एस.एस. खपलांग के नेतृत्व में NSCN का गठन किया। 1988 में यह गुट NSCN (IM) और NSCN (K) में विभाजित हो गया। NSCN-IM ने 1997 में भारत सरकार के साथ संघर्ष-विराम किया, और वार्ता तब से जारी है, पहले अधिकांशतः भारत से बाहर और बाद में दिल्ली में। इसाक चिशी स्क्व का 2016 में निधन हो गया, जिसके बाद मुइवा प्रमुख नेता रह गए।
3. 2015 के फ्रेमवर्क समझौते और 2017 की 'सहमत स्थिति' ने दो समांतर धाराएँ बना दी — 3 अगस्त 2015 का फ्रेमवर्क समझौता NSCN-IM और भारत सरकार के बीच हुआ था; इसका पूरा पाठ वर्षों तक सार्वजनिक नहीं किया गया, और इस पर विवाद रहा कि क्या इसमें 'साझा संप्रभुता' स्वीकार की गई थी। 2017 में सात नागा राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों (NNPGs) की कार्यसमिति ने, जो अन्य धड़ों का प्रतिनिधित्व करती है, सरकार के साथ एक 'सहमत स्थिति' पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारतीय संघ के भीतर समाधान और नागा क्षेत्रों के एकीकरण के लिए अधिक क्रमिक दृष्टिकोण स्वीकार किया गया। दोनों धाराओं के अलग-अलग जनाधार हैं: NSCN-IM मणिपुर के तांगखुलों में मज़बूत है, और NNPGs नागालैंड के नागाओं में।
4. 'बृहत्तर नागालिम', झंडा और संविधान अभी भी अनसुलझे मूल मुद्दे हैं — NSCN-IM मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के ज़िलों समेत सभी नागा-बसे क्षेत्रों को एक ही इकाई में, जिसे वह नागालिम कहता है, एकीकृत करना चाहता है, साथ ही एक अलग झंडा और संविधान भी। मणिपुर, असम और अरुणाचल अपने क्षेत्र में किसी भी बदलाव का विरोध करते हैं, और जब 2001 में संघर्ष-विराम को नागालैंड के बाहर के नागा क्षेत्रों तक बढ़ाया गया था तो मणिपुर में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। केंद्र कह चुका है कि अलग झंडा और संविधान स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी भी समाधान के लिए राज्यों की सीमाएँ बदले बिना, प्रतीकात्मक समायोजन या नागालैंड के बाहर के नागाओं के लिए स्वायत्त व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. पूर्वोत्तर में उग्रवाद एक स्थायी GS3 विषय है — UPSC पूर्वोत्तर में उग्रवाद के कारणों, जातीय पहचान की भूमिका, और शांति-समझौतों की प्रभावशीलता पर प्रश्न पूछ चुका है। नागा वार्ता, जो अब अपने 29वें वर्ष में है, सबसे लंबे समय तक चलने वाली वार्ता और एक सशक्त केस स्टडी है।
2. राज्यों के लिए विशेष प्रावधान GS2 और प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं — प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि कौन-सा अनुच्छेद किस राज्य को विशेष प्रावधान देता है। नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371A, अपने प्रथागत विधि और भूमि-स्वामित्व के संरक्षण के साथ, किसी भी समाधान के लिए सीधे प्रासंगिक है।
3. वार्ता की रूपरेखा एक नैतिकता और शासन का विषय है — श्री रवि के टकरावपूर्ण अंदाज़ और वर्तमान सुलहकारी लहजे के बीच का अंतर यह दर्शाने वाली एक केस स्टडी है कि मध्यस्थ का चुनाव परिणामों को कैसे आकार देता है, जो GS4 और संघर्ष-समाधान पर लोक प्रशासन जैसे प्रश्नों के लिए उपयोगी है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- संविधान (तेरहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1962 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 371A, नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान करता है, जिनमें नागा प्रथागत विधि तथा भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व व अंतरण का संरक्षण शामिल है।
- नागालैंड राज्य का सृजन नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 के तहत हुआ और इसका

	उद्घाटन 1 दिसंबर 1963 को हुआ। ● भारत सरकार और नागा पीपल्स कन्वेंशन के बीच 1960 का 16-सूत्री समझौता नागालैंड के सृजन से पहले हुआ था। ● NSCN का गठन 1980 में इसाक चिशी स्वी, थुइंगालेंग मुइवा और एस.एस. खपलांग ने किया था, और 1988 में यह NSCN (IM) और NSCN (K) में विभाजित हो गया। ● NSCN-IM 1997 से भारत सरकार के साथ संघर्ष-विराम की स्थिति में है, और फ्रेमवर्क समझौते पर 3 अगस्त 2015 को हस्ताक्षर हुए थे। ● नागा राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों ने 2017 में भारत सरकार के साथ एक 'सहमत स्थिति' पर हस्ताक्षर किए थे।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. मेज़ पर एक केंद्रीय मंत्री दोनों पक्षों के लिए दाँव बढ़ा देता है — NSCN-IM हमेशा चाहता था कि वार्ता आसूचना अधिकारियों द्वारा संचालित होने के बजाय राजनीतिक हो, और अब उसे यह मिल गया है। पर किसी मंत्री की उपस्थिति का यह भी अर्थ है कि किसी भी रियायत के लिए सरकार राजनीतिक रूप से उत्तरदायी होगी, और मंत्री वह नहीं दे सकते जिसे संसद और पड़ोसी राज्य नकार देंगे, जैसे क्षेत्र या अलग संविधान। इसलिए यह कदम माहौल को बेहतर तो बनाता है, पर उस अस्पष्टता की जगह घटा देता है जिसका उपयोग अधिकारी पहले करते थे। अब किसी भी समाधान को ऐसा होना चाहिए जिससे कोई मंत्री संसद में बचा सके। 2. NSCN-IM कमज़ोरी की स्थिति से बातचीत कर रहा है, और इसका दोनों तरह का असर है — इसके संस्थापक के पुत्र अब म्यांमार-आधारित एक प्रतिद्वंद्वी गुट की अध्यक्षता करते हैं जो वार्ता से इंकार करता है और नेतृत्व को भ्रष्ट कहता है, और नागालैंड में लोग प्रतीक्षा से थक चुके हैं। यह दबाव NSCN-IM को किसी समझौते की ओर धकेल सकता है। पर एक कमज़ोर पड़ता गुट जो झंडे पर रियायत देता है, वह अपने कैडरों को ईस्टर्न फ़्लैंक के हाथों खो सकता है, जो किसी संघर्ष-विराम के बाहर और कानूनविहीन म्यांमार सीमा-क्षेत्र में स्थित है। शुक्रवार का दूसरा वक्तव्य, जिसमें झंडे और संविधान को "गैर-परक्राम्य" बताया गया, सबसे बेहतर ढंग से अपने ही रैंकों के लिए एक संदेश के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, दिल्ली के लिए नहीं। 3. मुइवा का तांगखुल जनाधार नागा वार्ता को मणिपुर की हिंसा से जोड़ता है — एक्सप्रेस नोट करता है कि NSCN-IM का नेतृत्व मणिपुर के एक तांगखुल करते हैं, और कामजोंग के पीड़ित तांगखुल नागा थे जिन्हें कथित तौर पर म्यांमार से आए कुकी गुटों ने मारा। कोई भी नागा समाधान जो मणिपुर के नागा क्षेत्रों को छूता है, उसे मैतेइ और कुकी लोग मणिपुर के क्षेत्र पर खतरे के रूप में देखेंगे, ठीक उस समय जब राज्य पहले से ही विभाजित है। केंद्र की चुनौती मैतेइ-कुकी-नागा त्रिकोण को भड़काए बिना नागा प्रश्न को सुलझाना है। इसलिए सीमा बदलने के बजाय गैर-भौगोलिक व्यवस्थाओं — नागालैंड के बाहर के नागाओं के लिए सांस्कृतिक निकाय या स्वायत्त परिषदें — की दलील अधिक मज़बूत बनती है। 4. मध्यस्थ का चुनाव सारवस्तु जितना ही महत्वपूर्ण रहा है — श्री रवि के समय सार्वजनिक अपमानों ने प्रक्रिया को जमा दिया था; श्री लाल के समय NSCN-IM विकासों को "उत्साहवर्धक" बता रहा है। सारवस्तु — झंडा, संविधान, एकीकरण — नहीं बदला है। यह दर्शाता है कि उग्रवाद वार्ताओं में सौदेबाज़ी के लिए भरोसा एक पूर्वापेक्षा है, और जो वार्ताकार दूसरे पक्ष को अपराधी मानकर देखता है, वह अपनी विधिक स्थिति सही होने पर भी समझौता नहीं करा सकता। इसका विरोधी मत यह है कि श्री रवि की दृढ़ता ने NSCN-IM को यह समझने पर मजबूर किया कि भारत क्या स्वीकार करेगा, जो अब एक व्यावहारिक समझौते को संभव बना सकती है। 5. अंतिम समझौते को NSCN-IM और NNPG, दोनों धाराओं को जोड़ना होगा — सरकार की NSCN-IM (2015) और NNPGs (2017) के साथ अलग-अलग समझ है। किसी एक के साथ समझौता, जिसे दूसरा नकार दे, 1975 के शिलांग समझौते की पुनरावृत्ति होगी, जिससे NSCN का जन्म हुआ था। नागालैंड सरकार की सहायता, जिसके लिए NSCN-IM ने धन्यवाद दिया, उपयोगी हैं क्योंकि राज्य सरकार नागालैंड के नागाओं की बात उस तरह कर सकती है जो कोई भी सशस्त्र गुट पूरी तरह नहीं कर सकता। एक समावेशी अंतिम पाठ, अलग-अलग द्विपक्षीय समझौतों की शृंखला के बजाय, एक और विभाजन से बचने का एकमात्र तरीका है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	1997 से जारी नागा शांति प्रक्रिया जातीय उग्रवादों को बातचीत से सुलझाने के भारत के दृष्टिकोण की शक्तियाँ और सीमाएँ, दोनों दर्शाती हैं। वार्ता में एक केंद्रीय मंत्री को शामिल करने के हाल के निर्णय और NSCN-IM की अनसुलझी मांगों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. भूमिका (Introduction) — 1997 के संघर्ष-विराम, 3 अगस्त 2015 के फ्रेमवर्क समझौते, और अजित लाल की मध्यस्थ नियुक्ति के बाद 26 सितंबर 2026 को रिपोर्ट किए गए केंद्र के इस निर्णय का उल्लेख करें कि वार्ता में एक केंद्रीय मंत्री या मंत्रियों के समूह को शामिल किया जाएगा।

2. **मुख्य भाग — शक्तियाँ** — संघर्ष-विराम की दीर्घकालिकता, संवैधानिक लोच के प्रमाण के रूप में अनुच्छेद 371A, नागालैंड सरकार की भूमिका, NNPGs के साथ 2017 की सहमत स्थिति, और भरोसे में वर्तमान सुधार को शामिल करें।
3. **मुख्य भाग — सीमाएँ** — नागालिम झंडे, संविधान और क्षेत्रीय माँग पर बने ठहराव, आर.एन. रॉय के समय के सार्वजनिक विवाद, किसी संघर्ष-विराम से बाहर म्यांमार-आधारित ईस्टर्न फ्रंटलैंक, और मणिपुर की जातीय हिंसा से जुड़ाव की व्याख्या करें।
4. **मुख्य भाग — आगे की राह** — दोनों धाराओं को जोड़ने वाला समावेशी समाधान, नागालैंड के बाहर के नागाओं के लिए गैर-भौगोलिक स्वायत्तता, सांस्कृतिक पहचान पर प्रतीकात्मक समायोजन, विकास पैकेज, और पड़ोसी राज्यों से सलाह-मशविरा का सुझाव दें।
5. **निष्कर्ष (Conclusion)** — निष्कर्ष दें कि मंत्रिस्तरीय राजनीतिक जुड़ाव आवश्यक है, पर स्थायी समाधान समावेशिता और पड़ोसी राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा पर निर्भर करता है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. आप नागा वार्ता के नए मध्यस्थ हैं। अपने पहले तीन महीनों में आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं सभी हितधारकों — NSCN-IM, NNPGs, नागालैंड सरकार, नागरिक समाज और गिरजाघरों — से मिलूंगा ताकि स्थितियाँ समझ सकूँ और भरोसा बना सकूँ। मैं ऐसे सार्वजनिक वक्तव्यों से बचूंगा जो किसी भी पक्ष का अपमान कर सकें। मैं उन मुद्दों की पहचान करूंगा जिन पर सहमति संभव है, जैसे विकास और सांस्कृतिक स्वायत्तता, और उन्हें झंडे व संविधान से अलग रखूंगा। और मणिपुर, असम व अरुणाचल की सरकारों को नियमित रूप से जानकारी दूंगा ताकि वे आश्चर्यचकित न हों।

प्रश्न 2. नागालैंड के मुख्य सचिव के रूप में आप शांति प्रक्रिया का समर्थन कैसे करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि राज्य सरकार किसी भी नागा गुट का पक्ष लिए बिना वार्ता में सहायता करे। मैं शांति के लाभ दिखाने के लिए उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दूंगा। मैं सशस्त्र गुटों द्वारा जबरन वसूली और अवैध कर-वसूली पर पुलिस कार्रवाई से अंकुश लगाऊँगा, क्योंकि ये सार्वजनिक भरोसे को कमजोर करते हैं। और अपेक्षाओं को संभालने के लिए जनता को सूचित रखूंगा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारत को नागाओं के लिए एक अलग झंडे को स्वीकार करना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): राष्ट्रीय ध्वज के समान दर्जे वाला एक अलग झंडा साझा संप्रभुता का संकेत देगा, जिसकी संविधान अनुमति नहीं देता। पर संविधान अनुच्छेद 371A के माध्यम से विविधता को पहले से ही समायोजित करता है, और सामुदायिक उपयोग के सांस्कृतिक प्रतीकों पर संप्रभुता का आशय दिए बिना विचार किया जा सकता है। मुख्य बात पहचान को संप्रभुता से अलग रखना है। किसी भी निर्णय में अन्य क्षेत्रों की माँगों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार करना होगा।

9.3 भारत के परमाणु सिद्धांत की समीक्षा करें, संशोधन नहीं: न्यूनतम प्रयोग-पूर्व त्याग बना रहे, प्रतिकार स्पष्ट हो

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू में 'Revisiting India's nuclear doctrine without revising it' शीर्षक एक विचार-लेख में, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज तले लेबनान में 15 पंजाब की कमान संभाल चुके रक्षा विश्लेषक आदित्य मदन तर्क देते हैं कि भारत को अपने परमाणु सिद्धांत की स्पष्टता के लिए समीक्षा करनी चाहिए, जबकि उसके मूल सिद्धांत बने रहें। परमाणु सिद्धांत किसी देश का यह सार्वजनिक कथन है कि वह परमाणु हथियारों का प्रयोग कब और कैसे करेगा, और यही कथन तय करता है कि प्रतिपक्षी जोखिम का आकलन कैसे करते हैं। लेखक इतिहास का सिलसिला बताते हैं। 1998 के पोखरण-II परीक्षणों ने भारत को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बना दिया, जबकि कारगिल (1999) ने दिखाया कि परमाणु प्रतिरोध पारंपरिक युद्ध को नहीं रोकता। 1999 के प्रारूप परमाणु सिद्धांत (Draft Nuclear Doctrine) और सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Security) के 4 जनवरी 2003 के निर्णय ने प्रतिरोध और संयम में सामंजस्य बिटाने का प्रयास किया। 2003 के निर्णय ने विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध (credible minimum deterrence), न्यूनतम प्रयोग-पूर्व त्याग (No First Use — NFU) और परमाणु हमले पर व्यापक प्रतिकार (massive retaliation) पर आधारित एक मुद्रा को क्रियान्वित किया, जिसे एक जीवित रह सकने वाली द्वितीय-प्रहार क्षमता और दृढ़ नागरिक नियंत्रण का समर्थन था, तथा एक विशेष प्रावधान भारत या भारतीय सेनाओं पर किसी बड़े जैविक या रासायनिक हमले के बाद परमाणु प्रतिकार का विकल्प बचाए रखता था। लेखक लिखते हैं कि इस सिद्धांत ने दो दशकों से अधिक समय तक "निरंतरता, पूर्वानुमेयता और सामरिक स्थिरता" दी है, पर इसका परिवेश तीन तरह से बदल गया है। पहला, चीन और पाकिस्तान सामरिक रूप से अधिक निकट आ गए हैं: चीन ने अपनी परमाणु सेना का विस्तार और आधुनिकीकरण किया है, वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control) पर सैनिक ढाँचा मजबूत किया है और पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग गहरा किया है, जबकि पाकिस्तान ने भारत की पारंपरिक बढ़त को संतुलित करने के लिए बनाई गई सामरिक परमाणु हथियारों (tactical nuclear weapons) सहित अपनी क्षमताओं में विविधता ला दी है। दूसरा, प्रौद्योगिकी — कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर क्षमताएँ, अंतरिक्ष-आधारित निगरानी, हाइपरसॉनिक हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा — निर्णय के लिए समय घटा रही है, कमान-नियंत्रण तंत्र (command-and-control networks) की भेद्यता बढ़ा रही है और सुनिश्चित प्रतिकार की धारणाओं को जटिल बना रही है। तीसरा, इंडो-पैसिफिक में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा तीव्र हो गई है। लेखक कहते हैं कि "व्यापक

प्रतिकार” जाँच का विषय बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के सामरिक हथियार भारत की प्रतिक्रिया को सामरिक विनिमय के स्तर से नीचे ही जटिल बनाने के लिए बनाए गए थे। पर वे चेतावनी देते हैं कि NFU पर अस्पष्टता “अनिश्चितता पैदा कर सकती है, प्रतिपक्षियों को पुनर्गणना के लिए प्रेरित कर सकती है और संकट प्रबंधन को जटिल बना सकती है”। प्राथमिकता संचालनात्मक क्षमताओं को मज़बूत करना, प्रक्षेपण प्रणालियों का आधुनिकीकरण और कमान-नियंत्रण की मज़बूती बढ़ाना होनी चाहिए, न कि घोषणात्मक नीति फिर से खोलना, और किसी समीक्षा में जीवितता, कमान व नियंत्रण, आसूचना, पूर्व-चेतावनी, साइबर सुदृढ़ता और परमाणु त्रय (nuclear triad) का आकलन होना चाहिए। वे निष्कर्ष में कहते हैं, “किसी सिद्धांत की समीक्षा करना उसे संशोधित करने जैसा नहीं है।” पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 (सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन) और GS2 (भारत के अपने पड़ोसियों से संबंध)।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

मई 1998 में पोखरण-II भारत को प्रत्यक्ष परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बनाता है → कारगिल (1999) दिखाता है कि परमाणु हथियार सीमित युद्ध नहीं रोकते, और उसके बाद 1999 का प्रारूप परमाणु सिद्धांत आता है → 4 जनवरी 2003 का CCS निर्णय NFU, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध और व्यापक प्रतिकार तय करता है → पाकिस्तान सामरिक परमाणु हथियार बनाता है और चीन अपने शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करता है, जबकि AI, हाइपरसोनिक हथियार और मिसाइल रक्षा निर्णय के लिए समय घटा देते हैं → माँग उठती है कि एक सार्वजनिक समीक्षा हो जो NFU बनाए रखे पर दायरे और क्षमताओं को स्पष्ट करे

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. 2003 का सिद्धांत कुछ स्पष्ट सिद्धांतों पर टिका है — सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की 4 जनवरी 2003 की समीक्षा में कहा गया था कि भारत एक विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक बनाएगा और बनाए रखेगा; न्यूनतम प्रयोग-पूर्व त्याग (No First Use) की मुद्रा अपनाएगा, यानी परमाणु हथियारों का प्रयोग केवल भारतीय भूभाग या कहीं भी भारतीय सेनाओं पर परमाणु हमले के प्रतिकार में करेगा; और यह कि प्रथम प्रहार का प्रतिकार व्यापक होगा और अस्वीकार्य क्षति पहुँचाने के लिए बनाया जाएगा। परमाणु प्रतिकार हमलों को केवल नागरिक राजनीतिक नेतृत्व परमाणु कमान प्राधिकरण (Nuclear Command Authority) के माध्यम से प्राधिकृत कर सकता है। भारत गैर-परमाणु हथियार संपन्न राज्यों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा, पर उसने भारत या भारतीय सेनाओं पर किसी बड़े जैविक या रासायनिक हथियार से हमले की स्थिति में परमाणु प्रतिकार का विकल्प बचा रखा। सिद्धांत ने भारत को परमाणु परीक्षणों पर स्थगन (moratorium) और परमाणु हथियार-मुक्त विश्व के लक्ष्य के प्रति भी प्रतिबद्ध किया।
2. परमाणु कमान प्राधिकरण बटन को नागरिक हाथों में रखता है — 2003 में घोषित परमाणु कमान प्राधिकरण की एक राजनीतिक परिषद है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और जो एकमात्र निकाय है जो परमाणु हथियारों के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है, तथा एक कार्यकारी परिषद है जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं और जो इनपुट देती है व निर्देशों को क्रियान्वित करती है। रणनीतिक बल कमान (Strategic Forces Command), जो एक त्रि-सेवा कमान है, परमाणु शस्त्रागार और प्रक्षेपण प्रणालियों का प्रबंधन करती है। यह ढाँचा नागरिक नियंत्रण के उस सिद्धांत को साकार करता है, जिसे विचार-लेख सिद्धांत की विश्वसनीयता के केंद्र में बताता है।
3. पोखरण से त्रय तक भारत का सफ़र — भारत ने मई 1974 में पोखरण में एक ‘शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट’ किया था, और 11 व 13 मई 1998 को पाँच परीक्षण किए, जिन्हें पोखरण-II या ऑपरेशन शक्ति कहा जाता है। प्रारूप परमाणु सिद्धांत अगस्त 1999 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। त्रय — यानी भूमि, वायु और समुद्र, तीनों से परमाणु हथियार पहुँचाने की क्षमता — तब पूर्ण हुई जब परमाणु-शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत (INS Arihant) ने 2018 में अपनी पहली प्रतिरोध गश्त पूरी की। समुद्र-आधारित द्वितीय प्रहार सबसे अधिक जीवित रह सकने वाली शाखा है, और इसीलिए लेखक त्रय को उन क्षमताओं में शामिल करते हैं जिनका आकलन किसी समीक्षा में होना चाहिए।
4. भारत NPT और CTBT से बाहर है पर उसे नागरिक परमाणु सुविधा मिल चुकी है — भारत ने न तो परमाणु अप्रसार संधि (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 1968) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 1967 से पहले परीक्षण करने वाले केवल पाँच देशों को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र मानती है, न ही व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, 1996) पर, जो अभी लागू नहीं हुई है। भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते के बाद, 2008 में परमाणु सप्लायर समूह (Nuclear Suppliers Group) ने भारत को नागरिक परमाणु व्यापार की अनुमति देने वाली छूट (waiver) दी थी। भारत का NFU और उसका स्वैच्छिक परीक्षण स्थगन इस तर्क के केंद्र में हैं कि वह एक उत्तरदायी परमाणु शक्ति है, जिस पर वह छूट आधारित थी। चीन ने भी NFU घोषित किया है, जबकि पाकिस्तान ने नहीं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. परमाणु सिद्धांत सीधे मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है — UPSC भारत के परमाणु सिद्धांत के बारे में और यह कि NFU अब भी उपयुक्त है या नहीं, साथ ही NPT व CTBT पर भारत के रुख के बारे में पूछ चुका है। विचार-लेख का ‘समीक्षा, संशोधन नहीं’ वाला तर्क ऐसे उत्तरों के लिए एक संतुलित ढाँचा देता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

2. **प्रारंभिक परीक्षा संस्थाओं और संधियों को परखती है** — प्रश्नों में NPT, CTBT, NSG और भारत के नागरिक परमाणु समझौतों पर पूछा गया है। परमाणु कमान प्राधिकरण की संरचना और 2003 के सिद्धांत के अवयव संभावित लक्ष्य हैं।
3. **उभरती प्रौद्योगिकी और प्रतिरोध GS3 का एक विषय है** — पाठ्यक्रम में सुरक्षा चुनौतियों और प्रौद्योगिकी की भूमिका शामिल है। हाइपरसोनिक हथियार, कमान प्रणालियों में AI और परमाणु कमान व नियंत्रण को साइबर खतरे — ये नए आयाम हैं जिन्हें परीक्षक जोड़ रहे हैं।

- भारत के परमाणु सिद्धांत को 1999 के प्रारूप परमाणु सिद्धांत के बाद, 4 जनवरी 2003 को सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के एक निर्णय द्वारा क्रियान्वित किया गया था।
- भारत के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, परमाणु हथियारों का प्रयोग केवल भारतीय भूभाग या कहीं भी भारतीय सेनाओं पर परमाणु हमले के प्रतिकार में किया जाएगा, सिवाय किसी बड़े जैविक या रासायनिक हमले के अपवाद के।
- भारत के परमाणु कमान प्राधिकरण की राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और वह एकमात्र निकाय है जो परमाणु हथियारों के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है।
- परमाणु कमान प्राधिकरण की कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं।
- पोखरण-II परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को किए गए थे।
- भारत परमाणु अप्रसार संधि या व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
- परमाणु सप्लायर समूह ने भारत को नागरिक परमाणु व्यापार के लिए छूट 2008 में दी थी।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. **NFU भारत की सबसे सस्ती सामरिक संपत्ति है, और उसे छोड़ने की लागत लाभ से अधिक होगी** — प्रथम-प्रयोग का विकल्प रखने के लिए भारत को कहीं बड़ा शस्त्रागार, अग्रिम तैनाती और तुरंत-चेतावनी वाली अलर्ट प्रणालियाँ बनानी पड़ेंगी, जो सभी महंगी और अस्थिर करने वाली हैं। NFU भारत को एक छोटा, जीवित रह सकने वाला बल रखने देता है और वह नैतिक ऊँचाई दिलाता है जिसने उसे NSG छूट दिलाई थी। लेखक सही हैं कि NFU पर अस्पष्टता प्रतिपक्षियों को पुनर्गणना के लिए प्रेरित कर सकती है। कुछ रणनीतिकारों का प्रतिवाद यह है कि NFU पाकिस्तान को परमाणु छूट के नीचे आतंकवाद चलाने की छूट देता है; पर इसका जवाब पारंपरिक क्षमता है, परमाणु प्रथम-प्रयोग नहीं।
2. **सबसे कमज़ोर कड़ी सामरिक परमाणु प्रयोग के विरुद्ध 'व्यापक प्रतिकार' है** — यदि पाकिस्तान अपनी ही धरती पर भारतीय सेनाओं के विरुद्ध एक छोटा सामरिक परमाणु हथियार प्रयोग करता है, तो शहरों के विरुद्ध व्यापक प्रतिकार के वायदे पर विश्वास न हो, क्योंकि यह एक विनाशकारी प्रति-प्रहार को आमंत्रित करेगा। यही विश्वसनीयता की खाई है जिसका पाकिस्तान के सामरिक हथियार शोषण करते हैं। सिद्धांत इसके बदले 'अस्वीकार्य क्षति' पहुँचाने वाले प्रतिकार का वायदा कर सकता है — यह शब्दावली 2003 के मूल पाठ में पहले से मौजूद है — जिससे NFU छोड़े बिना एक लचीली प्रतिक्रिया संभव हो। यही वह स्पष्टीकरण-देने वाली समीक्षा है जो लेखक के मन में है।
3. **प्रौद्योगिकी उस जीवितता को खतरा पहुँचाती है जिस पर NFU निर्भर है** — NFU की मुद्रा तभी काम करती है जब भारत प्रथम प्रहार सह सके और फिर भी प्रतिकार कर सके। हाइपरसोनिक हथियार, कमान तंत्र पर साइबर हमले और मोबाइल प्रक्षेपकों को खोज सकने वाली अंतरिक्ष-आधारित निगरानी — ये सभी उस द्वितीय प्रहार को खतरे में डालते हैं। इसीलिए लेखक का क्षमता पर जोर — जीवितता, पूर्व-चेतावनी, साइबर सुदृढ़ता, त्रय — सही है। समुद्र में छिपी पनडुब्बियों वाला समुद्र-आधारित प्रतिरोधक सबसे अच्छी गारंटी है, और भारत के पनडुब्बी कार्यक्रम की गति प्रतिरोध के लिए किसी भी शब्दावली में बदलाव से अधिक मायने रखती है।
4. **दो-मोर्चे वाला परमाणु प्रतिरोध एक नई समस्या है जिसका 2003 के सिद्धांत को सामना नहीं करना पड़ा था** — 2003 में चीन और पाकिस्तान को अलग-अलग समस्याएँ माना जाता था; आज, जैसा लेखक बताते हैं, वे निकटता से जुड़े हैं। पाकिस्तान के साथ कोई संकट अब चीनी आसूचना, उपग्रहों या राजनयिक समर्थन को खींच सकता है। इसलिए 'न्यूनतम' प्रतिरोध का आकार चीन के बढ़ते शस्त्रागार के अनुरूप होना चाहिए, जबकि वह पाकिस्तान के विरुद्ध भी प्रयोग योग्य बना रहे। इसके लिए प्रथम-प्रयोग का विकल्प आवश्यक नहीं, पर इसके लिए यह समय-समय पर सार्वजनिक पुनर्मूल्यांकन ज़रूरी है कि 'न्यूनतम' का अर्थ क्या है, जिससे भारत 2003 से बचता रहा है।
5. **एक सार्वजनिक समीक्षा स्वयं भी एक संकेत होगी, इसलिए उसका संचालन मायने रखता है** —

	भारत ने 2003 के सिद्धांत का कभी कोई विधिवत अद्यतन प्रकाशित नहीं किया है, और मंत्री-स्तर की कभी-कभार आने वाली उन टिप्पणियों ने, कि परिस्थितियों के साथ NFU बदल सकता है, ठीक वही अस्पष्टता पैदा की है जिसकी चेतावनी लेखक देते हैं। एक विधिवत समीक्षा जो NFU की पुनःपुष्टि करे, प्रतिरोध की स्थिरता और भारत की कूटनीतिक साख को मज़बूत करेगी। जोखिम यह है कि समीक्षा NFU छोड़ने के दबाव का एक मंच बन जाए। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तंत्र के माध्यम से चलाना, और अंत में एक स्पष्ट सार्वजनिक पुनःपुष्टि देना, इस जोखिम को संभाल सकता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“किसी सिद्धांत की समीक्षा करना उसे संशोधित करने जैसा नहीं है।” भारत के सामरिक परिवेश में आए बदलावों के आलोक में, परीक्षण कीजिए कि क्या भारत के 2003 के परमाणु सिद्धांत, विशेष रूप से न्यूनतम प्रयोग-पूर्व त्याग और व्यापक प्रतिकार, को संशोधन की आवश्यकता है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	भूमिका (Introduction) — 4 जनवरी 2003 के CCS निर्णय द्वारा क्रियान्वित 2003 के सिद्धांत के मूल तत्वों से शुरुआत करें: विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध, NFU, व्यापक प्रतिकार, नागरिक नियंत्रण और जैविक/रासायनिक अपवाद। मुख्य भाग — परिवेश में बदलाव — चीन-पाकिस्तान निकटता, चीन का आधुनिकीकरण और LAC पर ढाँचा, पाकिस्तान के सामरिक परमाणु हथियार, तथा AI, साइबर, हाइपरसोनिक हथियार और मिसाइल रक्षा जैसी प्रौद्योगिकियों की चर्चा करें, जो निर्णय के लिए समय घटाती हैं और कमान व नियंत्रण को खतरे में डालती हैं। मुख्य भाग — संशोधन के पक्ष में तर्क — सामरिक प्रयोग के विरुद्ध व्यापक प्रतिकार की विश्वसनीयता-खाई, यह तर्क कि NFU पाकिस्तान को उप-पारंपरिक युद्ध के लिए छत्र देता है, और दो प्रतिपक्षियों के अनुरूप प्रतिरोध का आकार तय करने की आवश्यकता को शामिल करें। मुख्य भाग — संशोधन के बिना समीक्षा के पक्ष में तर्क — तर्क दें कि NFU एक छोटे, जीवित रह सकने वाले शस्त्रागार, सामरिक स्थिरता और एक उत्तरदायी शक्ति के रूप में भारत की साख को समर्थन देता है, जैसा 2008 की NSG छूट में झलकता है; त्रय, पूर्व-चेतावनी, साइबर सुदृढ़ता और कमान-नियंत्रण में निवेश की सिफारिश करें। निष्कर्ष (Conclusion) — निष्कर्ष दें कि NFU की पुनःपुष्टि करते हुए, प्रतिकार को स्पष्ट करने और क्षमताओं को मज़बूत करने वाली एक विधिवत सार्वजनिक समीक्षा, प्रतिरोध और सामरिक स्वायत्तता, दोनों की सबसे अच्छी सेवा करती है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में संयुक्त सचिव हैं और सिद्धांत की समीक्षा पर एक नोट तैयार करने को कहा गया है। आप उसमें क्या शामिल करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं चीनी और पाकिस्तानी क्षमताओं का, जिनमें सामरिक हथियार शामिल हैं, और कमान व नियंत्रण को खतरे में डालने वाली उभरती प्रौद्योगिकियों का आकलन शामिल करूँगा। मैं हमारे त्रय, पूर्व-चेतावनी प्रणालियों और साइबर सुरक्षा की जीवितता का मूल्यांकन करूँगा। मैं NFU बनाए रखते हुए प्रतिकार की भाषा स्पष्ट करने के विकल्प प्रस्तुत करूँगा। और मैं किसी भी बदलाव की कूटनीतिक लागत का आकलन करूँगा, जिसमें हमारी नागरिक परमाणु साझेदारियाँ भी शामिल हैं। प्रश्न 2. रणनीतिक बल कमान के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? दृष्टिकोण (Approach): मेरी प्राथमिकता हमारे प्रतिरोधक की जीवितता और तैयारी सुनिश्चित करना होगी, विशेष रूप से समुद्र-आधारित शाखा की। मैं साइबर और इलेक्ट्रॉनिक हमलों के विरुद्ध कमान-नियंत्रण प्रणालियों को मज़बूत करूँगा और निर्णय-श्रृंखलाओं को परखने के लिए नियमित अभ्यास चलाऊँगा। मैं परमाणु कमान प्राधिकरण के अंतर्गत नागरिक प्राधिकार का सख्ती से पालन सुनिश्चित करूँगा। विश्वसनीय प्रतिरोध इस पर निर्भर है कि प्रतिपक्षी को प्रतिकार निश्चित लगे। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या परमाणु प्रतिरोध नैतिक है? दृष्टिकोण (Approach): परमाणु हथियार नैतिक रूप से परेशान करने वाले हैं क्योंकि उनके प्रयोग से नागरिकों की बड़े पैमाने पर मौत होगी। पर जिस दुनिया में प्रतिपक्षियों के पास ये हथियार हैं, वहाँ प्रतिरोध ने बड़े पैमाने के युद्ध को रोकने में मदद की है। भारत का NFU और निरस्त्रीकरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता सुरक्षा और नैतिकता में सामंजस्य बिठाने के प्रयास को दर्शाते हैं। नैतिक कर्तव्य यह है कि शस्त्रागार को न्यूनतम, सुरक्षित और नागरिक नियंत्रण में रखा जाए, और ऐसे हथियारों से मुक्त विश्व की दिशा में काम किया जाए।

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

केस 1 — चौबीस लड़कियाँ, और वह विभाग जो माता-पिता की जगह खड़ा था

परिदृश्य (SCENARIO) शुक्रवार को ओडिशा विधानसभा में कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बहिनीपति के एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति (ST & SC) विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाली 24 नाबालिग लड़कियाँ पिछले दो शैक्षणिक वर्षों में गर्भवती पाई गई हैं। ST & SC विकास मंत्री नित्यानंद गोंड ने सदन को बताया कि उनके विभाग के छात्रावासों में 2025-26 शैक्षणिक वर्ष में 15 लड़कियाँ और 2024-25 में नौ लड़कियाँ गर्भवती पाई गईं। उन्होंने कहा कि सभी अभियुक्तों के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली गई है। यह किन ज़िलों, किन छात्रावासों में हुआ, और पहले मामले से चौबीसवें मामले तक विभाग ने क्या किया, इस पर कोई और विवरण सदन के पटल पर नहीं रखा गया। ये आवासीय छात्रावास अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति परिवारों के उन बच्चों के लिए हैं जिन्हें अन्यथा स्कूल तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती, ताकि किसी लड़की की शिक्षा तक पहुँच इस बात पर निर्भर न रहे कि उसका गाँव निकटतम शहर से कितनी दूर है; जब तक कोई बच्चा वहाँ रहता है, विभाग के वार्डन और मातृसदन-प्रभारी कानून और व्यवहार दोनों में माता-पिता का स्थान लेते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप हाल ही में नियुक्त ज़िला कल्याण अधिकारी हैं, जिनके प्रभार में पाँच ऐसे छात्रावासों का एक समूह है। इनमें से किसी में अब तक कोई घटना दर्ज नहीं हुई है, पर दो छात्रावास महीनों से बिना कार्यरत वार्डन के हैं और शिक्षण-कर्मचारियों के साथ तात्कालिक व्यवस्थाओं पर चल रहे हैं। तबादलों की एक लहर और महिला कर्मचारियों की कमी के कारण नब्बे लड़कियों वाले एक छात्रावास में रात के समय अभी कोई निवासी मातृसदन-प्रभारी नहीं है। विधानसभा में हुआ खुलासा स्थानीय समाचार बनने के बाद कलेक्टर ने आपसे सोमवार तक प्रमाणित करने को कहा है कि आपके प्रभार के सभी छात्रावास सुरक्षित हैं।

प्रश्न 1. हितधारकों और उन नैतिक दायित्वों की पहचान कीजिए जो तब उत्पन्न होते हैं जब किसी बच्चे की सुरक्षा के लिए राज्य ज़िम्मेदार हो, न कि माता-पिता। किस तरह की जवाबदेही किस पर बनती है?

प्रश्न 2. ज़िला कल्याण अधिकारी के रूप में आप कलेक्टर को क्या प्रमाणित करेंगे, और जब तक वह सच न हो तब तक प्रमाणित करने से क्या इनकार करेंगे? अगले 72 घंटों में आप क्या करेंगे?

प्रश्न 3. छात्रावास को वहाँ रहने वाली लड़कियों के लिए निगरानी और भय का स्थान बनाए बिना, ऐसे कौन-से प्रणालीगत बदलाव आपके ज़िले के अगले वर्ष की संख्या में योगदान की संभावना को घटाएँगे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- हितधारक, और loco parentis (माता-पिता के स्थानापन्न) का अर्थ** — सर्वाधिक प्रभावित हितधारक स्वयं छात्रावास में रहने वाली लड़कियाँ हैं, जिनकी सुरक्षा, गरिमा और निरंतर शिक्षा — सभी एक साथ दाँव पर हैं, क्योंकि आवासीय छात्रावास में गर्भावस्था सामान्यतः लड़की की शिक्षा भी समाप्त कर देती है, साथ ही उसे हानि भी पहुँचाती है। उनके पीछे उनके माता-पिता हैं, जिनमें से अनेक ने ठीक इसीलिए छात्रावास चुना था कि उनकी बेटी पढ़ सके, और जिन्होंने प्रतिदिन की देखभाल का कर्तव्य राज्य को इस भरोसे पर सौंपा था कि इसे कम-से-कम घर जैसी सतर्कता से निभाया जाएगा। वार्डन और मातृसदन-प्रभारी स्वयं भी हितधारक हैं, जो अक्सर अधिक काम और कम संसाधनों के बीच काम करते हैं, और ST & SC विकास विभाग विधानसभा के प्रति तथा अंततः संविधान के उस वादे के प्रति उत्तरदायी है जो सुरक्षात्मक भेदभाव उन वर्गों के उत्थान के लिए देता है, न कि उन्हें हानि के सामने खुला छोड़ने के लिए। राज्य के loco parentis में खड़े होने का सिद्धांत यहाँ कोई रूपक नहीं है; जब कोई विभाग बच्चों को उनके परिवार से दूर आवास देता है, तो उसके अधिकारी एक साथ माता-पिता की देखभाल का कर्तव्य और लोक सेवक की जवाबदेही का कर्तव्य प्राप्त करते हैं, और दूसरा कर्तव्य पहले में विफलता के लिए कभी ढाल नहीं बन सकता।
- ‘सभी अभियुक्तों के विरुद्ध FIR’ जवाबदेही की सबसे कम, सबसे अधिक नहीं, माँग क्यों है** — मंत्री का सदन को दिया गया उत्तर व्यक्तिगत आपराधिक अभियुक्तों के मामले में तो प्रक्रिया पूरी करता है, जो आवश्यक है, पर यह संस्थागत विफलता के अलग और पहले वाले प्रश्न को नहीं छूता: वार्डन कौन था, छात्रावास में स्वीकृत संख्या के अनुसार कर्मचारी थे या नहीं, क्या कोई कार्यरत शिकायत निवारण तंत्र था जिसका उपयोग कोई लड़की हानि होने से पहले कर सकती थी, और क्या हर घटना से पहले के महीनों में किसी पर्यवेक्षी अधिकारी ने दौरा किया था। जो विभाग केवल अभियुक्तों पर चलाए गए मुकदमों की रिपोर्ट देता है, अपने ही कर्मचारियों और आधारभूत संरचना की प्रशासनिक जाँच की नहीं, वह राजनीतिक प्रश्न का उत्तर दे रहा है, बाल-सुरक्षा के प्रश्न का नहीं। ज़िला-वार या छात्रावास-वार आँकड़ों के बिना 2025-26 के 15 मामलों की तुलना 2024-25 के नौ मामलों से करना यह बताना असंभव बना देता है कि यह वृद्धि बेहतर रिपोर्टिंग को दर्शाती है, वास्तविक जोखिम में वृद्धि को, या किसी विशेष छात्रावास-समूह को।
- ज़िला कल्याण अधिकारी को क्या प्रमाणित करना चाहिए, और क्या नहीं** — ज़िला कल्याण अधिकारी को तब तक सर्वग्राही सुरक्षा प्रमाणित करने से इनकार करना चाहिए जब तक पाँचों छात्रावासों में से हर एक को एक न्यूनतम सूची के आधार पर भौतिक रूप से जाँच न लिया जाए: एक स्वीकृत, वर्तमान में तैनात, निवासी मातृसदन-प्रभारी; एक कार्यरत आंतरिक शिकायत तंत्र जिस तक बच्चे स्वयं पहुँच सकें, केवल कर्मचारी ही नहीं; सोने के स्थानों का किसी भी पुरुष कर्मचारी के आवास से सुरक्षित पृथक्करण; और एक कार्यरत हेल्पलाइन नंबर जो प्रदर्शित हो और स्थानीय भाषा में हर लड़की को समझाया गया हो। रात में कोई निवासी मातृसदन-प्रभारी न होना कोई तकनीकी बात नहीं है; यह सबसे बड़ा जोखिम-अंतर है और इसे कलेक्टर को लिखित रूप में असुरक्षित बताकर सूचित किया जाना चाहिए, साथ ही मातृसदन-प्रभारी की तैनाती तक निकटवर्ती स्कूल से रोटेशन के आधार पर किसी महिला कर्मचारी की अंतरिम व्यवस्था की जानी चाहिए, न कि सुविधा के प्रमाण-पत्र से इस पर पर्दा डाला जाए। 72 घंटों के भीतर ज़िला कल्याण अधिकारी को स्वयं दोनों बिना-कर्मचारी वाले छात्रावासों का दौरा करना चाहिए, कर्मचारियों की अनुपस्थिति में निवासी लड़कियों के एक क्रॉस-सेक्शन से

मिलकर सुरक्षा पर उनकी अपनी बात सुननी चाहिए, और निष्कर्षों को हस्ताक्षरित निरीक्षण नोट में दर्ज करना चाहिए, क्योंकि फ़ाइल पर दर्ज नोट ही बाद में बच्चों और अधिकारी दोनों की रक्षा करता है।

4. **रिपोर्ट करना कर्तव्य है, विवेकाधिकार नहीं** — POC SO अधिनियम, 2012 किसी बच्चे के विरुद्ध ज्ञात या संदिग्ध अपराध की सूचना देना संस्थागत कर्मचारियों समेत हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य बनाता है, और सूचना न देना स्वयं दंडनीय है; जो वार्डन दुर्व्यवहार का संदेह करता है या उसे बताया जाता है और सूचना नहीं देता, वह विवेकपूर्ण नहीं, बल्कि अपराध कर रहा है। किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 प्रत्येक बाल देखभाल संस्था को पंजीकृत और अनुश्रवित होने की अपेक्षा करता है, और परिवार से दूर बच्चों को रखने वाले छात्रावासों को, चाहे वे किसी कल्याण विभाग द्वारा चलाए जाएं और JJ अधिनियम के अपने पंजीकरण के अंतर्गत न भी हों, भावना में एक कार्यरत बाल कल्याण समिति और शिकायत निवारण के उसी मानक पर रखा जाना चाहिए। जो अधिकारी विभाग को घोटाले से बचाने की चाह में अनिवार्य रिपोर्टिंग को वैकल्पिक मानता है, वह एक विधिक कर्तव्य को बच्चे की क्रीम पर संस्था को दिए गए विवेकाधीन उपकार में बदल देता है।
5. **जाँच-सूची से जो नहीं हो सकता, उसकी ईमानदार सीमा** — एक विपरीत मत को ईमानदार उत्तर मिलना चाहिए: प्रमाण-पत्र, जाँच-सूचियाँ और CCTV सुरक्षा का आभास पैदा कर सकते हैं जबकि कोई वार्डन लड़कियों को धमकाकर चुप कराए हुए हो, और जो अधिकारी हस्ताक्षरित फ़ॉर्म को जाँच का अंत मान ले, उसने कर्तव्य निभाया ही नहीं। वास्तविक सुरक्षा इस पर निर्भर करती है कि जो लड़की डरी हुई है वह वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुँच सके जो उसकी बात मानेगा, और यह महीनों में बना भरोसे का प्रश्न है, 72 घंटों में भरा गया कोई खाका नहीं। इसलिए ज़िला कल्याण अधिकारी को कलेक्टर को दिया गया प्रमाण-पत्र अंतरों की आरंभिक सूची मानना चाहिए, समापन कथन नहीं, और एक नामित, तिथि-सहित अनुवर्ती दौर की प्रतिबद्धता देनी चाहिए, क्योंकि जो निरीक्षण घोषित और दोहराया जाने वाला हो, उसमें छल-कपट एक बार वाले ऑडिट से अधिक कठिन होता है।
6. **केवल इस छात्रावास-समूह को नहीं, ढाँचे को ही ठीक करना** — गहरी समस्या ढाँचागत है: एक स्वीकृत तैनाती-मानक जो हर लड़कियों के छात्रावास में हर शिफ्ट में कम-से-कम एक निवासी महिला मातृसदन-प्रभारी सुनिश्चित करे, साथ ही प्रशिक्षित रिजर्व कर्मचारियों की एक स्थायी सूची जिसे विभाग किसी रिक्ति के कुछ ही दिनों में तैनात कर सके, बजाय इसके कि नब्बे लड़कियों वाला छात्रावास महीनों तक रात में बिना कर्मचारी के छूट जाए। एक गोपनीय, बच्चों के लिए सुगम शिकायत माध्यम, आदर्श रूप से वह जो उसी वार्डन के माध्यम से न गुजरे जिसकी शिकायत की जा रही हो, तथा ज़िला-स्तरीय बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा समय-समय पर बिना पूर्व सूचना के दौरे, अंतरों को मामला बनने से पहले पकड़ सकते हैं। आँकड़े छात्रावास-वार और ज़िला-वार प्रकाशित किए जाने चाहिए, न कि केवल विधानसभा में वर्ष में एक बार दिए गए राज्यव्यापी कुल योग के रूप में, क्योंकि मामले कहाँ सघन हैं, इस पर पड़ता प्रकाश ही कलेक्टर को अगले विधानसभा सत्र से पहले, बाद में नहीं, कार्रवाई करने देता है। यह सब तब तक संभव नहीं जब तक छात्रावास वार्डन को एक संरक्षित, मूल्यवान संवर्ग के रूप में न देखा जाए, न कि किसी बच्चे-खुचे पद के रूप में, क्योंकि किसी संस्था का सुरक्षा रिकॉर्ड इस बात का सूचक होता है कि राज्य उन लोगों को कितनी गंभीरता से लेता है जिन्हें वह अपने बच्चों का प्रभार देता है।

केस 2 — मुख्यमंत्री के हैंडल पर पंद्रह मिनट

परिदृश्य (SCENARIO) इस सप्ताह बिहार के जमुई में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई; इस घटना और उस पर उभरे आक्रोश की चर्चा सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैली। कुछ दिनों बाद उसकी तस्वीर — स्वयं पीड़िता की, जो नाबालिग है — बिहार के मुख्यमंत्री स्मार्ट चौधरी के आधिकारिक X हैंडल से जारी हुई, जब लड़की और उसके माता-पिता पटना में उनके सरकारी आवास पर उनसे मिलने गए थे। मुख्यमंत्री कार्यालय को 15 मिनट बाद यह भूल समझ में आई और पोस्ट हटा दी गई, पर तब तक इसे साझा और डाउनलोड किया जा चुका था, जिनमें विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल था, इसलिए नुकसान हो चुका था। पुलिस ने इस प्रकटीकरण के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात अधिकारी सागर प्रसाद के विरुद्ध सचिवालय थाने में FIR दर्ज की। अलग से, पर इन्हीं विवादों के दौरान, मुख्यमंत्री की इस मामले पर टिप्पणी की आलोचना हुई — उन्होंने उस अभियुक्त के बारे में, जिसने घटना का रील बनाया था, पूछा, “यदि उसने घटना का रील न बनाया होता, तो क्या वह पकड़ में आता?” — विपक्ष ने इन टिप्पणियों को पीड़िता की पीड़ा को हल्के में लेने वाला माना, ठीक तब जब उनके अपने कार्यालय ने ही उसकी पहचान प्रकट कर दी थी। पृष्ठभूमि में 19 अगस्त का एक बिहार कैबिनेट निर्णय है, जिसने बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियम, 2026 में संशोधन किया, जिसके तहत कंटेंट क्रिएटर 30 दिनों के प्रदर्शन के बाद प्रति एक लाख व्यूज पर ₹10,000 कमाने के योग्य हो जाते हैं; वही राज्य-मशीनरी जो वायरल पहुँच के लिए एक औपचारिक प्रोत्साहन बना रही है, उसने अपने ही उच्चतम कार्यालय के माध्यम से एक बाल पीड़िता का चेहरा प्रसारण में डाल दिया। अब कल्पना कीजिए कि आप वह अधिकारी हैं जिन्हें सोमवार सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय के एक नए-नियुक्त कर्मचारी को यह बताना है कि इस सप्ताह की घटनाओं के प्रकाश में मीडिया या सोशल हैंडल पर क्या जारी किया जा सकता है और क्या नहीं, और यह भी तय करना है कि FIR के लंबित रहते सागर प्रसाद की हैंडल के लॉगिन तक निरंतर पहुँच के बारे में क्या किया जाए।

प्रश्न 1. एक नाबालिग पीड़िता की तस्वीर के आधिकारिक प्रकटीकरण से उठने वाले नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए, और बताइए कि मंशा (एक भूल, जिसे शीघ्र सुधार लिया गया) जवाबदेही के प्रश्न का समाधान क्यों नहीं करती।

प्रश्न 2. नए कर्मचारी को प्रशिक्षित करने वाले अधिकारी के रूप में, यौन उत्पीड़न से जुड़े किसी भी मामले के लिए आप कौन-सा विशिष्ट नियम तय करेंगे, और मुख्यमंत्री कार्यालय की तत्परता दिखाने की आवश्यकता तथा पीड़िता के निजता के अधिकार के बीच के तनाव को आप कैसे प्रस्तुत करेंगे?

प्रश्न 3. FIR के लंबित रहते सागर प्रसाद की पहुँच और मुख्यमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया हैंडल के व्यापक प्रोटोकॉल के संबंध में आप क्या सुझाएंगे, और क्यों?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. **हितधारक, और तेज़ी ने ही क्षति क्यों की, केवल भूल ने नहीं** — हितधारक हैं — पीड़िता और उसका परिवार, जो मुख्यमंत्री के आवास पर सहायता की आशा में गए थे और इसके बदले उनकी पहचान स्वयं उनके कार्यालय से प्रकाशित कर दी गई; नाबालिग पीड़िताओं और उनके परिवारों का व्यापक समुदाय, जो अब यह तौलेंगे कि सहायता के लिए राज्य के पास जाना पहचान के प्रकट होने का जोखिम तो नहीं ले आता; मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारी, जो तत्परता दिखाने के समय-दबाव में काम करते हैं; और मुख्यमंत्री कार्यालय की

संस्था स्वयं, जिसकी बाल संरक्षण पर विश्वसनीयता अब प्रश्न में है। नैतिक मुद्दा यह नहीं है कि प्रकटीकरण जानबूझकर हुआ था — स्पष्टतः नहीं हुआ था, और 15 मिनट में सुधार लिया गया — बल्कि यह कि इंटरनेट पर 15 मिनट कोई मामूली-सी बात नहीं है। कोई पोस्ट किसी के भूल पहचानने से बहुत पहले डाउनलोड और पुनः साझा हो जाती है, और ठीक इसीलिए क़ानून किसी बाल पीड़िता की पहचान के प्रकटीकरण को प्रकटकर्ता की मंशा से परे अपराध मानता है; यह कसौटी सख्त है क्योंकि एक बार प्रकट हुई क्षति को मूल पोस्ट हटाकर वापस नहीं बुलाया जा सकता।

2. **वह क़ानून जिसे यह होने से पहले रोकना चाहिए था** — लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 23 किसी भी व्यक्ति, मीडिया सहित, के लिए उस बच्चे की पहचान प्रकट करना अपराध बनाती है जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया हो, तस्वीरों के माध्यम से भी, मीडिया के किसी भी रूप में, और इसकी अनुमति केवल विशेष न्यायालय की परमिशन से और बच्चे के हित में देती है। किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 इसी प्रकार विधि-विरुद्ध किसी बालक या बाल पीड़िता या साक्षी की पहचान के प्रकटीकरण को, तस्वीरों के माध्यम से भी, मीडिया के किसी भी रूप में रोकती है। दोनों उपबंध इसलिए हैं क्योंकि क़ानून यह मान्यता देता है कि किसी बच्चे का चेहरा ऑनलाइन प्रसारित होना अपने आप में एक हानि है, जो अंततः मिलने वाले न्याय से स्वतंत्र और अक्सर उससे बड़ी है; जो अधिकारी ऐसी तस्वीर जारी करता है, दुर्घटनावश और मात्र पंद्रह मिनट के लिए भी, उसने ठीक वही हानि उत्पन्न कर दी है जिसे रोकने के लिए यह धाराएँ लिखी गई थीं, और “हमारा इरादा नहीं था” संसद द्वारा इन दोनों धाराओं में रखा गया बचाव नहीं है।
3. **अधिकारी को नए कर्मचारी को क्या बताना चाहिए** — जो नियम तय किया जाना चाहिए वह सरल और निरपवाद है: यौन अपराध के किसी मामले में किसी भी शिकायतकर्ता या नाबालिग अभियुक्त की तस्वीर, नाम, पता, स्कूल या कोई अन्य पहचान-सूचक विवरण आधिकारिक हैंडल से कभी जारी नहीं किया जाएगा, बिना किसी अपवाद के, और यह जाँचने की प्रतीक्षा किए बिना कि क्या परिवार कमरे में मौजूद है या उसने स्वयं सहमति दी है, क्योंकि किसी बैठक में परिवार की उपस्थिति प्रकाशन के लिए क़ानूनी सहमति नहीं है, और शोकग्रस्त माता-पिता उस क्षण उस सहमति को तौलने की स्थिति में नहीं होते। किसी बच्चे से जुड़े चल रहे मामले पर कोई भी पोस्ट किसी नामित अधिकारी द्वारा तैयार या स्वीकृत होनी चाहिए जो POCSO और JJ अधिनियम के प्रकटीकरण उपबंधों में प्रशिक्षित हो, और वास्तविक समय में हैंडल संभालने वाले किसी भी कनिष्ठ कर्मचारी के पास ऐसी सामग्री पोस्ट करने की एकतरफ़ा शक्ति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय की तत्परता दिखाने की वैध रुचि बैठक, दिए गए आश्वासन और उठाए गए क़दमों का वर्णन करके पूरी तरह पूरी हो सकती है, बिना एक भी पहचान-सूचक तस्वीर के।
4. **पहुँच, जवाबदेही, और गलत व्यक्ति को उदाहरण न बनाना** — जब तक सागर प्रसाद के विरुद्ध FIR लंबित है, अधिकारी को यह सुझाव देना चाहिए कि उसकी हैंडल तक पहुँच एक मानक प्रशासनिक सावधानी के रूप में निलंबित की जाए, दोष पूर्वनिर्धारित करने वाले दंड के रूप में नहीं, क्योंकि वही तर्क जो किसी दुर्घटना की जाँच के लंबित रहते चालक का लाइसेंस निलंबित करता है, यहाँ भी लागू होता है: दोहराव का जोखिम प्रबंधित किया जा रहा है, दोष नहीं। साथ ही एक ईमानदार ब्रीफ़िंग में यह भी दर्ज होना चाहिए कि मुख्यमंत्री कार्यालय की संचार-प्रक्रिया में कोई एक अधिकारी शायद ही पूरी तरह अकेला कार्य करता है, और एक निष्पक्ष जाँच में यह देखा जाना चाहिए कि क्या प्रणालियाँ — स्वीकृति की परतें, प्रशिक्षण, किसी मामले का नाम या तस्वीर लेने वाली किसी पोस्ट से पहले जाँच-सूची — पूरी तरह अनुपस्थित थीं, जिस स्थिति में विफलता संस्थागत है और सागर प्रसाद से व्यक्तिगत रूप से एक प्रणालीगत अंतर की क्रीम त भरने को कहा जा रहा है। एक अधिकारी को दंडित करते हुए प्रक्रिया को अपरिवर्तित छोड़ देना अगली FIR में किसी दूसरे नाम के साथ दोहराव को पक्का करता है।
5. **रील पर टिप्पणी को भी ईमानदार जाँच का सामना करना चाहिए** — इन्हीं घटनाओं के एक अलग पहलू पर की गई मुख्यमंत्री की टिप्पणी अभियुक्त के अपने व्यवहार पर लक्षित थी — यह पूछते हुए कि क्या अभियुक्त के स्वयं फिल्मांकन करने से ही वह पकड़ में आया — और इसे, संकुचित रूप से देखने पर, वीडियो साक्ष्य के अभियोजन में सहायक होने की बात के रूप में उचित ठहराया जा सकता है। पर उसी सप्ताह कही गई, जिसमें उनके अपने कार्यालय ने एक पीड़िता की पहचान का उल्लंघन किया, और एक ऐसे राज्य में जो साथ-साथ व्यूज़ खींचने वाले कंटेंट के लिए नक़दी प्रोत्साहन बना रहा है, यह टिप्पणी उस व्यापक संस्कृति के अंश की तरह दिखती है जिसमें दृश्यता, पीड़िता के हित के बदले, वह मुद्रा बन गई है जिसमें घटनाओं पर बात होती है। किसी सक्रिय यौन उत्पीड़न मामले पर किसी सार्वजनिक व्यक्ति के शब्दों पर विधिक शुद्धता से आगे की देखभाल का कर्तव्य होता है; उन्हें इस प्रश्न पर परखा जाना चाहिए कि उन्हें पढ़कर किसी पीड़िता का परिवार सुरक्षित महसूस करेगा या साधन बना दिया गया महसूस करेगा।
6. **वह व्यापक प्रोत्साहन-ढाँचा जो राज्य स्वयं बना रहा है** — बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियम, 2026, जैसा संशोधित है, पंजीकृत कंटेंट क्रिएटर को 30 दिनों के प्रदर्शन के बाद प्रति एक लाख व्यूज़ पर ₹10,000 देता है, यह योजना बढ़ते हुए क्रिएटर-अर्थतंत्र को औपचारिक और व्यावसायिक रूप देने के लिए बनी है, और राज्यों द्वारा इस अर्थतंत्र को मान्यता देने में कुछ भी गलत नहीं है। पर जो योजना नाबालिगों, पीड़िताओं और चल रही जाँचों से जुड़ी सामग्री के लिए संगत, सक्रिय रूप से लागू किए गए अपवाद के बिना केवल व्यूज़ को पुरस्कृत करती है, वह उस पहली अपलोड करने वाले प्लेटफ़ॉर्म और क्रिएटर के लिए ठीक ऐसे ही मामलों के शोषण को कम नहीं, अधिक लाभदायक बना देने का जोखिम रखती है, ठीक तब जब सरकार का अपना कार्यालय ही उसी कृत्य के लिए POCSO और JJ अधिनियम के अंतर्गत पृथक रूप से दायी है। बाल संरक्षण के प्रति गंभीर प्रशासन को ऐसी किसी भी प्रोत्साहन योजना की शर्त के रूप में नाबालिगों से जुड़ी पहचान-योग्य सामग्री को पुनः पोस्ट करने के विरुद्ध एक अनुपालन प्रतिबद्धता माँगनी चाहिए, जिसे उन्हीं प्रकटीकरण उपबंधों का समर्थन मिले जिनका पालन स्वयं उसके मुख्यमंत्री कार्यालय को करना है।

केस 3 — “लोगों की संतुष्टि के लिए, हमें क़ानून से आगे जाना पड़ा”

परिदृश्य (SCENARIO) जुलाई में, पुणे के भारतीय विद्यापीठ पुलिस थाने में दो अलग-अलग घटनाएँ हुईं, जिन्हें महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC) ने वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद स्वप्रेरणा से (suo motu) उठाया। पहली में, एक मारपीट के मामले के चार अभियुक्तों को, FIR के अनुसार, 7 जुलाई को थाने से एक झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) कॉलोनी में ले जाया गया, घुटनों पर बिठाया गया और सड़क पर चलवाया गया, डंडों और लाठियों से उनकी टाँगों पर मारा गया, हाथ फैलाकर घुटनों पर बिठाया गया, और स्थानीय निवासियों से माफ़ी मंगवाई गई; FIR में यह भी दर्ज है कि इस दौरे का कोई संबंधित जनरल डायरी या वाहन लॉग-बुक प्रवेश नहीं मिला। दूसरी में, दूसरे नाबालिग की हत्या के अभियुक्त आठ किशोर न्यायालय-अधीन बच्चों को 20 जुलाई से 22 जुलाई की तड़के तक हिरासत में रखा गया; FIR में आरोप है कि उन्हें क़ानूनी रूप से अनुमत अवधि से अधिक रखा गया, और तीन

नाबालिगों को पुलिस वाहन के बोनट पर रस्सी से बाँधकर बिठाया गया, पीटा गया, और सार्वजनिक सड़क पर परेड कराई गई, चौथा नाबालिग वाहन के भीतर था; आठ नाबालिगों में से चार अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, और भारतीय न्याय संहिता के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और किशोर न्याय अधिनियम दोनों लगाए गए हैं। MSHRC के निष्कर्षों के आधार पर उपपुलिस अधीक्षक संकेत गोसावी की शिकायत पर दो FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें कुल 18 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के नाम हैं, और उस समय थाने के प्रभारी रहे वरिष्ठ निरीक्षक मानसिंह पाटील दोनों में अभियुक्त के रूप में नामित हैं। MSHRC ने इसे बताया “पुणे पुलिस की चरम बर्बरता की एक स्तब्ध करने वाली कहानी, जो जनसाधारण के सामने खुलेआम यह दिखाती है कि भारत के संविधान द्वारा दिए गए जीवन के मूल अधिकार समेत सांविधानिक उपबंधों का पुणे पुलिस विभाग के कामकाज में कोई मूल्य नहीं है।” बाद में विशेष शाखा में स्थानांतरित किए गए पाटील ने प्रेस से नाबालिगों की परेड का बचाव करते हुए कहा: “मैंने तय किया कि कुछ करना ही होगा। लोगों की संतुष्टि के लिए, हमें कानून से आगे जाना पड़ा।” अब कल्पना कीजिए कि आप इस ज़ोन के हाल ही में नियुक्त पुलिस उपायुक्त (DCP) हैं, जो FIR दर्ज होने के बाद पदभार ग्रहण कर रहे हैं, और आपको यह तय करना है कि विभाग अपने ही कर्मियों, उस जनता जिसे पाटील संतुष्ट करने की बात करते हैं, और अब दर्ज हुए अठारह नामों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया दे।

प्रश्न 1. नैतिक मुद्दों और हितधारकों की पहचान कीजिए। किसी अधिकारी के इस दावे में विशेष रूप से क्या गलत है कि ‘कानून से आगे’ जाने ने ‘लोगों की संतुष्टि’ की सेवा की?

प्रश्न 2. नए DCP के रूप में आप अपने बल से इस मामले पर क्या कहेंगे, और नामित अधिकारियों, नाबालिगों के उपचार-रिकॉर्ड, तथा सार्वजनिक संचार के संबंध में क्या तात्कालिक प्रशासनिक कदम उठाएंगे?

प्रश्न 3. हिरासत-प्रक्रिया और निगरानी में क्या बदलाव ऐसे मामले की संभावना कम करेंगे, बिना अधिकारियों को यह महसूस कराए कि सार्वजनिक दबाव का उत्तर हमेशा विभागीय स्वामोशी से दिया जाएगा?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- 1. हितधारक, और उस दावे को उसके वास्तविक नाम से पहचानना** — हितधारक दोनों मामलों में शामिल बारह अभियुक्त हैं, इनमें चार वयस्क और आठ बच्चे, जिन सभी को उचित प्रक्रिया का और उन पर लगे आरोप कुछ भी हो, हिरासती हिंसा से मुक्त रहने का अधिकार है; चार नाबालिगों की अनुसूचित जाति स्थिति, जिसे FIR स्वयं दर्शाती है और जो अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत असुरक्षा की एक और परत जोड़ती है; SRA कॉलोनी के वे निवासी जिन्हें सार्वजनिक अपमान का अनिच्छुक भागीदार बनाया गया; वे 18 नामित पुलिस कर्मी, जो अपनी संस्था द्वारा सामान्य होने दी गई बात के परिणामों का सामना कर रहे हैं; और वह व्यापक जनता जिसकी ‘संतुष्टि’, पाटील के अपने शब्दों में, इस औचित्य के रूप में प्रस्तुत की गई। यह दावा कि कानून से आगे जाना जन-संतुष्टि की सेवा करता है, सांविधानिक क्रम को उलट देता है: पुलिस को रोकने, पूछताछ करने और दंड देने का अधिकार पूरी तरह कानून से मिलता है, और वह कानून त्यागकर पाई गई ‘संतुष्टि’ पुलिसिंग का उद्देश्य पूरा करना नहीं, बल्कि तात्कालिक तालियों के लिए पुलिसिंग की अपनी वैधता को ही खर्च कर देना है।
- 2. छूटी हुई लॉग-बुक प्रवेश उतनी ही महत्वपूर्ण क्यों है जितनी पिटाई** — FIR का यह निष्कर्ष कि SRA कॉलोनी के दौरे का कोई जनरल डायरी या वाहन लॉग-बुक प्रवेश नहीं मिला, कोई तकनीकी टिप्पणी-भर नहीं है; यह दिखाता है कि यह परेड कोई अधिकृत प्रचालनात्मक कदम नहीं था जो बस गलत हो गया, बल्कि बिना दस्तावेज़ के, बिना किसी रिकॉर्ड के किया गया कुछ था — और ठीक ऐसी ही स्थिति में हिरासती दुर्व्यवहार पर्यवेक्षी सुधार और अंततः जवाबदेही, दोनों से बच निकलता है। जिस संस्था में एक वरिष्ठ निरीक्षक चार अभियुक्तों को दंड देने के लिए किसी सार्वजनिक कॉलोनी में बिना किसी तत्कालीन रिकॉर्ड के ले जा सकता है, उसमें दस्तावेज़ीकरण की विफलता मारपीट जितनी ही गंभीर है, क्योंकि यह कागज़ी सिलसिला ही है, न कि अच्छी मंशा, जो किसी विभाग को बाद में किसी अधिकृत प्रचालन को किसी अनधिकृत प्रचालन से अलग करने देता है।
- 3. नाबालिगों की हिरासत एक दूसरा, अलग उल्लंघन उत्पन्न करती है** — आठ नाबालिगों को अनुमत अवधि से अधिक हिरासत में रखना परेड से स्वतंत्र रूप से किशोर न्याय अधिनियम के अपने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है, क्योंकि यह अधिनियम माँगता है कि कानून से टकराव वाले बच्चों को उस देरी के बिना किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जो सामान्य आपराधिक प्रक्रिया वयस्कों के लिए सहन कर सकती है, ठीक इसलिए कि लंबी, अनौपचारिक पुलिस हिरासत में ही ऐसा दुर्व्यवहार होने की प्रवृत्ति होती है। नाबालिगों को वाहन के बोनट से बांधना और परेड कराना एक हिरासत-उल्लंघन को गरिमा-उल्लंघन के साथ जोड़ देता है, और JJ अधिनियम के ऊपर SC/ST अधिनियम का लागू किया जाना यह संकेत देता है कि जाँच एजेंसी ने स्वयं यह पहचाना है कि इस अपमान में एक अतिरिक्त, जाति-संबद्ध आयाम भी है जिसे ‘अभियुक्तों की परेड’ की सामान्य पद्धत छूट सकती है।
- 4. DCP को बल से क्या कहना चाहिए, और प्रशासनिक रूप से क्या करना चाहिए** — DCP का बल के लिए संदेश निःसंदेह होना चाहिए: उचित प्रक्रिया कोई बाधा नहीं है जिसे विभाग जन-दबाव में दरकिनार करता है, बल्कि यह वही चीज़ है जो सबसे पहले उसके अधिकार को वैधता देती है, और जो अधिकारी यह मानता है कि ‘जन-संतुष्टि’ कानून को दरकिनार करने का औचित्य देती है, उसे यह समझना चाहिए कि MSHRC का निष्कर्ष उतनी ही आसानी से उसका नाम भी ले सकता था। प्रशासनिक रूप से, DCP को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 18 नामित कर्मियों के साथ किसी पूर्वनिर्णय के बिना सामान्य विभागीय और आपराधिक प्रक्रिया के माध्यम से निपटा जाए, पर तुरंत ज़ोन के प्रत्येक थाने की पिछले छह महीनों की हिरासत-पंजिकाओं और जनरल डायरी का ऑडिट करना चाहिए, ठीक इसलिए कि यहाँ लॉग प्रवेश की अनुपस्थिति यह संकेत देती है कि यह प्रचलन एक ही घटना तक सीमित न हो। नाबालिगों की चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, और अब पूर्ण अनुपालन के साथ किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उनकी प्रस्तुति को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए, और विभाग के सार्वजनिक वक्तव्य में MSHRC के निष्कर्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिकारियों का बचाव नहीं, क्योंकि इस चरण में कोई बचावात्मक वक्तव्य ठीक वही चूक दोहराएगा — विभाग की छवि को कानून से ऊपर रखना।
- 5. पाटील की सहज-प्रवृत्ति का ईमानदार पक्ष, और उसकी सीमा** — एक निष्पक्ष समीक्षा को यह मानना चाहिए कि पाटील की अंतर्निहित चिंता — कि नाबालिग अभियुक्तों के विरुद्ध दृश्य पुलिस-निष्क्रियता जन-निराशा और अंततः, इसी सप्ताह अन्यत्र देखे गए प्रकार की निगरानी-हिंसा को जन्म देती है — अधिकारियों के सामने आने वाले वास्तविक दबाव को दर्शाती है, और इसे मात्र निर्दयता मानकर टाल देना अनेक थाना-प्रभारियों की संस्थागत विवशता को नज़रअंदाज़ करता है। पर उस दबाव का उत्तर जनता के साथ पारदर्शी,

विधिसम्मत संवाद है — कानून क्या अनुमति देता है और क्या किया गया है इसके बारे में — मंचित अपमान नहीं जो दंड की विधिक वैधता के बिना उसका दृश्यात्मक स्वरूप ही उधार लेता है; पहला विधि के शासन में दीर्घकालिक भरोसा बनाता है, दूसरा उसी पर उधार लेकर अंततः उसे दिवालिया कर देता है, जैसा MSHRC की अपनी यह भाषा स्पष्ट करती है कि उस विभाग के कामकाज में 'जीवन के मूल अधिकार' का 'कोई मूल्य नहीं' है।

6. **खामोशी से दबाव का उत्तर दिए बिना हिरासत की संस्कृति बदलना** — संरचनात्मक बदलावों में अनिवार्य, छेड़छाड़-प्रतिरोधी हिरासत लॉगिंग शामिल होनी चाहिए, जिसकी MSHRC या समान किसी निकाय द्वारा समय-समय पर बाहरी ऑडिट हो, थाने से बाहर किसी अभियुक्त की किसी भी आवाजाही के दौरान अनिवार्य बॉडीकैम उपयोग, और एक स्थायी निर्देश कि किसी भी अभियुक्त, वयस्क या नाबालिग, को न्यायालय-निर्देशित पहचान या बरामदगी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं ले जाया जाएगा, और प्रयोजन तथा प्राधिकरण पहले से दर्ज हो। इतना ही महत्वपूर्ण यह है कि वरिष्ठ अधिकारी सार्वजनिक और विशिष्ट रूप से यह स्वीकार करें जब पुलिस ने सामान्य प्रमाण-संग्रहण के माध्यम से सही ढंग से काम किया और गिरफ्तारी को टिकाऊ बनाया, ताकि दृश्य, विधिसम्मत सफलता विभाग का जन-निराशा के प्रति उत्तर बने, बजाय उस शून्य के जिसे व्यक्तिगत अधिकारी नाटक से भर देते हैं। जो विभाग दुर्व्यवहार के आरोपों का उत्तर हमेशा इनकार से देता है, वह अपने ही कर्मियों को यह सिखाता है कि वास्तविक जोखिम पकड़ा जाना है, गलत करना नहीं; जो विभाग MSHRC जैसे निष्कर्षों को स्वीकार करता है, वह इसके विपरीत सीख देता है, अल्पकालिक रूप से अपनी छवि की कुछ क्रीम पर और दीर्घकालिक रूप से अपनी वैधता के बड़े लाभ पर।

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तथ्य सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
UPI पर मचैट डिस्काउंट रेट — 15 अक्टूबर के पीछे की सब्सिडी वाली गुत्थी	मचैट डिस्काउंट रेट (MDR) वह शुल्क है जो व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर चुकाता है; भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत, जनवरी 2020 से किए गए संशोधन के बाद, RuPay डेबिट कार्ड और UPI पर MDR शून्य रहा है, यह एक ऐसी सब्सिडी है जिसे केंद्र किसी व्यापारी-शुल्क के माध्यम से नहीं, बल्कि स्वयं अलग से वित्तपोषित करता है। ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति-से-व्यापारी UPI भुगतानों पर 0.4% MDR 15 अक्टूबर से लागू होगा, और सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह UPI प्लेटफॉर्म चलाने की पूरी लागत पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए वित्त मंत्रालय उस तिथि से पहले भारतीय बैंक संघ के साथ इस पर बात करेगा कि उसकी मौजूदा प्रोत्साहन योजना — जिसके अंतर्गत RuPay डेबिट कार्ड और कम-मूल्य के BHIM-UPI लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए इस वित्तीय वर्ष ₹2,000 करोड़ का बजट रखा गया है — कितनी और किस रूप में जारी रहनी चाहिए। अधिकारियों का कहना है कि प्रोसेसर और बैंकों द्वारा व्यापारियों से वसूले गए MDR पर GST लगेगा या नहीं, यह केंद्र एकतरफा नहीं तय कर सकता, क्योंकि यह केवल दर संबंधी प्रश्न है जिसे GST परिषद ही सुलझा सकती है; परिषद की 7 अक्टूबर की बैठक में प्रक्रिया संबंधी सुधारों पर चर्चा होने की संभावना है, इस दर-प्रश्न पर नहीं।
दसवीं अनुसूची और 20 बागी TMC सांसदों के लिए स्पीकर की 8 अक्टूबर की समय-सीमा	संविधान की दसवीं अनुसूची, जो 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई, उस सदस्य को अयोग्य ठहराती है जो स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ दे जिसने उसे उम्मीदवार बनाया था, या क्षमा के बिना उसके व्हिप के विरुद्ध मत दे; अयोग्यता का निर्णय स्पीकर या अध्यक्ष करता है, यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय ने Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992) में न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन बताई थी। Subhash Desai v. Principal Secretary, Governor of Maharashtra (2023) में न्यायालय ने कहा कि स्पीकर को ऐसी याचिकाओं पर उचित समय के भीतर निर्णय लेना चाहिए और उन्हें अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी की उस याचिका के निर्णय में तीन माह की देरी को चिन्हित करने के बाद, जिसमें लोकसभा सदस्य (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) नियम, 1985 के नियम 6 के अंतर्गत 20 बागी सांसदों की अयोग्यता मांगी गई थी, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने अब इन 20 सांसदों को 8 अक्टूबर तक अपना उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है, इससे पहले दी गई एक अवधि-वृद्धि 22 सितंबर को समाप्त हो गई थी।
बाल यौन शोषण सामग्री पर सर्वोच्च न्यायालय का 'आखिरी अवसर'	Just Rights for Children Alliance & Anr v. S. Harish & Ors (23 सितंबर, 2024) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) को संग्रहीत किए बिना केवल देखना या दिखाना भी POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 15 के अंतर्गत 'अधिकार में रखना' (possession) है, और केंद्र को इसकी ऑनलाइन उपलब्धता के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया। इस सप्ताह, अनुपालन न होने के आरोप वाली एक याचिका पर, न्यायमूर्ति J.B. पारदीवाला और K. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि 14 अगस्त के निर्देश के बावजूद न तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और न ही विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 2024 के निर्णय को सार्थक रूप देने के लिए उठाए गए कदमों पर कोई प्रत्युत्तर या रिपोर्ट दाखिल की है, और दोनों मंत्रालयों को ऐसा करने का 'आखिरी अवसर' दिया, इस मामले को "अत्यंत गंभीर" बताते हुए।
लोकहित में उत्पादन का निर्देश — विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11 समुचित सरकार को असाधारण परिस्थितियों में, जैसे राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था या प्राकृतिक आपदा को ख़तरा, किसी उत्पादन कंपनी को उसके निर्देशों के अनुसार किसी उत्पादन केंद्र का संचालन और अनुरक्षण करने का निर्देश देने की, और समुचित आयोग को इससे होने वाले प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव की क्षतिपूर्ति करने का आदेश देने की शक्ति देती है। मासिक स्पॉट बिजली दरों को 2022 के बाद के सर्वोच्च स्तर तक पहुँचाने वाली सप्लाई-कमी का हवाला देते हुए सरकारी सूत्रों के अनुसार केंद्र 2024 के बाद पहली बार तापीय बिजली संयंत्रों को घरेलू सप्लाई के साथ आयातित कोयला मिलाने का निर्देश देने पर विचार कर रहा है; इस प्रकार के पहले के कोयला-मिश्रण निर्देश दिसंबर 2021 से मार्च 2024 तक लागू रहे थे। अधिकांश भारतीय कोयला-चालित संयंत्र पहले ही 15% तक आयातित कोयला मिला सकते हैं, पर घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और आयात घटाने की पिछली मुहिम ने अब तक मिश्रण को अधिकांशतः स्वैच्छिक ही रखा था।
उपभोक्ता आयोग और वे स्तर जो तय करते हैं कि शिकायत कहाँ जाएगी	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने 1986 के अधिनियम का स्थान लिया और एक त्रि-स्तरीय अर्ध-न्यायिक ढाँचा बनाया — ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग — जिसमें वित्तीय अधिकारिता वस्तु या सेवा के मूल्य और माँगे गए प्रतिकर से तय होती है, और स्तरों के माध्यम से ऊपर तक अपील का अधिकार है। उपभोक्ता आयोगों में रिक्तियों और आधारभूत संरचना पर एक स्वप्रेरित मामले में एमिकस क्यूरी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी गई एक स्थिति-रिपोर्ट में केरल के ज़िला और राज्य आयोगों के समक्ष बढ़ता बैकलॉग, कई ज़िला आयोगों में अपर्याप्त वीडियो-कॉन्फ़्रेंसिंग सुविधाएँ, और राज्य आयोग की पीठ में महिला सदस्यों की कमी को चिन्हित किया गया है — ये निष्कर्ष

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
	अधिनियम के उस वादे से जुड़ते हैं कि उपभोक्ता शिकायतों के लिए सामान्य सिविल मुकदमेबाज़ी का एक सुगम, त्वरित विकल्प उपलब्ध हो।
कॉफ़ी बोर्ड का तीन-स्तरीय टिकाऊपन प्रमाणीकरण	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय, भारतीय कॉफ़ी बोर्ड ने टिकाऊपन (sustainability) मानक विकसित किए हैं और एक तीन-स्तरीय प्रमाणीकरण लागू कर रहा है: पहला स्तर उत्पादकों द्वारा स्व-प्रमाणीकरण है जिसे बोर्ड स्वयं सत्यापित करता है, दूसरे में स्वतंत्र तृतीय-पक्ष सत्यापन है, और तीसरा भारतीय मानकों को अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त टिकाऊपन ढाँचा के साथ तुलना करता है। भारत विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक और पाँचवाँ सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसने 2025-26 में \$2 अरब से अधिक मूल्य की कॉफ़ी निर्यात की, जिसमें लगभग 39% मूल्य-वर्धित उत्पाद रहे; बोर्ड की आशा है कि नया प्रमाणीकरण उत्पादकों को भारत की पारंपरिक छाया-आधारित खेती को बाज़ार में एक लाभ के रूप में इस्तेमाल करने देगा।
बांग्लादेश की हिल्सा-खिड़की और दुर्गा पूजा की उपहार-मछली कूटनीति	बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली हिल्सा के भारत को निर्यात पर 2012 से घरेलू सप्लाई की रक्षा और प्रजनन-भंडार संरक्षित रखने के लिए प्रतिबंध रहा है, पर 2019 से बांग्लादेश ने सदभावना के प्रतीक के रूप में दुर्गा पूजा त्योहार के समय पर एक छोटी निर्यात-खिड़की समय-समय पर अनुमत की है, क्योंकि इस मछली का दोनों देशों की सीमा के आर-पार बंगाली उत्सव-भोजन में सांस्कृतिक महत्व है। यह खिड़की हर वर्ष खोलनी है या रोकनी है, यह निर्णय भारत-बांग्लादेश संबंधों की स्थिति का एक संकेतक बन गया है, क्योंकि वही संरक्षण-क़ानून जो इस प्रतिबंध को औचित्य देता है, बांग्लादेश सरकार को किसी अपवाद के आकार और समय पर पूर्ण विवेकाधिकार भी देता है।
227 भारतीय और रूसी सेना — विदेश मंत्रालय ने क्या पुष्टि की है	1 सितंबर, 2026 को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने मीडिया को बताया कि भारत के पास यह सूचना है कि उसके 227 नागरिक रूसी सशस्त्र सेनाओं में भर्ती किए गए — जिनमें अधिकांश छात्र या कार्य वीज़ा पर रूस गए थे और बाद में युद्ध-भूमिका में खींच लिए गए — इनमें से 139 को हटा दिया गया है और 51 की मृत्यु हो गई है, तथा नई दिल्ली अभी वहाँ मौजूद बाकी लोगों की रिहाई और वापसी के लिए माँस्को के साथ निरंतर संवाद में है। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेन्स्की ने उन 47 देशों में भारत का नाम भी लिया जिनके नागरिकों को, उनके अनुसार, रूस यूक्रेन के विरुद्ध अपने युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है, भारत ने इस दावे को विदेश-नीति की दिशा के प्रश्न के बजाय मामला-दर-मामला वाणिज्यद्वितीय और कूटनीतिक विषय के रूप में लिया है।
FDI इक्विटी अंतर्वाह और DPIIT के ऑकड़ों का मर्म	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इक्विटी अंतर्वाह के ऑकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) द्वारा संकलित और जारी किए जाते हैं, और इन्हें निवेशक विश्वास तथा व्यापार सुगमता का एक प्रमुख संकेतक माना जाता है। वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में FDI इक्विटी अंतर्वाह का सबसे बड़ा स्रोत देश जापान और सबसे बड़ा गंतव्य राज्य तमिलनाडु रहा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाला अंतर्वाह तेज़ी से घटा — यह याद दिलाता है कि नीति-निर्माता भारत की FDI संरचना को उसके कुल आकार जितनी ही बारीकी से स्रोत-देशों और राज्यों में उसके विविधीकरण के लिए देखते हैं, क्योंकि किसी एक स्रोत अर्थव्यवस्था पर निर्भरता स्वयं एक सामरिक जोखिम रखती है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार की 'निरंतर दबाव' पर चेतावनी और बचाव की क्रीमत	मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने इस सप्ताह कहा कि व्यापार-अवरोध — निर्यात लाइसेंसिंग शर्तें, सप्लाई-चेन के दबाव-बिंदु और इस प्रकार के अन्य उपाय जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा लगाए जाते हैं — “निरंतर दबाव” (sustained coercion) के समान हैं जिसका उद्देश्य देशों को परस्पर विरोधी भू-राजनीतिक खेमों में से एक चुनने पर मजबूर करना है, और भारत की खेमों के बीच बचाव (hedging) की रणनीति, किसी एक को चुनने के बजाय, स्वयं “महत्वपूर्ण क्रीमत” रखेगी। उनका तर्क है कि भारत के भौगोलिक स्थान, आकार और भूगोल को देखते हुए कोई पक्ष चुनना यथार्थवादी विकल्प नहीं है, इसलिए बचाव की क्रीमत को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में निर्णय-प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए — यह विवेचना व्यापार और विदेशी आर्थिक नीति में सामरिक स्वायत्तता को कोई सहज विकल्प नहीं, बल्कि एक सोचा-समझा, मूल्य चुकाया गया विकल्प मानती है।
ईरान का सात-दिवसीय प्रस्ताव, और उसमें नया क्या है	ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाशिये पर संकेत दिया है कि यदि अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटा ले, ईरानी तेल बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटा ले, और लेबनान तक विस्तारित होने वाले युद्ध-विराम का पालन करे, तो ईरान सात दिनों के भीतर होर्मुज़ जलसंधि (Strait of Hormuz) फिर से खोल सकता है; राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने कहा कि ईरान लड़ाई जारी नहीं रखना चाहता और “अमेरिका को ही चुनना होगा” कि युद्ध समाप्त हो। यह ईरान की दो दिन पहले की स्थिति से अधिक विशिष्ट, समय-सीमा-बद्ध और शर्तयुक्त प्रस्ताव है, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था कि ईरान को समझौते और “विनाश” के बीच चुनना होगा जबकि होर्मुज़ बाधित रहा; सात-दिन का ऑकड़ा और लेबनान से स्पष्ट जुड़ाव इसमें नए तत्व हैं।
श्रीलंका ने विरोध के बावजूद न्यायिक सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई	श्रीलंका की सरकार ने सभी न्यायाधीशों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु को दो वर्ष बढ़ाने के लिए मत दिया है, यह उन न्यायिक सुधारों का हिस्सा है जो न्यायालय-भवन की संख्या बढ़ाने, कोलंबो के बाहर नए अपीलीय न्यायालय बनाने, तथा विचारण की गति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मैजिस्ट्रेट, स्ट्राफ़ और पुलिस अधिकारियों की भर्ती करने का भी प्रयास करते हैं; यह विस्तार 411 न्यायाधीशों पर लागू होगा। यह विधेयक संसद में और देश की प्रभावशाली बार एसोसिएशन द्वारा विरोधित रहा, फिर भी राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायक की सरकार ने आगे बढ़ते हुए इस बदलाव को उस न्यायपालिका में मामलों के बैकलॉग घटाने के लिए आवश्यक बताया जो भारत की तरह दीर्घ काल से लंबित मामलों से जूझती रही है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
धर्मशास्त्र की शूद्र श्रेणी कभी स्थिर नहीं रही — सत्-शूद्र/असत्-शूद्र की रेखा	मनुस्मृति जैसे शास्त्रीय धर्मशास्त्र ग्रंथ शूद्र वर्ण पर संयत ढंग से ही बात करते हैं, पर मध्यकालीन टीका-साहित्य ने 'सत्-शूद्र' (सम्मानित, मंदिर-पूजा में स्वीकृत भले ही वैदिक पाठ में नहीं) और 'असत्-शूद्र' (दोनों से बाहर माना गया) के बीच एक भेद विकसित किया, जो यह तय करता था कि कोई ब्राह्मण पुरोहित किसी परिवार के लिए कौन-से संस्कार करा सकता है और कौन-से नहीं। देवदत्त पटनायक अपने स्तंभ में लिखते हैं कि लगभग 1300 से 1600 ई. के बीच, सल्तनत और मुगल शासन ने अनेक शूद्रों को भूस्वामी किसान, व्यापारी, गिल्ड-कारीगर और यहाँ तक कि शासक बनने दिया, जिससे ब्राह्मणिक विधिक साहित्य को यह बार-बार फिर से खींचना पड़ा कि शूद्र श्रेणी की सीमा कहाँ है — यह जाति की स्थिर व्याख्या के विरुद्ध एक याद-दिहानी है कि धर्मशास्त्र प्राचीनकाल से बिना बदले सौंपी गई कोई स्थिर संहिता नहीं थी, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता में हो रहे वास्तविक परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया देने वाला एक जीवंत, अनुकूलनशील विधिक निकाय था।
PM ई-बस सेवा और PM E-DRIVE के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने सार्वजनिक बस नेटवर्क पुनर्जीवित किया	अपनी राज्य-संचालित बस सेवा बंद करने के इक्कीस वर्ष बाद, मध्य प्रदेश ने नए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत केंद्र की PM ई-बस सेवा योजना के साथ मिलकर 351 बसों को हरी झंडी दिखाकर एक राज्य-समर्थित सार्वजनिक बस नेटवर्क फिर से शुरू किया है। PM ई-बस सेवा 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को कुल लगभग ₹57,000 करोड़ की लागत पर वित्तपोषित करती है, जिसमें से लगभग ₹20,000 करोड़ केंद्र से आता है, जबकि PM E-DRIVE — सितंबर 2024 में ₹10,900 करोड़ के आवंटन के साथ स्वीकृत और अब बड़े इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों को छोड़कर सभी वर्गों के लिए 31 मार्च, 2028 तक विस्तारित — अलग से इलेक्ट्रिक वाहनों की माँग को सब्सिडी देती है, जिसमें ई-बसें भी शामिल हैं; केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने इस पुनःशुभारंभ के अवसर पर निर्माताओं से सुरक्षा मानकों पर जोर दिया और इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन की ओर बड़े बदलाव के लिए दबाव डाला।
दिल्ली की SIR सूचनाएँ रात्रि आश्रयस्थलों तक पहुँची	निर्वाचक नामावली की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत, दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार, दिल्ली के रात्रि आश्रयस्थलों — सराय काले खाँ सहित — में शिविर आयोजित किए गए हैं ताकि निर्वाचक नामावली को 'अधिक समावेशी' बनाया जा सके। दिल्ली की प्रारूप नामावली में लगभग 33.1 लाख निर्वाचकों को सूचनाएँ मिलीं कि वे नामावली में बने रहने की अपनी पात्रता प्रमाणित करें, इनमें से लगभग 13.79 लाख को पिछली गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली से नहीं जोड़ा जा सका, और लगभग 19.33 लाख को उनके गणना-फॉर्मों में तार्किक विसंगतियों के लिए चिन्हित किया गया; दिल्ली की अंतिम निर्वाचक नामावली 4 नवंबर को प्रकाशित होनी है। आश्रयस्थलों में रहने वाले निवासी, जिनमें अनेक के पास स्थायी पता-प्रमाण नहीं है, दौरा करने वाले बृथ स्तर अधिकारियों को जो भी आधार, पैन या पहले का मतदाता पहचान दस्तावेज़ दे सके, उसी के माध्यम से अपनी पात्रता साबित करते हैं।
पंजाब की माएँ धीयां सत्कार योजना और कल्याण-संबद्ध राजनीतिक जनसंपर्क	माएँ धीयां सत्कार योजना पंजाब सरकार की एक नरकदी-अंतरण योजना है जिसके अंतर्गत हर पात्र महिला को ₹1,000 मासिक और दलित महिलाओं को ₹1,500 मासिक मिलता है; AAP सरकार के 2022 चुनावी वादों में से एक के रूप में घोषित यह योजना जुलाई 2026 में ही लागू हुई, जब तीन महीनों की राशि पहले ही अग्रिम रूप से हस्तांतरित की गई। भगवंत मान सरकार का कहना है कि पंजाब की पात्र महिलाओं में से अब 97% इस योजना से आच्छादित हैं, जिसे गाँव-स्तर की 'सखियों' के नेटवर्क के माध्यम से लागू किया जा रहा है जो लाभार्थियों का पंजीकरण करती हैं — यह इस बात का उदाहरण है कि कल्याणकारी हकदारी योजना की कार्यान्वयन-समय-सीमा और जनसंपर्क-मशीनरी किसी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लामबंदी के ढाँचे के रूप में भी काम कर सकती है।
वह ₹2.9 लाख करोड़ का लागत-अतिक्रमण जिसे MoSPI हर महीने ट्रैक करता है	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का आधारभूत संरचना एवं परियोजना निगरानी प्रभाग (IPMD) ₹150 करोड़ या उससे अधिक लागत की केंद्रीय आधारभूत संरचना परियोजनाओं की निगरानी करता है, और ₹1,000 करोड़ या अधिक की परियोजनाओं को 'मेगा' परियोजना मानता है; इसकी अगस्त रिपोर्ट में बताया गया कि 17 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में अनुश्रवित 1,731 चल रही परियोजनाओं ने मिलकर अपनी मूल अनुमानित लागत ₹30.7 लाख करोड़ के ऊपर संचयी रूप से ₹2.9 लाख करोड़ का लागत-अतिक्रमण दर्ज किया है, जिसमें संचयी व्यय ₹16.33 लाख करोड़ है, जो संशोधित परियोजना लागत का लगभग 48.59% है। यह रिपोर्ट कुल अतिक्रमण और व्यय को ट्रैक करती है, पर यह स्वयं यह नहीं बताती कि कौन-सी अलग-अलग परियोजनाएँ इस अतिक्रमण को बढ़ा रही हैं, इसकी निगरानी मंत्रालय-स्तर पर अलग से होती है।
जनगणना 2027 के जनसंख्या प्रगणन चरण में 13 नए प्रश्न जुड़े	भारत की जनगणना 2027 के जनसंख्या प्रगणन (Population Enumeration) चरण में 40 प्रश्नों की अनुसूची है, जो 2011 की जनगणना में इस्तेमाल हुई 29-प्रश्नों वाली अनुसूची से 13 अधिक है, जो इस दशकीय गणना के लिए स्वीकृत जाँच के नए क्षेत्रों के जुड़ने को दर्शाती है। लद्दाख, जो 2019 से विधानमंडल-विहीन केंद्रशासित प्रदेश है, जनगणना 2027 के इस दूसरे चरण को शुरू करने वाला पहला राज्य या केंद्रशासित प्रदेश बन गया है, जो पहले के भवन-सूचीकरण चरण के बाद आता है; यह जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत होती है, और इसकी अनुसूची और समय भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं।
निर्वाचक नामावली, फॉर्म 6, और कौन उसे नियंत्रित करने वाले नियम संशोधित कर सकता है	फॉर्म 6, जो किसी मतदाता के नए पंजीकरण के लिए है, निर्वाचकों के पंजीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत निर्धारित है, जो स्वयं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत बनाए गए हैं, और इन्हें केवल केंद्र सरकार का विधि मंत्रालय संशोधित कर सकता है, न कि निर्वाचन आयोग या कोई राज्य प्राधिकरण स्वयं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सांविधिक संरक्षण देती है, जबकि लोक प्रतिनिधित्व

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
	अधिनियम, 1950 की धारा 32 निर्वाचक नामावली तैयार करने, संशोधित करने या ठीक करने से जुड़े आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन को दंडनीय अपराध बनाती है — दोनों उपबंध मिलकर वह प्रतिरक्षा तय करते हैं जो अपना कर्तव्य निभाने वाले निर्वाचन अधिकारियों की रक्षा करती है और वह दायित्व भी जो न निभाने पर उन पर आता है।
केवल नौ राज्य अपनी लॉटरी क्यों चलाते हैं	सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी संघ सूची की प्रविष्टि 40 के अंतर्गत आती है, पर लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 किसी राज्य को धारा 4 की शर्तों के अधीन अपनी स्वयं की लॉटरी चलाने, या धारा 5 के अंतर्गत अन्य राज्यों की लॉटरी को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है, जबकि धारा 6 केंद्र को चाहने पर लॉटरी को पूरी तरह प्रतिबंधित करने देती है। B.R. Enterprises v. State of U.P. (1999) में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 5 को न्यूनीकृत रूप में यह मानते हुए पढ़ा कि कोई राज्य अन्य राज्यों की लॉटरी को केवल तभी रोक सकता है जब वह स्वयं कोई लॉटरी न चलाता हो — इस निर्णय ने प्रभावित किया कि किन राज्यों ने इस कारोबार को छोड़ना चुना, जिनमें 2003 में तमिलनाडु और 2007 में कर्नाटक शामिल हैं। 14 मार्च, 2023 के एक लोकसभा उत्तर में केवल नौ राज्यों को वर्तमान में लॉटरी चलाने वाले के रूप में पहचाना गया: अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम और पश्चिम बंगाल।
जम्मू-कश्मीर का 2000 का स्वायत्तता संकल्प और वह माँग जिस पर वह लौटता रहता है	जम्मू और कश्मीर विधानसभा ने 26 जून, 2000 को एक स्वायत्तता संकल्प पारित किया था, जो राज्य की 1953-पूर्व सांविधानिक स्थिति — शेख अब्दुल्ला को 9 अगस्त, 1953 को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने से पहले की स्थिति — पर लौटने की माँग करता था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म (प्रधानमंत्री) और सद-ए-रियासत (राज्य के राष्ट्रपति) जैसी पदवियों की बहाली शामिल थी। राज्य की विशेष स्थिति पर एक और संकल्प 6 नवंबर, 2024 को पारित हुआ, और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अब राज्य के दर्जे की बहाली पर '2000 के स्वायत्तता संकल्प की निरंतरता में' एक नया संकल्प प्रस्तुत किया है, यह जुड़ाव राज्य के दर्जे की माँग और अनुच्छेद 370 के अंतर्गत स्वायत्तता की पुरानी माँग को एक ही निरंतर दावे के बिंदुओं के रूप में मानता है, अलग-अलग मुद्दों के रूप में नहीं।
प्रतिकारी वनरोपण को उस भूमि का दोगुना क्षेत्र कवर करना होता है जिसकी वह क्षतिपूर्ति करता है	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और उसके नियमों के अंतर्गत, वन भूमि के किसी गैर-वन प्रयोजन के लिए किसी भी अंतरण के लिए समतुल्य क्षेत्र की गैर-वन भूमि पर प्रतिकारी वनरोपण (Compensatory Afforestation) आवश्यक होता है; जहाँ ऐसी समतुल्य गैर-वन भूमि उपलब्ध न हो, वहाँ प्रतिकारी वनरोपण के बदले अंतरित वन भूमि के क्षेत्र से दोगुनी क्षति वन भूमि पर किया जाना चाहिए, यह जानबूझकर रखा गया अधिक अनुपात है जो क्षेत्र की हानि और पुनर्स्थापित की जा रही क्षति भूमि के निम्न पारिस्थितिक मूल्य, दोनों की क्षतिपूर्ति के लिए है। इस नियम का प्रशासन राष्ट्रीय प्रतिकारी वनरोपण निधि ढाँचे के माध्यम से होता है और यह आधारभूत संरचना तथा औद्योगिक परियोजनाओं की वन स्वीकृतियों से जुड़ी मानक शर्तों में से एक है।
भारत का मॉडल BIT, और UAE को छोटा इंतज़ार क्यों मिला	भारत के वर्तमान मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (Model BIT) को दिसंबर 2015 में कैबिनेट की मंजूरी मिली और जनवरी 2016 में इसे अपनाया गया, और यह किसी विदेशी निवेशक को भारत के विरुद्ध संधि-आधारित माध्यस्थता का दावा प्रस्तुत करने से पहले पाँच वर्ष तक घरेलू उपचारों को समाप्त करने की अपेक्षा करता है, यह उपबंध सामान्य नियामकीय और वाणिज्यिक विवादों को सबसे पहले भारत के ही न्यायालयों और अधिकरणों के भीतर रखने के लिए है। भारत-UAE द्विपक्षीय निवेश संधि, 2024 ने इस ढाँचे से हटकर स्थानीय-उपचार अवधि को तीन वर्ष कर दिया, जो मॉडल BIT के मूल पाठ में बदलाव नहीं, बल्कि एक बातचीत से तय किए गए अपवाद को दर्शाता है, और मॉडल BIT का पाठ अन्य द्विपक्षीय निवेश संधि वार्ताओं में भारत की चूक (डिफ़ॉल्ट) आरंभिक स्थिति के रूप में आगे भी लागू रहता है।
T.N. शेशन और यह नियम कि निर्वाचन आयोग के अधिकांश निर्णय परंपरा से एकमत होते हैं, कानून से नहीं	T.N. Seshan v. Union of India (1995) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की आयोग के निर्णयों में समान राय होती है, और यह विचार अस्वीकृत किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की राय दूसरों की राय पर अभिभावी हो सकती है; निर्वाचन आयोग 1993 में ही एक स्थायी तीन-सदस्यीय निकाय बना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 18 यह उपबंध करती है कि आयोग का कार्य 'जहाँ तक संभव हो' एकमत से संचालित हो, और जहाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के मत भिन्न हों, वहाँ मामला बहुमत से निर्णीत होता है — यह मतभेद के लिए एक विधिक विकल्प है जो ठीक इसलिए मौजूद है क्योंकि आयोग की एकमत होने की सार्वजनिक प्रस्तुति सौहार्दपूर्ण परंपरा है, कोई सांविधानिक या सांविधिक अपेक्षा नहीं कि हारे हुए सदस्य खामोश रह जाएँ।
गेहूँ का बफ़र मानदंड, और 'मुक्त' निर्यात सूची सब्सिडी के समान क्यों नहीं है	गेहूँ के लिए 1 अक्टूबर की केंद्रीय पूल बफ़र-भंडारण मानदंड 20.5 मिलियन मेट्रिक टन तय है, यह वह न्यूनतम मात्रा है जो भारतीय खाद्य निगम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सप्लाई और अभाव के मौसम में मूल्य-स्थिरीकरण सुनिश्चित करने के लिए रखनी होती है। गेहूँ के निर्यात, जो 'प्रतिबंधित' श्रेणी में थे, 24 अगस्त, 2026 को 'मुक्त' श्रेणी में स्थानांतरित कर दिए गए, विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत यह निर्यात-नीति वर्गीकरण में बदलाव निर्यात पर लगे लाइसेंसिंग अवरोध को हटाता है पर यह स्वयं बफ़र मानदंड से अलग निर्णय है — कोई देश निर्यातों को मुक्त करते हुए भी एक उच्च अनिवार्य बफ़र बनाए रख सकता है, क्योंकि दोनों साधन अलग-अलग जोखिमों का प्रबंधन करते हैं: एक कृषि आय और व्यापार-प्रतिस्पर्धात्मकता की रक्षा करता है, दूसरा खाद्य-सुरक्षा भंडार की।

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 26 सितंबर 2026 से ली गई है, जहां संकेतित है वहां आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरक। तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

11. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 • निबंध • खंड A • 6 मिनट पठन (min read)

राज्य जिसे गिनता है, उसे शासित भी करने लगता है।

विषय (Themes): शासन • सामाजिक न्याय • आँकड़े और राज्य

जब एच.एच. रिज़ले ने 1901 की भारत की जनगणना का संचालन किया, तो उन्होंने हर प्रांत की जातियों को “देशी लोकमत द्वारा मान्य सामाजिक क्रम” (social precedence as recognised by native public opinion) के अनुसार सजाने का प्रयास किया। इस प्रयास ने याचिकाओं की बाढ़ ला दी। जाति संगठनों ने जनगणना अधिकारियों को पत्र लिखे कि उन्हें अधिक सम्माननीय नामों से दर्ज किया जाए, सारणी में ऊँचा स्थान दिया जाए, और उन्हें वह न गिना जाए जो उनके पड़ोसी उन्हें कहते थे। इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं कि उपनिवेशी जनगणना ने कितना रचा और कितना केवल दर्ज किया; निकोलस डर्क्स ने अपनी पुस्तक *Castes of Mind* (2001) में तर्क दिया कि उपनिवेशी शासन ने जाति को भारतीय समाज की केंद्रीय श्रेणी बना दिया, जबकि अन्य विद्वान कहते हैं कि जाति किसी भी जनगणना से पहले ही शक्तिशाली थी। एक बात पर सभी सहमत हैं। जब राज्य ने जाति को लिख दिया, तो जाति स्वयं को उस लिखत के इर्द-गिर्द संगठित करने लगी।

एक शताब्दी से अधिक बाद, भारत फिर जाति की गिनती कर रहा है। जनगणना 2027 के दूसरे चरण की प्रश्नावली में स्वतंत्रता के बाद पहली बार जाति संबंधी प्रश्न पूछा गया है, एक “खुले कॉलम” (open column) के माध्यम से, जिसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से न आने वाले लोग अपनी जाति अपने शब्दों में लिखते हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह अभी तय नहीं हुआ कि उत्तरों को किस प्रकार वर्गीकृत और सारणीबद्ध किया जाएगा। यह निबंध तर्क देता है कि गिनना कभी देखने की एक निरपेक्ष क्रिया नहीं होती राज्य जो मापता है, उसे वह वित्त देने, नियमित करने और आकार देने लगता है, और लोग स्वयं को उसी नाप में ढालने लगते हैं। इसलिए असली विकल्प गिनने और न गिनने के बीच नहीं है, बल्कि उस गिनती के बीच है जो खुले में शासन करे और उस गिनती के बीच जो अंधेरे में शासन करती रहे।

पहले उस भलाई से शुरू करें जो गिनती करती है। 1990 में अमर्त्य सेन ने *The New York Review of Books* में “More Than 100 Million Women Are Missing” शीर्षक से एक निबंध प्रकाशित किया, जिसमें जनसंख्या के अनुपातों से यह अनुमान लगाया गया कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका में कितनी स्त्रियाँ और बालिकाएँ जीवित होनी चाहिए थीं और नहीं थीं। एक संख्या ने एक निजी प्रथा को एक सार्वजनिक कलंक बना दिया। भारत में जनगणना उस क्षति को दर्ज करती रही: बाल लिंगानुपात 2001 में प्रति हज़ार लड़कों पर 927 लड़कियों से घटकर 2011 में 918 हो गया। प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 (Pre-Natal Diagnostic Techniques Act) और 2015 की बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ योजना, दोनों उस गिनती के उत्तर थे जो आँकड़ों ने दिखाया। यहाँ तक कि 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (Socio-Economic Caste Census), जिसकी जाति-सारणियाँ कभी जारी नहीं हुई, ने भी वंचना संबंधी वे आँकड़े दिए जो आवास और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लाभार्थियों को पहचानने में आज भी उपयोग होते हैं।

न गिनना भी शासन करता है, केवल कम ईमानदारी से। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या में हिस्सेदारी का अनुमान 1931 की जनगणना से लगाया था, जो हर जाति की गिनती करने वाली अंतिम जनगणना थी। इसलिए तीन दशकों से अधिक समय से आरक्षण और कल्याण जातिगत आधार पर बिना किसी वर्तमान जाति-आँकड़े के आबंटित होते रहे हैं। आँकड़ों की अनुपस्थिति में लाभ अक्सर उन समूहों की ओर बहता है जो उन्हें माँगने में सबसे सक्षम हैं, न कि उन्हें जिन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है। आँकड़ों पर मौन रहने से जाति समाप्त नहीं हुई; उसने प्रश्न को केवल उसके हाथ में सौंप दिया जो सबसे ऊँची आवाज़ में संगठित हो सके।

फिर भी गिनती का एक स्याह पक्ष है, और उसका सीधे सामना करना ज़रूरी है। 1933 में रुआंडा के बेल्टजियाई उपनिवेशी प्रशासन ने पहचान-पत्र जारी किए जिन पर हर व्यक्ति को हुतू, तुत्सी या त्वा दर्ज किया गया। जो श्रेणी पहले कुछ हद तक बदली जा सकती थी, वह कागज़ पर स्थिर हो गई, और 1994 में नरसंहार के दौरान वे ही कार्ड सड़क-नाकों पर जाँचे गए। सबक सामान्य है: राज्य द्वारा लिखी गई श्रेणी नियति बन सकती है। अर्थशास्त्री इसका एक कोमल संस्करण गुडहार्ट के नियम (Goodhart's law) के रूप में जानते हैं, जिसका नाम अर्थशास्त्री चार्ल्स गुडहार्ट के नाम पर है: जब कोई माप लक्ष्य बन जाता है, तो लोग उसे पूरा करने के लिए अपना व्यवहार बदल देते हैं और माप सच बताना छोड़ देता है।

आज के अखबार इस बात का एक छोटा उदाहरण देते हैं कि कैसे एक माप उस वस्तु का स्थान ले सकता है जिसे वह मापता है। कर्नाटक का कहना है कि केंद्र ने पंचायतों के लिए वित्त आयोग की ₹2,186.20 करोड़ की अनुदान राशि इस आधार पर रोक दी है कि लगभग ₹225 करोड़ राशि, जो राज्य के अनुसार ग्राम पंचायतों तक पहुँची और कार्यों पर व्यय हुई, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दिखाई नहीं दी। राज्य के मंत्री ने कहा, “इतने छोटे मुद्दे को आधार बनाकर ₹2,186 करोड़ रोक लेना कर्नाटक के साथ अन्याय है।” केंद्र सरकार का उत्तर रिपोर्ट में नहीं आया, और यह निबंध इस विवाद पर निर्णय नहीं देता। पर सिद्धांत दोनों ही स्थितियों में दिखाई देता है। जो व्यवस्था धनराशि जारी करती है, उसके लिए जो पोर्टल पर नहीं है, वह अस्तित्व में ही नहीं है।

जाति गिनने के विरुद्ध तर्क को उसके सबसे मज़बूत रूप में सुना जाना चाहिए। फ्रांस ने लंबे समय से जातीय मूल पर आँकड़े इकट्ठा करने से इनकार किया है, इस सिद्धांत पर कि गणतंत्र केवल समान नागरिकों को देखता है, और 2007 में उसकी संवैधानिक परिषद (Constitutional Council) ने एक आप्रवासन कानून के उस प्रावधान को रद्द कर दिया जो ऐसे आँकड़ों का द्वार खोलता। भारत के प्रारंभिक नेताओं ने 1951 के बाद केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को गिनने का चुनाव किया, इस आशा में कि यदि राज्य अन्य जाति-पहचानों को अनदेखा करे, तो वे धीरे-धीरे धुंधली पड़ जाएँगी। यह डर कि जाति की गिनती पहचानों को और कठोर बना देगी और प्रतिस्पर्धी माँगें छेड़ देगी, कल्पना नहीं है। बिहार ने 2023 में अपना जाति सर्वेक्षण प्रकाशित किया, आरक्षण को 65 प्रतिशत तक बढ़ाया, और 2024 में पटना उच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी (1992) में तय पचास प्रतिशत की सीमा के उल्लंघन के कारण इस वृद्धि को रद्द कर दिया।

पर पिछले सत्तर वर्षों का अनुभव यह है कि न देखने से जाति समाप्त नहीं हुई। वह निरंतर यह तय करती रही कि भूमि किसकी है, विवाह किससे होगा और नौकरी किसे मिलेगी, जबकि राज्य यह जानने का बहाना करता रहा कि वह नहीं जानता। ईमानदार निष्कर्ष यह है कि खतरा गिनने में उतना नहीं जितना लापरवाही से, गुप्त रूप से, या किसी पहले से तय परिणाम के लिए गिनने में है।

एक सुशासित गिनती कैसी दिखेगी? पहला, वर्गीकरण आँकड़े आने से पहले तय होना चाहिए, बाद में नहीं। उत्तम सांख्यिकीय पद्धति कोडिंग नियमों, पर्यायवाची शब्दों और सारणीकरण-योजना को पहले से प्रकाशित करती है, ताकि बाद में कोई यह न कह सके कि आँकड़ों को किसी परिणाम के अनुकूल सजाया गया। अधिकारी जिस श्रृंखला का वर्णन करते हैं — जनगणना मंडलों से रजिस्ट्रार जनरल तक, गृह सचिव तक, और अंततः मंत्रालय या कैबिनेट तक — उसमें स्वतंत्र सांख्यिकीविदों या समाजशास्त्रियों के लिए कोई औपचारिक स्थान नहीं है; एक बनाया जाना चाहिए। दूसरा, जाति को शिक्षा, व्यवसाय और संपत्ति के साथ क्रॉस-टेबुलेट किया जाना चाहिए, ताकि नीति जातियों के भीतर की वंचना को देख सके, न कि केवल उनके आकार की एक नई क्रम-सूची बना सके। और तीसरा, जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 जो हर परिवार को गोपनीयता का जो वचन देती है, उसकी पूर्ण रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जिस गिनती से लोग डरते हैं वह सच्ची गिनती नहीं होगी।

कर्नाटक का विवाद एक चौथा नियम जोड़ता है। जिसकी गिनती की जाती है, उसे उत्तर देने का अधिकार भी होना चाहिए। जो आँकड़ा-व्यवस्था धनराशि रोकती है, उसे पहले अपने अभिलेखों का उन लोगों के अभिलेखों से मिलान करना चाहिए जिनकी वह सेवा करती है, लिखित कारण देना चाहिए, और दंड लागू होने से पहले सुधार का अवसर देना चाहिए। अन्यथा पोर्टल शासन करने लगता है, और जिस पंचायत ने सड़क बनाई, उसे ऐसा माना जाता है जैसे उसने कुछ भी न बनाया हो।

25 नवंबर 1949 को बी.आर. आंबेडकर ने संविधान सभा को चेताया था कि गणतंत्र राजनीति में “एक व्यक्ति एक मत और एक मत एक मूल्य” (the principle of one man one vote and one vote one value) के सिद्धांत को मान्यता देगा, जबकि उसकी सामाजिक और आर्थिक संरचना “एक व्यक्ति एक मूल्य” (the principle of one man one value) के सिद्धांत को नकारती रहेगी। जनगणना उन थोड़े-से उपकरणों में से एक है जो लोकतंत्र के पास यह जाँचने के लिए हैं कि वह विरोधाभास कितना संकुचित हुआ है। वह उसे आकार देगी जिसे वह गिनती है, जैसे रिज़ले की सारणियों ने दिया था। कार्य यह सुनिश्चित करना है कि वह उसे खुले में आकार दे, पहले से तय नियमों से, संख्या के पीछे के व्यक्ति की खातिर, न कि उसके ऊपर की श्रेणी की खातिर।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards): जनगणना 2027 जाति को एक खुले कॉलम में दर्ज करती है; केंद्र ने अभी यह तय नहीं किया कि उसे किस प्रकार सारणीबद्ध किया जाए। कर्नाटक ने केंद्र पर आरोप लगाया कि पोर्टल संबंधी कमियों के कारण 15वें वित्त आयोग की पंचायत अनुदान की ₹2,186.20 करोड़ राशि रोक ली गई है।

निबंध (ESSAY) 2 • निबंध • खंड B • 6 मिनट पठन (min read)

जो काम दुनिया को जोड़कर रखता है, वह वह काम है जिसे कोई नहीं देखता।

विषय (Themes): श्रम और गरिमा • लिंग • वैश्वीकरण

सूरज यादव बाईस वर्ष के थे, उत्तर प्रदेश के देवरिया से, और अपने गाँव के वह पहले व्यक्ति थे जो किसी व्यापारिक जहाज़ पर काम करने गए। वे 19 अगस्त को बल्क कैरियर एमवी केप दाओ (MV Cape Dao) से जुड़े। 23 सितंबर को, एंटीगुआ और बारबूडा का ध्वज धारण करने वाले उस जहाज़ पर ओमान की खाड़ी में हमला हुआ, और उनकी मृत्यु हो गई। दो दिन बाद, संयुक्त राष्ट्र में, भारत और लाइबेरिया ने जहाज़ों तथा नाविकों की सुरक्षा और संरक्षा पर एक ग्रुप ऑफ़ फ्रेंड्स आरंभ किया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उस बैठक को स्मरण कराया कि विश्व के व्यापारी बेड़े को लगभग दो करोड़ नाविक चलाते हैं और शिपिंग वैश्विक व्यापार का चार-पंचमांश वहन करती है। जो लोग उन जहाज़ों से आने वाले फ़ोन, ईंधन और खाद का उपयोग करते हैं, उनमें से बहुत कम किसी एक जहाज़ या किसी एक नाविक का नाम बता सकते हैं।

उसी सप्ताह, आंध्र प्रदेश ने कक्षा 1 और 2 के लिए नई पाठ्यपुस्तकें प्रस्तुत कीं, जिनमें दिखाए गए सभी घरेलू कामों में से आधे पुरुष करते हैं: एक पिता माँ के साथ खाना बनाता है, स्त्री-पुरुष एक सार्वजनिक नल पर साथ पंक्ति में खड़े हैं। अधिकारियों के अनुसार, पहले की पुस्तकों में ऐसा काम पूरी तरह महिलाओं द्वारा किया जाता दिखाया गया था। ओमान की खाड़ी में एक नाविक की मृत्यु और कक्षा की पुस्तक का एक चित्र दूर-दूर के मामले लगते हैं, पर दोनों एक ही विचार साझा करते हैं। वह श्रम जो बाकी सब कुछ चलाता रखता है, वह प्रायः सबसे कम देखा जाता है, और यह अदृश्यता संयोग से नहीं, बल्कि कानून की, हिसाब-किताब की और आदत की रचना से आती है। यह निबंध तर्क देता है कि ऐसे श्रम को दृश्य बनाना आवश्यक है, पर पर्याप्त नहीं। उसे गिना जाना चाहिए, संरक्षित किया जाना चाहिए और साझा किया जाना चाहिए।

पहले यह देखें कि नाविक अदृश्य क्यों है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UN Convention on the Law of the Sea) के अंतर्गत, खुले समुद्र में एक जहाज़ उस राज्य के प्रति उत्तरदायी होता है जिसका ध्वज वह धारण करता है, और वही राज्य उसके दल की स्थितियों के लिए उत्तरदायी है। विश्व के अधिकांश टनभार खुले रजिस्ट्रियों, या “सुविधा के ध्वजों” (flags of convenience), के अंतर्गत पंजीकृत हैं, जो कम फ़ीस और हल्की निगरानी के कारण चुने जाते हैं; लाइबेरिया इनमें सबसे बड़ा है। इसलिए पनामा या एंटीगुआ के जहाज़ पर काम कर रहा एक भारतीय नाविक दो राज्यों के बीच फँस जाता है: जिसका कानूनी दायित्व है, उसकी उसमें कम रुचि है, और जिसे चिंता है, उसकी कानूनी हैसियत कम है। महामारी के दौरान विश्व ने यह देखा, जब दल-परिवर्तन ठप हो गए और, 2020 के शिखर पर, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization) के अनुमान के अनुसार लगभग चार लाख नाविक फँसे रह गए, या तो अपने अनुबंध की अवधि के बाद भी जहाज़ पर रुके रहे या जहाज़ पर चढ़ नहीं पाए। दिसंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें देशों से नाविकों को अनिवार्य श्रमिक (key workers) घोषित करने का आग्रह किया गया। मार्च 2021 में, जब एवर गिवन (Ever Given) जहाज़ ने स्वेज़ नहर को छह दिनों तक अवरुद्ध किया, तो विश्व ने फिर से यह जाना कि कितना कुछ उस काम पर निर्भर था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था।

अब घर के बारे में सोचें। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistics Office) द्वारा 2019 में किए गए भारत के पहले टाइम यूज़ सर्वे में पाया गया कि अपने परिवारों के लिए अवैतनिक घरेलू काम करने वाली महिलाएँ इस पर प्रतिदिन लगभग 299 मिनट व्यतीत करती हैं, जबकि ऐसा काम करने वाले पुरुष लगभग 97 मिनट। उनमें से कोई भी घंटा GDP में शामिल नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रीय लेखा परिवार के अपने उपयोग के लिए उत्पादित घरेलू सेवाओं को उत्पादन-सीमा से बाहर मानता है। मैरिलिन वेअरिंग ने अपनी पुस्तक If Women Counted (1988) में यह तर्क प्रसिद्ध किया: जो अर्थव्यवस्था किसी भोजन की बिक्री तो मापती है पर उसे पकाने को नहीं, वह उन्हें कम आँकगी जो पकाते हैं। पत्रकार कैट्रीन मासॉल ने उसी बात को एक प्रश्न के रूप में रखा, अपनी पुस्तक Who Cooked Adam Smith's Dinner? के शीर्षक में। स्मिथ, जिन्होंने कसाई, शराब बनाने वाले और रोटी बनाने वाले के बारे में लिखा, अपने अधिकांश जीवन अपनी माँ के साथ रहे, जो उनका घर संभालती थीं।

अदृश्य श्रम सामान्यतः तब ही दृश्य बनता है जब वह रुक जाता है। 24 अक्टूबर 1975 को, आइसलैंड की लगभग नौ में से दस महिलाओं ने एक दिन के लिए काम पर जाने, खाना बनाने या बच्चों की देखभाल करने से इनकार कर दिया। दफ़्तर, स्कूल और कारखाने चलने में जूझते रहे, और पिता अपने बच्चों को काम पर ले गए। पाँच वर्ष बाद आइसलैंड ने विगदीस फ़िनबोगादोतीर (Vigdís Finnbogadóttir) को विश्व की पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित महिला राष्ट्रपति चुना। वह एक शानदार प्रतिरोध था, पर यह किसी समाज के लिए यह सीखने का एक महँगा तरीका है कि वह किस पर निर्भर है। किसी नाविक को मरना नहीं चाहिए, न किसी परिवार को रुकना चाहिए, इससे पहले कि बाकी हम इसे नोटिस करें।

प्रति-पक्ष का तर्क सचमुच सशक्त है। पहला, अदृश्यता कभी-कभी सफलता का संकेत होती है। एक जल-सप्लाई जो चलती रहे, एक अच्छी तरह चलाया गया बंदरगाह, एक सक्षम ज़िला दफ़्तर: इन्हें कोई नहीं देखता क्योंकि कुछ भी गड़बड़ नहीं होता, और हर प्रकार के श्रम को उत्सव के रूप में मनाने की माँग केवल शोर ही उत्पन्न कर सकती है। दूसरा, बहुत से परिवार खाना बनाना और देखभाल करना श्रम नहीं, स्नेह के कार्य मानते हैं, और उनकी क्रीमत लगाना उन्हें छोटा करता प्रतीत हो सकता है; 50:50 का चित्र बहुत भिन्न जीवन जीने वाले परिवारों पर लादा गया एक शहरी आदर्श लग सकता है। तीसरा, दृश्यता सस्ती हो सकती है। 2020 के वसंत में ब्रिटेन में लोग हर गुरुवार बाहर आकर स्वास्थ्य और देखभाल कर्मियों के लिए तालियाँ बजाते थे, और उन्हीं कर्मियों के वेतन और कार्य-स्थितियों पर विवाद कुछ ही वर्षों में सामने आ गए। तालियाँ वेतन नहीं होतीं।

ये आपत्तियाँ तर्क को पलटती नहीं; वे उसे और तीखा बनाती हैं। दृश्यता उन तीन चरणों में से पहला ही है जिन्हें अर्थशास्त्री डायने एल्सन ने पहचाने, घटाएँ और पुनर्वितरित करें (recognise, reduce and redistribute) के रूप में संक्षेप में रखा, वह ढाँचा जो बाद में सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य 5.4 में अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम पर परिलक्षित हुआ। पहचान का अर्थ है गिनना: नियमित टाइम-यूज़ सर्वेक्षण और घरेलू उत्पादन के लिए एक उपग्रह लेखा (satellite account) महिलाओं के अवैतनिक काम को आधिकारिक सारणियों में लाएँगे, बिना यह दिखावा किए कि प्रेम की कोई क्रीमत होती है। घटाने का अर्थ है अवसंरचना: पाइप से जल-सप्लाई, स्वच्छ रसोई-ईंधन और क्रेश किसी पाठ्यपुस्तक से कहीं अधिक घंटे मुक्त करते हैं। पुनर्वितरण का अर्थ है यह बदलना कि काम कौन करता है, और यहीं कक्षा 1 की पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बच्चे यह सीखते हैं कि कौन क्या करता है, चित्रों से, पढ़ना सीखने से बहुत पहले। वही चित्र असफल होगा यदि शिक्षक चूल्हे पर खड़े पिता पर हँसे, इसलिए शिक्षक-प्रशिक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना चित्रांकन।

नाविकों के लिए भी यही चरण लागू होते हैं। पहचान समुद्री श्रम अधिसमय, 2006 (Maritime Labour Convention) में, जिसे “नाविकों का अधिकार-पत्र” (seafarers’ bill of rights) कहा जाता है, वेतन, विश्राम, प्रत्यावर्तन (repatriation) और चिकित्सा देखभाल पर, कागज़ पर पहले से मौजूद है, और भारत ने इसका अनुसमर्थन (ratify) किया है। संरक्षण को उसके पीछे आना होगा: बंदरगाह-राज्य विदेशी जहाज़ों का अनुपालन जाँच सकते हैं, हर अनुबंध में युद्ध-जोखिम खंड (war-risk clauses) और क्षतिपूर्ति लिखी जानी चाहिए, और ग्रुप ऑफ़ फ्रेंड्स तब ही अर्थपूर्ण होगा जब वह ध्वज-राज्यों पर उन दायित्वों को स्वीकार करने का दबाव बनाए जो उन फ्रीसों के साथ आते हैं जिन्हें वे वसूलते हैं। संघर्ष-क्षेत्रों में नाविकों के लिए बंदरगाह मंत्रालय की “सीफ़रर-फ़र्स्ट” (Seafarer-First) पहल एक शुरुआत है, पर उसे बीमा और अनुबंधों तक पहुँचना होगा, न कि केवल निकासी तक।

ईमानदार निष्कर्ष यह नहीं है कि हर श्रमिक को एक स्मारक चाहिए। यह है कि किसी समाज को यह जानना चाहिए कि वह किसके श्रम पर निर्भर है, इससे पहले कि कोई संकट उसे यह सिखाए। देवरिया का जो बच्चा कक्षा 1 की पुस्तक खोलता है और एक पिता को खाना बनाते देखता है, वह बड़ा होकर यह समझ सकता है जिसे दुनिया लंबे समय से अनदेखा करती रही है: कि साधारण जीवन उस काम पर टिका है जो चुपचाप किया जाता है, घर पर माताओं द्वारा और दूर जहाज़ों पर सूरज यादव जैसे युवाओं द्वारा। उस काम को देखना पहला कर्तव्य है। उसे साझा करना, और जो उसे करते हैं उन्हें संरक्षित करना, शेष कर्तव्य है।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards): भारत और लाइबेरिया ने जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र में ‘ग्रुप ऑफ़ फ्रेंड्स’ शुरू किया। आंध्र प्रदेश की नई कक्षा 1-2 की पाठ्यपुस्तकों में पुरुषों को आधे घरेलू काम करते दिखाया गया है।